सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2017-18

खंड- II

(अनुलग्नक और सांख्यिकीय परिशिष्ट)

वित्त विभाग

बिहार सरकार

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

क्रम सं.	विषय सूची	पेज नं.
1	अनुलग्नक-1 : सात निश्चय	A 1-8
2	अनुलग्नक-2 : बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (जीविका)	A 9-23
3	अनुलग्नक-3 : बिहार में मद्यनिषेध का प्रभाव	A 24-28
4	अनुलग्नक-4 : बिजली की आपूर्ति में सुधार और वितरणजनित ह्रासों में कमी	A 29-30
5	अनुलग्नक-5 : बिहार में नीम लेपित यूरिया का उपयोग	A 31-32
6	अनुलग्नक-6 : बिहार में बाढ़	A 33-38
7	अनुलग्नक-7 : बिहार में स्वास्थ्य : प्रतिसाद के लिए स्थिति और संभावनाएं	A 39-44
8	अनुलग्नक-8 : बिहार में महिलाओं और लड़कियों का सशक्तीकरण	A 45-47
9	अनुलग्नक-9 : बिहार में कुपोषण : प्रतिसाद के लिए स्थिति और संभावनाएं	A 48-51

अनुलग्नक-1

सात निश्चय

चिरस्थायी संवृद्धि और विकास हमेशा सुशासन पर निर्भर करते हैं। चिरस्थायी और समावेशी विकास हासिल करने की इच्छा से राज्य सरकार ने कल्याण योजनाओं को ही लागू नहीं किया है, बल्कि बुनियादी अधिसंरचना के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया है। साथ ही, कुशल श्रमशक्ति के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने उच्चतर, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के जरिए युवक-युवतियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर बल दिया है। वर्तमान विकास रणनीति के अंदर राज्य सरकार ने सात निश्चय चिन्हित किए हैं और उन्हें 'सुशासन कार्यक्रम, 2015-20' में शामिल किया है। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के मिशन के बतौर क्रियान्वयन और देखरेख के लिए 5 फरवरी, 2016 को बिहार विकास मिशन की स्थापना की गई। सात निश्चय के सातो घटक ये हैं : (1) आर्थिक हल, युवाओं का बल, (2) आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, (3) हर घर बिजली लगातार, (4) हर घर नल का जल, (5) घर तक पक्की गली-नालियां, (6) शौचालय निर्माण घर का सम्मान और (7) अवसर बढ़े आगे पढ़ें।

निश्चय 1 : आर्थिक हल युवाओं का बल

युवा (15 से 24 वर्ष) आबादी के लिहाज से बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है। राज्य के 1.75 करोड़ युवाओं का राज्य की कुल जनसंख्या में 16.8 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 87 प्रतिशत युवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अत: अपने लाखों युवाओं का सशक्तीकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने पहले निश्चय के तहत पांच महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

(1) **बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना** : बिहार की साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत है जो 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है (जनगणना, 2011)। किशोर-किशोरियों और युवक-युवतियों की साक्षरता दर 72.3 प्रतिशत है और यह भी 86.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। साक्षरता की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 2 अक्तूबर, 2016 को बिहार क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया। योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत कक्षा 12 उत्तीर्ण और 25 वर्ष से कम उम्र वाले विद्यार्थी बैंकों से विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी शैक्षिक, व्यवसाय, पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण ले सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में बी.ए., बी.एससी. एम.बी.बी.एस., प्रबंधन, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमसीए और उच्च शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल हैं। वापसी में चूक की स्थिति में राज्य सरकार अधिकतम 4.00 लाख रु. की गारंटी उपलब्ध कराएगी।

(2) **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** : योजना का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2016 को हुआ था। योजना का उद्देश्य रोजगार पाने में असफल रहन वाले युवक-युवतियों को वित्तीय सहायता

उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बिहार के 20 से 25 वर्ष उम्र समूह के हर बेरोजगार युवक-युवती को दो वर्षों तक हर महीने 1,000 रु. प्राप्त होंगे। पात्र आवेदक को श्रम विभाग द्वारा आयोजित अनिवार्य भाषा प्रशिक्षण (हिंदी/ अंग्रेजी), संवाद कौशल, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और व्यवहार कौशल भी हासिल होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे - कक्षा 12 उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र, कक्षा 10 उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र (जिसमें जन्मतिथि लिखी हो), आवासीय प्रमाणपत्र, बैंक संबंधी विवरण और आधार कार्ड।

(3) **कौशल युवा योजना :** वैश्वीकरण के दौर में व्यवहार कौशल रोजगार बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संवाद कौशल की कमी ग्रामीण युवक-युवतियों के लिए कुशल श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समस्या पैदा करती है। बेरोजगारी और संगठित क्षेत्र में ग्रामीण युवक-युवतियों की भागीदारी के मुद्दे पर काम करने के लिए राज्य सरकार की युवक-युवतियों के व्यवहार कौशल में सुधार लाने की योजना है। इस योजना के तहत युवक-युवतियों को सैद्धांतिक जानकारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा जिससे उनके संवाद के स्तर और अंतर्वैयक्तिक कौशलों में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत 15 से 25 उम्र समूह के न्यूनतम कक्षा 10 उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियां आवेदन देने की पात्र होंगी।

व्यवहार कौशल विकास कार्यक्रम में 240 घंटे का प्रशिक्षण होगा जिसमें 80 घंटे का भाषा शिक्षण (हिंदी/ अंग्रेजी), 120 घंटे का संवाद कौशल और 40 घंटे का व्यवहारमूलक कौशल शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा निजी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अभियंत्रण महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ चुके विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

(4) **बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 :** राज्य में नए लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिहाज से सक्षमकारी वातावरण निर्माण के लिए बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 युवक-युवतियों को व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग देगी और राज्य में व्यवसाय के नए विचारों को पोषित करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार उद्भवन (इनक्यूबेशन) केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इस नीति के तहत 500 करोड़ रु. का उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) कोष बनाया जा चुका है। नवांकुर उद्यमों (स्टार्ट-अप) को पांच वर्षों तक राज्य के विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्यसंचालन लाइसेंस लने से छूट मिलेगी। इसके लिए नवांकुर उद्यमों द्वारा सिर्फ स्वयं-घोषणा उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार आगामी उद्यम पार्कों, लघु एवं मध्यम उद्यम संकुलों एवं केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर 10 प्रतिशत स्थान नवांकुर उद्यमों, इनक्यूबेटरों और सामान्य अधिसंरचना क लिए आबंटित करेगी। प्रगतिशील नवांकुर उद्यमों के लिए उद्भवन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां से उद्यमों को राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होगी। सामान्य अधिसंरचना घटक के तहत राज्य सरकार शोध एवं विकास प्रयोगशाला, वित्तपोषण कोग्रांग और सभागार के लिए स्थान उपलब्ध कराएगी। ये सारी चीजें

सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से की जाएंगी और नवांकुर उद्यम ये सुविधाएं तीन वर्षों की अवधि के लिए नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय सहायता घटक के तहत, राज्य सरकार हर नवांकुर उद्यम को आरंभिक निवेश सहायता के अंतर्गत 10.00 लाख रु. की आरंभिक धनराशि (सीड फंडिंग) उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार नवांकुर उद्यमों को निवेशकों की पहचान करने में सहयोग करेगी और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। उन्हें देश के अंदर या बाहर पेटेंट के लिए आवेदन करने में कोई खर्च नहीं करना होगा। राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत, अजा/अजजा उद्यमियों को अधिकतम 15 प्रतिशत और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम 15 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नवांकुर उद्यमों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी।

इस नीति के तहत एक न्यास गठित किया जाएगा जो किसी कंपनी में निवेश का अनुभव रखने वाले पेशेवर व्यक्ति की अध्यक्षता वाला स्वायत्त निकाय होगा। जोखिम पूंजी कोष प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, और नवांकुर उद्यमों के प्रमाणन के लिए न्यास एक या अधिक प्रबंधकों की नियुक्ति करेगा। नवांकुर उद्यमों के लिए वांछित सारी वैधानिक अनापत्तियां (क्लीयरेंस) सुनिश्चित की जाएंगी और सिंगल विंडो अनापत्ति समिति की स्थापना के साथ अनापत्तियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

(5) सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में मुफ्त वाइ-फाइ : वर्तमान दौर में इंटरनेट की उपलब्धता पेशेवर कार्यों ही नहीं, दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाइ-फाइ उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह मुफ्त इंटरनेट सुविधा 319 शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध कराई जा रही है।इन संस्थानों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। इस योजना के तहत युवा वर्ग अपनी जानकारी बढा पाने में सक्षम होगा और रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। योजना के अनुसार, विश्वविद्यालयों में 30 वाइ-फाइ हॉटस्पॉट और महाविद्यालयों में 10 वाइ-फाइ हॉटस्पॉट स्थापित किए जाने हैं। राज्य सरकार को आशा है कि युवा वर्ग इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएगा और राज्य के समग्र विकास में योगदान करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 220 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है।

निश्चय 2 : आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार

बिहार में 15 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए श्रमशक्ति सहभागिता दर मात्र 18.1 प्रतिशत है जो 31.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है। अत: श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों का 35 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है और यह नोति फरवरी 2016 से क्रियान्वित हो रही है।

महिलाओं के लिए रोजगार राज्य सरकार के विकास संबंधी एजेंडा का हमेशा से अभिन्न अंग रहा है। इस लिहाज से राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियां ली हैं जिनमें पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों मं महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए हैं और बिहार पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की हैं। 'जीविका' के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता काफी बढ़ाई है।

निश्चय 3 : हर घर बिजली लगातार

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष गांवों का विद्युतीकरण भी दिसंबर 2018 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य लिया गया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एपीएल (गरीबी रेखा के ऊपर) परिवार बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की किसी योजना में शामिल नहीं थे। हालांकि वर्तमान नीति अधिक समावेशी है और इसमें बीपोएल और एपीएल, दोनो तरह के परिवारों का आच्छादन होता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नवंबर 2016 में हुआ था। कुल 39,073 गांवों में से 217 गांव अगम्य क्षेत्रों में हैं जहां नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

निश्चय 4 : हर घर नल का जल

इस निश्चय का लक्ष्य बिहार के हर नागरिक को बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके तहत राज्य के 2 करोड़ परिवारों का आच्छादन किया जाएगा। 8,391 ग्राम पंचायतों और 143 नगरपालिका निकायों के सामूहिक प्रयासों से राज्य सरकार इस लक्ष्य को निम्नलिखित योजनाओं के तहत पाप्त करना चाहती है - (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र), (ग) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र) और (घ) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना।

(1) **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना :** इस योजना के तहत राज्य के 5,013 ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को बिना भेदभाव पाइपों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार ने इसे चरणबद्धढंग से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है - 20 प्रतिशत परिवारों के लिए पहले साल, 30 प्रतिशत परिवारों के लिए दूसरे साल, 30 प्रतिशत परिवारों के लिए तीसरे साल और शेष 20 प्रतिशत परिवारों के लिए चौथे साल।

पंचायती राज विभाग इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के 5,013 ग्राम पंचायतों में कर रहा है जहां पानी की गुणवत्ता राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा निम्न है। इस योजना के तहत इन पंचायतों के हर परिवार को पाइपों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इसके लिए राज्य सरकार अगले चार वर्षों में 8,373 करोड़ रु. व्यय करेगी जिसमें से 3,068 करोड़ रु. का व्यय राज्य योजना से किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन हर वार्ड में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) :** इस योजना का क्रियान्यवन उन पंचायतों में किया जा रहा है जहां का पानी आयरन, फ्लोराइड या आर्सेनिक से प्रभावित है। इस योजना

के तहत सभी 2,351 प्रभावित ग्राम पंचायतों को पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के लिए 2,351 ग्राम पंचायतों के कुल 27,267 परिवारों की पहचान की गई थी। 11 जिलों के 4,510 वार्डों में परिवार आयरन की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार, 9 जिलों के 20,719 वार्डों में फ्लोराइड की समस्या है। इसके अलावा, 13 जिलों के 2,038 वार्ड आर्सेनिक से प्रभावित हैं। इस योजना का क्रियान्वयन 2019-20 तक पूरा कर लेने की योजना है।

इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। पांच वर्षों के लिए इस योजना का कुल अनुमानित व्यय 7,830 करोड़ रु. है। इस योजना के तहत राज्य और जिला स्तरों पर सेवा निवृत्त अभियंताओं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विशषज्ञों की सदस्यता वाली गुणवत्ता अनुश्रवण समितियों का गठन किया जाएगा।

(3) **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र) :** मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र) का क्रियान्वयन उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पानी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं है या जहां राज्य सरकार की जलापूर्ति योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। इस योजना के तहत कुल 1,027 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इस योजना के लाभ इन पंचायतों के सभी परिवारों को बिना भेदभाव प्राप्त होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है जहां क्रियान्वयन की इकाइयां वार्ड हैं।

हर वार्ड में इस योजना का क्रियान्वयन संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत हर दो वर्ष पर समिति का गठन किया जाएगा। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर योजना के पहले वर्ष में इसके कुल बजट का 20 प्रतिशत और दूसरे तथा तीसर वर्षों में 40-40 प्रतिशत रकम खर्च होगी। अजा/अजजा आबादी की प्रचुर संख्या वाले पंचायतों और खुले में शौच से मुक्त घोषित पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले चार वर्षों के लिए इस योजना का कुल व्यय 1,812 करोड़ रु. होगा।

(4) **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना :** इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 143 नगरपालिका निकायों के सभी शहरी परिवारों को पाइपों के जरिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में (सरकारी क्वार्टरों को छोड़कर) कुल 19.08 लाख परिवार हैं। इनमें से 15.71 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध नहीं है और उन्हें 2019-20 तक पाइपों से जलापूर्ति वाले कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

निश्चय 5 : घर तक पक्की गली-नालियां

इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के बाद राज्य के शेष बचे असंपर्कित गांव-टोलों को नजदीकी पक्की सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही, सभी शहरों और गांवों में गलियों का भी निर्माण होगा। अभी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन योजनाएं शुरू की गई हैं - (क) ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना और (ग) मुख्यमंत्री शहरी गली-नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना।

(1) **ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना :** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क याजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का क्रियान्वयन राज्य के सारे ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे राज्य में 500 या अधिक आबादी वाले सारे गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाके तहत राज्य के 27 जिलों में 250 से 499 तक आबादी वाले सारे गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। शेष 11 जिलों में ये सुविधाएं 250 या उससे कम आबादी वाले गांव-टोलों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि उक्त योजनाओं के बावजूद अनेक गांवों में सड़क संपर्क नहीं हो पाया है। उनमें से अधिकतर गांवों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की अच्छी-खासी आबादी है। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना का क्रियान्वयन ऐसे छूटे हुए गांवों का बाहरमासी पथ संपर्क उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पूरक कोर संपर्क नेटवर्क गठित करेगी जो उपग्रह मानचित्रण के आधार पर छूटे हुए गांवों की पहचान करेगा। इन मानचित्रों के जरिए पथसंपर्क विहीन 33,461 परिवारों की पहचान की जा चुकी है। इन सारे परिवारों को 3,977 किमी सड़कों के जरिए 2019-20 के अंत तक पथ संपर्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सड़कों के निर्माण और भूमि अधिग्रहण पर कुल 2,952 करोड़ रु. व्यय किया जाएगा।

(2) **मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना :** पंचायती राज विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की गलियों और नालियों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। विभिन्न गांवों में मिट्टी के प्रकार, जलनिकासी पैटर्न जैसे स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पकार की गलियों और नालियों के निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के साथ मिलकर मानक व्यय का अनुमान किया गया है। योजना में योजना की जरूरत के अनुसार भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में 8391 ग्राम पंचायत के 1,14,733 वार्डों का चरणबद्ध ढंग से आच्छादन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर 14,249 करोड़ रु. व्यय होगा।

(3) **मुख्यमंत्री शहरी गली-नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना :** शहरी क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत शहरों में सारे वार्डों को नजदीकी पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा और हर घर को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए आवश्यकतानुसार गलियों और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कें पीसीसी वाली और ईंट बिछी होंगी। अगर जलनिकासी व्यवस्था मौजूद नहीं होगी, तो जहां पीसीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा, वहां सड़क के किनारे नालियां भी बनाई जाएंगी।

निश्चय 6 : शौचालय निर्माण घर का सम्मान

राज्य में व्यक्तिगत शौचालयों की कमी के कारण आम लोगों, खास कर महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, और उन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए हर घर के लिए शौचालय निर्माण ही नहीं, शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया है।

'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय के तहत पूरे राज्य में सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ, शौचालयों के नियमित उपयोग के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत एपीएल परिवारों का आच्छादन नहीं हुआ था। अत: राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छता योजना के तहत राज्य में एपीएल परिवारों के आच्छादन का निर्णय लिया। इसके तहत सभी एपीएल या बीपीएल परिवारों को 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 4,000 रु. प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार ने अपने कोष से अतिरिक्त 8,000 रु. उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि शहरों में भी सभी परिवारों को 12,000 रु. प्रोत्साहन राशि उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम के तहत हर परिवार के लिए बिना भदभाव स्वच्छ शौचालयों का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों द्वारा शौचालयों के नियमित उपयोग के संबंध में समुदायों के संवेदनीकरण के लिए व्यवहार परिवर्तनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस छठे निश्चय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अलावा, राज्य सरकार द्वारा दो योजनाएं शुरू की गई हैं - (1) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और (2) शौचालय निर्माण (नगर क्षेत्र) योजना।

(1) **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :** इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास योजना द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के 1.60 करोड़ शौचालय सुविधाविहीन परिवारों को बिना भेदभाव शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) **शौचालय निर्माण (नगर क्षेत्र) योजना :** इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी शौचालय विहीन शहरी परिवारों को शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य की सभी 143 नगरपालिकाओं में किया जा रहा है जिसके तहत 2019-20 के अंत तक लगभग 7.93 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए 7.10 लाख व्यक्तिगत शौचालयों और 6,881 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। योजना के लिए कुल 1,116 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

निश्चय 7 : अवसर बढ़े आगे पढ़ें

युवा वर्ग राज्य की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य को युवक-युवतियों की उच्च शिक्षा में सुधार और उनके व्यावसायिक कौशलों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना है जो राज्य में युवक-युवतियों और श्रमिकों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएं।

इस निश्चय के तहत राज्य सरकार हर जिले में एक जीएनएम (जेनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) विद्यालय और एक पैरा-मेडिकल (परा-चिकित्सा) संस्थान स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। 5 जिलों में जीएनएम स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं और 10 अन्य जिलों में कार्य प्रगति पर है। शेष 23 जिलों में चरणबद्धढंग से जीएनएम

स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार, 5 जिलों में पैरा-मेडिकल संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं और शेष 33 जिलों में इनकी स्थापना अगले पांच वर्षों के भीतर कर दी जाएगी। हर जिले में पॉलीटेक्निक संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और अभियंत्रण महाविद्यालय भी चरणबद्धढंग से स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, हर अनुमंडल में एक एएनएम (सहायक नर्स एवं धाइ) स्कूल तथा एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। राज्य में 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और हर मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज होना भी इस सातवें निश्चय के एजेंडा का हिस्सा है।

इस बात को महसूस करना कठिन नहीं है कि ये सातो निश्चय मिलकर लोगों के कल्याण संबंधी मूल जरूरतों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लक्ष्य तय करने और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वास्तविक कार्यक्रम तय करने के लिहाज से राज्य सरकार ने बिहार विकास मिशन की स्थापना की है जो विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा। इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान काफी उपलब्धि हासिल हुई है और शेष कार्यों को 2019-20 तक पूरा कर लिया जाएगा।

अनुलग्नक-2

बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (जीविका)

जीविका के नाम से लोकप्रिय बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस) ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में बनी एक निबंधित संस्था है जिसने बिहार में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मुख्य प्रकरण को रेखांकित किया है। पिछले दशक में जीविका को जीवन यात्रा और बिहार के रुख में बदलाव साथ-साथ शुरू हुआ। वर्ष 2006 में 15 प्रखंडों में शुरू हुई छोटे पैमाने की इस परियोजना ने खुद को राज्यव्यापी आंदोलन में रूपांतरित कर लिया है और सितंबर 2017 तक 79 लाख से भी अधिक परिवारों की जिंदगी से जुड़ गई है। जीविका का उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों जैसी विकासमान संस्थाओं के जरिए ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक, दोनो तरह से सशक्तीकरण करना है।

जीविका के आरंभ के समय बिहार का ग्रामीण गरीबी अनुपात 44.3 प्रतिशत था जो 2006 में ओडिशा के बाद सबसे अधिक था। राज्य की कुल 8.2 करोड़ आबादी में से 3.6 करोड़ लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे थे। समस्याग्रस्त सेवा प्रदान, जटिल राजनीतिक और सामाजिक प्रवाह, गरीबों का संस्थाओं में अपर्याप्त समावेश, सीमित आर्थिक अवसर, और अपर्याप्त अधिसंरचना राज्य की पहचान बनी हुई थी। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में 2006 में जीविका का आरंभ उच्च प्राथमिकता वाले छः जिलों (गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, खगड़िया और मधुबनी) में हुआ। परियोजना के सेवा प्रदान तंत्र को टिकाए रखने के लिए बिहार सरकार ने विश्व बैंक और अन्य राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे विभिन्न बहुपक्षीय अभिकरणों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहयोग किया। बिहार में जीविका का क्रियान्वयन दो स्पष्ट रूप से अलग चरणों में हुआ है। जीविका का प्रथम चरण : बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना (बीआरएलपी) (2006-2016) का क्रियान्वयन 6 जिलों के 102 प्रखंडों में हुआ। प्रथम चरण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना के मॉडल के पूरे राज्य में उदग्र और क्षैतिज, दोनो तरह से फैलाव के लिए जीविका द्वितीय चरण : बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना (बीटीडीपी) का आरंभ 2016 में हुआ। जीविका मॉडल के राज्य में विस्तार का मुख्य लक्ष्य मूल्यशृंखला और मानव विकास संबंधी हस्तक्षेपों में और भी सुधार करना था। वर्ष 2013 में जीविका को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) के क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जीविका ने 79.12 लाख परिवारों को 6.76 लाख सशक्त, टिकाऊ और स्वप्रबंधित स्वयं सहायता समूहों में गोलबंद किया है। इन सामूहिक संस्थाओं ने बड़े पैमाने की वित्तीय मध्यस्थता, संलग्न करने, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से अधिक संसाधन प्राप्त करने, समुदाय आधारित प्रसार प्रणाली के जरिए कृषि और पशुधन उत्पादकता वर्धन सेवाओं तक पहुंच बनाने, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था पर आधारित होकर स्पष्ट शर्तों के साथ बाजारों से जुड़ने और जागरूकता और भागीदारी को सुगम बनाकर सरकारी योजनाओं तथा हकदारियों की उपलब्धता में सुधार करने के लिहाज से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के क्षमता निर्माण के आदर्श मंच के रूप में काम किया है।

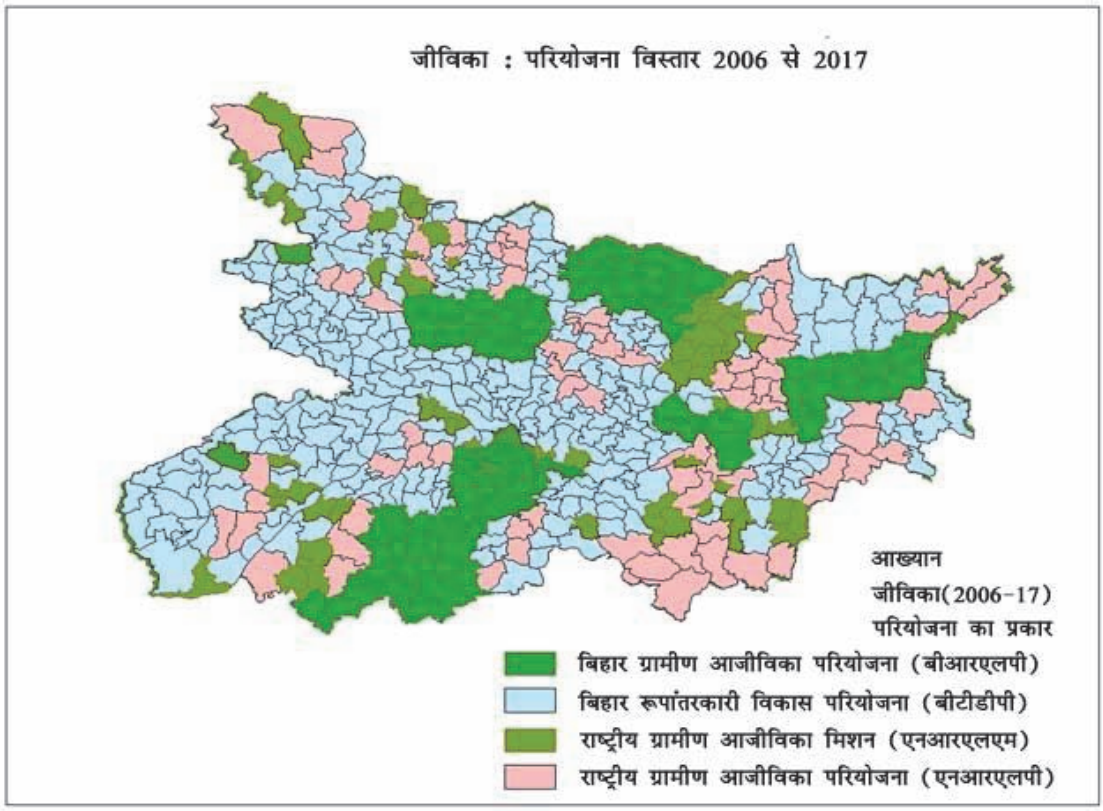

बीआरएलपी	:	जीविका 1 : बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (2006-16) का क्रियान्वयन 102 प्रखंडों में हुआ था। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना पूरी हो जाने के बाद ये प्रखंड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समन्वित हो गए।
बीटीडीपी	:	बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना (जीविका 2) 300 प्रखंडों में चल रही है।
एनआरएलएम	:	जीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का क्रियान्यवन 157 प्रखंडों में कर रही है (जिनमें अक्तूबर 2016 से बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के क्रियान्वयन वाले 102 प्रखंड भी शामिल हैं)।
एनआरएलपी	:	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) का क्रियान्यवन बिहार के 77 प्रखंडों में हो रहा है।

मुख्य हस्तक्षेप

(1) ग्रामीण गरीबों की स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्थाओं में गोलबंदी

परियोजना में सामाजिक स्तर पर तीन-स्तरीय संस्थागत ढांचा बनाने की बात सोची गई - टोला स्तर पर स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तर पर ग्राम संगठन और संकुल स्तर पर संकुल स्तरीय संघ। इनका विहित आकार इस प्रकार था - स्वयं सहायता समूह में 12 से 15 व्यक्तिगत सदस्य होंगे, ग्राम संगठन में 12 से 15 स्वयं सहायता समूह होंगे और संकुल स्तरीय संघ में 25 से 45 ग्राम संगठन होंगे। सितंबर 2017 तक जीविका ने 6,75,744 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है जिनको ग्राम स्तरीय 41,660 ग्राम संगठनों और 577 संकुल स्तरीय संघों में संघबद्ध किया गया है (तालिका प. 2.1)। वर्ष 2007-08 से शुरू करके जीविका ने अपनी पहुंच का विस्तार 79.12 लाख ग्रामीण परिवारों तक कर लिया है। राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की प्रकृति में मूलभूत

परिवर्तन तब देखा गया जब स्वयं सहायता समूहों का हस्तक्षेप हिमायत और हकदारी से बदलकर आजीविका सृजन और सशक्तीकरण हो गया। सशक्त सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण के लिए बहुदिशाई दृष्टिकोण अपनाया गया।

सामुदायिक साधनसेवियों का विकास : जीविका ने ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने के लिए स्वयं सहायता समूह वाले परिवारों के बीच से 80,000 से भी अधिक आंतरिक सामुदायिक साधनसेवी (सीआरपी) तैयार करके उन्हें विकसित किया। गुणवत्तापूर्ण सामुदायिक संस्थानों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए साधनसेवियों को सामाजिक मानचित्रण, स्वयं सहायता समूह के गुणवत्ता सूचकों और गोलबंदी के साधनों के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

ग्राम संगठन द्वारा गरीबों की भागीदारीमूलक पहचान : जीविका ने भौगोलिक रूप से अलग-थलग टोलों के प्रत्यक्ष लक्ष्यीकरण का उपयोग किया। अधिकांश टोले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के थे। किसी गांव के 80 प्रतिशत लक्षित परिवारों की गोलबंदी होते ही उसे 'संतृप्त' घोषित कर दिया जाता और ग्राम संगठन बचे हुए परिवारों तथा गठित स्वयं सहायता समूहों को गोलबंद करते। आरंभ में गोलबंदी और स्वयं सहायता समूहों को ऊपरी स्तर के संघ में संगठिन करने की प्रक्रिया धीमी थी और यह मुख्यत: परियोजना के स्टाफ पर निर्भर थी। लेकिन धीरे-धीरे जीविका ने आंतरिक सामुदायिक साधनसेवी, सामुदायिक संगठक (सीएम) और ग्राम संगठनों को स्वयं सहायता समूहों के निर्माण में शामिल करते हुए बहुखंडीय दृष्टिकोण लागू किया। इसकी परिणति तेज गोलबंदी, समावेश और गांवों की संतृप्ति में हुई। वर्ष 2011-12 से गोलबंदी की गति में उछाल आ गया।

तालिका प. 2.1 : जीविका के जरिए स्वयं सहायता समूहों का वर्षवार गठन और उनका संघयोजन

वर्ष	गठित स्वयं सहायता समूह	गठित ग्राम संगठन	गठित संकुल स्तरीय संघ
2007-08	513	21	0
2008-09	4627	142	0
2009-10	19175	488	0
2010-11	31637	968	0
2011-12	55704	3476	25
2012-13	91785	5069	71
2013-14	157157	7452	150
2014-15	365150	14363	231
2015-16	470220	25014	318
2016-17	610808	35680	415
2017-18	675744	41660	577

(2) वित्तीय समावेश

कार्यक्रम में स्वयं सहायता आधारित वित्तीय पहुंच का दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें सामुदायिक संस्थाओं के काफी छोटे सेट को सेवा प्रदान करके स्थानीय बैंक शाखाओं की बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच हो जाती थी। ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का नियमित रूप से मिलन और वित्तीय बचत करने तथा समूह की अपनी बचत या कोष से समूह के अंदर उधार देने की गतिविधियां चलाने के लिए उन्मुखीकरण किया जाता है। कार्यक्रमद्वारा आरंभ में वित्तीय मध्यस्थता को प्रेरित करने और सदस्यों के ऋण विवरण तैयार करने के लिए सामुदायिक निवेश कोष क रूप में उत्प्रेरक वित्तपोषण किया जाता है। प्रमाणित ऋण विवरण और बचत तथा ब्याज के जरिए बने छोटे कोष के जरिए स्वयं सहायता समूह बैंकों से बड़ी ऋण राशि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

सामुदायिक संस्थाएं ग्रामीण परिवारों के लिए बीमा और उत्पादक संगठनों के लिए वित्तपोषण समेत अनेक वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए सक्षमकारी मंच के बतौर भी काम करती हैं। सामुदायिक संगठक ठोस वित्तीय नित्यचर्या और डिजिटल तथा मोबाइल बैंकिंग जैसे लेनदेन के नए माध्यमों के लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का उन्मुखीकरण करके उन्हें नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता और ऋण संबंधी परामर्श देने का काम करते हैं। वित्तीय समावेश के मामले में मुख्य हस्तक्षेप और नवाचार निम्नलिखित हैं :

सहभागिता आधारित योजना निर्माण का समेकन : सामुदायिक संस्थाओं के स्तर पर योजना निर्माण और निणय लेने के सिद्धांत को मन में गहरे बिठा देने के लिए परियोजना ने समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के हर स्तर पर सूक्ष्मयोजना निर्माण की संकल्पना को बढ़ावा दिया। सूक्ष्मयोजना निर्माण के क्रियान्वयन ने 'जवाबदेह ऋणग्रहण' के सिद्धांत को बल दिया और ऋण के समय पर भुगतान को व्यवहार में लाया गया है। अभी कर्ज चुकाने की दर 98 प्रतिशत है।

व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साझेदारी : जीविका ने मुख्य धारा के वित्तीय संस्थानों द्वारा समय से वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ औपचारिक समझौते किए हैं। इस रणनीति ने महिला स्वयं सहायता समूहों के स्वरूप के मूल में मौजूद संभावनाओं को सामने लाने में मदद की है।

शीर्ष संस्थाओं के सामने नीति का पक्षपोषण : स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से समय से सहायता मिलने में सुगमता के लिए नाबार्ड (राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के सामने नीति संबंधी हिमायत की गई। स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण पर एक अगल राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई जहां स्वयं सहायता समूहों से संबंधित मुद्दों पर त्रैमासिक आधार पर चर्चा की जाती थी और उनका समाधान किया जाता था।

बीमा सेवाओं का आरंभ : वित्तीय उत्पादों, बचत और ऋण का दायरा बढ़ाने के लिए जीविका ने 8.60 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को निम्न लागत बीमा आच्छादन के साथ जुड़ने में सहयोग किया। परियोजना द्वारा बीमा के गुणों और उपलब्ध मुख्य उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समवेत प्रयास किया गया और नामांकन तथा मृत्यु के दावों के निपटारे के लिए दस्तावेज तैयार करने में सहयोग किया गया तथा जीवन बीमा निगम में उन सबका फॉलो अप किया गया।

वित्तोय संस्थाओं से संसाधनों की उपलब्धता

मजबूत स्वयं सहायता समूहों ने सामुदायिक संस्थाओं में बचत के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करते हुए वित्तीय समावेश का मंच उपलब्ध कराया। सामुदायिक निवेश कोष (सीआइएफ) के रूप में उत्प्रेरक पूंजी की उपलब्धता ने उनकी क्षमता बढ़ाई और ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त किया, जिसकी परिणति स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघों द्वारा टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों में हुई। इसके कारण परिवारों को अपनी जीविका संबंधी कार्यों के लिए प्रचुर बैंक ऋण उपलब्ध हुआ। बिहार में स्वयं सहायता समूहों के लिए अनुकूल नीतियां लागू किए जाने के लिए जीविका ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति के साथ घनिष्ठता से जुड़कर काम किया। इस क्षमता निर्माण और नीति विषयक पक्षपोषण के परिणामस्वरूप, समग्र बैंक ऋण बढ़कर सितंबर 2017 में 3,729.23 करोड़ रु. हो गया। खाता खोलने की प्रक्रिया गत वर्षों के दौरान अत्यंत दुरुस्त हो गई है और हर 10 में से 9 स्वयं सहायता समूहों के खाते उनके 3 महीना पुराना होते ही खुल गए। सितंबर 2017 तक गठित कुल स्वयं सहायता समूहों में से 67.3 प्रतिशत (4.54 लाख) का बैंक के साथ ऋण-संपर्क हो गया था।

वैकल्पिक बैंकिंग और डिजिटल वित्तपोषण सेवाएं

केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का फोकस बैंकरहित और बैंक नहीं खुलने लायक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर होने से उपभोक्ता सेवा प्रदाता (सीएसपी) केंद्र हर स्थान पर बैंक शाखाएं खोलने के मुख्य व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरे हैं। ये बैंकों के हित में काम करते हैं क्योंकि बैंक शाखाएं खोलने में होने वाला भारी मानव संसाधन निवेश बच जाता है। और यह समुदाय के हित में भी काम करता है क्योंकि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध होने के साथ व्यावसायिक संवाददाता (बीसी) अभिकर्ता की संकल्पना उनके लिए जीविका का बड़ा अवसर भी उपलब्ध कराती है। जीविका ने समुदाय प्रबंधित उपभोक्ता सेवा प्रदाता केंद्र स्थापित करने की परियोजना समुदाय के सारे सदस्यों को बाधारहित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने और उन्हें जीविका के अवसरों से जोड़ने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिहाज से शुरू की। बड़े बैंकों (जैसे मगध ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आइडीएफसी), के व्यावसायिक संवाददाताओं के साथ मिलकर सी-डॉट, साइनैप्स और संजीवनी की शुरुआत की गई है और उनका रणनीतिक प्रक्रियाकरण किया गया है। व्यावसायिक सेवा एजेंट (बैंक सखी) बनने के लिए उपयुक्त स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान की दिशा में काम करने की रणनीति विभिन्न बैंकों के साथ विभिन्न चरणों में है। हर बैंक के लिए विवरण नीचे की तालिका प. 2.2 म वर्णित है।

तालिका प. 2.2 : जीविका दीदियों द्वारा शुरू (विभिन्न बैंकों के) सामुदायिक सेवा प्रदाताओं की संख्या के विवरण

बैंक	इसके आरंभ वाले जिलों की संख्या	प्रत्याशियों की संख्या			
		प्रशिक्षित	चयनित	आरंभ की प्रक्रिया में	काम करना शुरू (कार्यशील सामुदायिक सेवा प्रदाताओं की संख्या)
मगध ग्रामीण बैंक	11	133	95	91	4
आइडीएफसी	3	45	38	17	21
पंजाब नेशनल बैंक	7	24	20	20	0
योग		**202**	**133**	**128**	**25**

स्वयं सहायता समूह के स्तर पर डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिहाज से क्षमता निर्माण के लिए प्रेरित करने और लेनदेन हेतु स्थानीय व्यापारियों की पहचान करने के लिए जीविका ने प्रमुख डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाताओं – वोडाफोन और एयरटेल – के साथ भी साझेदारी की है। वोडाफोन के हस्तक्षेप एम-पेसा का आरंभ पटना जिले में मनेर प्रखंड के 2 पंचायतों और बिहटा प्रखंड के 2 पंचायतों में किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक (एपीबी) के लिए 10 प्रखंडों में पायलट करने के लिए कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण का काम पूरा हो गया है।

तालिका प. 2.3 : जीविका दीदियों के जीवन पर एम-पेसा के उपयोग की प्रभाव के विवरण

क्र. सं.	प्रखंड	स्वयं सहायता समूहों की सं.	परिवारों की सं.	खाते खुले	अभिकर्ता	लेनदेन का विवरण (दूसरी तिमाही)	लेनदेन का विवरण (संपूर्ण वित्तवर्ष)
1	मनेर	227	2725	1909	4	1202080	1639838
2	बिहटा	151	1819	1692	3	1273268	1508214
योग		378	4544	3601	7	2475348	3148052

(3) जीविका प्रवर्तन और मूल्यशृंखला

कृषि उत्पादकता वृद्धि संबंधी हस्तक्षेप

जीविका ने चावल सघनीकरण प्रणाली (श्री विधि), गेहूं सघनीकरण प्रणाली (स्वी विधि) और सब्जियों तथा दलहनों में जड़ सघनीकरण प्रणाली जैसे अनेक हस्तक्षेप किए हैं जिन्हें फसल सघनीकरण प्रणाली (एससीआइ) के नाम के जाना जाता है। आरंभ में श्री विधि नामक विख्यात विधि का उपयेाग 2007 में शुरू किया गया था। श्री विधि की सफलता के बाद फसल सघनीकरण प्रणाली का विस्तार गेहूं, दलहन और सब्जियों के लिए किया गया। वर्ष 2016-17 में श्री विधि अपनाने वाले परिवारों की कुल संख्या 3.93 लाख थी। आरंभिक पायलट में हासिल उनकी सीखों और चुनौतियों को आधार बनाकर जीविका ने फसल सघनीकरण प्रणाली के हस्तक्षेप का विस्तार बाद के वर्षों में किया और सितंबर 2017 तक गेहूं सघनीकरण प्रणाली अपनाने वाले परिवारों की संख्या 2.92 लाख और फसल सघनीकरण प्रणाली अपनाने वाले परिवारों की संख्या 1.99 लाख तक पहुंच गई (तालिका प. 2.4)।

तालिका प. 2.4 : उत्पादकता वृद्धि संबंधी हस्तक्षेप का विस्तार

हस्तक्षेप	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर)
चावल सघनीकरण प्रणाली	8,637	17,874	33,484	61,051	1,32,676	2,10,703	2,50,214	3,93,955	2,788,60
गेहूं सघनीकरण प्रणाली	25,235	48,521	68,268	96,977	1,39,294	2,43,884	2,72,327	2,75,476	2,92,042
फसल सघनीकरण प्रणाली	400	3,325	11,721	37,084	79,896	1,41,824	1,94,508	1,98,888	1,99,665

फसल सघनीकरण प्रणाली की सफलता ने राज्य सरकार को इसे पूरे राज्य में क्रियान्वित करने के लिहाज से कृषि रोडमैप-2 का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। जीविका के हस्तक्षेप ने छोटे किसानों के मामले में मौजूद निम्न उत्पादकता पर काफी प्रभाव डाला है।

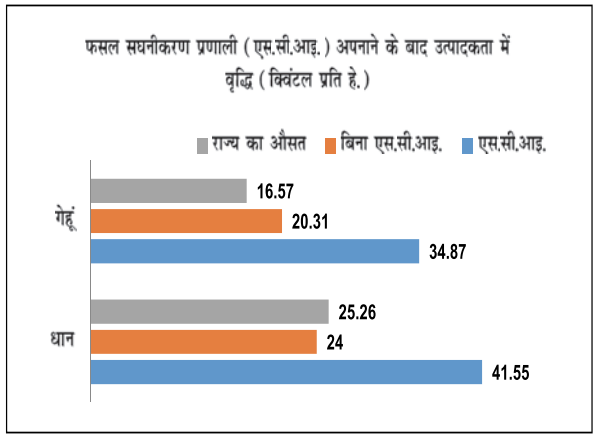

कृषि मूल्यशृंखला संबंधी हस्तक्षेप

जीविका ने मूल्य ृंखला संबंधी हस्तक्षेप उन स्थानों पर किया जहां खास वस्तु-आधारित संकुलों के लिए स्पष्ट अवसर चिन्हित हो गए। खास वस्तु आधारित संकुलों को तकनीकी अभिकरणों या जिला टीम द्वारा किए गए मूल्य ृंखला विश्लेषण के आधार पर चिन्हित किया गया था। जीविका द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित कृषि मूल्य ृंखला हस्तक्षेप के विवरण नीचे पस्तुत हैं।

तालिका प. 2.5 : कृषि मूल्यशृंखला संबंधी हस्तक्षेप

जिला	कृषि मूल्य ृंखला हस्तक्षेप
पूर्णिया	मक्का का वस्तु व्यापार
खगड़िया	मक्का का वस्तु व्यापार, बीज विपणन (गेहूं, धान)
नालंदा	सब्जी मूल्यशृंखला (आलू, प्याज और सब्जियां)
मुजफ्फरपुर	लीची, गेहूं, दलहनों और सब्जियों का सामूहिक विपणन

कृषि मूल्य ृंखला संबंधी हस्तक्षेप में अग्रवर्ती कड़ियों को उत्पादक समूह और महिला कृषक उत्पादक कंपनी (WFPC) के जरिए कृषि उत्पादों की अधिक कीमत पाने के लिए फसल कटने के बाद और बाजार तक पहुंच से संबंधित सहयोग प्राप्त हुआ। व्यापक रूप से प्रशंसित एक पहल में जीविका ने तकनीकी समर्थन अभिकरणों के साथ साझेदारी में पूर्णिया जिले में मक्का मूल्य ृंखला हस्तक्षेप पर काम किया है। आर्यक कृषक उत्पादक कंपनी 2015-16 के रबी मौसम में 1,044 टन मक्का खरीदने में सक्षम हुआ और 2016-17 के अंत तक महिला कृषक उत्पादक कंपनी ने 3,026 टन मक्का तथा 2017-18 में 13,944 टन मक्का खरीदा। अभी तक जीविका ने ऐसे चार महिला कृषक उत्पादक कंपनियों का निर्माण किया है।

तलिका प. 2.6 : जीविका द्वारा निर्मित महिला कृषक उत्पादक कंपनियों के व्यवसाय का विवरण

जिला	महिला कृषक उत्पादक कंपनियां	सामग्री	व्यवसाय का टर्नओवर (2016-17) (लाख रु.)
पूर्णिया	आर्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	मक्का (वस्तु व्यापार)	458.00
खगड़िया	जीविका वीमन एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लि.	मक्का, बीज विपणन (गेहूं, धान)	110.00
मुजफ्फरपुर	समर्पण जीविका महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लि.	गेहूं	86.33
		लीची	5.45
		मूंग	0.17
नालंदा	सहयोग वीमन जीविका एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लि.	आलू	25.29
		प्याज	10.76

मूल्यश्रृंखला

उत्पादक समूह और उच्चतर संघ कृषि उत्पादों के बड़े पैमाने पर समूहन और सामूहिक विपणन के मामले में काफी प्रभावी रहे हैं जिससे किसानों को प्रति इकाई बेहतर कीमत मिली है। इस हस्तक्षेप से कई स्तरों पर मौजूद बिचौलिए किनारे हो जाते हैं और इस प्रकार बेहतर कीमत मिलना सुनिश्चित होता है। साथ ही, इससे किसानों को मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण भी लाभ पाने की गुंजाइश बनती है। उत्पादक कंपनी ने अपने उत्पाद की बिक्री इलक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म पर की जिससे जोखिम घट गया। वर्ष 2014-15 में पूर्णिया की उत्पादक कंपनी द्वारा उपार्जित राजस्व 1,28 करोड़ रु. था जिसमें शुद्ध मुनाफा 7.3 प्रतिशत था। इसके 70 प्रतिशत हिस्से का वितरण संरक्षण बोनस के रूप में उत्पादक समूह के सदस्यों के बीच किया गया। फलत: किसानों को 109 रु. प्रति क्विंटल की अतिरिक्त आय हुई (पारंपरिक मक्का खरीद मॉडल की तुलना में 12 प्रतिशत वर्धित मूल्य)। मक्का की खरीद के लिए डिजिटल वजन मशीन और इलक्ट्रॉनिक मॉइस्चर मीटर तथा ग्रेडिंग सेट विपणन में नए प्रचलन थे जिससे अंतत: किसानों को ही लाभ हुआ।

पशुधन संबंधी हस्तक्षेप

दुग्ध उत्पादन संबंधी हस्तक्षेप : परियोजना दुग्ध उत्पादन संबंधी हस्तक्षेप के तहत 70,650 परिवारों तक पहुंचने में सफल रही है। कॉम्फेड के साथ साझेदारी में 33,000 से भी अधिक परिवारों को दुग्ध सहयोग समितियों (डीसीएस) से जोड़ा गया है और उन्हें बेहतर मूल्य पर विपणन योग्य अधिशेष दूध की बिक्री के लिए औपचारिक स्रोत उपलब्ध करा दिया गया है। दूध खरीद प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए समितियों में स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाइयां लगाई गई हैं। समिति से जुड़े स्वयं सहायता समूह परिवारों में उत्पादकता बढ़ी है जिसका पता समिति तक पहुंचने वाले दूध की उत्तरोत्तर बढ़ती मात्रा से चलता है। मुद्रास्फीति को समंजित करने के बाद भी स्वयं सहायता समूह वाले परिवारों की शुद्धआय में 33.4 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में महिला दूध उत्पादकों को सालो भर दूध उत्पादन से जीविका का वैकल्पिक टिकाऊ स्रोत उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की दुग्धशाला सेवाओं के तकनीकी सहयोग से जीविका ने 22 सितंबर 2017 को सहरसा में कौशिकी महिला प्रोड्यूसर कंपनी लि. का गठन किया। इस पहल में 2 वर्षों के अंदर उन जिलों में 600 गांवों और 36,000 परिवारों को शामिल किया जाएगा।

पिछवाड़े में मुर्गीपालन संबंधी हस्तक्षेप : जीविका पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के साथ मिलकर समेकित पॉल्ट्री विकास योजना के तहत मुर्गीपालन संबंधी हस्तक्षेप का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य में कुल 582 मातृ मुर्गीपालन इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें 1.80 लाख परिवार शामिल हैं। हस्तक्षेप का क्रियान्वयन 'पॉल्ट्री मातृ इकाई' के मॉडल के जरिए किया जाता है जो खास परिवार स्तर की इकाइयों के लिए पृष्ठवर्ती और अग्रवर्ती कड़ियों के लिहाज से केंद्र (हब) के रूप में काम करती है।

बकरी संबंधी हस्तक्षेप : जीविका ने बिहार के सात जिलों में समेकित भेड़ एवं बकरी विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू किया है। कार्यक्रम का मुख्य फोकस बिहार में बकरीपालन के वर्तमान परिदृश्य को बदलने क लिए ब्लैक बंगाल की अच्छी नस्लों को आगे बढ़ाना है। सितंबर 2017 तक बकरो उत्पादक समूहों से जुड़े 6,252 परिवार परियोजना की पहुंच में हैं।

मुजफ्फरपुर जिले के चार प्रखंडों में प्रशिक्षित पशु सखियों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराकर जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में सुधार के लिए जीविका ने बिल एंड मिलंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट मेशा इनिशिएटिव के क्रियान्वयन के लिए आगा खान फाउंडेशन के साथ भी समझौता किया है। परियोजना ने चारो प्रखंडों के 132 गांवों में प्रवेश किया है और 15,853 महिला बकरीपालकों से संपर्क किया है। बधियाकरण, प्राथमिक चिकित्सा आदि विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए 101 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कृषीतर हस्तक्षेप

अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन और कला एवं शिल्प उत्पादों जैसी क्षेत्र-आधारित कृषीतर गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूहों का बाजार में हिस्सा बढाने के मकसद से इनके लिए व्यापक मूल्यशृंखला हस्तक्षेपों के साथ परियोजना 34,023 परिवारों तक पहुंची है। दिसंबर 2017 तक जीविका ने बिहार में 363 कृषीतर उत्पादक समूह गठित किए हैं। परियोजना ने तकनीकी सहायता और तैयार उत्पादों (अगरबत्ती, शहद, जूट और कालीन) की पुन: खरीद के लिए प्रमुख निजी कंपनियों को साथ किया है। कृषीतर जीविका हस्तक्षेपों के कारण सदस्यों को जो महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं उनमें शामिल हैं : अगरबत्तियों के बढ़े उत्पादन और गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए अधिक पारिश्रमिक, बाजार के साथ संपर्क में सुधार और मधुबनी, सिक्की, सुजनी आदि के काम में लगे पारंपरिक कारीगरों का कौशल विकास। परियोजना ने मधुमक्खी पालकों के लिए राज्य बागावनी मिशन के साथ मिलकर सब्सिडीशुदा दर पर लागत सामग्रियां खरीदने और कृषीतर गतिविधियों में उत्पादक समूहों और सदस्यों के प्रतिरोध क्षमता तथा कौशल स्तरों की समग्र वृद्धि में सहयोग किया है।

कौशल और नौकरी संबंधी हस्तक्षेप

ग्रामीण युवा वर्ग में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने के मकसद से जीविका ग्रामीण युवक-युवतियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आदि अनेक कार्यक्रमों के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण और नियोजन (प्लेसमेंट) की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। परियोजना ने अपने कौशल आधारित हस्तक्षेपों के तहत दो दिशाओं वाली रणनीति अपनाई है - प्रत्यक्ष नियोजन और कौशल विकास के जरिए नियोजन। सितंबर 2017 तक कुल 1.87 लाख ग्रामीण युवक-युवतियों का कौशल विकास प्रशिक्षण पाने के बाद राज्य के अंदर और बाहर नौकरी में नियोजन हुआ है। जीविका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियोजित प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवास संसाधन केंद्र शुरू करने वाली पहली परियोजना हो गई है।

(4) खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी हस्तक्षेप

जीविका ने अनेक हस्तक्षेपों के जरिए खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा तथा घरेलू स्वच्छता सहित मानव विकास संबंधी मुख्य मुद्दों पर काम करने के लिए समवेत प्रयास किए हैं। अभाव वाले मौसमों में भोजन की उपलब्धता के मुद्दे को हल करने के लिए परियोजना ने ग्राम स्तर पर खाद्य सुरक्षा कोष की संकल्पना पेश की। हस्तक्षेप का क्रियान्वयन 18,641 गांवों में किया गया और खाद्य सुरक्षा से जूझने वाले समाज के सबसे गरीब तबकों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकनों में सबसे गरीब तबकों के लिए वर्णित भूख की घटना में कमी और खाद्यान्नों के बढ़े उपयोग को दर्शाया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित कर्ज संबंधी जरूरतों के वित्तपोषण के लिए

ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जोखिम कोष एक अन्य विशेषीकृत वित्तीय उत्पाद है। जीविका ने 20,864 ग्राम संगठनों में स्वास्थ्य जोखिम कोष हस्तक्षेप को क्रियान्वित किया है जिसने समाज के सबसे गरीब तबकों को लगने वाले स्वास्थ्य संबंधी धक्कों में कमी लाने में मदद की है।

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रावधान के लिए जीविका मांग और आपूर्ति, दोनो पक्षों के सुदृढ़ीकरण पर काम कर रही है। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के मामले में व्यापक घरेलू प्रचलनों पर प्रभाव डालने के लिए लक्षित एक व्यापक बीसीसी हस्तक्षेप क्रियान्वित किया गया। मॉडल को काफी प्रभावी और किफायतो माना गया है और इसका विस्तार 300 अन्य प्रखंडों में भी किया जाएगा। परियोजना द्वारा ग्राम वार्ता हस्तक्षेप का आरंभ किया गया जिसने पोषण और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर भागीदारी में सीखने और कार्रवाई करने के दृष्टिकोण पर फोकस किया गया। हस्तक्षेप ने पारिवारिक स्तर पर बेहतर स्वच्छता सुविधाओं की मांग को बल दिया दिया है और कुपोषण की घटनाओं की पहचान करने तथा ऐसे बच्चों को समेकित बाल विकास योजना के केंद्रों से जोड़ने के मामले में भी प्रभाव डाला है।

(5) सौर ऊर्जा बत्ती योजना

जीविका समुदाय में नवोकरणीय ऊर्जा की संकल्पना भरने के हस्तक्षेप का नेतृत्व कर रही है। नूतन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में मिशन मोड में दिसंबर 2018 तक स्कूली बच्चों के लिए 70 लाख सौर ऊर्जा वाली बत्तियों के वितरण की सौर ऊर्जा बत्ती योजना शुरू की है। बत्तियों का वितरण सिर्फ स्कूलों के जरिए किया जाएगा और हस्तक्षेप की इकाइयां प्रखंड होंगी। 70 लाख बत्तियों की योजना की कुल मात्रा में से बिहार के लिए 18 लाख बत्तियां आबंटित हुई हैं। आरंभ में गया, नवादा, औरंगाबाद और वैशाली - चार जिलों के 34 प्रखंडों में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 10 लाख सौर अध्ययन बत्तियों के वितरण का लक्ष्य लेकर गया में जोनल कार्यालय स्थापित कियाा जाएगा। अभी तक 2.00 लाख बत्तियों का वितरण किया जा चुका है।

(6) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

जीविका को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार की अग्रणी योजनाओं - स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए क्रियान्वयन साझीदार तय किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार को 2 अक्तूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का मिशन लेकर 1 जून 2016 को लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन की शुरुआत की। आपूर्ति की दिशा में काम करते हुए सामुदायिक संगठन, खास कर ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ लाभार्थियों की भागीदारी मूलक पहचान करने और कार्यक्रम तक उनकी पहुंच में सहयोग करने में शामिल हैं।
गत वर्षों में काफी लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन की काफी सधी हुई प्रगति हुई है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण की वृद्धि दर 2014-15 से 2016-17 के बीच 427 प्रतिशत रही है। इस मिशन के तहत वर्ष 2014-15 से शुरू करके अब तक 22.97 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। जीविका ने स्वयं सहायता समूह वाले परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए कर्ज देने के लिहाज से ग्राम संगठन के स्तर पर एक विशेषीकृत वित्तपोषण विंडो 'शान कोष' (स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण कोष) की शुरुआत की है। परियोजना उद्यम संबंधी अवसर के रूप में स्वच्छता के विकास पर काम कर रही है और इसने जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक साधनसेवियों तथा स्वच्छता गड्ढों का निर्माण करने के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए 'वाश अकादमी' स्थापित की है।

प्रभाव

जीविका का एक उल्लेखनीय योगदान किसी परिवार और समाज में महिलाओं के लिए सोची गई भूमिकाओं में भारी सकारात्मक बदलाव है। आज जीविका के स्वयं सहायता संगठनों के किसी सदस्य को उसके घर में बराबर का आर्थिक भागीदार समझा जाता है। जीविका ने बिहार की 70 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं में जो बदलाव लाए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नीचे वर्णित हैं।

सामाजिक सशक्तीकरण

ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक समावेश : जीविका में सामाजिक गोलबंदी की प्रक्रिया अत्यंत समावेशी थी। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में सीमांत समूहों के सदस्यों की संख्या अनुपात से अधिक थी - परियोजना क्षेत्रों (जीविका-1) के स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने वाले लगभग सारे परिवार पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, भूमिहीनों और सीमांत खेतिहर परिवारों के थे। इसका कारण गरीब समुदायां को लक्षित करना और हस्तक्षेपों को काफी हद तक गरीब समूहों के हित में और उन्हें आकर्षित करते हुए करना था। कुल मिलाकर 18.37 लाख ग्रामीण परिवारों को जीविका द्वारा 1.55 लाख स्वयं सहायता समूहों में गोलबंद किया गया। जिलों के औसतन 80 प्रतिशत से भी अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के दायरे में लाया गया।

स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्थाओं का विकास : परियोजना ने टिकाऊ और स्वतंत्र स्वयं सहायता समूहों के विकास में सहयोग किया। एंड-लाइन मूल्यांकन से पता चला कि 2007 से 2012 के बीच स्थापित औसतन 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पुराने स्वयं सहायता सहायता समूह और 2013 से 2015 के बीच स्थापित 54 से 75 प्रतिशत अपेक्षाकृत नए स्वयं सहायता समूह स्वप्रबंधित और आत्मनिर्भर हो गए। इसके अलावा, कुल मिलाकर 89 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह रकम के आवागमन, ऊपरी स्तर के संघों के साथ संबंध और प्रशिक्षण जैसी विभिन्न कसौटियों के आधार पर आत्मनिर्भर हो गए।

लैंगिक और सामाजिक सशक्तीकरण : महिलाओं का सामाजिक समावेश परियोजना का केंद्रीय फोकस था। इसने बिहार में महिलाओं के सशक्तीकरण क लिए काफी अग्रगति प्रदान की। विभिन्न बाहरी अध्ययन दर्शाते हैं कि जीविका पारिवारिक स्तर पर निम्नलिखित मोर्चों पर सफल रही है :

महिलाओं के अंक-ज्ञान और साक्षरता में सुधार : स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने हिसाब-किताब और साक्षरता में सुधार दर्शाया है। महिलाओं के अंक-ज्ञान और साक्षरता पर किए गए एक मूल्यांकन में पता चला कि अहस्तक्षेप ग्रामों के मुकाबले हस्तक्षेप वाले गांवों की 4 प्रतिशत अधिक महिलाएं बसों के नंबर और बुनियादी साइनबोर्ड पढ़ सकती हैं। इसके साथ-साथ, अहस्तक्षेप ग्रामों के मुकाबले हस्तक्षेप वाले गांवों की 33 प्रतिशत अधिक महिलाएं अपने नाम लिख सकती हैं। पहले अंगूठा लगाने वाली स्वयं सहायता समूह की अधिकांश सदस्य समूह में आने के बाद हस्ताक्षर करना सीख गईं।

महिलाओं की पहचान और अभिकरण : जीविका में अपनी भागीदारी के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने समुदाय में एक पहचान अर्जित की। महिलाओं के आने-जाने की आजादी पर किए गए एक

मूल्यांकन में पता चला कि अहस्तक्षेप ग्रामों के मुकाबले हस्तक्षेप वाले गांवों की 5 प्रतिशत अधिक महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र गईं, 3 प्रतिशत अधिक महिलाएं पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर गईं और 5 प्रतिशत अधिक महिलाएं स्थानीय पंचायत की बैठकों में शामिल हुईं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, खास कर ऋणग्रस्त परिवार की महिलाओं ने घरेलू स्तर पर लिए गए फैसलों में अपनी अधिक भागीदारी का अनुभव किया। पाया गया कि अहस्तक्षेप ग्रामों क मुकाबले हस्तक्षेप वाले गांवों की महिलाओं के लिए घरेलू फैसलों में भाग लेने की संभावना 8 प्रतिशत अधिक थी, महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी गतिविधियों के मामलों में निर्णय में भाग लेने की संभावना 5 प्रतिशत अधिक थी और महिलाओं की शिक्षा के बार में फैसलों में भाग लेने की संभावना 9 प्रतिशत अधिक थी। यह भी पाया गया कि 7 प्रतिशत अधिक महिलाओं में स्वरोजगार के बारे में और 3 प्रतिशत अधिक महिलाओं में स्वास्थ्य पर खर्च के बारे में बोलने की संभावना थी। और अहस्तक्षेप ग्रामों के मुकाबले हस्तक्षेप वाले गांवों की 23 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने ऋण लेने पर होने वाले फैसलों में हिस्सा लिया। इन महिलाओं में अपने परिवारों में राजनीतिक विचार व्यक्त करने की भी अधिक संभावना थी। इसके अलावा, अपनी भागीदारी के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खुद से सामाजिक नेटवर्क विकसित किया है - यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक पूंजी है, खास कर आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिकूलता-ग्रस्त महिलाओं के लिए लोगों के सुस्थापित नेटवर्क तक पहुंच बनाने के मामले में।

तालिका प. 2.7 : सामाजिक परिणामों में अंतर

उप-थीम	अहस्तक्षेप	चरण II (2011-15)	चरण I (2007-11)
भौतिक आवागमन	महिला होना और नारीत्व घर के पारिवारिक दायरे के साथ जुड़ा हुआ है	महिलाओं को जीविका की गतिविधियों में भाग लेने के कारण असभ्य के बतौर देखा जाता है	साप्ताहिक बैठकों में बार-बार भाग लेने के अभ्यास ने महिलाएं के लिए सार्वजनिक स्थल पर, बैंक आदि जाना आसान बना दिया
पति और अन्य हितधारियों की प्रतिक्रिया	व्यवहार के नैतिक कोड बदलाव के लिहाज से अधिक सख्त	पतियों की ओर से प्रतिघात - घरेलू हिंसा के मामले	प्रतिरोध आर्थिक प्रोत्साहनों के कारण मंद पड़ गया; धीरे-धीरे परियोजना के गुणों के बारे में आश्वस्त
उधार लेने का काम	भीख मांगने पर विचार किया; उधार लेना पसंद नहीं या महाजन द्वारा इनकार अथवा कर्ज चुका नहीं पाना	महाजन और समूह, दोनो से उधार लेना - लेकिन अपनी बचत होने के कारण समूह की रकम पर अधिक हक महसूस करना	स्वयं सहायता समूह की ओर प्रस्थान - इसे कम शर्मनाक और अधिक सम्मानजनक पाना

घरेलू हिंसा के खिलाफ कार्रवाई : ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूह की बैठकों में महिलाएं वित्तीय और आर्थिक चिंताओं के साथ-साथ घरेलू चिंताएं भी उठा पाने में सक्षम हुईं। घरेलू हिंसा ऐसा मामला था जिस पर स्वयं सहायता समूह के सदस्य संगठित थे और मिलकर काम करते थे। अध्ययनों ने दर्शाया कि हस्तक्षेप वाले गांवों में घरेलू हिंसा की आशंका में 3 प्रतिशत अंकों की कमी आई। इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों में घरेलू हिंसा के मुद्दों पर संगठित होने की संभावना जीविका की अंग नहीं रही महिलाओं की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक थी।

परियोजना वाले गांवों में व्यवहार परिवर्तन : जीविका और गैर-जीविका ग्रामों में व्यवहार में अंतर की माप ने दर्शाया कि जीविका ग्रामों की प्रतिभागी, खास कर परियोजना द्वारा लक्षित महिलाएं अधिक भरोसेमंद हैं। परियोजना ग्रामों के लोग बेटियों की शिक्षा और पेशा संबंधी संभावनाओं के मामले में काफी भिन्न विचार रखते हैं। जीविका ग्रामों के निवासियों में तृतीयक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए सहयोग देने की अधिक संभावना है। परियोजना ग्रामों के माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों को अपना पेशा चुनने की अनुमति देने की अधिक संभावना रहती है। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम स्तर पर प्रभावी राजनेता के रूप में देखते हैं। ये शोध परिणाम जीविका कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता के लिहाज से उत्साहवर्धक संकेत हैं।

शासन में महिलाओं की भागीदारी : स्वयं सहायता समूहों में सदस्यता ने महिलाओं की सामूहिक कार्रवाई का पोषण किया है और सार्वजनिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी का गहराया है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ स्थानीय विद्यालयों की समस्याओं के प्रतिसाद में (7 प्रतिशत अधिक) और जन वितरण प्रणाली के मामले में (8 प्रतिशत अधिक) मिलकर काम करते पाया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जन वितरण प्रणाली की दूकानें चलाने की जिम्मेवारी ली है - उनलोगों ने जन वितरण प्रणाली की सेवाओं की पारदर्शी और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित की है। बिहार सरकार ने इन समुदाय आधारित संगठनों की सफलता स्वीकार भी की है और अब जन वितरण प्रणाली के संचालन में समुदाय आधारित संगठनों को अधिक तरजीह देने की नीति बनी है। समूह की महिलाओं ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने समूह की महिलाओं से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों में काम करने का आह्वान किया है।

हाल के समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बिहार की ऐतिहासिक मद्यनिषेध नीति, 2016 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शराबखोरी के खिलाफ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के तीखे सामुदायिक अभियानों ने बिहार सरकार को राज्य में शराब की खपत और बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रेरित किया। समूह की महिलाओं ने पंचायती राज संस्था के चुनावों में अधिक सक्रियता से भाग लिया और उनमें से 224 मुखिया चुनी गईं। समूह की महिलाओं की व्यवस्थित देखरेख और सामाजिक-आर्थिक विकास पर क्षमता निर्माण ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के बतौर उनके क्रियाकलापों से प्रतिबिंबित होता है।

आर्थिक सशक्तीकरण

अधिक खर्च वाले ऋण में कमी : वित्तीय समावेश संबंधी पहल का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अधिक खर्चीले कर्ज में कमी के रूप में हुई है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के 1,350 परिवारों में किए गए एंडलाइन सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया कि अभी 2 प्रतिशत से भी कम परिवारों पर ऐसा बकाया ऋण है जिसकी ब्याज दर 2 प्रतिशत से अधिक है। सूक्ष्मयोजना में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 47 प्रतिशत सदस्यों के उच्च ब्याज दर वाले बोझ तले दबे होने की सूचना थी। हालांकि ऋण सूची का वर्तमान विश्लेषण सुझाता है कि सामुदायिक निवेश कोष से कर्ज लेने वाले 2 प्रतिशत से भी कम सदस्यों ने उच्च ब्याज दर वाले कर्ज ले रखे हैं। सदस्यों ने अपने उच्च ब्याज दर वाले ऋणों में औसतन 13,000 रु. कमी कर दी है। ऋण सूची का वर्तमान विश्लेषण

सुझाता है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा प्राप्त 11 प्रतिशत ऋण उच्च ब्याज दर वाले कर्जों के भुगतान में गए हैं। सामुदायिक निवेश कोष के धनराशि उपयोग के 1,459 स्वयं सहायता समूहों से संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण सुझाता है कि सामुदायिक निवेश कोष के जरिए वितरित 15 प्रतिशत धनराशि का उपयोग उच्च ब्याज दर वाले ऋणों में कमी करने के लिए किया गया है।

वर्ल्ड बैंक सोशल ऑब्जर्वेटरी स्कीम द्वारा किए गए रिट्रोस्टेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ जीविका (2010-11) के अनुसार, अहस्तक्षेप परिवारों द्वारा उधार ली गई उच्च ब्याज दर वाली औसत रकम अहस्तक्षेप क्षेत्रों में 14,500 रु. थी जबकि हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों में 5,000 रु. ही थी। शोध परिणामों से यह भी दिखा कि 22 प्रतिशत अहस्तक्षेप परिवारों पर कोई उच्च ब्याज दर वाला कर्ज नहीं था जिसे चुकाने की जरूरत पड़े जबकि हस्तक्षेप वाले परिवारों में यह अनुपात 29 प्रतिशत था।

पारिवारिक आय में वृद्धि : बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के 2016 के एंडलाइन सर्वेक्षण के आधार पर सामुदायिक निवेश कोष से जुड़े 65.1 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों की आय बेसलाइन (सूक्ष्मनिवेश योजनाएं तैयार करते समय की) के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक थी। मूल्य समंजन के बाद आय 35,968 रु. प्रति वर्ष से बढ़कर 46,758 रु. प्रति वर्ष हो गई थी। ये परिणाम परियोजना का लाभार्थी होने के पहले और बाद में परिवारों की तुलना पर आधारित हैं।

वर्ष 2012 के बाद कार्यक्रम में शामिल होने के समय परिवारों में अंतर दूर करने पर फोकस किया गया था। जो परिवार पुराने प्रखंडों में (2012 से 2015 के बीच) शामिल हुए थे उनकी तुलना नए प्रखंडों में (2012 से 2015 के बीच ही) शामिल परिवारों के साथ की गई थी। 42 पुराने प्रखंडों में काम पहले शुरू हुआ था जिसका अर्थ था कि वहां बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना ने 2012 में काम शुरू ही करने वाले शेष 60 प्रखंडां की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित संस्थागत नेटवर्क (संस्थाओं का नेटवर्क, सामुदायिक कार्यकर्ता, बैंकों में भरोसेमंद साझीदार आदि) बनाया था।

तालिका प. 2.8 : पारिवारिक आय पर सूक्ष्म निवेश योजना का प्रभाव

2016 में आय		बेसलाइन आय		अंतर
2016 में औसत वार्षिक पारिवारिक आय (2012-15 कोहॉर्ट के पुराने 42 प्रखंडों में)	61,884 रु.	पुराने 42 प्रखंडों में औसत बेसलाइन आय (2012-15 कोहॉर्ट)	33,338 रु.	28,545 रु.
2016 में औसत वार्षिक पारिवारिक आय (2012-15 कोहॉर्ट के नए 60 प्रखंडों में)	63,916 रु.	नए 60 प्रखंडों में औसत बेसलाइन आय (2012-15 कोहॉर्ट)	40,295 रु.	23,621 रु.
2012-15 कोहॉर्ट में पुराने 42 ओर नए 60 प्रखंडों की आय में अंतर-में-अंतर	4,925 रु.	सकारात्मक, महत्वपूर्ण @ 95%		

* विभिन्न समयावधियों की तुलना के लिए 2011-12 के आधार मूल्य का उपयोग किया गया है।

स्रोत : बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के क्षेत्रों में किया गया आय सर्वेक्षण 2016

स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार

जीविका में क्रियान्वित आहार, पोषण और स्वच्छता संबंधी हस्तक्षेपों में सकारात्मक रुझान दिखे। खाद्य सुरक्षा कोष हस्तक्षेप का प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और बच्चों की बढ़ी भागीदारी को और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा कोष कार्यक्रम से होने वाले लाभों को मापने के लिए खाद्य सुरक्षा कोष का एक वर्ष (2012-13) का रैंडमाइज्ड कंट्रॉल ट्रायल किया गया था। ट्रायल के परिणामों ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले परिवारों की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा संबंधी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दर्शाए।

जीविका की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों ने ग्रामीण गरीबों द्वारा अपने विकास के लिए खुद प्रबंधित सामुदायिक मंचों की जरूरत को पूरी तरह स्थापित किया है। जीविका की सफलता का श्रेय दो कारकों को दिया जा सकता है - पहला, यह समुदाय आधारित गतिविधि है, और दूसरा, इसने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी दष्टिकोण अपनाया है। इसने अपना काम मूलत: वित्तीय समावेश से शुरू किया था लेकिन बाद में अपने फोकस का विस्तार आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, और यहां तक कि घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक समस्याओं तक भी कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीविका कार्यक्रम द्वारा सशक्तीकरण के बाद से बिहार में ग्रामीण महिलाएं अब व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाएं निभाती हैं। यह लगभग पूरी तरह तय है कि निकट भविष्य में जीविका ग्रामीण समाज पर गहरा प्रभाव डालेगी और बिहार में ग्रामीण विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।

अनुलग्नक-3

बिहार में मद्यनिषेध का प्रभाव

अप्रैल 2016 में बिहार उत्पाद (सुधार) अधिनियम पारित करने के बाद बिहार सरकार ने बिहार में मद्यनिषेध लागू किया जो राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत का निषेध करता है। ऐसा मुख्यत: शराब पीने के व्यापक प्रचलन के कारण सर्वाधिक पीड़ित होने वाली ग्रामीण महिलाओं की मांग कर किया गया। गुजरात, नगालैंड और लक्षद्वीप के बाद बिहार मद्यनिषेध लागू करने वाला देश का चौथा राज्य है। हालांकि मद्यनिषेध के सामाजिक लाभ स्पष्ट ही हैं, खास कर ग्रामीण लोगों पर, लेकिन राज्य सरकार ने दो अध्ययनों के जरिए मद्यनिषेध के प्रभाव का मूल्यांकन कराना तय किया - एक तो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री), पटना द्वारा और दूसरा, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआइ), पटना द्वारा।

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री), पटना द्वारा अध्ययन

यह अध्ययन 2016 के उत्तरार्ध में, मद्यनिषेध लागू होने के ठीक छ: महीने बाद किया गया। अध्ययन का सूचना आधार द्वितीयक आंकड़े थे जिनमें अप्रैल से सितंबर, 2016 के छ: महीनों के दौरान अपराध दरों, और लोगों द्वारा खरीद के कुछ व्यवहारों को शामिल किया गया था। निषेध का प्रभाव जांचने के लिए इसकी तुलना एक वर्ष पूर्व अर्थात अप्रील से सितंबर, 2015 के दौरान अपराध दरों और लोगों द्वारा खरीद के व्यवहारों के साथ की गई थी। अपराध के आंकड़ों में हत्या, बलात्कार, महिला विरोधी अपराध, अजा/ अजजा विरोधी अपराध, दंगा, डकैती, लूट, फिरौती के लिए अपहरण, और सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े शामिल किए गए थे। मद्यनिषेध से पहले के छ: महीनों (अप्रैल से सितंबर, 2015) और मद्यनिषेध से बाद के छ: महीनों (अप्रैल से सितंबर, 2016) के दौरान इन अपराधों की दरें तालिका प. 3.1 में प्रस्तुत हैं। इन आंकड़ों से बिहार में अपराध की दरों पर मद्यनिषेध द्वारा डाले गए प्रचुर प्रभाव का साफ पता चलता है। अपराध दरों में सबसे अधिक गिरावट फिरौती के लिए अपहरण (66.6 प्रतिशत) के मामले में देखी गई और उसके बाद हत्या (28.3 प्रतिशत) तथा डकैती (22.8 प्रतिशत) के मामले में। महिलाओं के खिलाफ अपराध की दरों में कमी बहुत मामूली (2.3 प्रतिशत) थी लेकिन गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दर्ज मामलों में घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामले शामिल नहीं हो पाते हैं। अगर घरेलू हिंसा के आंकड़े अलग से उपलब्ध होते तो इस बात की काफी संभावना थी कि मद्यनिषेध का उस पर काफी सकारात्मक प्रभाव दिखा होता।

तालिका प. 3.1 : बिहार में 2015 और 2016 में अपराध दरें (अप्रील से सितंबर)

अपराध की श्रेणी	प्रति माह दर्ज मामलों की सं.		प्रतिशत कमी
	2015	2016	
हत्या	294	210	(-) 28.3
बलात्कार	99	89	(-) 10.1
महिलाओं के खिलाफ अपराध	1160	1133	(-) 2.3
अजा/ अजजा के खिलाफ	541	461	(-) 14.8
दंगा	1252	1033	(-) 17.5
डकैती	35	27	(-) 22.8
लूट	144	126	(-) 12.5
फिरौती के लिए अपहरण	6	2	(-) 66.6
सड़क दुर्घटना	832	668	(-) 19.8
सड़क दुर्घटना में मृत लोगों की संख्या	473	381	(-) 19.6

जहां तक लोगों द्वारा खरीद संबंधी व्यवहार की बात है, तो अध्ययन में सुधा द्वारा कॉम्फेड की खुदरा दूकानों से बेचे गए उत्पादों के आंकड़े संग्रहित किए गए। प्रासंगिक आंकड़े तालिका प. 3.2 में प्रस्तुत हैं।

तालिका प. 3.2 : बिहार में 2015-16 और 2016-17 में कॉम्फेड उत्पादों की खपत और उसकी वृद्धि दरें

कॉम्फेड उत्पाद	अप्रैल से सितंबर के बीच खपत (मैटिक टन में)		वृद्धि (प्रतिशत में)
	2015-16	2016-17	
शहद	0.05	0.24	380.0
चीज	0.25	0.75	200.0
मट्ठा	62.00	86.83	40.0
सुवासित दूध	113.10	145.19	28.4
सुधा स्पेशल	496.30	598.04	20.5
लस्सी	2696.81	3228.55	19.7
सादा दही	3162.38	3765.86	19.1
रसगुल्ला	851.68	990.10	16.3
पेड़ा	548.26	633.50	15.5
गुलाबजामुन	637.57	734.73	15.2
पनीर	1659.10	1880.13	13.3
मीठा दही	363.27	400.45	10.2
मिल्क केक	4.44	4.85	9.2
कलाकंद	110.30	119.70	8.5
बालूशाही	66.51	67.63	1.7
योग	**10772.02**	**12656.55**	**17.5**

चूंकि बिक्री के आंकड़े 2016-17 के सिर्फ पहले छः महीनों (अप्रैल से सितंबर) के लिए उपलब्ध थे इसलिए तालिका में 2015-16 और 2016-17 के लिए उन्हीं छः महीनों की अवधि के आंकड़े दिए गए हैं। तालिका के आंकड़ों से साफ दिखता है कि 2016-17 में दुग्ध उत्पादों की बिक्री में एक वर्ष पहले की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई। समग्र वृद्धि 17.5 प्रतिशत थी और व्यापक रूप से प्रयुक्त दुग्ध उत्पादों (जैसे सुवासित दूध, सुधा स्पेशल, लस्सी और सादा दही) के मामले में वृद्धि दर उससे भी अधिक थी। अगर निजी कंपनियों के आंकड़ों को भी शामिल कर लिया जाय, तो दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत उससे भी अधिक होगी। दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत का देखा गया रुझान मद्यनिषेध के बाद बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का स्पष्ट सूचक है।

दूध और दुग्ध उत्पादों के अलावा, अध्ययन में खपत वाली कुछ अन्य सामग्रियों की खरीद के आंकड़े इन सामग्रियों के लिए चुकाए गए बिक्री कर राजस्वों के आधार पर प्राप्त किए गए। इसमें भी वृद्धि अच्छी-खासी थी- महंगी साड़ियां (1715 प्रतिशत), महंगी परिधान सामग्रियां (910 प्रतिशत), प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (46 प्रतिशत), प्लास्टिक के सामान (65 प्रतिशत), फर्नीचर (20 प्रतिशत), सिलाई मशीन (19 प्रतिशत) और खेलकूद के सामान (18 प्रतिशत)। साथ ही, मनोरंजन कर के संग्रहण में भी 29 प्रतिशत वृद्धि हुई। बढ़ी हुई क्रयशक्ति के कारण मोटर वाहन भी अधिक परिवारों ने खरीदे - चारपहिए (30 प्रतिशत), ट्रैक्टर (29 प्रतिशत) और दुपहिया-तिपहिया (32 प्रतिशत)। ये आंकड़े भी बिहार में हुए फायदों को दर्शाते हैं।

वर्ष 2011 के उपभोग के आंकड़ों को ध्यान में रखने पर पता चलता है कि जिस समय मद्यनिषेध लागू हुआ, उस समय बिहार में कम से कम 44 लाख लोग शराबी थे। बहुत पारंपरिक अनुपान भी लेने पर माना जा सकता है कि इनमें से प्रत्येक शराबी अल्कोहल पर हर महीने कम से कम 1,000 रु. खर्च करता होगा। इस आधार पर हर महीने कम से कम 440 करोड़ रु. की बचत हुई जो 5,280 करोड़ रु. वार्षिक हो जाती है।

विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआइ), पटना द्वारा अध्ययन

यह अध्ययन 5 जिलों - नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और कैमूर - में संग्रहित प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। हर जिले में 2 प्रखंड चुने गए थे और हर प्रखंड में 2 गांवों को चुना गया। इस प्रकार नमूने के 20 गांव चुने गए। इन गांवों से कुल 2,368 परिवारों को प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए चुना गया। परिवारों के अलावा, अध्ययन में प्रतिदर्श ग्रामों में केंद्रित सामूहिक चर्चा से भी आंकड़े संग्रहित किए गए। संग्रहित आंकड़ों में शामिल थे - (1) महिलाओं के खिलाफ हिंसा, (2) बच्चों के खिलाफ हिंसा, (3) सामान्य व्यवहार का पैटर्न, (4) निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, और (5) गान समाज पर समग्र प्रभाव। इनमें से पहले तीन मुद्दों के आंकड़े तालिका प. 3.3 में प्रस्तुत हैं।

उक्त तालिका से बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा तथा अन्य अत्यंत नकारात्मक व्यवहार मद्यनिषेध के पहले की अवधि में बहुत अधिक थे। जैसे कम से कम 79 पतिशत परिवारों से महिलाओं के खिलाफ मानसिक हिंसा की और 30 प्रतिशत परिवारों से बच्चों के खिलाफ हिंसा की सूचना मिली। इसी प्रकार, शराबियों द्वारा घर में गाली-गलौज करने की सूचना 67 प्रतिशत परिवारों से प्राप्त हुई। लेकिन मद्यनिषेध के बाद की अवधि में परिदृश्य पूरी तरह बदल गया क्योंकि इन सारे नकारात्मक व्यवहारों में नाटकीय कमी आई। इन शोध परिणामों से मद्यनिषेध से हुए लाभ स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं और इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की ग्रामीण महिलाओं, खास कर गरीब परिवारों की महिलाओं ने लगभग एक सुर में सराहना की।

तालिका प. 3.3 : मद्यनिषेध के प्रभाव के चुनिदां सूचक

	व्यवहारों की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत	
	मद्यनिषेध के पहले	मद्यनिषेध के बाद
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा		
मानसिक हिंसा	79	11
शाब्दिक हिंसा	73	14
शारीरिक हिंसा	54	5
आर्थिक हिंसा	70	6
यौन हिंसा	15	4
शारीरिक उत्पीड़न के साथ यौन हिंसा	17	3
बच्चों के विरुद्ध हिंसा		
मानसिक हिंसा	30	5
शाब्दिक हिंसा	35	5
शारीरिक हिंसा	24	5
आर्थिक हिंसा	18	4
यौन हिंसा	1	0
शारीरिक उत्पीड़न के साथ यौन हिंसा	0	0
सामान्य व्यवहार		
घर में गाली-गलौज	67	9
घर के सामान बर्बाद करना	30	4
परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झगड़ना	35	5
पड़ोसियों के साथ झगड़ना	29	3
खुद को नुकसान पहुंचाना	27	3

इन सामाजिक लाभों के अलावा, मद्यनिषेध का काफी आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। जैसे, परिवारों से खाने-पीने पर मद्यनिषेध के बाद 1,331 रु. साप्ताहिक व्यय की सूचना मिली जो मद्यनिषेध के पहले 1,005 रु. था। यह उसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मद्यनिषेध के बाद 19 प्रतिशत परिवारों ने नई परिसंपत्तियां खरीदीं और अन्य 5 प्रतिशत परिवारों ने अपने घर की मरम्मत पर रुपए खर्च किए।

केंद्रित सामूहिक चर्चा से अध्ययन में यह भी निष्कर्ष निकला कि मद्यनिषेध के बाद महिलाएं महसूस करती हैं कि उन्हें अधिक सम्मान मिलता है और घर के फैसलों में उनकी पहले से व्यापक भूमिका रहती है। यह अनुभूति

कम से कम 58 प्रतिशत महिलाओं ने प्रकट की। साथ ही, 22 प्रतिशत महिलाएं महसूस करती थीं कि उनकी राय को अब घरेलू मामलों में ही नहीं, गांव के मामलों में भी महत्व दिया जाता है।

ग्राम समाज पर मद्यनिषेध के प्रभाव की बात करें, तो सूचना मिली कि गांवों में पति-पत्नी के बीच अधिक बातचीत होती है। मद्यनिषेध लागू होने के बाद पुरुषों का कुछ समय स्वाभाविक ही बचा है। सूचना मिली कि 58 प्रतिशत पुरुषों ने अपना बचा समय (जो पहले शराबखोरी में जाता था) परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में दिया और 33 प्रतिशत ने अपना बचा समय अतिरिक्त आर्थिक कार्य में लगाया। यह भी बताया गया कि 85 प्रतिशत परिवारों का पड़ोसियों के साथ होने वाला झगड़ा घटा है। इसी प्रकार, 75 परिवारों ने सूचना दी कि शादी-विवाह के दौरान शराब के असर में होने वाले झगड़े भी मद्यनिषेध के बाद घटे हैं।

इस प्रकार, दोनो अध्ययनों का यह निष्कर्ष दिखता है कि मद्यनिषेध लोगों, खास कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक वरदान के रूप में आया है। पहले दिखा कि मद्यनिषेध के बाद की अवधि में अपराधों में काफी कमी आई है जिससे समाज में शांति काफी बढ़ी है। शराबखोरी से बची रकम अब जीवन में उपयोग और सुविधा वाली चीजों पर खर्च होती है। और सबसे बढ़कर, इस कदम ने असुरक्षित परिवारों को आर्थिक बर्बादी के खिलाफ संरक्षण दिया है और उनलोगों ने समृद्धि के पथ पर बढ़ना शुरू किया है। निष्कर्षतः, मद्यनिषेध ने बिहार में महिलाओं की हैसियत बढ़ा दी है जिन्हें अब अधिक सम्मान और व्यापक जवाबदेही, दोनो मिलती है। आशा है कि निकट भविष्य में मद्यनिषेध के प्रभाव अधिक तरीकों से व्यक्त होंगे जिनसे ग्रामीण समाज खास तौर पर लाभान्वित होगा।

अनुलग्नक-4

बिजली की आपूर्ति में सुधार और वितरणजनित ह्रासों में कमी

इस अनुभूति को नीति निर्माता अब व्यापक तौर पर स्वीकार करने लगे हैं कि बिजली की आपूर्ति में सुधार का एकमात्र तरीका विद्युत वितरण की दक्षता में सुधार करना है। फलत:, पहले कदम के बतौर बिहार सरकार ने पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया है। जिनमें से दो कंपनियां वितरण कंपनियां हैं -उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ये कंपनियां अब राज्य में अपनी आर्थिक स्थिति और बिजली की आपूर्ति सुधारने के लिए विद्युत क्षेत्र के सुधारों का क्रियान्वयन कर रही हैं।

देश में विद्युत क्षेत्र में लगभग सारी राज्य संचालित वितरण कंपनियां विद्युत ग्रिड से बिजली लेने और उपभोग के लिए उपभोक्ताओं के बीच वितरित करने के लिए जवाबदेह हैं। इस जवाबदेहो की पूर्ति में मुख्य समस्या यह है कि ग्रिड से ली गई अधिकांश बिजली के लिए भुगतान नहीं होता है, और उसे अपारदर्शी तरीके से समूहित तकनीकी एवं व्यावसायिक' (AT&C) ह्रास के रूप में गिना जाता है। लेकिन वास्तव में ये ह्रास मुख्यत: बिना मीटर वाले कनेक्शनों या सीधे बिजली चोरी के कारण होते हैं। तकनीकी या संचरण संबंधी ह्रासों का इसमें छोटा हिस्सा ही होता है। चूंकि ग्रिड से खरीदी गई बिजली के बड़े हिस्से के लिए वितरण कंपनियों को राजस्व नहीं मिलता है इसलिए यह रक्तस्राव होने जैसी रकम होती है। देश के स्तर पर ये ह्रास बहुत अधिक हो जाते हैं जिनका हर साल मूल्य प्राय: सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक होता है। बिहार में ऐसा ह्रास 2015-16 तक 40 प्रतिशत के आसपास हुआ करता था और उससे पहले तो उससे भी अधिक होता था। लेकिन बिजली की बढ़ी आपूर्ति की स्थिति में अधिक ह्रास भय से वितरण कंपनियां अक्सर उपभोक्ताओं के लिए बिजली की राशनिंग करने का विकल्प अपनाती हैं - तब भी जब बिजली उपलब्ध हो, और कभी-कभी तो कम कीमत पर बिजली उपलब्ध होने के बाद भी। इस प्रकार बिजली की आपूर्ति की खराब हालत व्यावसायिक ह्रासों से गहरे जुड़ी है जिसके कारण वितरण कंपनियों को वित्तीय नुकसान होता है।

वितरण कंपनियों का एक हस्तक्षेप विद्युत आपूर्ति और छोटे व्यवसायों की वृद्धि के बीच संबध का प्रायोगिक साक्ष्य उपलब्ध कराना और उसके साथ-साथ समूह स्तर पर प्रोत्साहन योजना का मूल्यांकन भी करना है जिसमें बिजली के लिए भुगतान बढ़ाने को बिजली की बढ़ी आपूर्ति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रायोगिक हस्तक्षेप यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआइडी) द्वारा समर्थित इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) के तहत काम करने वाली एक शोध टीम द्वारा शुरू किया गया था। परियोजना की डिजाइन रैंडमाइज्ड कंट्रॉल ट्रायल की है जिसमें हस्तक्षेप सामूहिक प्रोत्साहन है जो किसी प्रतिवेश (इलाके) में बिजली की आपूर्ति को भुगतानों के स्तर से जोड़ता है। यह प्रयोग कई सौ प्रतिवेशों में लगभग चार वर्षों तक चला है। इनमें से कुछ प्रतिवेश प्रायोगिक प्रतिवेश थे जहां सामूहिक प्रोत्साहन मौजूद था। परिणामों की तुलना के लिए बिना हस्तक्षेप वाले (कंट्रॉल) प्रतिवेश भी थे जहां सामूहिक प्रोत्साहन मौजूद नहीं था। प्रायोगिक हस्तक्षेप के दो मुख्य घटक हैं - पहला, सामूहिक प्रोत्साहन के प्रति उपभोक्ताआं का प्रतिसाद (रिस्पांस) और दूसरा, बढ़ी बिजली

आपूर्ति के प्रभाव। हस्तक्षेप 2014 में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया और 2015 में दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए। हस्तक्षेप के प्रति उपभोक्ताओं का पतिसाद प्रयोग वाले क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग और राजस्व संग्रहण के प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग करके मापा गया और उसकी तुलना बिना हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों के साथ की गई। इन आंकड़ों की तुलना उपभोक्ता की विशेषताओं और बिजली के उपयोग पर बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन उपभोक्ता सर्वेक्षणों के प्राथमिक आंकड़ों के साथ की गई। सर्वेक्षण के इन आंकड़ों से शोधकर्ताओं के लिए यह देखने की गुंजाइश बनी कि सामूहिक प्रोत्साहन की फीडरों के अंदर के उपभोक्ता आधार की विषमांगिता के साथ कैसी अंत:क्रिया होतो है। इस प्रायोगिक हस्तक्षेप के परिणाम सचमुच उत्साहवर्धक हैं। सही तरीके से क्रियान्वयन करने पर योजना से फीडर स्तर पर प्रति इकाई लागत में 40 प्रतिशत के निम्न आधार पर 13 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होती है। इसका अर्थ लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि है। पूरी क्रियान्वयन अवधि मं (जिसमें राज्य में चुनावों के कारण हुआ व्यवधान भी शामिल है) सुधार कम है लेकिन तब भी 6 प्रतिशत अंकों का है। अनुमान है कि पूरे बिहार में योजना लागू करने पर होने वाली राजस्व वृद्धि से वितरण कंपनियां अपनी संचरण क्षमता 170 मेगावाट बढ़ा पाने में सक्षम होंगी। यह बिहार में सबसे बड़े तापविद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता के लगभग बराबर है। अत: इसका अर्थ गर्मी के मौसम की 4000 मेगावाट की वर्तमान चरम आपूर्ति में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

हस्तक्षेप के परिणाम के दूसरे घटक को व्यावसायिक परिसंपत्तियों और इनवेंट्री के स्वामित्व, रोजगार, बिजली का उपयोग और परिवार की खैरियत के स्तरों के प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग करके मापा जा सकता है। पहले भी कहा गया है कि ये आंकड़े 8 जिलों के प्रतिदर्श परिवारों के बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन सर्वेक्षणों के जरिए संग्रहित किए गए थे। हालांकि आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक परिणाम दर्शाते हैं कि हस्तक्षेप का व्यावसायिक गतिविधि और नए व्यवसाय के आरंभ पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। अधिक बिजली उपलब्ध होने से उपभोक्ता बिजली के उपकरणों में अधिक निवेश करते हैं, आय क नए स्रोत खोजते हैं और समय के उपयोग का अपना पैटर्न बदलते हैं।

प्रायोगिक हस्तक्षेप के परिणाम भुगतान से जुड़ी बिजली आपूर्ति के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं जिससे एक ओर उपभोक्ताओं को फायदा होता है, तो दूसरी ओर वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होता है। संचालन के मामले में भी भुगतान से जुड़ी बिजली आपूर्ति कोई कठिन चीज नहीं है क्योंकि इसके लिए बिजली के लिए भुगतानों का फीडर के स्तर पर अनुश्रवण करने की जरूरत होती है। राज्य सरकार निकट भविष्य में वितरण कंपनियों के लिए यह नई कार्यसंचालन योजना शुरू करने की योजना बना रही है।

अनुलग्नक-5

बिहार में नीम लेपित यूरिया का उपयोग

यूरिया पूरी दुनिया में फसल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाला सबसे लोकप्रिय उर्वरक है। हालांकि पौधों द्वारा सामान्य यूरिया में उपलब्ध नाइट्रोजन का 25-30 प्रतिशत हिस्सा ही स्वीकार किया जाता है और शेष मिट्टी में से निकल जाता है। इस पृष्ठभूमि में कृषि वज्ञानिकों ने नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) पेश किया है जिसे सामान्य यूरिया पर नीम के तेल का लेप चढ़ाकर तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग बढ़ाने के अलावा भी इसके कई लाभ हैं - पहला, इससे पोषण तत्वों के बरकरार रहने के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और दूसरे, नीम के कीटनाशक गुण किसानों को अन्य कीटनाशकों का उपयोग कम करने में मदद करते हैं। अभी कृषकों को सामान्य यूरिया के लिए सब्सिडी मिलती है लेकिन ऐसे सब्सिडीशुदा सामान्य यूरिया का अच्छा-खासा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र (प्लाईवुड और पेंट कारखानों) में चला जाता है। इस कारण नीम लेपित यूरिया का अतिरिक्त लाभ यह भी है कि यह दूसरे क्षेत्रों द्वारा सामान्य यूरिया के अवांछित उपयोग से बचाता है और इस प्रकार सरकार पर यूरिया के लिए सब्सिडी देने का बोझ घटाता है। अत: केंद्र सरकार ने यूरिया पर नीम के तेल का लेप चढ़ाने की नीति शुरू की और दिसंबर 2015 से देशी और आयातित यूरिया, दोनो के लिए नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया गया।

भागलपुर स्थित कृषि-अर्थशास्त्र शोध केंद्र ने दर्शाया है कि नीम लेपित यूरिया के अनिवार्य होने के पहले जब बाजार में सामान्य यूरिया और नीम लेपित यूरिया, दोनो की आपूर्ति हुआ करती थी, उस समय भी बिहार में नीम लेपित यूरिया का काफी व्यापक उपयोग होता था। किसानों द्वारा 2014 में सामान्य यूरिया और नीम लेपित यूरिया के खरीद के पैटर्न से पता चलता है कि सभी किसानों के मामले में सामान्य यूरिया के 131 किग्रा प्रति परिवार की तुलना में नीम लेपित यूरिया की 311 किग्रा प्रति परिवार खरीद की गई जो सामान्य यूरिया से काफी अधिक है। कुल मिलाकर यूरिया के उपयोग में नीम लेपित यूरिया का 70.3 प्रतिशत और सामान्य यूरिया का 29.7 प्रतिशत हिस्सा है। धान की खेती की बात करें, तो नीम लेपित यूरिया के उपयोग का और भी अधिक - 78.9 प्रतिशत हिस्सा है जबकि सामान्य यूरिया का मात्र 21.1 प्रतिशत। हालांकि मक्का के मामले में नीम लेपित यूरिया का उपयोग 43.6 प्रतिशत और सामान्य यूरिया का 56.4 प्रतिशत है। अब सारे यूरिया मं नीम लेपन अनिवार्य किए जाने के बाद यह अंतर प्रासंगिक नहीं रहा।

उत्पादकता पर नीम लेपित यूरिया के प्रभाव की बात करें, तो इसे धान और मक्का, दोनो के लिए सकारात्मक पाया गया।धान के मामले में नीम लेपित यूरिया के उपयोग की स्थिति में उपज 26.8 क्विंटल प्रति एकड़ थी जबकि सामान्य यूरिया की स्थिति में 24.5 क्विंटल प्रति एकड़ थी जो 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसी प्रकार, मक्का के मामले में नीम लेपित यूरिया के उपयोग की स्थिति में उपज 25.2 क्विंटल प्रति एकड़ और सामान्य यूरिया की स्थिति में 23.4 क्विंटल प्रति एकड़ थी जा 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। मुख्य फसलों की उपज में वृद्धि के अलावा, नीम लेपित यूरिया से चारा जैसे उप-उत्पादों की उपज में भी वृद्धि हुई। नीम लेपित यूरिया के आच्छादन के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2015-16 के पहले 74.5 प्रतिशत धान उत्पादक किसानों ने

नीम लेपित यूरिया का उपयोग किया था जो 2015-16 में बढ़कर 82.5 प्रतिशत हो गया था। इसी प्रकार मक्का उत्पादक किसानों के मामले में नीम लेपित यूरिया का आच्छादन 2015-16 के पहले 26.5 प्रतिशत था लेकिन गत वर्षों में यह बढ़कर 74.0 प्रतिशत हो गया था। इन आंकड़ों से आसानो से अर्थ निकाला जा सकता है कि बिहार में अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किसानों ने नीम लेपित यूरिया को व्यापक रूप में अपनाया है। नीम लेपित यूरिया के उपयोग के मामले में लागत-लाभ अनुपात धान की खेती के लिए 1.29 और मक्का की खेती के लिए 1.21 था। आशानुरूप, अध्ययन से यह भी पता चला कि नीम लेपित यूरिया से मृदा स्वास्थ्य में 24 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक सुधार हुआ। केंद्र सरकार का अनुमान है कि नीम लेपित यूरिया के उपयोग के कारण 2016-17 में यूरिया की खपत में गत वर्ष से 3.3 प्रतिशत कमी आई है।

बिहार में नीम लेपित यूरिया को अपनाने का एक कारण इस नई कृषि लागत सामग्री के बारे में उनकी धारणा था। अध्ययन के अनुसार 74.8 प्रतिशत किसानों ने उपलब्ध नीम लेपित यूरिया को उच्च गुणवत्ता वाला पाया था, 81.0 प्रतिशत ने उसकी पर्याप्त उपलब्धता की सूचना दी थी, 80.2 प्रतिशत ने समय से आपूर्ति के बारे में बताया था, और 59.8 प्रतिशत ने सोचा था कि उसकी कीमत उचित थी।

नीम लेपित यूरिया को व्यापक रूप से अपनाने के मामले में आने वाले व्यवधानों के विश्लेषण से कई कारकों का पता चला - नीम लेपित यूरिया के फसलवार उपयोग के प्रशिक्षण की कमी (43.5 प्रतिशत), सिंचाई सुविधाओं की कमी (39.2 प्रतिशत), आसपास के क्षेत्रों में उर्वरक की खुदरा दूकानों की कमी (26.0 प्रतिशत), नीम लेपित यूरिया के फायदों के बारे में जानकारी की कमी (22.2 प्रतिशत) और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी (10.5 प्रतिशत)। नीम लेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अध्ययन में अनेक महत्वपूर्ण कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहले तो नीम लेपित यूरिया के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अधिक प्रसार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। दूसरे, राज्य सरकार को हर ग्राम पंचायत में उर्वरक दूकान की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। और तीसरे, राज्य सरकार को नीम लेपित यूरिया की गुणवत्ता और विभिन्न क्षेत्रों के फसल पंचांगों को ध्यान में रखकर उसकी समय से आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

अनुलग्नक-6

बिहार में बाढ़

परिचय

बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़प्रवण राज्य है जहां बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हे. का 73.1 प्रतिशत है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है और यहां की 76 प्रतिशत आबादी बाढ़प्रवण है। भारत के 400 लाख हे. बाढ़प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़प्रवण क्षेत्र का लगभग 17.2 प्रतिशत हिस्सा है। इसी प्रकार, देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 56.5 प्रतिशत हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं जिससे नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। बरसात के मौसम में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति की स्रोत हैं। बाढ़ों से बचने के लिए बिहार में 3,746 किमी और नेपाल में 68 किमी लंबाई में तटबंध बनाए गए हैं। इसके अलावा चांदन बेसिन में 101 किमी लंबाई में तटबंधों का निर्माण हो रहा है और महानंदा बेसिन में 1,196 किमी लंबे तटबंध बनाने की योजना है। चूंकि ये तटबंध बाढ़ से बचाव के स्थायी समाधान नहीं हैं इसलिए बाढ़ की परिघटना बिहार की आबादी को परेशान करती रहती है।

बाढ़प्रवण जिले

बिहार में बाढ़ों का इतिहास बताता है कि इसके 38 में से 28 जिले बाढप्रवण हैं। इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़प्रवण माना जाता है। बाढ़प्रवण जिलों का ब्योरा नीचे तालिका प. 6.1 प्रस्तुत है।

तालिका प. 6.1 : बिहार के बाढ़प्रवण जिले

अत्यंत बाढ़प्रवण जिले	उत्तर बिहार	पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार (15 जिले)
अन्य बाढ़प्रवण जिले	उत्तर बिहार	पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज (7 जिले)
	दक्षिण बिहार	पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा (6 जिले)

दशक के दौरान बाढ़

बिहार की बाढ़ के मामले में असुरक्षित स्थिति इस तथ्य से व्यक्त होती है कि बिहार में बाढ़ वार्षिक घटना हो गई है। लगभग हर साल कुछ जिले बाढ़ के मनमौजीपन का सामना करते हैं। पिछले दशक में आई बाढों की घटनाएं और उनके कारण नीचे की तालिका प. 6.2 में वर्णित हैं।

तालिका प. 6.2 : बिहार में बाढ़ का घटनाक्रम

वर्ष	बाढ़ के कारक
2007	गंगा, कोशी, गंडक, पुनपुन, बागमती जैसी बड़ी नदियों में उफान
2008	कोशी नदी द्वारा धारा परिवर्तन
2009	बागमती नदी में उफान
2011	गंडक नदी में उफान
2012	अधत्रारा समूह की नदियों और सोन नद में उफान
2013	गंगा नदी और महानंदा बेसिन की नदियों में उफान
2014	पुनपुन और झारखंड से निकलने वाली छोटी नदियों में उफान
2016	गंगा, कोशी, महानंदा और सोन बेसिन की नदियों में उफान
2017	नेपाल से निकलने वाली नदियों में उफान

तालिका से स्पष्ट है कि बिहार पिछले 11 वर्षों में से कम से कम 9 वर्षों में बाढ़ से प्रभावित हुआ। अपवाद सिर्फ 2010 और 2015 थे।

वर्ष 2017 में बाढ़

बिहार में बाढ़ से उत्पन्न आपदा के परिमाण का अंदाजा लगाने के लिए राज्य में 2017 में आई बाढ़ पर गौर किया जा सकता है। इस बाढ़ ने लगभग पूरे उत्तर बिहार को प्रभावित किया जिसका विस्तार 20 जिलों तक था- पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लंबे रेंज का पहला पूर्वानुमान (एलआरएफ) 18 अप्रील को जारी किया गया था जिसमें सामान्य का 96 प्रतिशत वर्षापात होने का अनुमान किया गया था। 6 जून को जारी किए गए लंबे रेंज के दूसरे पूर्वानुमान में भी उत्तर-पूर्वी भारत के लिए पहले वाले पूर्वानुमान को ही दुहराया गया था जिसमें बिहार भी अवस्थित है। यह आरंभिक संकेत था कि बिहार को 2017 में बरसात के मौसम में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। फलतः, राज्य सरकार ने अपनी प्रशासनिक मशीनरी को बाढ़ की घटनाओं से जूझने के लिए तैयार रखने के लिहाज से आवश्यक प्रयास किए थे। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, जिलों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बाढ़ की स्थिति का सामना करने पर तैयार रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया था कि दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून बिहार में 14 जून को पहुंचेगा। 30 जून तक बिहार में वर्षापात सामान्य से 50 प्रतिशत कम था। हालांकि 31 जुलाई तक वर्षापात बढ़ गया और सामान्य से सिर्फ 9 प्रतिशत कम रह गया था। उसके बाद स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। 10 अगस्त को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कोशी, महानंदा, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और बागमती के बेसिन में नेपाल में और उत्तर बिहार के जिलों में भारी वर्षा का अनुमान लगाया। नेपाल बेसिन में अनुमान के अनुसार 11 अगस्त को मध्यम से भारी वर्षा और 12 अगस्त (227 मिमी), 13 अगस्त (192 मिमी) तथा 14 अगस्त (222 मिमी) को बहुत भारी वर्षा हुई। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब उत्तर बिहार के क्षेत्र में भी 10 अगस्त के बाद भारी वर्षा हुई। जैसे, किशनगंज जिले में 11-12 अगस्त को 24 घंटों के दौरान 240 से 340 मिमी वर्षा हुई और सुपौल जिले में 12-13 अगस्त को 24 घंटों के दौरान 454 मिमी वर्षा हुई। 14 अगस्त को केंद्रीय जल आयोग ने सूचना दी कि राज्य में 21 नदी पूर्वानुमान केंद्रों में जल स्तर खतरे के निशान पर या उससे ऊपर था। इस अवधि में लगातार बारिश और बड़ी नदियों में उफान आने के कारण उत्तर बिहार के लगभग सारे जिलों में बाढ़ की व्यापक स्थिति पैदा हो गई।

तालिका प. 6.3 : सेना, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल और राज्य आपदा अनुक्रिया बल द्वारा राहत कार्य का ब्योरा

सूचक	सेना	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल	राज्य आपदा अनुक्रिया बल
कार्य दिवसों की संख्या	17	25	25
टीमों की औसत दैनिक संख्या	6	24	16
व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या	590	997	442
नावों की औसत दैनिक संख्या	6	103	92

पहले भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी प्रशासनिक मशीनरी को बाढ के खतरे से निपटने के लिए व्यापक अनुक्रिया कार्य शुरू करने के लिए तैयार रखा था। उसके सबसे पहले के कार्यों में लोगों, खास कर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बाढ़ वाले क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाना था। यह कार्य सेना, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ) को काम में लगाकर पूरा किया गया। तालिका प. 6.3 में इस अनुक्रिया कार्य का विवरण प्रस्तुत है।

तालिका प. 6.4 : 2017 की बाढ़ से हुआ नुकसान

जिला	बाढ़ का फैलाव			नुकसान		
	आबादी (लाख)	प्रखंडों की संख्या	गांवों की संख्या	फसल (हजार हे.)	मानव जीवन	पशु
किशनगंज	10.1	7	652	10.56	24	33
अररिया	17.5	9	661	70.86	95	102
पूर्णिया	12.31	13	788	56.74	44	-
कटिहार	20.08	15	1302	55.34	40	20
पूर्व चंपारण	24.08	22	469	119.49	32	9
पश्चिम चंपारण	7.19	16	691	115.11	42	27
दरभंगा	21.21	14	903	73.68	37	35
मधुबनी	7.65	15	490	58.99	28	5
सीतामढ़ी	22.74	10	713	67.83	47	4
शिवहर	1.62	5	102	18.54	6	-
सुपौल	3.98	8	221	18.53	16	25
मधेपुरा	3.38	10	237	32.39	29	-
मुजफ्फरपुर	8.69	12	423	23.26	21	1
गोपालगंज	3.44	6	174	22.73	20	12
सहरसा	3.37	7	224	27.25	8	-
खगड़िया	1.62	6	105	19.93	10	-
सारण	1.68	6	152	7.13	2	-
समस्तीपुर	0.5	5	75	8.55	-	-
सीवान	0.5	1	12	2.42	-	-
योग	**171.64**	**187**	**8394**	**809.33**	**501**	**273**

स्रोत : बाढ़-2017, ज्ञापन

वर्ष 2017 में आई बाढ से हुए नुकसान के विवरण तालिका प. 6.4 में प्रस्तुत हैं। तालिका में वर्णित जनसंख्या के आंकड़े आई बाढ़ के कारण वास्तव में विस्थापित हुए लोगों के हैं। इस मामले सबसे बुरी तरह प्रभावित जिले पूर्व चंपारण (24.08 लाख), सीतामढ़ी (22.74 लाख), दरभंगा (21.21 लाख) और कटिहार (20.08 लाख) थे। गौरतलब है कि फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा था, खास कर पूर्व चंपारण (1.19 लाख हे.) और पश्चिम चंपारण (1.15 लाख हे.) जिलों में। इसके अलावा, बाढ़ के कारण 501 लोगों और 273 पशुओं को भी जान से हाथ धोना पड़ा था।

अधिसंरचना को हुआ नुकसान

वर्ष 2017 में बाढ़ के कारण पुलों सहित राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों, मुख्य जिला पथों और ग्रामीण पथों को भी भारी नुकसान पहुंचा। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मुख्य जिला पथों सहित 235 उच्चपथ 3,365 किमी में क्षतिगस्त हुए जिनमें 49 पुल-पुलिए भी शामिल हैं। इसी प्रकार, 3119 ग्रामीण पथ, 51 पुलों, 484 पुलियों और 45 संपर्क पथों सहित 4,237 किमी लंबाई में ग्रामीण पथों को क्षति पहुंची। बाढ़ के कारण 2017 में 168 मकान और 6,327 मी. चहारदीवारी के अलावा 135 तालाबों/ घाटों और 4 पुलों/ पुलियों को भी क्षति हुई। इसके कारण 2,052 किमी लंबाई में 11 केवी फीडरों के कंडक्टर और 11 केवी फीडरों/ निम्न विभव लाइनों के 5,900 पोल और 385 वितरण ट्रांसफर्मर भी क्षतिग्रस्त हुए। उक्त अधिसंरचनाओं को हुए नुकसान के अलावा, बाढ़ से शैक्षिक सेवा प्रदान करने वाले भवनों (प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों) तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले भवनों (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-केंद्रों और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) को भी नुकसान पहुंचा।

यहां गौरतलब है कि 2017 में आई बाढ़ बिहार के लिए सबसे खराब बाढ़ नहीं थी। अतीत में बिहार को इससे भयानक अनेक बाढ़ों का सामना करना पड़ा है।

राहत कार्य

ऊपर वर्णित बचाव कार्यों के अलावा राज्य सरकार ने विनाशकारी बाढ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य भी चलाए। ऐसे राहत कार्यों में शामिल हैं - (क) राहत शिविर, (ख) सामुदायिक रसोईघर, (ग) सूखा राशन और फूड पैकेट का वितरण, (घ) अनुकृपा राहत, और (च) चिकित्सा सुविधा।

(क) **राहत शिविर :** राज्य सरकार ने 14 अगस्त को सबसे पहले राहत शिविर आयोजित किए जब 254 राहत शिविर स्थापित किए गए। बाद में शिविरों की संख्या क्रमशः बढ़कर 1,358 हो गई। राहत शिविरों में दी जाने वाली सेवाओं में पका भोजन, बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं, अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था और कुछ अन्य सुविधाएं शामिल थीं। राहत शिविरों में लड़की के जन्म पर 15,000 रु. और लड़के के जन्म पर 10,000 रु. भुगतान का भी प्रावधान था। ये सारे खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से किए गए।

(ख) **सामुदायिक रसोईघर :** जो लोग राहत शिविरों में नहीं आना चाहते थे या जिनलोगों ने तटबंधों या सड़कों पर आश्रय ले रखा था, उनके लिए सामुदायिक रसोईघर शुरू किए गए थे। 17 अगस्त को कम से कम 1,646 सामुदायिक रसोईघर शुरू किए गए और उनकी संख्या बाद में बढ़कर 2,569 तक पहुंच गई। उन सामुदायिक रसोईघरों में पका भोजन उपलब्ध कराने के अलावा साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया गया।

(ग) **सूखा राशन और फूड पैकट वितरण :** राहत के समय में बाढ़ से प्रभावित लोगों के मूल्यांकन के दौरान तात्कालिक राहत के उपाय के बतौर सूखा राशन के पैकेट बांटे गए। हर पैकेट में 2.5 किग्रा चिवड़ा 0.5 किग्रा गुड़ और 1.0 किग्रा चना/ सत्तू शामिल थे। साफ-सफाई और स्वच्छता के मापदंड सुनश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सूखा राशन के कुल 14.62 लाख पैकेट बांटे गए। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के बीच 32.07 लाख फुड पैकेट भी बांटे। हर फुड पैकेट में 6 किग्रा चावल, 1 किग्रा दाल, 2 किग्रा

आलू, 0.5 किग्रा सोयाबीन (आलू नहीं होने पर), 0.5 किग्रा नमक, छोटा पैकेट हल्दी, हेलोजन टैब्लेट और ओआरएस के पैकेट शामिल थे।

(घ) अनुकृपा राहत : यह राहत कार्य का एक अन्य घटक था जो सीधा नगद अंतरण के जरिए उपलब्ध कराया गया। इसमें (1) सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 3,000 रु., (2) सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनाज खरीदने के लिए भी 3,000 रु., (3) बाढ़ के कारण कपड़ों से वंचित हुए हर परिवार का 1,800 रु., (4) बर्तन या घरेलू सामानोंसे वंचित हुए हर परिवार को 2,000 रु., और (5) हर मृत व्यक्ति के आश्रित को 4.00 लाख रु. शामिल थे। लाभार्थियों की कुल संख्या इस प्रकार थी - 38.12 लाख परिवारों को नगद राशि, 38.12 लाख परिवारों को अनाज के लिए नगद रकम, 2.88 लाख परिवारों को कपड़े या बर्तन अथवा घरेलू सामान के लिए रकम, तथा 251 मृत व्यक्तियों के परिवारों को नगद सहायता।

(च) चिकित्सा सुविधाएं : राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सारे पयास किए। इन सुविधाओं में शामिल थे - 441 चिकित्सा शिविरों की स्थापना, 395 चलंत चिकित्सा शिविरों की स्थापना, 42 नाव एंबुलेंस का प्रावधान, सभी जरूरी दवाओं और हेलोजन की गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव। चिकित्सा शिविरों में 1.40 लाख रोगियों का इलाज किया गया और 681 बच्चों का संस्थागत जन्म भी सुनिश्चित किया गया।

छः प्रमुख शीर्षों के तहत राज्य सरकार का कुल व्यय 2,542.57 करोड़ रु. था जिसके विवरण तालिका प. 6.5 में प्रस्तुत हैं।

तालिका प. 6.5 : राज्य सरकार का कुल व्यय

सं.	शीर्ष	व्यय (करोड़ रु.)
1	राहत शिविर	49.06
2	सामुदायिक रसोईघर	40.57
3	नगद सहायता	2290.96
4	कपड़ा/ बर्तन के नुकसान के लिए भुगतान	106.93
5	मृत्यु होने पर अनुकृपा भुगतान	20.56
6	खोज एवं बचाव कार्य	34.39
	योग	**2542.47**

यहां उल्लेखनीय है कि व्यय के उक्त आंकड़ों में संबंधित विभागों द्वारा बाढ़ राहत के संबंध में किए गए व्यय शामिल हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा पशु की मृत्यु पर किया जाने वाला मुआबजा भुगतान, और कृषि लागत सामग्री सब्सिडी, और मकान के नुकसान पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व्यवहार संबंधी मानकों के अनुसार किया जाने वाला भुगतान शामिल नहीं है। बाढ़ के कारण राज्य सरकार पर पड़े वित्तीय बोझ का समग्र मूल्यांकन करने के क्रम में सड़क, पुल, सिंचाई प्रणाली और विद्युत क्षेत्र जैसी भौतिक अधिसंरचनाओं के पुनर्निमाण का खर्च भी शामिल किया जाना चाहिए। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि राज्य सरकार पर पड़ा समग्र वित्तीय बोझ लगभग 5,000 करोड़ रु. का था जो उसके कुल बजट का लगभग 4 प्रतिशत है।

अनुलग्नक-7

बिहार में स्वास्थ्य : प्रतिसाद के लिए स्थिति और संभावनाएं

स्थिति

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 'बिहार में नवजात मृत्यु एवं मृत जन्म दरें' विषय पर बिहार में किए गए एक मूल्यांकन ने नवजात मृत्यु दर में 2016-17 में 7.3 प्रतिशत अंकों की कमी दशाई है - 2011 के 32.2 से घटकर 24.9 प्रति 1000 जन्म। यह गिरावट 2001-10 दशक में हुई कमी से लगभग दूनी है और इसने राष्ट्रीय स्तर पर आई कमी को पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार, मृत जन्म दर (एसबीआर) भी इस अवधि में 20.0 से घटकर 15.5 प्रति हजार जन्म रह गया है। अध्ययन में 2012 और 2017 में बड़े पैमाने पर विभिन्न तबकों के सर्वेक्षण किए गए जिससे नवजात मृत्यु दर के अनुमान में $\pm$ 4.5 प्रतिशत की और मृत जन्म दर में $\pm$3.5 प्रतिशत की परिशुद्धता हासिल हुई। इस विश्लेषण के आधार पर लोक स्वास्थ्य केंद्र में जन्मे बच्चों और जन्म के पहले दो दिनों के अंदर मृत्यु के मामले में नवजात मृत्यु दर में गिरावट सर्वाधिक दिखती है। इस गिरावट का मुख्य कारण ग्रामीण बिहार में आई गिरावट है।

- 4.2 प्रतिशत अंकों की सर्वोच्च गिरावट पहले दो दिनों में होने वाली मृत्यु के मामले में आई है जब नवजात मृत्यु दर 2011 के 17.5 से घटकर 2016-17 में 13.3 रह गई। यह उप-समूह सर्वाधिक मृत्यु दरों वाला उप-समूह भी है।

- वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्मे नवजातों के बीच नवजात मृत्यु दर 17.8 थी जो निजी स्वास्थ्य केंद्रों में जन्मे नवजातों के बीच नवजात मृत्यु दर (41.4) की आधी से भी कम थी और घर में होने वाले प्रसव में जन्मे नवजातों के बीच नवजात मृत्यु दर (24.4) से कम थी। ग्रामीण बिहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसवों का अनुपात 2011 के 45 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 59 प्रतिशत हो गया। लगता है कि इसने जीवन बचाने के मामले में अच्छा-खासा योगदान किया है। यह निष्कर्ष केयर द्वारा किए गए वार्षिक पारिवारिक सर्वेक्षण से उभरकर सामने आया है।

- विभिन्न समसामयिक मूल्यांकनों में किए गए मापों के अनुसार अनेक गंभीर मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य (एमएनसीएच) हस्तक्षेपों और स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी सूचकों का आच्छादन भी इस अवधि में बढ़ा है। लगता है कि देखी गई गिरावटों में इन दोनो ने मिलकर नवजात मृत्यु और मृत जन्म के तीन प्रमुख प्रत्यक्ष कारकों - श्वासरोध/ जन्मकालीन अभिघात, सेप्सिस (सड़न) और समय से पहले जन्म की जटिलता - से बचाव या उनका प्रबंधन करके प्रभावित करने के जरिए योगदान किया है। वर्ष 2013 से 2016 के बीच बड़ी ऑनलाइन क्लीनिकल नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम (अमानत) के कारण लोक स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सों में जानकारी, कौशल और प्रसवकालीन तथा प्रसव के तत्काल बाद के व्यवहारों में काफी सुधार हुआ है। इस बात का पता रोग संबधी देखरेख की गुणवत्ता के मूल्यांकन पर जॉन्स हॉप्किंस विश्वविद्यालय और केयर के अध्ययन से चलता है। आवश्यक दवाओं और सामग्रियों की उपलब्धता, उपकरणों तथा स्वास्थ्य केंद्रों की बुनियादी अधिसंरचना की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसके अलावा,

संक्रमण नियंत्रण संबंधी व्यवहारों और प्रसवकाल में तथा प्रसव के तत्काल बाद दक्षतापूर्ण देखरेख में भी सुधार हुआ है। लोक स्वास्थ्य केंद्रों में मृत जन्म दर और नवजात मृत्यु दर में गिरावट के मामले में सर्वाधिक संभावित योगदाता निम्नलिखित हैं :

(क) श्वासरोध से होने वाली मौतों में जन्म के समय कृत्रिम श्वसन (रिसस्सिटेशन) में सुधार का योगदान (अब श्वासरोध के सारे चिन्हित मामलों में इसका प्रयास किया जाता है)।

(ख) जन्म के समय गर्भनाल की साफ-सुथरी देखरेख की उच्च दरों (जो लोक स्वास्थ्य केंद्रों में 94 प्रतिशत तक पहुंच गया है) और शीघ्र स्तनपान (जो लोक स्वास्थ्य केंद्रों में 81 प्रतिशत तक पहुंच गया है) का सेप्सिस से होने वाली मौतों में कमी में योगदान।

(ग) पिछले दो वर्षों के अंदर तत्काल शरीर से चिपकाकर रखने/ कंगारू मदर केयर की दरों का लगभग दूना होकर 48 प्रतिशत पहुंच जाना।

(घ) लोक स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चे के जन्म में जल्दी के लिए ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग में काफी कमी जो केयर द्वारा क्लीनिकल केयर की गुणवत्ता के मूल्यांकनों से स्पष्ट होती ह।

- इसके अतिरिक्त, लोक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म लेने वाले 2000 ग्राम से कम वजन वाले (जो जन्म के समय बच्चों का बहुत कम वजन है) बच्चों के जीवित रहने पर टाइम सीरीज मेजरमेंट्स का अनुमान है कि पूरे राज्य में लगभग 30 महीनों के हस्तक्षेप ने इस समूह में होने वाली मृत्यु को लगभग आधा कर दिया है। जन्म के समय वजन और लैंगिक समंजित मृत्यु दरें फरवरी-अप्रैल 2015 के 22.3 प्रतिशत से घटकर नवंबर-दिसंबर 2017 में 11.6 प्रतिशत रह गई। इसके बाद जन्म के समय बहुत कम वजन वाले नवजातों की पहचान के लिए लोक स्वास्थ्य केंद्रों में केंदित हस्तक्षेप किया गया और ऐसे असुरक्षित नवजातों की घर आधारित सरल देखरेख सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी कार्यकर्ताओं (आशा, आंगनवाड़ी सेविका और एएनएम) के जरिए घरों में फॉलो-अप किया गया। बिहार में लोक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्मे लगभग 15 लाख बच्चों के वार्षिक जन्म कोहॉर्ट में इस उप-समूह का लगभग 5 प्रतिशत योगदान है। (स्रोत : केयर असेसमेंट्स, 2015-17)।

स्वास्थ्य देखरेख हेतु प्राथमिकताएं

आज बिहार में स्वास्थ्य देखरेख के लिए प्राथमिकताएं तय करते समय दो विश्लेषणों के दो दिलचस्प सेट महत्वपूर्ण हैं।

1. आद्री स्थित स्वास्थ्य नीति केंद्र (सीएचपी) द्वारा बिहार के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों का उपयोग करके हाल में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि गत वर्षों में परिवारों द्वारा स्वास्थ्य देखरेख कराने के मामले 2004 से 2014 के बीच बढ हैं और वित्तीय कारणों से स्वास्थ्य देखरेख नहीं कराने वाले परिवारों की संख्या में तेज गिरावट आई है। यह संपूर्ण भारतीय परिघटना है जो अंशत: क्रयशक्ति में वृद्धि को व्यक्त करती है और अंशत: स्वास्थ्य के मामले में अधिक प्राथमिकता को। पुरुषों और महिलाआं, दोनो के मामले में ग्रामीण भर्ती रोगियों की देखरेख काफी बढ़ी है। भर्ती रोगियों के प्रतिशत के बतौर मापी गई सार्वजनिक देखरेख की मांग 2004 से 2014 के एक दशक में

लगभग 3.5 गुनी बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई। स्वास्थ्य पर तुरंत खर्च करने के कारण अगर काई परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, तो ऐसे व्यय को 'अनर्थकारी व्यय' माना जाता है। स्वास्थ्य पर ऐसा अनर्थकारी व्यय 2004 के 4.1 प्रतिशत से घटकर 2014 में 1.2 प्रतिशत रह गया। हालांकि इस अवधि में स्वास्थ्य देखरेख के खर्च में वृद्धि हुई है जिसमें मुख्य कारण अधिकांशत: डॉक्टरों की फीस, दवाओं और रोग-निदान जांचों के खर्च के कारण भर्ती रोगियों पर खर्च का दूना हो जाना है। वर्ष 2014 में 30 प्रतिशत परिवार अपनी पारिवारिक आय का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं जो 2004 के आंकड़े के बराबर है। इसमें अधिक वृद्धि अपनी आय का 10 प्रतिशत से अधिक भाग स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले शहरी परिवारों के कारण हुई है जिनका हिस्सा 2004 के 25.6 प्रतिशत से 2014 में बढ़कर 29.7 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जननी सुरक्षा योजना के कारण अधिक महिलाएं माता और नवजात संबंधी प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। हालांकि इसके साथ-साथ प्रसव को छोड़कर शेष मामलों में सार्वजनिक सेवाओं में भी तत्काल व्यय में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य देखरेख के परिमाण और खर्च गुणवत्ता की धारणाओं से मेल नहीं खाते हैं। रोगियों की धारणा है कि सार्वजनिक क्षेत्र से सेवाएं नहीं प्राप्त करने के कारण देखरेख की संतोषजनक गुणवत्ता की कमी और सार्वजनिक सेवाओं में इंतजार की लंबी अवधि है।

2. अध्ययनों ने दर्शाया है कि बिहार में औसत जीवन संभाव्यता में पिछले 25 वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है और यह महिलाओं के मामले में 1990 के 57.9 वर्षों से 2016 में 67.7 वर्ष तथा पुरुषों के मामले में 1990 के 58.9 वर्षों से 2016 में 67.7 वर्ष हो गई है। भारत के मामले में जीवन संभाव्यता 2016 में महिलाओं के लिए 70.3 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 66.9 वर्ष थी। हालांकि बिहार में होने वाली लगभग 70 प्रतिशत मृत्यु असामयिक मृत्यु होती है जिसमें डायरिया, निम्न श्वास मार्ग संक्रमण, नवजात संबंधी गड़बड़ियां, असामयिक जन्म से जुड़ी जटिलता, टीबी, एचआइवी/एड्स, आंत के संत्तामक रोग आदि संचारी, मातृ, नवजात और पोषणजनित रोगों का बड़ा योगदान होता है। बिहार में रोगों के कुछ बोझ में असंचारी रोगों का 47.6 प्रतिशत योगदान है। दिव्यांगता-समंजित जीवन वर्ष (डीएएलवाइ) समस्त रोग भारों की एक माप है जिसे खराब स्वास्थ्य, दिव्यांगता या असामयिक मृत्यु के कारण जीवन के घटे वर्षों की संख्या के बतौर व्यक्त किया जाता है। बिहार में दिव्यांगता-समंजित जीवन वर्षों (लगभग 30 प्रतिशत) का सर्वाधिक अनुपात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। इस उम्र समूह में मृत्यु में सबसे बड़ी भूमिका संचारी, मातृ, नवजात और पोषणजनित रोगों की होती है। निस्संदेह, कुपोषण आज भी बिहार में मृत्यु और विकलांगता के लिए सबसे बड़ा जोखिम बना हुआ है।

2030 के लिए दृष्टि

आज बिहार में स्वास्थ्य देखरेख के लिए प्राथमिकताएं तय करते समय दो विश्लेषणों के दो दिलचस्प सेट महत्वपूर्ण हैं। भारत और बिहार ने स्वास्थ्य के लिए चिरस्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक मातृ मृत्यु दर को घटाकर 70 से नीचे, नवजात मृत्यृ दर को 12 से नीचे, 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर को 25 प्रतिशत के नीचे और मृत जन्म दर को 10 प्रतिशत के नीचे लाना है। इन सराहनीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य दृष्टि 2030 में निम्नलिखित सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए :

निम्नलिखित के द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार

- सभी लोक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त प्रशिक्षित और उचित स्तर पर तैनात रोग विषयक सेवा प्रदाता (विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्स) हों;
- आउटरीच और स्वास्थ्य केंद्र तथा कार्यक्रम प्रबंधन – सभी स्तरों पर लोक स्वास्थ्य प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का विकास हो;
- सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिहाज से आवश्यक अधिसंरचना हो (रक्त बैंकों, विशेष नवजात देखरेख इकाइयों, रेफरल परिवहन प्रणाली आदि तक पहुंच सहित);
- रोगियों के लिए दवाओं और सामग्रियों की उपलब्धता और अनुश्रवण क्षमता के साथ समेकित आपूर्ति शृंखला की स्थापना हो;
- योजना और बजट निर्माण तथा बजट को व्यवहार में लाने की बढ़ी क्षमता हो।

निम्नलिखित के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था की पुन:रचना

- तत्काल व्यय में कमी लाने के लिए निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की रणनीतिक खरीद, आपात सेवाओं की प्राप्ति और पहुंच संबंधी मुद्दों का समाधान हो;
- सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के समूहन (पूलिंग) के जरिए तत्काल व्यय में कमी लाई जाय;
- सभी नागरिकों को कोर स्वास्थ्य लाभ संबंधी पैकेज की गारंटी की जाय और उपलब्ध कराया जाय;
- पोर्टेबल और सक्षम इलक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली हो;
- कार्यार्पित स्वाथ्य लाभ पैकेज की सबको उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य वित्तपोषण नीतियां और स्वास्थ्य हेतु राजकोषीय गुंजाइश हो।

निम्नलिखित के जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में निरंतर प्रगति

- अधिक जोखिम वाले मामलों में संपर्कित समयबद्ध और रेफरल प्रबंधन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली प्रसवपूर्व देखरेख सेवाएं;
- प्रसवकालीन देखरेख, प्रसव के तत्काल बाद देखरेख और जटिलताओं की पहचान/ प्रबंधन तथा रेफरल के लिए सभी लोक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी और व्यापक आपात प्रसव सेवा और नवजात की देखरेख पूरी तरह चालू हो;
- राज्य में प्रसव और नवजात की देखरेख के लिए सार्वजनिक व्यापक आपात सेवाएं प्रसव और नवजात की जटिलताओं के प्रबंधन में समर्थ हों;
- सभी चिन्हित कमजोर और समय से पहले जन्मे नवजातों को अनिवार्य सुविधाएं तथा घर आधारित देखरेख उपलब्ध कराई जायं;
- प्रसव के दौरान सबको टेटनस टॉक्साइड के टीके लगें;
- बच्चों के लिए प्रतिरक्षण का सर्वव्यापी आच्छादन हो।

निम्नलिखित के जरिए परिवार नियोजन की आधुनिक विधियों के मामले में पसंद का विस्तार

- बिना बच्चा या एक बच्चा वाले दंपतियों के लिए गर्भनिरोध व्याप्ति दर बढ़े;
- दो बच्चों के जन्म के बीच पर्याप्त फासला हो।

उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित किया जाय कि :

- स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सभी कार्यों में लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाया गया है;
- स्वास्थ्य देखरेख की चाह वाले व्यवहारों को आकार देने वाले लैंगिक प्रचलनों और आत्मीय पार्टनर द्वारा हिंसा, निर्णय लेने में अशक्तीकरण आदि स्वास्थ्य देखरेख की चाह से रोकने वाली लैंगिक असमानताओं से प्रभावी ढंग से निपटा जाय;
- मृत्यु और पोषण संबंधी परिणामों में लैंगिक अंतरों के मामले सुसंगति स्थापित की जाय;
- स्वास्थ्य एवं पोषण तथा व्यवहारों के मामले में सामाजिक सीमांतीकरण और असमानताओं (लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक, जाति आधारित, भौगोलिक असमानताओं) को कम से कम किया जाय।

लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर की जरूरत

पूर्ववर्ती योजना आयोग ने सर्वव्यापी स्वास्थ्य आच्छदान (यूएचसी) पर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की थी जो वर्तमान सिविल सेवाओं की तर्ज पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (कैडर) और एक विशेषीकृत राज्यस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन संवर्ग निर्माण की वकालत करता रहा था। समूह की रिपोर्ट में कहा गया है, ''संपूर्ण भारतीय लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का निर्माण होना चाहिए जो प्रखंड स्तर से शुरू करके राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक लोक स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यों के लिए जवाबदेह हो। इस संवर्ग के सहयोग में राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य संवर्ग होना चाहिए। यह सिविल सेवाओं जैसा होगा जिसका प्रावधान सभी भारतीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए होगा।'' हाल में जारी की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 का लक्ष्य किफायती खर्च पर सर्वव्यापी स्वास्थ्य आच्छादन हासिल करना और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराना है। सभी राज्यों में लोक स्वास्थ्य के लिए एक लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का निर्माण इसके कुछ मुख्य इरादों में से एक है। यह पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा वाहित लोक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली से एक सकारात्मक प्रस्थान है।

ये अनुशंसाएं तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैस कुछ राज्यों में हुए अनुभवों पर आधारित हैं जहां लंबे समय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग सुस्थापित रहा है। यह संवर्ग चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के संवर्ग से भिन्न है और सुनिर्धारित कैरियर की राह और नेतृत्व के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्य भी अपने तरीके से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग स्थापित करने की तैयारी में हैं। ऐसे संवर्ग का पक्षपोषण करने वाले लोक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं का दावा है कि अनेक कारणों से यह सभी राज्यों में दुहराने लायक है - (क) स्वास्थ्य के मामले में प्रशासनिक नींव देश के सभी राज्यों में एक जैसी है और लोक स्वास्थ्य संवर्ग का गठन प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर न्यूनतम पुनर्गठन और व्यवधान के साथ किया जा सकता है, (ख) यह वहनीय है क्योंकि सीमित संख्या में स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए बहुत कम अतिरिक्त निवेश

की जरूरत है, और लोक स्वास्थ्य संवर्ग की स्थापना के लिए बहुत अधिक संसाधनों की जरूरत नहीं है, (ग) यह प्रभावी और कुशल है। तमिलनाडु के अद्वितीय स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शन की समीक्षा में गौर किया गया है कि इसकी सफलता के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तकनोकी जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य कौशलों और प्रबंधन कौशलों में प्रशिक्षित प्रबंधकों में उसके निवेश का है जो ढेर सारे वर्षों तक किया जाता रहा। व्यवस्था का मुख्य अवयव लोक स्वास्थ्य का अलग निदेशालय है जिसमें पेशेवर लोक स्वास्थ्य प्रबंधकों का संवर्ग पदासीन है जिनका ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में काम करने का गहरा प्रत्यक्ष अनुभव है और गैर-चिकित्सा विशेषज्ञ उसके पूरक हैं। निदेशालय का अपना बजट है और उसे विधायी सहारा प्राप्त है। संवर्ग ने तमिलनाडु को रोगों का अचानक फैलाव होने से रोकने, असंत्तामक रोगों से बचाव करने, रोगों का दुबारा फैलने से रोकने, आपदाओं और आपात स्थितियों का प्रबंधन करने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा में स्थानीय निकायों को सहयोग देने में दीर्घकालिक योजना अपनाने में सक्षम बनाया है। कैरियर की प्रगति की प्रणाली ने तमिलनाडु को उच्च दक्षता वाले स्टाफ को आकर्षित करने और टिकाए रखने में सफल बनाया है।

बिहार के लिए भी पहली पीढ़ी के सुधारों से हासिल फायदों को सुदृढ़ करने और अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा में बढने के लिए अवसर है। इसे हासिल करने में मूल बाधा राज्य में सभी स्तरों पर कमजोर लोक स्वास्थ्य नेतृत्व है जो अपर्याप्त ढंग से विकसित लोक स्वास्थ्य रणनीतियों और राज्य, जिला तथा प्रखंड के स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र आधारित और जनसंख्या आधारित सेवाओं और कार्रवाइयों के मामले में उनके क्रियान्वयन से व्यक्त होती है। लोक स्वास्थ्य पेशावरों का पेशेवर संवर्ग रणनीतिक और संचालनात्मक कार्यों में सुधार लाने में उपयोगी हो सकता है।

अनुलग्नक-8

बिहार में महिलाओं और लड़कियों का सशक्तीकरण

वैश्विक स्तर पर बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य हैं कि लैंगिक समानता और महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तीकरण के मूलभूत और सहायक, दोनो प्रकार के लाभ होते हैं। जब लड़कियों और महिलाओं को लड़कों और पुरुषों जितना महत्व दिया जाता है, जब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है, जब लड़कियों और महिलाओं को अर्थव्यवस्था में भाग लेने, आमदनी का प्रबंधन करने, व्यवसाय खड़ा करने और चलाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो उनके लाभ उन महिलाओं और लड़कियों को ही नहीं मिलते हैं, व्यापक समाज और अर्थव्यवस्था को भी मिलते है। इसके विपरीत, लैंगिक और सामाजिक-आर्थिक असमानता बने रहने पर उनका परिणाम अल्पविकास, अल्परोजगार, और रुग्णताओं जैसे गंभीर और दूरगामी नकारात्मक प्रभावों के रूप में सामने आता है। हाल में जारी किए गए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2016-17) के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार ने जहां पिछले दशक में महिला विकास के मामले में भारी प्रगति की, वहीं कुछ गंभीर चुनौतियां अभी भी शेष हैं।

कम उम्र में विवाह और बच्चा : लगभग आधी 20 से 24 वर्ष उम्र की लड़कियां (42 प्रतिशत) का विवाह इसके लिए 18 वर्ष के न्यूनतम कानूनी उम्र के पहले ही हो जाता है, हालांकि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के आंकड़ों में इसका अनुपात दो-तिहाई 69 प्रतिशत से भी अधिक था। वर्ष 2016-17 में पहले विवाह की औसत उम्र 20 से 49 वर्ष की महिलाओं के मामले में 17.5 वर्ष थी और 25 से 49 वर्ष के पुरुषों के मामले में 21.8 वर्ष। हाल में किशोरियों द्वारा बच्चे को जन्म देने का अनुपात आधा करके बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार बिहार में 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में से 12 प्रतिशत गर्भवती हो जाती हैं या बच्चे को जन्म दे देती हैं। हालांकि यह आंकड़ा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में 25 प्रतिशत था। 16 वर्ष उम्र की सिर्फ 3 प्रतिशत किशोरियां गर्भवती या शिशुवती हुईं लेकिन यह अनुपात 18 वर्ष की लड़कियों के मामले में तेजी से बढ़कर 21 प्रतिशत और 19 वर्ष की लड़कियों के मामले में 37 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। उसी के आंकड़े दर्शाते हैं कि 20 वर्ष से कम उम्र की महिला से जन्मे बच्चों में शिशुवती होने की मुख्य उम्र (20 से 29 वर्ष) के बच्चों की तुलना में बचपन में मृत्यु की आशंका अधिक रहती है। किशोरी माताओं के मामले में शिशु मृत्यु दर 68 प्रति 1000 जीवित जन्म है जबकि 20 से 29 वर्ष वाली माताओं के मामले में यह आंकड़ा 44 और 30 से 39 वर्ष वाली माताओं के मामले में 46 है (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4)। आवश्यक है कि परिवर्तन की गति त्वरित की जाय ताकि अधिकाधिक लड़कियों का उत्पादक वयस्कता में सशक्त और स्वस्थ संक्रमण सुनिश्चित हो सके। बालिका शिक्षा और रोजगार की समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा म नामांकन : पाया गया है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन लगभग शत-प्रतिशत है (कक्षा 1 मे 16 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ है) जिनमें से 6 से 14 साल उम्र की 89 प्रतिशत लड़कियां स्कूल जा रही हैं। हालांकि 15 से 17 साल की लड़कियों के मामल में

विद्यालय में उपस्थिति घटकर 70 प्रतिशत रह जाती है और 1.6 लाख लड़कियां ही कक्षा 10 उत्तीर्ण कर पाती हैं। 6 से 14 वर्ष उम्र-समूह में विद्यालयों में उपस्थिति के मामले में कोई लैंगिक असमानता नहीं है और लड़कों तथा लड़कियों, दोनो की उपस्थिति 89 प्रतिशत है। लेकिन 15 से 17 वर्ष उम्र समूह में अंतर उभर जाता है जब स्कूल जाने वाले लड़कों का अनुपात 74 प्रतिशत और लड़कियों का 66 प्रतिशत हो जाता है। 15 से 49 वर्ष उम्र की 12 प्रतिशत महिलाओं ने ही 12 वर्ष या अधिक शिक्षा प्राप्त की है जबकि पुरुषों के मामले में यह अनुपात 26 प्रतिशत है। लड़कियों की माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा और वयस्कता में उनके अपेक्षाकृत सशक्त संक्रमण के मौकों के बीच संबंध को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया नहीं कहा जा सकता है। जिस महिला की शिक्षा नहीं हुई हो, उसके कम उम्र में मां बनने की आशंका 12 या अधिक वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला की अपेक्षा दूनी हो जाती है। जनसंख्या परिषद का एक व्यापक अध्ययन दर्शाता है कि बिहार में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में पढ़ रही और काम नहीं करने वाली किसी बारह वर्षीय लड़की के लिए 18 वर्ष से कम उम्र में शादी की आशंका 71 प्रतिशत कम हो जाती है। उनके द्वारा गर्भनिरोधकों का उपयोग करने की संभावना भी 18 प्रतिशत अधिक होती है। यहां तक कि प्रजनन क्षमता के लिहाज से देखने पर भी यह संबंध बना रहता है। बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 3.4 बच्चे प्रति महिला है जो देश में सवाधिक है। राष्ट्रीय परिवार लाभ सर्वेक्षण 3 और 4 के बीच के 10 वर्षों में कुल प्रजनन दर में 0.6 बच्चे की कमी हुई है। शहरी क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 2.4 है जो ग्रामीण क्षेत्रों के 3.6 से बहुत कम है। शहरी-ग्रामीण निवास, धर्म, जाति/ जनजाति, और स्कूली शिक्षा के आधार पर प्रजनन क्षमता में काफी अंतर है। वर्तमान प्रजनन दरों की बात करें तो बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं की कुल प्रजनन दर 4.1 है जो 12 वर्ष या अधिक शिक्षा वाली महिला की कुल प्रजनन दर (2.2) से 1.9 अधिक है।

किशोरवय रक्ताल्पता : किशोरियों में यह समस्या लगभग 66 प्रतिशत है जो लड़कों के 25 प्रतिशत के आंकड़े से दूने से भी अधिक है। हालांकि प्रजनन उम्र वाली महिलाओं में रक्ताल्पता की व्यापकता 2006 और 2016 के 67.4 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 60.3 प्रतिशत हुई है लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में यह अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में जिलों के बीच ठिगनापन (स्टंटिंग) की दरों के बीच कुल अंतर के मामले में सर्वाधिक 38 प्रतिशत योगदान मां संबंधी कारक का है। कुल अंतर में मां के शरीर-मात्रा सूचकांक (मातृ पोषण के लिए प्रतिनिधि) का 19 प्रतिशत, मां की शिक्षा का 12 प्रतिशत और बाल विवाह का 7 प्रतिशत योगदान है।

लड़कियों की खराब शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलपीआर) महज 18 प्रतिशत है। यह संभव है कि यह निम्न दर माप के मामले में पूर्वाग्रह को सूचित करता हो क्योंकि काम के लिए जाने वाली कम महिलाओं की सूचना दी गई हो। लेकिन उसकी गुंजाइश छोड़ने के बावजूद बिहार में महिलाओं का अल्प-रोजगार और बेरोजगारी गंभीर चुनौती बनी हुई ह जिसे दूर करने की जरूरत है। महिलाओं के लिए काम करने की संभावना मात्र दशांश और आमदनी करने की संभावना 20 से 50 प्रतिशत कम होती है। महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर बिहार में 18 प्रतिशत और देश के स्तर पर 31 प्रतिशत है और दोनो ही कम हैं। लेकिन गौरतलब है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कर सकता है क्योंकि आधी आबादी की पूरी आर्थिक संभावना का उपयोग नहीं होने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ता है। अनुमान है कि भारत की

महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर में 10 पतिशत अंकों की वृद्धि हो जाने पर 6.8 करोड़ महिलाएं अर्थव्यवस्था में शमिल होंगी और 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 325 हजार करोड़ की वृद्धि होगी।

प्रगतिशील नीतिगत वातावरण में संसक्ति की जरूरत : सामाजिक क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा किए गए निवेशों का राज्य में सकारात्मक परिणाम हुआ है। स्कूलों में लड़कियों के टिके रहने, विवाह में देर, मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर और ठिगनापन की दर में कमी जैसे मुख्य स्वास्थ्य सूचकों के लिहाज से राज्य में प्रगति हुई है। हालांकि अभी भी बहत कुछ करना बाकी है और रोजगार, पोषण, तथा लैंगिक असमानताओं की समस्याओं को दूर करने के मामले में कुछ कमी बरकरार है। लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा, विवाह में देर, पोषक आहार नहीं लेने की समस्या दूर करना, लड़कियों में लोच और आत्मविश्वास विकसित करना, तथा पूरे जीवन चक्र के दौरान अनेक विषमताओं के मामले में लैंगिक असमानताओं में कमी लाने का प्रयास करना स्वस्थ, आत्मविश्वासपूर्ण और उत्पादक वयस्कता में लड़कियों का संक्रमण सुनिश्चित करने के लिहाज से अत्यंत जरूरी हैं।

लैंगिक समानता बढ़ाने के मामले में बिहार की कुछ नीतियां सर्वाधिक प्रगतिशील हैं। जैसे, बिहार के विख्यात बालिका साइकल कार्यक्रम ने कुछ वर्षों के भीतर ही माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के उम्र के अनुरूप नामांकन में 30 प्रतिशत वृद्धि कर दी। इससे उम्र के अनुरूप नामांकन में लैंगिक अंतराल भी 40 प्रतिशत घट गया। कार्यक्रम का लड़कों तक विस्तार करने से अब बिहार में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में उनके आच्छादन में सुधार हो रहा है। जीविका कार्यक्रम के जरिए गरीब परिवारों की खूब मजबूत सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण और गरीब महिलाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को सहारा देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने प्रयासों को लैंगिक समानता और महिलाओं तथा लड़कियों की खैरियत बढ़ाने के प्रयासों को दिशाा देने के लिहाज से 2015 में बहुआयामी राज्य महिला सशक्तीकरण नीति भी क्रियान्वित की है। उसमें महिलाओं के लिए प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति और आरक्षण जैसे अनेक प्रगतिशील प्रावधान हैं। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण की रणनीतियों में उन्हें सूचना, कौशल, नेटवर्क और सहयोग के साथ जोड़ना; सकारात्मक लैंगिक मानकों के निर्माण के लिए अवरोधां को दूर करना; संयोजित सेवाएं शुरू करना ताकि महिलाओं और लड़कियों को सेवाएं उपलब्ध हो सकें; और काम के अवसरों की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल हैं। लड़कियों के शैक्षिक परिणामों में तत्काल सुधार के लिए निवेशों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित अगली पीढ़ी के कार्यक्रमों की ओर देखना जरूरी है। ये निवेश रोजगार और आमदनी वाले काम पाने के लिए अवसर निर्माण के जरिए उत्पादक और स्वस्थ जीवन के बीच पुल बन सकते हैं।

अनुलग्नक-9

बिहार में कुपोषण : प्रतिसाद के लिए स्थिति और संभावनाएं

ठिगनापन और कुपोषण के अन्य स्वरूपों की व्याप्ति

बिहार में भूख की चुनौती पर काफी हद तक जीत हासिल कर ली गई है। हालांकि राज्य अभी देश में बाल कुपोषण की सर्वोच्च दरों वाले कुछ राज्यों में शमिल है, खास कर ठिगनापन (स्टंटिंग) के मामले में जिसका अर्थ पर्याप्त रूप से लंबा नहीं हो पाना होता है (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4)। बिहार में यह जीवन के दूसरे साल से ही शुरू हो जाता है और अधिकांश बच्चे मानकों के अनुसार ऊंचाई हासिल करने में स्पष्ट तौर पर असफल रहते हैं। कोई भी बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहने से लेकर दो वर्ष की उम्र तक तेजी से बढ़ता है और उसके बाद उसकी ऊचाई में वृद्धि धीमी हो जाती है। जब बच्चा पहले 1000 दिनों की अवधि का लाभ नहीं उठा पाता है और उस समय अपनी संभावित ऊंचाई हासिल नहीं कर पाता है, तो यह कमी वस्तुत: स्थायी हो जाती है और वह कम ऊंचाई वाले वयस्क के रूप में विकसित होता है। चिंता की बात है कि बाल मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण होने के अलावा, ठिगनापन को कमजोर संज्ञानात्मक विकास और धीमे सीखने से जुड़ा भी माना जाता है। शारीरिक और मानसिक अवरोध मिलकर जीवित रहने की क्षमता, स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। बचपन में अल्पपोषण स्वास्थ्य और खैरियत के दीर्घकालिक परिणामों से भी जुड़ा हुआ है जिसके कारण लोग मधुमेह, हृद्वाहिनी संबंधी रोगों और मोटापा जैसी चिरकालिक स्थितियों के लिहाज से भी असुरक्षित हो जाते हैं। बच्चों में ठिगनापन सामाजिक अन्याय और गरीबी से उत्पन्न आहार में दीर्घकालिक अपर्याप्तता, बार-बार बीमार होना और अनेक नि:शक्तकारी और अशक्तकारी प्रभावों को व्यक्त करता है। ये प्रभावी पीढियों तक जारी रहने के लिए जाने जाते हैं।

बिहार में कुपोषण के अन्य स्वरूप भी चिंता की बात हैं। गंभीर अपक्षय, जिसे गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण (सैम) के बतौर भी जाना जाता है, बच्चों को मृत्यु के लिहाज से असुरक्षित बना देता है। बिहार में लगभग दो-तिहाई महिलाएं और बच्चे तथा एक-तिहाई पुरुष रक्ताल्पता से प्रभावित हैं। इसका कारण अधिकांशत: आयरन की कमी है जो ऐसी स्थिति है जिससे मोटे तौर पर बचा जा सकता है। आयोडीन और विटामिन ए की कमी को फोर्टीफाइड नमक और विटामिन ए युक्त पूरक पदार्थों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसका दूसरा आत्यंतिक छोर बच्चों का अधिक वजन वाला होना है। बिहार में ऐसी स्थिति बहुत कम है लेकिन भविष्य में यह भी चिंता की बात हो सकती है। अल्पपोषण के सारे स्वरूपों में एक ही जैसे अंतर्निहित ढांचागत निर्धारक होते हैं। पोषण विकास को उस हद तक प्रभावित करता है जिस हद तक विकास के कारण बेहतर पोषण की स्थिति बनती है।

भारत चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है और बेहतर पोषण उसका अभिन्न अंग है। भारत 2025 तक पोषण के मामले में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन (WHA) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी वचनबद्ध है जिसमें ठिगनापन में 40 प्रतिशत और रक्ताल्पता में 50 प्रतिशत कमी शामिल है। बिहार भी इन लक्ष्यों के साथ पूर्णत: संरेखित और वचनबद्ध है। तालिका प. 9.1 में कुछ सूचकों के मामले में वर्तमान

स्थिति और 2025 तक विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वांछित प्रयासों के परिमाण के आंकड़े प्रस्तुत हैं।

तालिका प. 9.1 : बिहार में 2025 तक विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मातृ, शिशु एवं बाल पोषण (MIYCN) संबंधी परिणामों के वर्तमान रुझान और कमी की वांछित दर

	व्याप्ति (2015)	लक्ष्य (2025)	उपलब्धि (2025) (वर्तमान रुझान के आधार पर)	वर्तमान औसत वार्षिक ह्रास दर	2025 तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु वांछित औसत वार्षिक ह्रास दर
ठिगनापन (5 वर्ष से छोटे बच्चे)	48.3	29.0	41.3	1.6	3.8
अपक्षय (5 वर्ष से छोटे बच्चे)	20.8	5.0	15.5	2.9	11.0
प्रजनन उम्र वाली महिलाओं में रक्ताल्पता	60.3	30.2	53.3	1.2	5.2
बच्चों में रक्ताल्पता	63.5	31.8	50.4	2.06	5.0
पुरुषों में रक्ताल्पता	32.2	16.1	30.0	0.7	5.0

टिप्पणी : 1. सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं।

2. विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बच्चों और पुरुषों में रक्ताल्पता के लिए अलग से लक्ष्य नहीं प्रस्तावित किए हैं। हालांकि वे हर किसी को प्रभावित करते हैं इसलिए यहां शामिल हैं।

बहुक्षेत्रीय प्रतिसाद

यह देखते हुए कि कुपोषण बहुकारकीय होता है, कुपोषण से बचाव और उसकी समाप्ति के लिए प्रतिसाद (रिस्पांस) भी बहुआयामी होना चाहिए। अनेक असुरक्षित स्थिति वाले परिवारों को बहुदिशाई सहयोग की जरूरत है। अत: पोषण संबंधी सर्वोत्तम परिणाम हासिल करने के लिए कोर रणनीतिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि अनेक असुरक्षित स्थितियों के बोझ से दबे परिवारों के लिए सारी आवश्यक सहयोगमूलक कार्यवाहियां एक साथ हों और समय पर हों। विशेष असुरक्षित स्थितियों से पीड़ित परिवारों की पहचान करने और ऐसे परिवारों को पार्संगिक सहयोगमूलक सेवाओं से जोड़ने के लिहाज से राज्य सरकार के लिए वार्ड स्तर पर जड़ों वाला तंत्र स्थापित करने की जरूरत होगी। समेकित बाल विकास योजना या शिक्षा अथवा स्वास्थ्य जैसी कुछ सेवाओं का सबके लिए क्रियान्वयन जरूरी होता है और ऐसे मामलों में प्रयास बहिष्करण को न्यूनतम रखते हुए सेवाओं की गुणवत्ता अधिकतम करने की दिशा में होगा। अन्य कार्यक्रमों या योजनाओं में लक्षित दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है जहां असुरक्षित तबकों को खास तौर पर लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाता है, या जहां संसाधन चरणबद्ध विस्तार की ही गुंजाइश देते हैं। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के प्रयास किया जा सकता है कि लक्षित लाभार्थियों में सबसे पहले सर्वाधिक असुरक्षित स्थिति वाले शामिल हों, और उसके बाद जरूरत के अनुसार क्रमश: उनसे कम असुरक्षित स्थिति वाले। यह दृष्टिकोण राज्य सरकार द्वारा सुदृढ़ की जा रही अन्य विकासमूलक पहलकदमियों जैसा ही है।

अल्पपोषण से निपटने का अर्थ तात्कालिक और मूलभूत निर्धारकों के गंभीर सेट पर गहराई से ध्यान देना है जो राज्य में विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों की जवाबदेही हैं। इनमें से कुछ निर्धारकों में पिछले दशक में कुछ बदलाव हुआ है, और उनकी हालिया स्थिति तालिका प 9.2 में प्रस्तुत है।

तालिका प. 9.2 : बिहार में पोषण संबंधी निर्धारकों में परिवर्तन (2006 और 2016)

	2006	2016
तात्कालिक निर्धारक		
कम वनज वाली महिलाएं	45.0	30.4
समय से स्तनपान की शुरुआत	4.0	34.9
पर्याप्त आहार	अनु.	9.2
पिछले 2 सप्ताहों में डायरिया	10.7	10.4
पिछले 2 सप्ताहों में तीक्ष्ण श्वास संक्रमण	6.8	2.5
पोषण से संबंधित निर्धारक		
गर्भावस्था के दौरान 100 से अधिक आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां लेना	6.3	9.7
पूर्ण प्रतिरक्षण	32.8	61.7
पिछले 6 महीनों में विटामिन ए की खुराक लेना	25.1	62.3
डायरिया में ORS लेना	20.9	45.2
पूरक पोषाहार (गर्भावस्था)	अनु.	21.7
पूरक पोषाहार (स्तन्य काल)	अनु.	39.3
पूरक पोषाहार (0 से 35 महीने के बच्चे)	अनु.	36.6
पूरक पोषाहार (36 से 71 महीने के बच्चे)	अनु.	42.9
आधारभूत निर्धारक		
महिला साक्षरता (15 से 49 वर्ष)	37.0	49.6
10 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं	13.2	22.8
उन्नत स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले परिवार	14.6	25.2
घर के फैसलों में भाग लेने वाली महिलाएं	69.2	75.2
अपने बैंक खातों का खुद उपयोग करने वाली महिलाएं	8.2	26.4

राष्ट्रीय और राजकीय नीतियों, रणनीतियों और कानूनी ढांचों के साथ तालमेल

राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 में पोषण संबंधी समस्या की विविधता और बहुक्षेत्रीय प्रतिसाद की जरूरत चिन्हित की गई है और अल्पावधि तथा दीर्घावधि में कुपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के लिए व्यापक दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय पोषण कार्ययोजना, 1995 में विशिष्ट महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए और

व्यापक क्षेत्रीय कार्ययोजनाएं तैयार की गईं। बाद में अनेक दिशानिर्देशों और रणनीतियों ने राज्य और राष्ट्रीय, दोनो स्तरों पर हाल में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय पोषण रणनीति सहित पोषण पर व्यापक प्रतिसाद प्रस्तुत किए। पोषण के विभिन्न आयामों पर काम करने वाले दिशानिर्देशों समेत अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले से ही अस्तित्व में हैं। भारतीय संविधान और अनेक कानून बाल अधिकार एवं संरक्षा, खाद्य संरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं मापदंड, बाल आहारों का विपणन, आबादी के असुरक्षित तबकों के लिए सकारात्मक कार्रवाइयां, रोजगार गारंटी आदि मिलकर कानूनी मंच तैयार करते हैं और राज्य सरकारों को कुपोषण दूर करने का जिम्मा सौंपते हैं।

बिहार ये विचार और ढांचे बना सकता है और समस्याओं के समाधान पर काम करने के दृष्टिकोण प्रस्तावित कर सकता है जो राज्य के संदर्भ में उपयुक्त हों और राज्य में असमानताओं में कमी लाने तथा चतुर्दिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही जारी प्रचुर प्रयासों के साथ संगतिपूर्ण हों। उपयुक्त पोषण के लिए नागरिकों के अधिकारों के सुदृढ़ीकरण के लिए बिहार और भी विधान बनाने पर विचार कर सकता है।

कुपोषण के खिलाफ यह संघर्ष लंबे समय तक चलने वाला है और सफलता सुनिश्चित करने के लिए गवर्नेंस संबंधी चिरकालिक ध्यान की जरूरत पड़ेगी। प्रयास के लिए प्रचुर संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पोषण में प्रत्येक निवेश राज्य में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाले फायदों के लिहाज से मूल्यवान होगा।

सांख्यिकीय परिशिष्ट

सांख्यिकीय परिशिष्ट में तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
	अध्याय 1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	
1.1	बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी	A 52
1.2	बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद	A 53
1.3	बाजार मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	A 54
1.4	बाजार मूल्य (2011-12 के मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	A 55
1.5	बाजार मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद	A 56
1.6	बाजार मूल्य (2011-12 के मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद	A 57
1.7	2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद	A 58
1.8	पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत	A 59
1.9	डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत	A 60
	अध्याय 2 : राजकीय वित्तव्यवस्था	
2.1	अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2015-16 और 2016-17	A 61-62
2.2	दस्तावेजों की संख्या, तथा स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व के जिलावार विवरण	A 63
	अध्याय 3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	
3.1	विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात	A 64
3.2	भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2014-15)	A 65-66
3.3	चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	A 67
3.4	गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	A 68
3.5	मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	A 69
3.6	दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	A 70
3.7	महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन	A 71-72
3.8	महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन	A 73-74

3.9	ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	A 75
3.10	बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2015-16)	A 76
3.11	बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2016-17)	A 77
3.12	बिहार में जैव उर्वरकों का जिलावार उपयोग	A 78
3.13	सब्सिडी पर वितरित कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2015-16)	A 79
3.14	कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2016-17)	A 80
3.15	जिलावार सहकारी ऋण वितरण	A 81
3.16	जिलावार पशु संपदा (2012)	A 82
3.17	मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन	A 83
3.18	बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2015-16)	A 84
3.19	बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2016-17)	A 85
	अध्याय 4 : उद्यम क्षेत्र	
4.1	2014-15 में चुनिंदा कृषि और गैर-कृषि आधारित उद्योगों के उत्पाद मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)	A 86
4.2	बिहार में उद्योगों की संरचना (2014-15)	A 87
4.3	बिहार में देशी और विदेशी पर्यटकों का आगमन की सांख्यिकी	A 88
	अध्याय 5 : अधिसंरचना	
5.1	बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क	A 89
5.2	बिहार में 2016-17 में निबंधित वाहनों के आंकड़े	A 90
	अध्याय 7 : ग्रामीण विकास	
7.1	वर्ष 2011-12 में राज्यवार गरीबी अनुपात	A 91
7.2	मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति	A 92-93
7.3	मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति	A 94
7.4	बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण	A 95
7.5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2016-17)	A 96

अध्याय 9 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र		
9.1	31.3.2017 को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन	A 97-98
9.2	जिलावार उपलब्धि – नई और नवीकृत किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (हजार में)	A 99
अध्याय 10 : मानव विकास		
10.1	बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2017 में)	A 100
10.2	नियमित एवं संविदाधीन चिकित्सकों का जिलावार नियोजन	A 101
10.3	'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन	A 102
10.4	एएनएम का जिलावार नियोजन	A 103
10.5	आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन	A 104
10.6	जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन	A 105
10.7	रोगों की व्याप्ति (2016-17)	A 106-107
10.8	स्वास्थ्य समितियों को वितरित जिलावार धनराशि	A 108
10.9	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चापाकलों की जिलावार स्थापना	A 109
10.10	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि	A 110
10.11	प्राथमिक और उच्च पाथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी)	A 111
10.12	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा)	A 112
10.13	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा)	A 113
10.14	बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या (2015)	A 114
10.15	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)	A 115
10.16	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)	A 116
10.17	बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या	A 117
10.18	बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार और धारावार संख्या (2016-17 तक)	A 118
10.19	अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण	A 119-120

तालिका 1.1 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी

जिला	जनसंख्या (लाख)		लिंग अनुपात (समग्र)		बाल लिंग अनुपात		घनत्व		शहरीकरण		दशकीय वृद्धि दर
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2011
पटना	47.2 (5.7)	58.4 (5.6)	873	897	923	909	1471	1803	41.6	43.1	23.7
नालंदा	23.7 (2.9)	28.8 (2.8)	914	922	941	931	1006	1220	14.9	15.9	21.4
भोजपुर	22.4 (2.7)	27.3 (2.6)	901	907	940	918	903	1136	13.9	14.3	21.6
बक्सर	14.0 (1.7)	17.1 (1.6)	900	922	929	934	864	1003	9.2	9.6	21.7
रोहतास	24.5 (3.0)	29.6 (2.8)	910	918	952	931	636	763	13.3	14.5	20.8
कैमूर	12.9 (1.6)	16.3 (1.6)	901	920	942	942	382	488	3.3	4.0	26.2
गया	34.7 (4.2)	43.9 (4.2)	938	937	968	960	699	880	13.7	13.2	26.4
जहानाबाद	9.2 (1.1)	11.3 (1.1)	927	922	915	922	963	1206	12.1	12.0	21.7
अरवल	5.9 (0.7)	7.0 (0.7)	931	928	917	940	–	1099	0.0	7.4	18.9
नवादा	18.1 (2.2)	22.2 (2.1)	946	939	978	945	726	889	7.7	9.7	22.6
औरंगाबाद	20.1 (2.4)	25.4 (2.4)	934	926	941	944	607	760	8.4	9.3	26.2
सारण	32.5 (3.9)	39.5 (3.8)	966	954	949	926	1231	1493	9.2	8.9	21.6
सीवान	27.1 (3.3)	33.3 (3.2)	1031	988	933	940	1221	1495	5.5	5.5	22.7
गोपालगंज	21.5 (2.6)	25.6 (2.5)	1001	1021	964	954	1057	1258	6.1	6.4	19.0
पश्चिम चंपारण	30.4 (3.7)	39.4 (3.8)	901	909	952	953	582	750	10.2	10.0	29.3
पूर्व चंपारण	39.4 (4.7)	51.0 (4.9)	896	902	935	933	991	1281	6.4	7.9	29.4
मुजफ्फरपुर	37.5 (4.5)	48.0 (4.6)	921	900	927	915	1180	1506	9.3	9.9	28.1
सीतामढ़ी	26.8 (3.2)	34.2 (3.3)	892	899	924	930	1214	1491	5.7	5.6	27.6
शिवहर	5.2 (0.6)	6.6 (0.6)	883	893	911	929	1161	1882	4.1	4.3	27.2
वैशाली	27.2 (3.3)	35.0 (3.4)	919	895	939	904	1332	1717	6.8	6.7	28.6
दरभंगा	33.0 (4.0)	39.4 (3.8)	914	911	913	931	1442	1721	8.1	9.7	19.5
मधुबनी	35.8 (4.3)	44.9 (4.3)	942	926	941	936	1020	1279	3.5	3.6	25.5
समस्तीपुर	33.9 (4.1)	42.6 (4.1)	928	911	937	923	1175	1465	3.7	3.5	25.5
बेगूसराय	23.5 (2.8)	29.7 (2.9)	911	895	947	919	1222	1540	4.6	19.2	26.4
मुंगेर	11.4 (1.4)	13.7 (1.3)	872	876	916	922	800	958	27.9	27.8	20.2
शेखपुरा	5.3 (0.6)	6.4 (0.6)	920	930	964	940	762	922	15.6	17.1	21.1
लखीसराय	8.0 (1.0)	10.0 (1.0)	919	902	954	920	652	815	14.7	14.3	24.8
जमुई	14 (1.7)	17.6 (1.7)	919	922	965	956	451	567	7.4	8.3	25.9
खगड़िया	12.8 (1.5)	16.7 (1.6)	885	886	931	926	859	1115	5.9	5.2	30.2
भागलपुर	24.2 (2.9)	30.4 (2.9)	875	880	967	938	946	1180	18.7	19.8	25.4
बांका	16.1 (1.9)	20.3 (2.0)	909	907	964	943	533	672	3.5	3.5	26.5
सहरसा	15.1 (1.8)	19 (1.8)	911	906	910	933	885	1125	8.3	8.2	26
सुपौल	17.3 (2.1)	22.3 (2.1)	921	929	927	944	724	919	5.1	4.7	28.7
मधेपुरा	15.3 (1.8)	20 (1.9)	916	911	930	930	853	1116	4.5	4.4	31.1
पूर्णिया	25.4 (3.1)	32.6 (3.1)	916	921	968	954	787	1014	8.7	10.5	28.3
किशनगंज	13 (1.6)	16.9 (1.6)	934	950	946	971	687	898	10.0	9.5	30.4
अररिया	21.6 (2.6)	28.1 (2.7)	914	921	963	957	751	992	6.2	6.0	30.2
कटिहार	23.9 (2.9)	30.7 (2.9)	919	919	966	961	782	1004	9.2	8.9	28.4
बिहार	**830 (100.0)**	**1041 (100.0)**	**919**	**918**	**942**	**935**	**880**	**1106**	**11**	**11**	**25.4**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका 1.2 : बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		निवल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)	
	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर (2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर (2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर (2004-05) मूल्य पर
आधार वर्ष 2004-05 (उपादान मूल्य पर)						
2004–05	77781	77781	70167	70167	8773	8773
2005–06	82490	76466	74144	68419	9149	8481
2006–07	100737	88840	91331	80260	10994	9695
2007–08	113680	93774	102853	84415	12215	10076
2008–09	142279	107412	129690	97284	15060	11369
2009–10	162923	113158	148151	101938	16998	11806
2010–11	203555	130171	185745	117503	20944	13393
2011-12	243269	143560	222442	129521	24696	14574
2012-13	293616	158909	268902	143250	29425	15925
2013-14 (अनंतिम)	343663	173409	315225	156671	34014	17163
2014-15 (त्वरित)	402283	189789	369576	171802	39341	18560
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2004-15)	**18.9**	**10.0**	**19.1**	**10.1**	**17.2**	**8.5**
आधार वर्ष 2011-12 (बाजार मूल्य पर)						
2011-12	247144	247144	228497	228497	23525	23525
2012-13	282368	256851	261327	236933	26459	24068
2013-14	317101	269650	292143	246915	29251	24874
2014-15	342951	279482	315732	255739	31142	25379
2015-16 (अनंतिम)	381501	300566	351871	274882	34103	26868
2016-17 (त्वरित)	438030	331572	404438	303333	38546	29178
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-17)	**11.6**	**5.8**	**11.5**	**5.6**	**9.9**	**4.2**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.3 : बाजार मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-16)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	76700	73719	78632	84377	96423	6.6
1.1	फसल	42608	53365	45223	46222	49129	57410	1.4
1.2	पशुधन	12028	14811	18316	20621	22676	25521	17.3
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4571	5010	5258	5777	6303	8.2
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3953	5170	6532	6795	7189	21.9
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	199	234	1508	851	2487	2551	88.6
	प्राथमिक	**62265**	**76934**	**75227**	**79483**	**86864**	**98974**	**7.2**
3.	विनिर्माण	14666	10351	21209	29978	32027	32128	30.0
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4422	3859	3313	4678	5438	2.0
5.	निर्माण	27017	27810	31848	32678	33028	35303	5.8
	द्वितीयक	**45341**	**42583**	**56916**	**65968**	**69733**	**72869**	**13.9**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43904	51755	52051	53410	65355	85369	8.6
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	48672	48735	49959	61463	81146	8.7
6.2	होटल एवंजलपानगृह	2796	3083	3316	3451	3892	4224	8.0
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	21616	26850	31889	36253	40434	20.2
7.1	रेलवे	2751	3348	3957	4725	5051	5400	16.9
7.2	पथ परिवहन	8405	10697	13479	15723	17750	20041	20.7
7.3	जल परिवहन	49	26	17	21	17	17	-20.8
7.4	वायु परिवहन	31	58	46	79	155	220	42.4
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1120	1425	1666	1881	2123	20.8
7.6	भंडारण	74	84	85	93	105	119	8.4
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	5342	6282	7842	9582	11294	12515	21.2
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9774	11223	12188	13932	15925	12.0
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	31217	34604	36675	37475	38550	7.7
10.	लोक प्रशासन	13587	14777	15768	17203	17906	24569	7.3
11.	अन्य सेवाएं	22193	28043	34046	38383	45289	51869	19.0
	तृतीयक	**134092**	**157182**	**174542**	**189748**	**216209**	**256716**	**12.1**
12.	**आधार मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**241698**	**276699**	**306685**	**335199**	**372806**	**428559**	**11.2**
13.	उत्पादों पर कर	17169	21185	26236	27007	34623	44387	17.9
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	15517	15820	19255	25929	34916	19.8
15.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**282368**	**317101**	**342951**	**381501**	**438030**	**11.2**
16.	जनसंख्या (करोड़ में)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	1.6
17.	**प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**23525**	**26459**	**29251**	**31142**	**34103**	**38546**	**9.5**

टिप्पणी : 2015-16 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2016-17 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.4 : बाजार मूल्य (2011-12 के मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-16)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	68040	59516	59349	60935	65136	-1.7
1.1	फसल	42608	47493	37107	35254	35530	38461	-6.4
1.2	पशुधन	12028	12525	14008	15359	16281	17394	8.4
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4253	4330	4218	4353	4490	0.7
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3768	4071	4518	4771	4792	10.0
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	199	216	1386	577	1604	1509	67.5
	प्राथमिक	**62265**	**68256**	**60902**	**59926**	**62539**	**66645**	**-1.2**
3.	विनिर्माण	14666	9714	18893	25958	28381	28024	25.9
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4017	4128	4270	4158	4426	3.2
5.	निर्माण	27017	25608	27261	26019	24608	24575	-1.7
	द्वितीयक	**45341**	**39339**	**50282**	**56247**	**57147**	**57025**	**8.5**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43904	46729	45683	42626	49953	62486	1.7
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	43945	42775	39877	46986	59404	1.7
6.2	होटल एवं जलपानगृह	2796	2784	2908	2749	2968	3083	1.1
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	20372	23473	26054	29227	32202	13.5
7.1	रेलवे	2751	3346	3965	4092	4181	4271	10.9
7.2	पथ परिवहन	8405	9962	11373	12678	14166	15830	13.7
7.3	जल परिवहन	49	24	15	17	13	13	-25.4
7.4	वायु परिवहन	31	54	38	64	124	174	34.2
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1043	1202	1344	1501	1677	13.8
7.6	भंडारण	74	79	71	75	81	88	1.4
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	5342	5863	6808	7785	9162	10148	14.6
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9580	10273	11653	12981	14460	10.1
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	28686	29819	30739	30862	31093	2.7
10.	लोक प्रशासन	13587	13350	12752	13171	12880	16918	-1.2
11.	अन्य सेवाएं	22193	25297	27478	29002	32748	35883	9.6
	तृतीयक	**134092**	**144015**	**149478**	**153245**	**168651**	**193042**	**5.3**
12.	**आधार मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**241698**	**251609**	**260662**	**269418**	**288337**	**316712**	**4.3**
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	32672	39841	17.4
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20443	24981	13.5
15.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**256851**	**269650**	**279482**	**300566**	**331572**	**4.9**
16.	जनसंख्या (करोड़ में)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	1.6
17.	**प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**23525**	**24068**	**24874**	**25379**	**26868**	**29178**	**3.2**

टिप्पणी : 2015-16 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2016-17 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.5 : बाजार मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-16)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	57852	71802	67874	72063	77242	88222	6.0
1.1	फसल	39053	49248	40320	40687	43034	50405	0.0
1.2	पशुधन	11795	14525	17975	20253	22308	25098	17.4
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4141	4520	4953	5206	5722	6239	8.2
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	2862	3509	4625	5917	6178	6480	22.9
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	174	203	1291	724	2075	2077	86.5
	प्राथमिक	**58025**	**72005**	**69166**	**72786**	**79317**	**90298**	**6.6**
3.	विनिर्माण	12681	8450	19073	27523	29509	29233	33.2
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	2431	2892	2554	2145	3132	3661	2.1
5.	निर्माण	25764	26372	29909	30757	31117	33106	5.5
	द्वितीयक	**40876**	**37713**	**51536**	**60426**	**63758**	**66000**	**14.6**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43256	50952	51087	52321	64138	83971	8.5
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	40564	47998	47926	49031	60433	79962	8.5
6.2	होटल एवंजलपानगृह	2692	2955	3161	3290	3705	4009	7.7
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	14845	18612	22530	26925	30980	34374	20.2
7.1	रेलवे	2022	2558	2996	3516	3649	3789	16.2
7.2	पथ परिवहन	7582	9771	12282	14474	16439	18534	21.4
7.3	जल परिवहन	44	20	10	13	10	9	-28.9
7.4	वायु परिवहन	15	40	22	53	129	191	58.6
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	761	971	1233	1469	1673	1884	22.0
7.6	भंडारण	63	74	72	78	88	99	7.5
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	4359	5178	5916	7323	8992	9868	19.7
8.	वित्तीय सेवाएं	8700	9601	11035	11963	13668	15622	11.9
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	25298	28025	30922	32624	33266	34178	7.2
10.	लोक प्रशासन	10485	11490	12339	13598	13891	19954	7.6
11.	अन्य सेवाएं	**21567**	**27259**	**33112**	**37338**	**44158**	**50570**	**19.1**
	तृतीयक	**124151**	**145940**	**161025**	**174769**	**200102**	**238668**	**12.0**
12.	**आधार मूल्य पर कुल निवल राजकीय मूल्यवर्धन**	223052	255658	281727	307980	343177	394967	11.0
13.	उत्पादों पर कर	17169	21185	26236	27007	34623	44387	17.9
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	15517	15820	19255	25929	34916	19.8
15.	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद**	**228497**	**261327**	**292143**	**315732**	**351871**	**404438**	**11.1**
16.	जनसंख्या (करोड़ में)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	1.6
17.	**प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**21750**	**24487**	**26948**	**28671**	**31454**	**35590**	**9.4**

टिप्पणी : 2015-16 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2016-17 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.6 : बाजार मूल्य (2011-12 के मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-16)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	57852	63491	54487	53929	55261	58897	-2.5
1.1	फसल	39053	43675	32908	30738	30771	33228	-7.9
1.2	पशुधन	11795	12260	13706	15042	15954	17034	8.4
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4141	4206	4280	4173	4304	4437	0.7
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	2862	3350	3593	3975	4232	4199	10.0
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	174	187	1187	468	1257	1127	62.8
	प्राथमिक	**58025**	**63678**	**55674**	**54396**	**56517**	**60024**	**-2.1**
3.	विनिर्माण	12681	7896	16913	23761	26115	25534	29.0
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	2431	2542	2904	3226	2771	2901	5.1
5.	निर्माण	25764	24235	25437	24238	22825	22615	-2.4
	द्वितीयक	**40876**	**34674**	**45253**	**51225**	**51712**	**51050**	**9.0**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43256	45972	44805	41669	48864	61288	1.5
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	40564	43309	42038	39062	46063	58389	1.5
6.2	होटल एवंजलपानगृह	2692	2663	2767	2607	2801	2899	0.6
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	14845	17490	19386	21654	24588	27102	13.0
7.1	रेलवे	2022	2605	3088	3040	2970	2941	9.7
7.2	पथ परिवहन	7582	9077	10265	11514	12940	14483	14.0
7.3	जल परिवहन	44	18	7	10	7	6	-35.4
7.4	वायु परिवहन	15	37	17	39	100	148	47.4
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	761	899	1021	1169	1317	1474	14.6
7.6	भंडारण	63	68	60	62	66	71	-0.2
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	4359	4785	4927	5819	7189	7980	12.7
8.	वित्तीय सेवाएं	8700	9412	10095	11454	12748	14204	10.1
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	25298	25724	26548	27285	27259	27131	2.1
10.	लोक प्रशासन	10485	10191	9553	9910	9226	12901	-2.8
11.	अन्य सेवाएं	21567	24550	26613	28082	31739	34774	9.5
	तृतीयक	**124151**	**133339**	**137000**	**140053**	**154423**	**177400**	**5.0**
12.	**आधार मूल्य पर कुल निवल राजकीय मूल्यवर्धन**	**223052**	**231691**	**237927**	**245674**	**262652**	**288473**	**3.9**
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	32672	39841	17.4
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20443	24981	13.5
15.	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद**	**228497**	**236933**	**246915**	**255739**	**274882**	**303333**	**4.6**
16.	जनसंख्या (करोड़ में)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	1.6
17.	**प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**21750**	**22201**	**22776**	**23223**	**24572**	**26693**	**2.9**

टिप्पणी : 2015-16 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2016-17 के त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.7 : 2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद

(रुपए)

जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पटना	43448 (1)	48719 (1)	53428 (1)	57823 (1)	63063 (1)
नालंदा	8219 (14)	9152 (11)	9787 (10)	10971 (11)	12561 (8)
भोजपुर	8775 (8)	10146 (8)	10134 (8)	11537 (9)	12459 (10)
बक्सर	8368 (12)	8992 (15)	8812 (18)	9732 (20)	11289 (15)
रोहतास	9544 (7)	10950 (6)	10908 (7)	12265 (6)	13909 (6)
कैमूर	7564 (21)	8441 (22)	7785 (27)	9539 (22)	10412 (24)
गया	8660 (9)	9135 (12)	9519 (15)	10504 (18)	11897 (13)
जहानाबाद	7490 (24)	8588 (19)	8478 (22)	9322 (24)	11182 (17)
अरवल	6475 (33)	7028 (35)	7283 (35)	8133 (35)	9125 (34)
नवादा	6739 (31)	7409 (32)	7602 (30)	8437 (31)	9560 (30)
औरंगाबाद	7575 (20)	7922 (29)	8189 (23)	9293 (25)	11012 (18)
सारण	7522 (23)	7938 (28)	8559 (20)	9576 (21)	10615 (23)
सीवान	7377 (26)	8864 (16)	8042 (26)	9192 (26)	10685 (22)
गोपालगंज	7646 (17)	8059 (26)	8543 (21)	10386 (19)	12129 (12)
पश्चिम चंपारण	8476 (11)	9484 (10)	9706 (11)	10577 (17)	9971 (27)
पूर्व चंपारण	6223 (35)	8457 (21)	7571 (31)	8790 (29)	10735 (21)
मुजफ्फरपुर	9814 (5)	11602 (5)	12159 (5)	14082 (5)	15402 (5)
सीतामढ़ी	6180 (37)	7301 (33)	7456 (32)	8274 (33)	9538 (31)
शिवहर	5541 (38)	6128 (38)	5438 (38)	6208 (38)	7092 (38)
वैशाली	7728 (16)	9604 (9)	9937 (9)	11591 (8)	12490 (9)
दरभंगा	7614 (18)	8516 (20)	9036 (16)	10798 (12)	10932 (19)
मधुबनी	6216 (36)	7643 (30)	7455 (33)	10607 (15)	9241 (33)
समस्तीपुर	7559 (22)	8729 (18)	8843 (17)	10705 (14)	10762 (20)
बेगूसराय	12419 (3)	15001 (3)	14235 (4)	18433 (3)	17587 (3)
मुंगेर	15791 (2)	17034 (2)	18554 (2)	21011 (2)	22051 (2)
शेखपुरा	7209 (28)	8105 (25)	7775 (28)	8377 (32)	9687 (29)
लखीसराय	9549 (6)	10209 (7)	10950 (6)	11870 (7)	13073 (7)
जमुई	7584 (19)	8028 (27)	8186 (24)	8944 (28)	10166 (25)
खगड़िया	8517 (10)	9111 (13)	9642 (12)	10603 (16)	11515 (14)
भागलपुर	12097 (4)	13351 (4)	14253 (3)	15870 (4)	17324 (4)
बांका	6882 (30)	7596 (31)	7724 (29)	7756 (37)	9269 (32)
सहरसा	8164 (15)	8744 (17)	9591 (14)	11268 (10)	12197 (11)
सुपौल	6382 (34)	6790 (36)	7043 (36)	8193 (34)	8492 (37)
मधेपुरा	6920 (29)	6602 (37)	6979 (37)	8096 (36)	8609 (36)
पूर्णिया	7419 (25)	8228 (23)	8743 (19)	9357 (23)	10099 (26)
किशनगंज	7312 (27)	8120 (24)	8085 (25)	9126 (27)	9928 (28)
अररिया	6635 (32)	7251 (34)	7376 (34)	8534 (30)	8776 (35)
कटिहार	8267 (13)	9060 (14)	9594 (13)	10721 (13)	11278 (16)
बिहार	**10076**	**11369**	**11806**	**13393**	**14574**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जिलों का दर्जा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.8 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	पेट्रॉल			डीजल			रसोई गैस		
		2015-16	2016-17	औसत और हिस्सा	2015-16	2016-17	औसत और हिस्सा	2015-16	2016-17	औसत और हिस्सा
पटना	5.6	71473	79724	75598 (13.1)	219783	231606	225695 (10.2)	115764	127894	121829 (14.2)
नालंदा	2.8	10646	12622	11634 (2.0)	52341	57836	55089 (2.5)	21006	25361	23183 (2.7)
भोजपुर	2.6	12421	13959	13190 (2.3)	54627	51208	52917 (2.4)	24031	28241	26136 (3.1)
बक्सर	1.6	8010	9568	8789 (1.5)	36878	32888	34883 (1.6)	12440	15091	13765 (1.6)
रोहतास	2.9	15185	17530	16357 (2.8)	81668	74905	78287 (3.5)	22216	27375	24795 (2.9)
कैमूर	1.6	6660	7897	7279 (1.3)	37446	31845	34645 (1.6)	7334	9666	8500 (1.0)
गया	4.2	18916	23505	21211 (3.7)	81045	89813	85429 (3.9)	27770	33541	30656 (3.6)
जहानाबाद	1.1	3605	4602	4104 (0.7)	17174	20464	18819 (0.8)	9015	10875	9945 (1.2)
अरवल	0.7	2274	2872	2573 (0.4)	10663	11107	10885 (0.5)	4107	5296	4701 (0.5)
नवादा	2.1	6168	7803	6985 (1.2)	34500	36952	35726 (1.6)	13872	17328	15600 (1.8)
औरंगाबाद	2.4	10459	12646	11552 (2.0)	62765	64705	63735 (2.9)	13844	17548	15696 (1.8)
सारण	3.8	20195	23475	21835 (3.8)	96639	92447	94543 (4.3)	29924	36434	33179 (3.9)
सीवान	3.2	20748	23427	22087 (3.8)	58584	54783	56684 (2.6)	27880	33601	30741 (3.6)
गोपालगंज	2.5	17437	20295	18866 (3.3)	52984	50347	51665 (2.3)	24565	29641	27103 (3.2)
पश्चिम चंपारण	4.9	30327	30605	30466 (5.3)	121313	103412	112362 (5.1)	36269	44492	40380 (4.7)
पूर्व चंपारण	3.8	23406	21573	22490 (3.9)	80103	65796	72950 (3.3)	25188	31570	28379 (3.3)
मुजफ्फरपुर	4.6	32024	37547	34786 (6.0)	136414	138283	137349 (6.2)	45636	55442	50539 (5.9)
सीतामढ़ी	3.3	15632	13976	14804 (2.6)	49322	45000	47161 (2.1)	22824	29003	25913 (3.0)
शिवहर	0.6	1600	1864	1732 (0.3)	5509	5142	5326 (0.2)	4103	5414	4758 (0.6)
वैशाली	3.4	22562	26212	24387 (4.2)	82551	78057	80304 (3.6)	32958	39748	36353 (4.2)
दरभंगा	3.8	17427	20907	19167 (3.3)	60474	61244	60859 (2.7)	31306	40493	35900 (4.2)
मधुबनी	4.3	24286	22048	23167 (4.0)	57595	51918	54757 (2.5)	27616	37027	32321 (3.8)
समस्तीपुर	4.1	18911	22484	20697 (3.6)	80369	82347	81358 (3.7)	24385	32232	28308 (3.3)
बेगूसराय	2.8	13108	15252	14180 (2.5)	112076	106910	109493 (4.9)	24760	33027	28894 (3.4)
मुंगेर	1.3	5369	6096	5732 (1.0)	32866	29223	31045 (1.4)	13527	15744	14635 (1.7)
शेखपुरा	0.6	2081	2498	2289 (0.4)	12889	17690	15290 (0.7)	3468	4544	4006 (0.5)
लखीसराय	1.0	2634	3136	2885 (0.5)	18171	17129	17650 (0.8)	5688	6940	6314 (0.7)
जमुई	1.7	5097	6492	5795 (1.0)	21956	22948	22452 (1.0)	7062	10082	8572 (1.0)
खगड़िया	1.6	4898	5798	5348 (0.9)	32874	31932	32403 (1.5)	7516	10058	8787 (1.0)
भागलपुर	2.9	14574	17032	15803 (2.7)	75498	74985	75241 (3.4)	24365	29541	26953 (3.1)
बांका	2.0	5528	7352	6440 (1.1)	24931	26101	25516 (1.2)	7412	9978	8695 (1.0)
सहरसा	1.8	7293	8507	7900 (1.4)	38524	35724	37124 (1.7)	9993	12720	11357 (1.3)
सुपौल	2.1	11774	10931	11352 (2.0)	39873	34527	37200 (1.7)	8074	11941	10007 (1.2)
मधेपुरा	1.9	8157	10106	9132 (1.6)	32632	34195	33414 (1.5)	8919	11328	10124 (1.2)
पूर्णिया	3.2	16661	20711	18686 (3.2)	81925	81178	81552 (3.7)	14630	18069	16350 (1.9)
किशनगंज	1.6	8716	9328	9022 (1.6)	23721	20164	21943 (1.0)	5713	7536	6624 (0.8)
अररिया	2.7	17568	16009	16788 (2.9)	65489	48074	56782 (2.6)	10335	12750	11543 (1.3)
कटिहार	3.0	11526	13753	12639 (2.2)	70625	68380	69502 (3.1)	13437	16261	14849 (1.7)
बिहार	**100.0**	**545355**	**610140**	**577747 (100.0)**	**2254798**	**2181266**	**2218032 (100.0)**	**768953**	**943832**	**856392 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राज्य के आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय तेल निगम

तालिका 1.9 : डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत

(करोड़ रु.)

जिला	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पटना	96	210	175	301.42	300	466.11	500	525.83
नालंदा	66	126	115	152.11	180	248.51	270	244.12
भोजपुर	73	156	140	153.48	200	176.27	195	88.73
बक्सर	20	37	30	51	50	79.27	85	86.48
रोहतास	23	32	34	47.03	60	116.35	125	125.03
कैमूर	10	15	15	19.77	24	44.85	50	51.36
गया	30	29	25	41.07	70	72.69	80	94.94
जहानाबाद	10	18	15	16.78	24	35.27	40	47.79
अरवल	8	12	10	10.9	16	18.82	20	22.13
नवादा	48	70	67	93.38	105	106.57	120	125.98
औरंगाबाद	15	12	10	18.81	25	64.2	70	59.35
सारण	84	147	140	169.95	190	241.05	260	265.49
सीवान	50	59	50	71.04	90	126.68	140	121.4
गोपालगंज	40	69	62	75.7	85	96.81	110	78.61
पश्चिम चंपारण	23	30	25	39.2	45	57.56	65	66.84
पूर्व चंपारण	20	27	25	26.91	40	41.71	50	46.36
मुजफ्फरपुर	47	54	48	64.62	80	93.98	110	112.67
सीतामढ़ी	8	15	12	19.26	30	39.02	45	34.85
शिवहर	2	4	3	4.81	5	9.22	10	9.18
वैशाली	40	78	65	72.01	100	97.91	120	111.56
दरभंगा	39	62	58	65.49	90	100.3	115	115.64
मधुबनी	26	42	39	52	62	69.09	80	59.29
समस्तीपुर	23	58	50	47.49	75	81.28	90	74.96
बेगूसराय	26	39	35	40.03	55	51.24	60	49.16
मुंगेर	18	31	27	26.1	40	66.77	75	62.4
शेखपुरा	6	10	9	6.96	12	21.61	25	20.21
लखीसराय	6	10	9	6.96	15	21.61	25	20.21
जमुई	10	22	15	21.05	24	22.68	25	26.17
खगड़िया	6	9	7	8.76	15	12.75	15	12.04
भागलपुर	49	75	70	67.12	100	93.84	105	79.83
बांका	3	10	5	8.66	12	20.58	25	21.52
सहरसा	14	29	23	35.51	37	35.35	40	33.67
सुपौल	11	21	17	26.51	27	28.87	35	37.66
मधेपुरा	11	22	17	26.73	27	25.34	30	22.73
पूर्णिया	16	23	20	16.31	35	30.68	35	49.78
किशनगंज	4	8	6	7.15	10	7.62	10	11.78
अररिया	6	9	7	5.87	10	9.56	10	15.73
कटिहार	13	27	20	22.9	35	24.56	35	41.57
बिहार	**1000**	**1707**	**1500**	**1940.85**	**2400**	**2956.58**	**3300**	**3073.05**

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2015-16 और 2016-17

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग	मूल्यवर्धित कर		केंद्रीय बिक्री कर		मनोरंजन कर		उत्पाद शुल्क		विज्ञापन कर	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
पटना विशेष	506187	629093	1716	1975	0	0	29669	22398	0	0
पाटलिपुत्र	156711	138105	833	839	4203	4479	0	0	0	0
केंद्रीय प्रभाग	**662898**	**767198**	**2548**	**2814**	**4203**	**4479**	**29669**	**22398**	**0**	**0**
पटना पश्चिम	17448	20109	83	160	198	610	0	0	24	19
पटना केंद्रीय	13807	21333	175	208	3	379	0	0	18	17
पटना उत्तर	14792	19382	92	143	165	475	0	0	2	2
गांधी मैदान	9194	11035	159	168	123	191	0	0	23	16
पटना दक्षिण	18916	25594	108	112	1	1	0	0	3	8
कदमकुआं	11495	12267	49	91	0	0	0	0	0	0
पटना सिटी पूर्व	20702	14621	109	161	1	1	0	0	0	0
पटना सिटी पश्चिम	20218	21206	260	291	18	18	0	0	0	0
दानापुर	38118	7934	164	207	19	17	0	0	0	0
बाढ़	5962	2012	66	52	10	11	0	0	0	0
शाहाबाद	7482	6664	39	79	16	13	0	0	0	0
बक्सर	2209	2724	19	26	18	17	0	0	0	0
बिहारशरीफ	7995	6893	25	31	35	32	0	0	0	0
पटना प्रभाग	**188336**	**171772**	**1349**	**1728**	**609**	**1764**	**0**	**0**	**69**	**63**
सासाराम	10898	11497	71	124	14	10	0	0	0	0
भभुआ	5953	6228	272	97	5	4	0	0	0	0
गया	13980	16495	168	308	56	59	0	0	0	0
जहानाबाद	2813	3577	1	0	0	1	0	0	0	0
नवादा	4592	4289	5	12	16	18	7	4	1	0
औरंगाबाद	5591	9620	54	42	20	23	0	2	0	0
गया प्रभाग	**43826**	**51706**	**571**	**584**	**111**	**114**	**7**	**5**	**1**	**0**
सारण	5029	8410	6	9	25	21	0	0	0	0
सीवान	8171	7173	19	28	14	10	0	0	0	0
गोपालगंज	5166	6113	7	32	14	12	0	0	0	0
हाजीपुर	19748	21420	271	318	54	36	0	0	0	0
सारण प्रभाग	**38114**	**43116**	**304**	**388**	**107**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**
मुजफ्फरपुर पश्चिम	13615	17950	66	118	24	61	2	3	0	0
मुजफ्फरपुर पूर्व	8828	7756	88	109	27	93	1	1	0	0
सीतामढ़ी	6633	6730	16	23	58	54	0	1	0	0
मोतिहारी	8928	6820	27	26	37	38	0	0	0	0
रक्सौल	1324	1601	21	35	12	11	0	0	0	0
बेतिया	4496	5443	27	36	33	13	4	23	0	0
बगहा	1820	1697	22	83	8	8	0	0	0	0
तिरहुत प्रभाग	**45644**	**47996**	**266**	**429**	**199**	**278**	**7**	**27**	**0**	**0**
दरभंगा	10827	12892	18	27	34	34	0	0	0	0
समस्तीपुर	7150	10444	303	184	26	23	8	12	1	2
मधुबनी	6697	4873	5	5	24	16	0	0	0	0
झंझारपुर	1313	1628	1	3	0	0	0	0	0	0
बेगूसराय	7389	6232	83	93	24	25	1	0	0	0
तेघड़ा	962	891	75	88	4	7	0	0	0	0
दरभंगा प्रभाग	**34339**	**36960**	**485**	**400**	**112**	**105**	**9**	**13**	**1**	**3**
सहरसा	5907	4543	7	2	23	19	0	0	0	0
मधेपुरा	3204	3871	5	5	6	5	0	0	0	0
पूर्णिया	12074	13344	173	187	43	44	0	0	0	0
कटिहार	6528	6997	57	157	27	21	0	37	0	1
फारबिसगंज	4115	5308	50	74	17	19	0	0	0	0
किशनगंज	3412	4955	47	75	7	7	0	0	0	0
खगड़िया	2787	4297	11	18	6	4	0	0	0	0
सपौल	1788	3815	1	15	8	13	0	0	0	0
पूर्णिया प्रभाग	**39814**	**47130**	**350**	**532**	**137**	**132**	**0**	**37**	**0**	**1**
भागलपुर	11283	14497	72	64	50	48	2	0	0	0
लखीसराय	2279	3384	29	35	5	5	0	0	0	0
मुंगेर	3038	3920	14	18	1	1	39	73	0	0
जमुई	3038	3121	36	36	3	2	0	0	0	0
भागलपुर प्रभाग	**19638**	**24923**	**152**	**154**	**59**	**57**	**41**	**73**	**0**	**0**
राज्य	**1072609**	**1190801**	**6024**	**7029**	**5537**	**7009**	**29733**	**22553**	**71**	**67**

(जारी)

तालिका 2.1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2015-16 और 2016-17 (जारी)

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग	विलासिता कर		प्रवेश कर		पेशा कर		योग		लक्ष्य	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
पटना विशेष	0	0	231818	254143	241	396	769631	908005	927746	1104663
पाटलिपुत्र	0	0	73267	84571	121	120	235135	228114	294171	262902
केंद्रीय प्रभाग	**0**	**0**	**305085**	**338714**	**362**	**516**	**1004765**	**1136119**	**1221917**	**1367565**
पटना पश्चिम	309	250	2816	3608	588	718	21465	25474	29487	29760
पटना केंद्रीय	39	37	6171	7546	210	237	20424	29755	24013	28356
पटना उत्तर	69	46	4329	5329	310	365	19759	25743	27805	34036
गांधी मैदान	154	158	3756	6408	153	57	13564	18033	15974	19184
पटना दक्षिण	7	11	8726	13969	84	106	27845	39801	36650	38732
कदमकुआं	11	9	2283	3367	25	30	13863	15764	15612	19156
पटना सिटी पूर्व	0	0	10115	11025	16	21	30942	25828	36229	28172
पटना सिटी पश्चिम	7	9	5077	6495	50	53	25630	28072	28294	26131
दानापुर	8	12	4871	5268	177	280	43357	13717	51316	13170
बाढ़	1	1	11740	23414	49	60	17827	25550	30958	20913
शाहाबाद	13	10	1541	2469	135	148	9226	9382	9506	11425
बक्सर	1	2	330	445	109	108	2686	3321	3918	3820
बिहारशरीफ	38	40	1072	1614	161	175	9327	8783	10390	10451
पटना प्रभाग	**657**	**584**	**62829**	**90955**	**2066**	**2357**	**255914**	**269223**	**320151**	**283306**
सासाराम	4	12	1996	3788	142	171	13124	15602	17910	19440
भभुआ	3	4	1053	855	67	76	7352	7263	11420	10413
गया	231	336	4309	5047	239	284	18983	22530	24061	24288
जहानाबाद	0	0	155	324	99	101	3068	4004	4151	4396
नवादा	1	2	853	1312	84	92	5559	5729	6122	5866
औरंगाबाद	7	3	22369	23243	120	120	28161	33052	27717	52153
गया प्रभाग	**247**	**357**	**30734**	**34569**	**751**	**845**	**76247**	**88181**	**91382**	**116556**
सारण	4	6	2975	4289	267	269	8306	13004	8181	15428
सीवान	13	9	1564	1967	87	123	9868	9310	10485	9633
गोपालगंज	2	3	1354	1655	84	97	6627	7912	9530	9443
हाजीपुर	1	1	3970	5303	151	203	24195	27281	28844	29145
सारण प्रभाग	**19**	**19**	**9863**	**13213**	**590**	**692**	**48997**	**57507**	**57040**	**63648**
मुजफ्फरपुर पश्चिम	18	15	9026	9860	190	272	22942	28278	29097	42137
मुजफ्फरपुर पूर्व	9	9	3101	4710	118	117	12171	12794	13731	14051
सीतामढ़ी	3	4	1165	1407	129	148	8004	8368	9533	10299
मोतिहारी	5	8	3899	5579	141	159	13036	12631	12794	17447
रक्सौल	0	0	288	432	19	14	1665	2092	1998	2543
बेतिया	8	6	1013	1388	97	93	5677	7003	9389	8275
बगहा	0	0	35	57	36	39	1922	1884	1960	2894
तिरहुत प्रभाग	**43**	**43**	**18528**	**23434**	**730**	**842**	**65417**	**73050**	**78502**	**97645**
दरभंगा	11	15	3846	5226	179	199	14914	18393	16714	20835
समस्तीपुर	1	1	4656	4224	248	293	12394	15183	14020	20624
मधुबनी	4	4	814	1141	93	121	7637	6160	7390	6910
झंझारपुर	0	0	41	181	38	41	1393	1854	1685	1990
बेगूसराय	5	5	140093	75545	137	149	147733	82051	207508	65436
तेघड़ा	2	2	293	502	20	21	1356	1511	1736	2080
दरभंगा प्रभाग	**23**	**28**	**149742**	**86819**	**716**	**825**	**185427**	**125153**	**249052**	**117876**
सहरसा	6	5	3664	5411	105	98	9711	10078	9464	15816
मधेपुरा	3	5	730	797	65	70	4012	4752	4801	5703
पूर्णिया	22	14	6372	7844	101	161	18787	21594	20195	23741
कटिहार	14	14	1525	1664	161	180	8311	9070	12001	12011
फारबिसगंज	4	5	838	1007	77	95	5101	6507	6110	7231
किशनगंज	2	2	1344	1473	53	58	4865	6570	6233	6832
खगड़िया	1	4	352	486	85	106	3241	4915	4094	4463
सपेंल	0	0	29	129	51	72	1878	4044	0	3652
पूर्णिया प्रभाग	**51**	**49**	**14853**	**18812**	**699**	**839**	**55905**	**67532**	**62898**	**79448**
भागलपुर	24	24	21214	23835	322	351	32966	38820	40533	54053
लखीसराय	1	2	435	505	78	79	2826	4011	3669	4654
मुंगेर	2	2	2639	7361	200	245	5935	11621	8242	9778
जमुई	2	2	284	691	60	64	3423	3917	4114	5470
भागलपुर प्रभाग	**29**	**30**	**24572**	**32392**	**659**	**740**	**45150**	**58368**	**56558**	**73956**
राज्य	**1070**	**1109**	**616205**	**638908**	**6573**	**7656**	**1737822**	**1875132**	**2137500**	**2200000**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका 2.2 : दस्तावेजों की संख्या, तथा स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व के जिलावार विवरण

(करोड़ रु.)

जिला	दस्तावेजों की संख्या		निबंधन शुल्क		स्टांप शुल्क		कुल प्राप्ति		लक्ष्य	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
पटना	79112	69684	142	137	488	483	631	620	677	756
नालंदा	29250	25808	18	20	59	63	78	83	89	91
भोजपुर	27709	24680	19	27	60	79	80	106	91	95
बक्सर	14426	12392	11	10	33	31	44	41	53	53
रोहतास	26480	23482	21	22	62	68	83	91	87	99
कैमूर	14156	13530	8	8	23	23	31	31	39	37
गया	38711	36673	34	32	104	103	138	135	147	165
जहानाबाद	10194	9189	7	8	23	26	30	33	32	35
अरवल	5673	5121	3	3	10	10	13	14	15	16
नवादा	18682	16647	11	9	34	29	45	38	45	54
औरंगाबाद	25048	20493	17	18	51	54	68	71	75	82
सारण	36704	32485	23	21	67	62	90	83	95	108
सीवान	35244	30849	23	21	66	62	89	84	97	106
गोपालगंज	30793	26461	21	19	61	55	81	75	86	97
पश्चिम चंपारण	45640	38500	20	20	58	58	78	78	86	93
पूर्वी चंपारण	63728	51988	40	36	114	103	153	139	155	184
मुजफ्फरपुर	58102	49459	48	44	137	128	185	172	204	221
सीतामढ़ी	39375	32094	23	36	66	103	89	140	101	107
शिवहर	7508	6587	3	3	10	9	14	12	16	16
वैशाली	36740	30809	28	25	82	74	110	99	115	132
दरभंगा	36876	31175	25	23	75	67	100	90	110	119
मधुबनी	48077	40771	24	21	67	59	91	80	99	107
समस्तीपुर	50032	42282	25	23	72	67	97	90	108	115
बेगूसराय	28037	23687	22	21	69	63	91	84	102	109
मुंगेर	8438	7320	8	8	26	25	34	33	34	41
शेखपुरा	8340	7445	3	3	11	10	14	13	15	17
लखीसराय	9575	8149	6	6	19	18	25	24	28	30
जमुई	15372	13664	7	7	21	19	28	26	30	34
खगड़िया	12443	11041	7	7	21	21	28	28	33	34
भागलपुर	27039	22073	26	31	80	97	106	129	110	127
बांका	17015	15559	10	9	26	24	35	33	40	42
सहरसा	19559	15647	12	11	38	34	50	45	56	60
सुपौल	24527	19962	11	10	31	27	42	37	41	51
मधेपुरा	19179	16444	11	11	33	33	44	44	45	53
पूर्णिया	33895	29501	23	21	71	66	95	88	100	114
किशनगंज	26915	23457	9	10	29	29	38	39	45	47
अररिया	35906	29243	15	13	42	38	57	52	66	69
कटिहार	38674	31550	18	17	51	50.75	69	68	85	82
योग	**1103174**	**945901**	**784**	**773**	**2391**	**2321**	**3175**	**3145**	**3450**	**3800**

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.1 : विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात

(वर्षापात मिमी में)

जिले	2016					2017 (सितंबर तक)			
	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	उत्तर-पश्चिम मानसून	योग	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	योग
पटना	3.4	56.7	801.3	57.8	919.1	0.0	40.1	627.3	667.4
नालंदा	13.4	48.9	953.3	72.1	1087.7	0.0	26.2	653.9	680.1
भोजपुर	2.5	43.8	716.8	44.2	807.3	0.0	39.0	727.4	766.4
बक्सर	6.0	57.6	815.2	63.2	942.1	0.0	28.4	655.5	683.9
रोहतास	0.0	2.3	961.9	76.9	1041.0	0.0	11.0	739.0	750.0
कैमूर	24.0	13.7	1114.3	42.5	1194.4	0.0	2.8	818.3	821.1
गया	20.0	19.3	1061.7	84.7	1185.7	0.0	7.9	790.4	798.3
जहानाबाद	13.4	26.8	892.0	74.6	1006.8	0.0	11.3	617.6	628.9
अरवल	3.0	4.9	1131.4	97.0	1236.3	0.0	23.2	564.8	588.0
नवादा	20.0	16.8	807.4	70.6	914.8	0.0	8.3	575.0	583.4
औरंगाबाद	12.6	17.6	1220.0	127.0	1377.2	0.4	17.2	851.3	868.9
सारण	0.3	42.3	548.2	35.7	626.5	0.0	68.1	716.6	784.6
सीवान	1.2	20.7	783.2	39.1	844.2	0.0	77.2	696.2	773.4
गोपालगंज	0.0	112.0	710.0	31.7	853.7	5.5	74.4	717.6	797.5
पश्चिम चंपारण	1.2	88.1	571.2	19.0	679.5	0.0	119.6	745.9	865.5
पूर्व चंपारण	6.4	112.0	773.5	20.7	912.6	0.0	125.6	813.6	939.3
मुजफ्फरपुर	1.7	98.2	980.5	2.7	1083.1	9.0	114.3	1107.3	1230.7
सीतामढ़ी	1.9	52.1	685.9	6.8	746.7	0.0	105.8	891.0	996.7
शिवहर	5.3	108.7	843.9	7.8	965.7	0.0	143.6	918.0	1061.6
वैशाली	1.2	0.2	651.9	57.8	711.1	0.0	109.2	880.8	990.0
दरभंगा	0.0	111.0	878.9	46.5	1036.3	0.0	174.0	963.8	1137.7
मधुबनी	6.1	128.4	951.7	30.9	1117.0	0.0	216.1	1180.6	1396.7
समस्तीपुर	0.2	111.9	859.1	87.4	1058.6	0.0	134.1	819.8	954.0
बेगूसराय	5.6	55.7	844.8	31.8	937.9	0.0	73.8	671.3	745.2
मुंगेर	39.9	50.8	882.4	21.6	994.7	0.0	86.5	744.8	831.2
शेखपुरा	18.6	18.0	987.9	78.1	1102.5	0.0	67.3	658.1	725.4
लखीसराय	12.2	28.9	990.7	33.7	1065.6	0.0	54.0	733.5	787.5
जमुई	18.3	15.5	1026.1	60.6	1120.5	0.0	73.6	732.6	806.2
खगड़िया	17.9	50.7	679.1	19.5	767.1	0.0	118.8	702.3	821.1
भागलपुर	0.0	109.7	986.4	36.7	1132.8	0.0	174.0	999.2	1173.2
बांका	12.3	50.9	916.1	45.1	1024.4	0.0	93.2	806.0	899.2
सहरसा	0.0	111.0	1169.9	68.9	1349.9	0.0	242.8	1071.3	1314.1
सुपौल	0.0	164.1	1122.0	80.8	1366.9	0.0	200.4	1193.9	1394.3
मधेपुरा	1.8	139.8	1010.0	65.0	1216.6	0.0	235.8	948.2	1184.0
पूर्णिया	0.0	185.3	1131.1	51.7	1368.1	1.0	289.6	926.8	1217.4
किशनगंज	4.8	250.2	1887.2	124.8	2267.0	0.0	235.5	1818.6	2054.2
अररिया	8.1	164.2	1431.0	81.1	1684.3	0.0	154.9	1029.7	1184.6
कटिहार	0.0	71.0	827.0	75.5	973.5	0.0	141.8	933.4	1075.2
बिहार	**7.5**	**72.6**	**937.0**	**54.5**	**1071.6**	**0.4**	**103.1**	**843.2**	**946.8**

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.2 : भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2014-15)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिले	भौगोलिक क्षेत्रफल (1)	वन (2)	बंजर एवं अकृष्य भूमि (3)	गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि (4)			कृषि योग्य ऊसर भूमि (5)
				भूमि क्षेत्र	जल क्षेत्र		
					बारहमासी	अस्थायी	
पटना	317.2 (100)	0.1 (0)	12.4 (3.9)	67.8 (21.4)	10.3 (3.3)	2.1 (0.6)	0.7 (0.2)
नालंदा	232.7 (100)	4.6 (2)	1.2 (0.5)	35.9 (15.4)	2.5 (1.1)	7.1 (3)	0.2 (0.1)
भोजपुर	237.3 (100)	0.0 (0.0)	6.7 (2.8)	30.3 (12.8)	2.8 (1.2)	1.5 (0.6)	0.6 (0.3)
बक्सर	167 (100)	0.0 (0.0)	2.2 (1.3)	13.2 (7.9)	3.2 (1.9)	1.1 (0.7)	0.6 (0.4)
रोहतास	390.7 (100)	66.7 (17.1)	16.8 (4.3)	39.4 (10.1)	9 (2.3)	0.6 (0.2)	1.1 (0.3)
कैमूर	342.4 (100)	113 (33)	19.3 (5.6)	31.1 (9.1)	2.5 (0.7)	1.6 (0.5)	1.9 (0.5)
गया	493.7 (100)	77.8 (15.8)	27.5 (5.6)	63.3 (12.8)	3.8 (0.8)	6.1 (1.2)	3.2 (0.7)
जहानाबाद	94 (100)	0.6 (0.7)	3.2 (3.4)	13.9 (14.8)	0.8 (0.9)	0.5 (0.6)	0.1 (0.1)
अरवल	62.6 (100)	0.0 (0.0)	2.2 (3.5)	9.2 (14.6)	0.6 (0.9)	0.8 (1.3)	0.1 (0.1)
नवादा	248.7 (100)	63.2 (25.4)	11.2 (4.5)	25.8 (10.4)	3 (1.2)	7 (2.8)	1.1 (0.4)
औरंगाबाद	330 (100)	18.8 (5.7)	16.4 (5)	56.5 (17.1)	1.7 (0.5)	1.7 (0.5)	1.8 (0.6)
सारण	264.8 (100)	0.0 (0.0)	17.9 (6.8)	28.8 (10.9)	3.5 (1.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
सीवान	224.4 (100)	0.0 (0.0)	8.7 (3.9)	29.8 (13.3)	2 (0.9)	1.6 (0.7)	0.7 (0.3)
गोपालगंज	203.7 (100)	0.0 (0.0)	5.5 (2.7)	31.3 (15.4)	2.1 (1)	0.5 (0.2)	1.4 (0.7)
पश्चिम चंपारण	484.3 (100)	91.8 (18.9)	2.9 (0.6)	71.1 (14.7)	15.2 (3.1)	8.7 (1.8)	1.3 (0.3)
पूर्व चंपारण	431.7 (100)	0.1 (0)	8.1 (1.9)	51.6 (11.9)	10.1 (2.3)	15.2 (3.5)	0.3 (0.1)
मुजफ्फरपुर	315.3 (100)	0.0 (0.0)	5.3 (1.7)	51.5 (16.3)	7.8 (2.5)	4 (1.3)	0.3 (0.1)
सीतामढ़ी	221.8 (100)	0.0 (0.0)	1.8 (0.8)	45.2 (20.4)	2.5 (1.1)	16 (7.2)	0.1 (0.1)
शिवहर	43.5 (100)	0.0 (0.0)	0.4 (0.9)	10 (23)	1.3 (2.9)	0.2 (0.3)	0.0 (0.0)
वैशाली	201.4 (100)	0.0 (0.0)	24.1 (12)	30.5 (15.1)	5.8 (2.9)	2 (1)	0.1 (0.1)
दरभंगा	254 (100)	0.0 (0.0)	1.3 (0.5)	44.3 (17.4)	9.4 (3.7)	7.4 (2.9)	0.1 (0.1)
मधुबनी	353.5 (100)	0.0 (0.0)	2.2 (0.6)	71.3 (20.2)	13.4 (3.8)	2.2 (0.6)	0.5 (0.1)
समस्तीपुर	262.3 (100)	0.0 (0.0)	3.8 (1.5)	54.7 (20.8)	8.2 (3.1)	0.8 (0.3)	0.0 (0.0)
बेगूसराय	187.8 (100)	0.0 (0.0)	18 (9.6)	30.2 (16.1)	7.7 (4.1)	4 (2.1)	0.0 (0.0)
मुंगेर	139.7 (100)	28.5(20.4)	11.4 (8.2)	20.9 (14.9)	5.8 (4.2)	5.3 (3.8)	0.9 (0.7)
शेखपुरा	62.1 (100)	0.0 (0.0)	1 (1.6)	7.8 (12.5)	0.9 (1.4)	2 (3.2)	0.2 (0.4)
लखीसराय	128.6 (100)	13.5 (10.5)	7 (5.5)	9.3 (7.2)	1.2 (0.9)	4.8 (3.7)	0.7 (0.5)
जमुई	305.2 (100)	92.9 (30.4)	28.6 (9.4)	39.6 (13)	2.2 (0.7)	2.8 (0.9)	10.3 (3.4)
खगड़िया	149.3 (100)	0.0 (0.0)	13.6 (9.1)	19.3 (12.9)	7.7 (5.2)	4.1 (2.8)	0.6 (0.4)
भागलपुर	254.3 (100)	0.1 (0)	22.4 (8.8)	54.8 (21.6)	6.6 (2.6)	9.6 (3.8)	2.3 (0.9)
बांका	305.6 (100)	46.3 (15.2)	43 (14.1)	36.9 (12.1)	2.9 (0.9)	3.1 (1)	7.9 (2.6)
सहरसा	164.5 (100)	0.0 (0.0)	10.8 (6.6)	22.2 (13.5)	4.8 (2.9)	2.4 (1.5)	0.4 (0.3)
सुपौल	238.6 (100)	0.0 (0.0)	20.2 (8.5)	39.2 (16.4)	9.8 (4.1)	3.1 (1.3)	1.4 (0.6)
मधेपुरा	179.5 (100)	0.0 (0.0)	3.9 (2.2)	26.8 (14.9)	3.9 (2.1)	1.2 (0.6)	0.0 (0.0)
पूर्णिया	313.8 (100)	0.1 (0)	12.3 (3.9)	38 (12.1)	6.9 (2.2)	1.6 (0.5)	1.1 (0.4)
किशनगंज	189 (100)	0.4 (0.2)	11.2 (5.9)	25.9 (13.7)	7.3 (3.8)	2.7 (1.4)	1.2 (0.6)
अररिया	271.7 (100)	0.8 (0.3)	5 (1.8)	40.9 (15.1)	6.4 (2.4)	5.5 (2)	0.5 (0.2)
कटिहार	291.3 (100)	1.8 (0.6)	22.1 (7.6)	42.2 (14.5)	12.1 (4.2)	4.2 (1.4)	0.6 (0.2)
बिहार	**9359 (100)**	**621.6 (6.6)**	**431.7 (4.6)**	**1359.7 (14.5)**	**207.4 (2.2)**	**144.9 (1.5)**	**44.7 (0.5)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार (जारी)

तालिका 3.2 : भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2014-15) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिले	स्थायी चरागाह (6)	बागान (7)	परती भूमि (8)	वर्तमान परती (9)	कुल अकृष्य भूमि (10) (2 से 9 तक)	निवल बुआई क्षेत्र (11)	सकल बुआई क्षेत्र (12)	फसल सघनता (13)
पटना	0.1 (0)	1.03 (0.3)	1.54 (0.5)	63 (19.9)	158.9 (50.1)	158.2 (49.9)	202.7	1.28
नालंदा	0.03 (0)	1.31 (0.6)	0.17 (0.1)	0.5 (0.2)	53.46 (23)	179.3 (77.0)	225	1.25
भोजपुर	0.06 (0)	2.07 (0.9)	2.36 (1)	14 (5.9)	60.43 (25.5)	176.9 (74.5)	214.2	1.21
बक्सर	0.02 (0)	0.78 (0.5)	0.56 (0.3)	0.58 (0.3)	22.28 (13.3)	144.7 (86.7)	200.5	1.39
रोहतास	0.09 (0)	2.92 (0.7)	0.7 (0.2)	6.05 (1.5)	143.3 (36.7)	247.3 (63.3)	362.5	1.47
कैमूर	0.13 (0)	0.76 (0.2)	0.1 (0)	26.39 (7.7)	196.6 (57.4)	145.7 (42.6)	207.7	1.42
गया	2.07 (0.4)	3.92 (0.8)	11.25 (2.3)	110.0 (22.3)	309.0 (62.6)	184.6 (37.4)	228.3	1.24
जहानाबाद	0.08 (0.1)	0.74 (0.8)	0.21 (0.2)	31.77 (33.8)	52.09 (55.4)	41.97 (44.6)	78.23	1.86
अरवल	0.14 (0.2)	0.93 (1.5)	1.56 (2.5)	6 (9.6)	21.46 (34.3)	41.18 (65.8)	46.64	1.13
नवादा	0.86 (0.3)	0.71 (0.3)	2.63 (1.1)	15.15 (6.1)	131.2 (52.8)	117.4 (47.2)	141.4	1.2
औरंगाबाद	0.54 (0.2)	0.65 (0.2)	1.13 (0.3)	26.92 (8.2)	125.7 (38.1)	204.2 (61.9)	289.8	1.42
सारण	0.15 (0.1)	8.62 (3.3)	3.62 (1.4)	36.77 (13.9)	99.62 (37.6)	165.2 (62.4)	209.8	1.27
सीवान	0.15 (0.1)	8.95 (4)	1.42 (0.6)	7.45 (3.3)	60.66 (27)	163.7 (73.0)	226.9	1.39
गोपालगंज	0.19 (0.1)	7.48 (3.7)	2.33 (1.1)	7.88 (3.9)	58.62 (28.8)	145.1 (71.2)	214.9	1.48
पश्चिम चंपारण	1.13 (0.2)	6.5 (1.3)	2.2 (0.5)	22.41 (4.6)	223.2 (46.1)	261.1 (53.9)	423.0	1.62
पूर्व चंपारण	0.42 (0.1)	27.17 (6.3)	2.93 (0.7)	14.05 (3.3)	129.8 (30.1)	301.8 (69.9)	448.7	1.49
मुजफ्फरपुर	0.03 (0)	17.49 (5.5)	1.34 (0.4)	0.4 (0.1)	88.16 (28)	227.2 (72.0)	334.2	1.47
सीतामढ़ी	1.36 (0.6)	13.95 (6.3)	0.48 (0.2)	12.19 (5.5)	93.51 (42.1)	128.3 (57.9)	233.8	1.82
शिवहर	0 (0)	3.66 (8.4)	0.82 (1.9)	0.71 (1.6)	17.03 (39.2)	26.46 (60.9)	48.92	1.84
वैशाली	0.32 (0.2)	9.79 (4.9)	0.27 (0.1)	0.23 (0.1)	73.14 (36.3)	128.3 (63.7)	185.1	1.84
दरभंगा	0.14 (0.1)	12.45 (4.9)	2.13 (0.8)	24.89 (9.8)	102.0 (40.2)	152.0 (59.8)	179.3	1.18
मधुबनी	1.27 (0.4)	23.94 (6.8)	2.9 (0.8)	0.41 (0.1)	118.3 (33.5)	235.3 (66.6)	343.6	1.46
समस्तीपुर	0.06 (0)	8.3 (3.2)	0.89 (0.3)	26.53 (10.1)	103.3 (39.4)	159.0 (60.6)	287.2	1.81
बेगूसराय	0.01 (0)	3.8 (2)	0.81 (0.4)	25 (13.3)	89.5 (47.6)	98.32 (52.3)	154.0	1.57
मुंगेर	0.19 (0.1)	0.61 (0.4)	1.87 (1.3)	24.48 (17.5)	100.0 (71.6)	39.79 (28.5)	46.09	1.16
शेखपुरा	0 (0)	0.32 (0.5)	1.62 (2.6)	0.4 (0.6)	14.22 (22.9)	47.88 (77.1)	61.71	1.29
लखीसराय	0.05 (0)	0.44 (0.3)	6.26 (4.9)	43.79 (34.1)	86.98 (67.6)	41.63 (32.4)	66.83	1.61
जमुई	1.65 (0.5)	2.13 (0.7)	15.99 (5.2)	61.91 (20.3)	257.9 (84.5)	47.32 (15.5)	69	1.46
खगड़िया	0.21 (0.1)	3.11 (2.1)	2.16 (1.4)	4.25 (2.8)	55.12 (36.9)	94.24 (63.1)	135.0	1.43
भागलपुर	0.61 (0.2)	6.74 (2.7)	4.88 (1.9)	14.01 (5.5)	121.9 (48)	132.3 (52)	163.5	1.24
बांका	1.06 (0.3)	7.45 (2.4)	11.14 (3.6)	32.35 (10.6)	192.0 (62.8)	113.5 (37.2)	150.8	1.33
सहरसा	1.12 (0.7)	4.41 (2.7)	3.72 (2.3)	16.35 (9.9)	66.15 (40.2)	98.4 (59.8)	195.7	1.99
सुपौल	0.24 (0.1)	3.12 (1.3)	9.42 (3.9)	0.21 (0.1)	86.72 (36.3)	151.8 (63.7)	259.0	1.71
मधेपुरा	0.05 (0)	7.16 (4)	1 (0.6)	13.48 (7.5)	57.45 (32)	122.1 (68)	193.8	1.59
पूर्णिया	0.05 (0)	8.91 (2.8)	4.65 (1.5)	80.84 (25.8)	154.5 (49.2)	159.3 (50.8)	209.3	1.31
किशनगंज	0.41 (0.2)	5.22 (2.8)	3 (1.6)	36.21 (19.2)	93.41 (49.4)	95.66 (50.6)	137.1	1.43
अररिया	0.22 (0.1)	19.15 (7)	3.46 (1.3)	68.11 (25.1)	150.1 (55.3)	121.5 (44.7)	245.3	2.02
कटिहार	0.12 (0)	11.12 (3.8)	5.89 (2)	12.88 (4.4)	112.9 (38.8)	178.3 (61.2)	252.4	1.42
बिहार	**15.33 (0.2)**	**247.8 (2.6)**	**119.4 (1.3)**	**888.5 (9.5)**	**4081.2 (43.6)**	**5278.3 (56.4)**	**7672.9**	**1.45**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

(समाप्त)

तालिका 3.3 : चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेअत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिले	2015-16			2016-17		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	63.68 (2)	192.85 (2.8)	3029 (9)	61.37 (1.8)	184.64 (2.2)	3009 (14)
नालंदा	106.5 (3.3)	308.51 (4.5)	2897 (10)	115.09 (3.4)	358.38 (4.3)	3114 (10)
भोजपुर	88.04 (2.7)	305.03 (4.5)	3465 (4)	98.9 (3)	257.29 (3.1)	2601 (17)
बक्सर	83.82 (2.6)	258.64 (3.8)	3086 (8)	87.78 (2.6)	284.34 (3.5)	3239 (9)
रोहतास	196.66 (6.1)	759.63 (11.2)	3863 (3)	193.38 (5.8)	640.72 (7.8)	3313 (8)
कैमूर	109.16 (3.4)	282.27 (4.1)	2586 (13)	118.1 (3.5)	316.28 (3.8)	2678 (16)
गया	99.93 (3.1)	239.92 (3.5)	2401 (15)	98.65 (3)	327.85 (4)	3323 (7)
जहानाबाद	35.88 (1.1)	96.1 (1.4)	2679 (11)	35.88 (1.1)	108.64 (1.3)	3028 (13)
अरवल	23.95 (0.7)	74.84 (1.1)	3124 (7)	41.71 (1.2)	145.71 (1.8)	3493 (3)
नवादा	68.35 (2.1)	173.47 (2.6)	2538 (14)	68.66 (2.1)	237.33 (2.9)	3457 (4)
औरंगाबाद	160.23 (5)	553.35 (8.1)	3453 (5)	175.2 (5.2)	619.15 (7.5)	3534 (2)
सारण	68.74 (2.1)	74.25 (1.1)	1080 (31)	76.45 (2.3)	151.59 (1.8)	1983 (26)
सीवान	90.96 (2.8)	143.48 (2.1)	1577 (29)	90.48 (2.7)	177.47 (2.2)	1961 (28)
गोपालगंज	84.25 (2.6)	70.28 (1)	834 (36)	83.02 (2.5)	134.16 (1.6)	1616 (37)
पश्चिम चंपारण	144.59 (4.5)	266.72 (3.9)	1845 (25)	148.49 (4.4)	290.9 (3.5)	1959 (29)
पूर्व चंपारण	193.28 (6)	139.59 (2.1)	722 (37)	185.07 (5.5)	346.11 (4.2)	1870 (32)
मुजफ्फरपुर	113.99 (3.5)	108.34 (1.6)	951 (35)	124.09 (3.7)	169.91 (2.1)	1369 (38)
सीतामढ़ी	96.75 (3)	93.52 (1.4)	967 (34)	96.29 (2.9)	204.63 (2.5)	2125 (25)
शिवहर	22.66 (0.7)	12.46 (0.2)	550 (38)	22.12 (0.7)	35.78 (0.4)	1617 (36)
वैशाली	43.72 (1.4)	44.58 (0.7)	1020 (33)	39.62 (1.2)	85.9 (1)	2168 (23)
दरभंगा	78.96 (2.4)	110.7 (1.6)	1402 (30)	78.61 (2.4)	144.4 (1.8)	1837 (33)
मधुबनी	204.78 (6.3)	211.88 (3.1)	1035 (32)	206.62 (6.2)	363.13 (4.4)	1757 (34)
समस्तीपुर	99.45 (3.1)	167.44 (2.5)	1684 (27)	88.67 (2.7)	222.67 (2.7)	2511 (19)
बेगूसराय	18.53 (0.6)	29.35 (0.4)	1584 (28)	27.18 (0.8)	84.52 (1.0)	3109 (11)
मुंगेर	27.39 (0.8)	71.85 (1.1)	2623 (12)	24.45 (0.7)	91.74 (1.1)	3752 (1)
शेखपुरा	24.72 (0.8)	95.71 (1.4)	3872 (2)	22.08 (0.7)	63.27 (0.8)	2865 (15)
लखीसराय	15.87 (0.5)	67.77 (1)	4271 (1)	71.39 (2.1)	220.01 (2.7)	3082 (12)
जमुई	70.38 (2.2)	132.22 (1.9)	1879 (23)	18.15 (0.5)	61.05 (0.7)	3364 (6)
खगड़िया	20.92 (0.6)	38.79 (0.6)	1854 (24)	22.25 (0.7)	42.68 (0.5)	1918 (31)
भागलपुर	32.91 (1)	77.53 (1.1)	2356 (16)	32 (1)	74.22 (0.9)	2319 (20)
बांका	94.57 (2.9)	316.98 (4.7)	3352 (6)	95.54 (2.9)	323.63 (3.9)	3387 (5)
सहरसा	79.25 (2.5)	157.26 (2.3)	1984 (20)	78.69 (2.4)	135.79 (1.6)	1726 (35)
सुपौल	99.19 (3.1)	188.01 (2.8)	1895 (22)	104.63 (3.1)	203.08 (2.5)	1941 (30)
मधेपुरा	79.64 (2.5)	162.1 (2.4)	2035 (19)	84.09 (2.5)	217.78 (2.6)	2590 (18)
पूर्णिया	86.06 (2.7)	167.11 (2.5)	1942 (21)	120.95 (3.6)	276.75 (3.4)	2288 (21)
किशनगंज	78.34 (2.4)	138.93 (2)	1773 (26)	78.41 (2.3)	167.19 (2)	2132 (24)
अररिया	122.01 (3.8)	252.08 (3.7)	2066 (18)	115.83 (3.5)	227.56 (2.8)	1965 (27)
कटिहार	104.23 (3.2)	218.71 (3.2)	2098 (17)	109.9 (3.3)	242.53 (2.9)	2207 (22)
बिहार	**3232.31 (100)**	**6802.22 (100)**	**2104**	**3339.78 (100)**	**8238.77 (100)**	**2467**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.4 : गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिले	2015-16			2016-17		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	60.07 (2.8)	143.99 (3.0)	2397 (17)	60.44 (2.9)	200.79 (3.4)	3322 (8)
नालंदा	84.66 (4.0)	211.69 (4.5)	2500 (13)	84.13 (4)	265.35 (4.4)	3154 (12)
भोजपुर	74.45 (3.5)	181.38 (3.8)	2436 (16)	50.36 (2.4)	166.61 (2.8)	3309 (9)
बक्सर	90.52 (4.3)	245.58 (5.2)	2713 (07)	82.73 (3.9)	278.86 (4.7)	3371 (6)
रोहतास	131.58 (6.2)	294.21 (6.2)	2236 (25)	140.55 (6.7)	460.38 (7.7)	3276 (10)
कैमूर	77.97 (3.7)	177.97 (3.8)	2283 (22)	81.29 (3.9)	176.69 (3)	2174 (35)
गया	71.07 (3.4)	175.09 (3.7)	2464 (15)	71.95 (3.4)	199.49 (3.3)	2773 (19)
जहानाबाद	23.39 (1.1)	61.71 (1.3)	2639 (08)	23.39 (1.1)	46.06 (0.8)	1970 (36)
अरवल	12.78 (0.6)	28.3 (0.6)	2215 (26)	14.28 (0.7)	37.75 (0.6)	2643 (22)
नवादा	42.92 (2.0)	86.53 (1.8)	2016 (29)	50.6 (2.4)	141.05 (2.4)	2787 (18)
औरंगाबाद	66.77 (3.2)	152.21 (3.2)	2280 (23)	71.13 (3.4)	165.65 (2.8)	2329 (31)
सारण	87.05 (4.1)	182.64 (3.9)	2098 (27)	89.82 (4.3)	312.71 (5.2)	3482 (3)
सीवान	90.2 (4.3)	181.03 (3.8)	2007 (30)	90.18 (4.3)	263.04 (4.4)	2917 (16)
गोपालगंज	76.75 (3.6)	174.19 (3.7)	2269 (24)	77.64 (3.7)	263.96 (4.4)	3400 (4)
पश्चिम चंपारण	61.67 (2.9)	147.1 (3.1)	2385 (18)	69.57 (3.3)	154.24 (2.6)	2217 (33)
पूर्व चंपारण	121.13 (5.7)	133.35 (2.8)	1101 (38)	118.63 (5.6)	287.31 (4.8)	2422 (29)
मुजफ्फरपुर	80.08 (3.8)	124.27 (2.6)	1552 (35)	92.18 (4.4)	257.33 (4.3)	2792 (17)
सीतामढ़ी	88.03 (4.2)	283.07 (6.0)	3216 (02)	87.8 (4.2)	273.72 (4.6)	3118 (13)
शिवहर	13.34 (0.6)	23.17 (0.5)	1736 (33)	14.31 (0.7)	34.72 (0.6)	2425 (28)
वैशाली	40.88 (1.9)	75.82 (1.6)	1855 (31)	43.14 (2)	143.46 (2.4)	3326 (7)
दरभंगा	59.35 (2.8)	172.95 (3.7)	2914 (05)	59.88 (2.8)	150.01 (2.5)	2505 (23)
मधुबनी	90.46 (4.3)	128.71 (2.7)	1423 (37)	92.17 (4.4)	176.07 (2.9)	1910 (38)
समस्तीपुर	46.61 (2.2)	107.84 (2.3)	2314 (20)	49.36 (2.3)	185.32 (3.1)	3755 (2)
बेगूसराय	60.6 (2.9)	139.94 (3)	2309 (21)	60.6 (2.9)	228.99 (3.8)	3779 (1)
मुंगेर	14.38 (0.7)	24.44 (0.5)	1700 (34)	13.89 (0.7)	34.32 (0.6)	2470 (24)
शेखपुरा	22.19 (1.1)	55.47 (1.2)	2500 (14)	22.19 (1.1)	52.05 (0.9)	2345 (30)
लखीसराय	29.7 (1.4)	70.16 (1.5)	2362 (19)	29.4 (1.4)	89.22 (1.5)	3035 (15)
जमुई	52.12 (2.5)	78.85 (1.7)	1513 (36)	46.11 (2.2)	102.98 (1.7)	2233 (32)
खगड़िया	29.36 (1.4)	82.35 (1.7)	2805 (06)	29.34 (1.4)	89.31 (1.5)	3044 (14)
भागलपुर	46.23 (2.2)	143.02 (3.0)	3094 (03)	48.35 (2.3)	163.6 (2.7)	3384 (5)
बांका	24.81 (1.2)	62.59 (1.3)	2523 (12)	32.96 (1.6)	88.2 (1.5)	2676 (20)
सहरसा	49.84 (2.4)	103.65 (2.2)	2080 (28)	49.76 (2.4)	133 (2.2)	2673 (21)
सुपौल	53.51 (2.5)	94.61 (2.0)	1768 (32)	51.18 (2.4)	100.6 (1.7)	1965 (37)
मधेपुरा	33.27 (1.6)	97.54 (2.1)	2932 (04)	9.6 (0.5)	30.57 (0.5)	3184 (11)
पूर्णिया	26.73 (1.3)	93.13 (2.0)	3484 (01)	35.39 (1.7)	85.96 (1.4)	2429 (27)
किशनगंज	14.85 (0.7)	38.48 (0.8)	2591 (10)	17.73 (0.8)	39.25 (0.7)	2214 (34)
अररिया	25.99 (1.2)	66.99 (1.4)	2577 (11)	36.22 (1.7)	88.81 (1.5)	2452 (25)
कटिहार	35.46 (1.7)	92.44 (2.0)	2607 (09)	7.58 (0.4)	18.45 (0.3)	2435 (26)
बिहार	**2110.75 (100)**	**4736.45 (100)**	**2244**	**2105.81 (100)**	**5985.84 (100)**	**2843**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.5 : मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिले	2015-16			2016-17		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	6.73 (1)	16.4 (0.7)	2436 (28)	6.34 (0.9)	13.91 (0.4)	2194 (31)
नालंदा	6.33 (0.9)	21.2 (0.8)	3351 (16)	8.05 (1.1)	36.56 (1.0)	4540 (14)
भोजपुर	6.61 (0.9)	17.43 (0.7)	2639 (27)	2.64 (0.4)	5.16 (0.1)	1957 (34)
बक्सर	1.15 (0.2)	1.67 (0.1)	1448 (37)	1.28 (0.2)	3.01 (0.1)	2357 (30)
रोहतास	0.09 (0)	0.21 (0)	2477 (29)	0.08 (0.0)	0.13 (0.0)	1663 (37)
कैमूर	0.33 (0)	0.67 (0)	2012 (34)	0.35 (0.0)	0.73 (0.0)	2098 (32)
गया	5.74 (0.8)	25.51 (1)	4441 (5)	4.39 (0.6)	13.71 (0.4)	3124 (24)
जहानाबाद	0.45 (0.1)	1.81 (0.1)	4054 (9)	0.44 (0.1)	2.08 (0.1)	4751 (12)
अरवल	0.56 (0.1)	2.34 (0.1)	4201 (8)	0.52 (0.1)	2.93 (0.1)	5684 (7)
नवादा	1.69 (0.2)	4.55 (0.2)	2688 (25)	1.51 (0.2)	4.38 (0.1)	2910 (25)
औरंगाबाद	0.21 (0)	0.83 (0)	3855 (12)	1.18 (0.2)	2.84 (0.1)	2414 (29)
सारण	27.11 (3.8)	87.89 (3.5)	3242 (18)	24.99 (3.5)	109.42 (2.8)	4378 (16)
सीवान	17.97 (2.5)	43.28 (1.7)	2409 (30)	18.02 (2.5)	85.09 (2.2)	4724 (13)
गोपालगंज	11.7 (1.7)	33.79 (1.3)	2888 (23)	11.28 (1.6)	31.74 (0.8)	2815 (26)
पश्चिम चंपारण	7.4 (1)	22.53 (0.9)	3043 (20)	5.37 (0.7)	18.39 (0.5)	3423 (21)
पूर्व चंपारण	46.51 (6.6)	67.04 (2.7)	1441 (38)	46.68 (6.5)	122.28 (3.2)	2619 (28)
मुजफ्फरपुर	39.16 (5.6)	89.85 (3.6)	2294 (31)	31.38 (4.4)	56.62 (1.5)	1804 (35)
सीतामढ़ी	5.42 (0.8)	21.51 (0.9)	3972 (11)	5.38 (0.7)	21.83 (0.6)	4057 (17)
शिवहर	1.61 (0.2)	4.73 (0.2)	2936 (22)	1.5 (0.2)	6.68 (0.2)	4439 (15)
वैशाली	31.86 (4.5)	127.9 (5.1)	4014 (10)	32.39 (4.5)	123.48 (3.2)	3813 (19)
दरभंगा	14.77 (2.1)	72.4 (2.9)	4903 (3)	14.36 (2)	101.96 (2.7)	7100 (3)
मधुबनी	0.59 (0.1)	1.87 (0.1)	3187 (19)	0.09 (0)	0.34 (0)	3953 (18)
समस्तीपुर	63.59 (9)	169.64 (6.7)	2668 (26)	61.88 (8.6)	300.39 (7.8)	4855 (11)
बेगूसराय	56.5 (8)	121.72 (4.8)	2154 (32)	56.44 (7.8)	211.4 (5.5)	3745 (20)
मुंगेर	4.51 (0.6)	9.64 (0.4)	2137 (33)	2.19 (0.3)	4.3 (0.1)	1962 (33)
शेखपुरा	0.65 (0.1)	1.21 (0)	1851 (35)	0.68 (0.1)	1.19(0)	1758 (36)
लखीसराय	4.7 (0.7)	7.17 (0.3)	1524 (36)	4.44 (0.6)	1.86 (0)	420 (38)
जमुई	5.41 (0.8)	14.78 (0.6)	2732 (24)	4.43 (0.6)	11.99 (0.3)	2704 (27)
खगड़िया	55.24 (7.8)	166.76 (6.6)	3019 (21)	63.53 (8.8)	404.63 (10.5)	6369 (6)
भागलपुर	44.9 (6.4)	233.34 (9.3)	5197 (2)	40.7 (5.6)	138.49 (3.6)	3403 (22)
बांका	10.88 (1.5)	46.55 (1.8)	4279 (7)	10.37 (1.4)	33.89 (0.9)	3267 (23)
सहरसा	29.83 (4.2)	111.24 (4.4)	3729 (14)	29.68 (4.1)	165.1 (4.3)	5564 (8)
सुपौल	10.26 (1.5)	37.87 (1.5)	3690 (15)	15.26 (2.1)	83.79 (2.2)	5491 (9)
मधेपुरा	43.52 (6.2)	144.78 (5.8)	3326 (17)	40.89 (5.7)	214.46 (5.6)	5246 (10)
पूर्णिया	39.5 (5.6)	176.17 (7)	4460 (4)	36.93 (5.1)	285.54 (7.4)	7731 (2)
किशनगंज	3.28 (0.5)	12.88 (0.5)	3921 (13)	3.51 (0.5)	23 (0.6)	6561 (4)
अररिया	52.6 (7.5)	232.05 (9.2)	4412 (6)	42.25 (5.9)	274.13 (7.1)	6489 (5)
कटिहार	45.6 (6.5)	365.95 (14.5)	8025 (1)	89.55 (12.4)	928.28 (24.1)	10366 (1)
बिहार	**704.96 (100)**	**2517.10 (100)**	**3571**	**720.91 (100)**	**3845.7 (100)**	**5335**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.6 : दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिले	2015-16			2016-17		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	47.01 (9.4)	49.74 (11.8)	1058 (9)	46.9 (9.4)	57.97 (12.5)	1236 (4)
नालंदा	24.47 (4.9)	27.81 (6.6)	1136 (6)	26.51 (5.3)	26.22(5.6)	989 (18)
भोजपुर	20.73 (4.2)	18.25 (4.3)	880 (20)	14.83 (3.0)	17.86(3.8)	1204 (5)
बक्सर	8.27 (1.7)	7.77 (1.8)	940 (12)	7.14 (1.4)	9.28 (2.0)	1299 (2)
रोहतास	9.36 (1.9)	11.82 (2.8)	1263 (2)	10.94 (2.2)	14.07 (3.0)	1286 (3)
कैमूर	11.77 (2.4)	10.81 (2.6)	919 (14)	12.47 (2.5)	11.46(2.5)	919 (22)
गया	19.65 (3.9)	22.48 (5.3)	1144 (5)	19.57 (3.9)	21.71(4.7)	1109 (9)
जहानाबाद	15.55 (3.1)	14.22 (3.4)	914 (15)	15.63 (3.1)	14.88(3.2)	952 (20)
अरवल	6.3 (1.3)	5.29 (1.3)	840 (25)	6.06 (1.2)	5.39(1.2)	889 (24)
नवादा	8.64 (1.7)	10.23 (2.4)	1184 (3)	9.33 (1.9)	7.91(1.7)	848 (26)
औरंगाबाद	33.38 (6.7)	26.01 (6.2)	779 (29)	31.74 (6.4)	26.04 (5.6)	820 (28)
सारण	3.05 (0.6)	2.65 (0.6)	869 (22)	2.84 (0.6)	2.27(0.5)	798 (31)
सीवान	3.76 (0.8)	3.43 (0.8)	912 (16)	4.31 (0.9)	4.37(0.9)	1015 (15)
गोपालगंज	1.93 (0.4)	1.67 (0.4)	865 (23)	2.05 (0.4)	2.03(0.4)	991 (17)
पश्चिम चंपारण	11.18 (2.2)	7.63 (1.8)	682 (32)	9.83 (2)	11.21(2.4)	1140 (7)
पूर्व चंपारण	11.33 (2.3)	10.3 (2.4)	909 (17)	10.51 (2.1)	9.96(2.1)	947 (21)
मुजफ्फरपुर	27.04 (5.4)	13.52 (3.2)	500 (35)	27.46 (5.5)	12.63(2.7)	460 (38)
सीतामढ़ी	6.19 (1.2)	4.69 (1.1)	758 (30)	6.26 (1.3)	4.85 (1)	775 (32)
शिवहर	2.02 (0.4)	1.25 (0.3)	616 (33)	2.08 (0.4)	1.27(0.3)	609 (36)
वैशाली	7.98 (1.6)	4.41 (1.0)	553 (34)	8.71 (1.8)	4.99(1.1)	574 (37)
दरभंगा	11.72 (2.4)	10.39 (2.5)	887 (19)	11.5 (2.3)	9.87(2.1)	858 (25)
मधुबनी	15.66 (3.1)	11.08 (2.6)	709 (31)	24.03 (4.8)	19.25(4.1)	801 (30)
समस्तीपुर	17.52 (3.5)	14.15 (3.4)	808 (26)	18.49 (3.7)	15.45(3.3)	836 (27)
बेगूसराय	5.1 (1.0)	5.2 (1.2)	1020 (11)	4.92 (1)	5.02 (1.1)	1021 (14)
मुंगेर	2.26 (0.5)	2.45 (0.6)	1084 (7)	3.75 (0.8)	3.65 (0.8)	975 (19)
शेखपुरा	6.23 (1.3)	8.94 (2.1)	1437 (1)	6.76 (1.4)	7.9 (1.7)	1168 (6)
लखीसराय	11.17 (2.2)	11.68 (2.8)	1046 (10)	10.06 (2)	13.23 (2.8)	1314 (1)
जमुई	13.44 (2.7)	15.65 (3.7)	1164 (4)	12.11 (2.4)	13.75 (3)	1135 (8)
खगड़िया	8.03 (1.6)	7.48 (1.8)	932 (13)	8.04 (1.6)	7.23 (1.6)	900 (23)
भागलपुर	14.75 (3.0)	11.64 (2.8)	789 (27)	12.55 (2.5)	10.17 (2.2)	810 (29)
बांका	6.53 (1.3)	5.51 (1.3)	844 (24)	9.36 (1.9)	10.13 (2.2)	1083 (10)
सहरसा	20.23 (4.1)	7.9 (1.9)	391 (38)	20.23 (4.1)	15.35 (3.3)	759 (33)
सुपौल	29.71 (6)	13.26 (3.2)	446 (37)	26.33 (5.3)	19.49 (4.2)	740 (34)
मधेपुरा	21.66 (4.3)	9.73 (2.3)	449 (36)	20.14 (4.1)	13.37 (2.9)	664 (35)
पूर्णिया	5.76 (1.2)	5.22 (1.2)	906 (18)	6.87 (1.4)	7.1 (1.5)	1033 (11)
किशनगंज	9.38 (1.9)	7.36 (1.7)	785 (28)	9.44 (1.9)	9.71 (2.1)	1028 (13)
अररिया	9.52 (1.9)	8.38 (2.0)	880 (21)	9.59 (1.9)	9.9 (2.1)	1032 (12)
कटिहार	10.02 (2.0)	10.8 (2.6)	1078 (8)	7.96 (1.6)	7.93 (1.7)	997 (16)
बिहार	**498.3 (100)**	**420.78 (100)**	**844**	**497.3 (100)**	**464.83 (100)**	**935**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.7 : महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिले	आम				अमरुद			
	2015-16		2016-17		2015-16		2016-17	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	4.04 (2.7)	38.5 (2.6)	4.1 (2.7)	38.6 (2.6)	1.1 (3.7)	9 (2.4)	1.1 (3.7)	9 (2.4)
नालंदा	2.91 (2)	30.5 (2.1)	2.9 (1.9)	30.3 (2.1)	1.5 (5.1)	146.2 (39.5)	1.5 (5.1)	146.2 (39.5)
भोजपुर	4.65 (3.1)	46.8 (3.2)	4.7 (3.1)	47.3 (3.2)	1.93 (6.6)	16.5 (4.5)	1.9 (6.6)	16.5 (4.5)
बक्सर	3.41 (2.3)	34.5 (2.4)	3.5 (2.3)	35.4 (2.4)	1.6 (5.5)	12.5 (3.4)	1.6 (5.4)	12.5 (3.4)
रोहतास	5.7 (3.8)	58.8 (4)	5.7 (3.8)	58.9 (4)	3.3 (11.2)	27 (7.3)	3.3 (11.3)	27.1 (7.3)
कैमूर	3.41 (2.3)	34.3 (2.3)	3.4 (2.3)	34.4 (2.3)	1.4 (4.8)	10.6 (2.9)	1.4 (4.8)	10.6 (2.9)
गया	1.41 (0.9)	14.5 (1)	1.4 (0.9)	14.5 (1)	0.7 (2.4)	5.5 (1.5)	0.7 (2.4)	5.5 (1.5)
जहानाबाद	0.41 (0.3)	4.2 (0.3)	0.4 (0.3)	4.2 (0.3)	0.3 (1)	2.1 (0.6)	0.3 (1)	2.1 (0.6)
अरवल	0.4 (0.3)	3.6 (0.2)	0.5 (0.3)	4.5 (0.3)	0.2 (0.7)	1.8 (0.5)	0.2 (0.7)	1.8 (0.5)
नवादा	1.2 (0.8)	12.2 (0.8)	1.3 (0.9)	13.2 (0.9)	0.5 (1.7)	3.9 (1.1)	0.5 (1.7)	3.9 (1.1)
औरंगाबाद	1.3 (0.9)	14.2 (1)	1.3 (0.9)	14.2 (1)	0.7 (2.4)	4.8 (1.3)	0.7 (2.4)	4.9 (1.3)
सारण	5.18 (3.5)	50 (3.4)	5.2 (3.5)	50 (3.4)	0	0	0 (0)	0 (0)
सीवान	2.51 (1.7)	25.1 (1.7)	2.5 (1.7)	25.2 (1.7)	0.7 (2.4)	5.5 (1.5)	0.7 (2.4)	5.5 (1.5)
गोपालगंज	3.12 (2.1)	30.2 (2.1)	3.1 (2.1)	30.2 (2.1)	0.6 (2)	5 (1.4)	0.6 (2)	5 (1.4)
पश्चिम चंपारण	7.32(4.9)	72.5 (4.9)	7.3 (4.9)	72.5 (4.9)	1.6 (5.5)	13.8 (3.7)	1.6 (5.4)	13.8 (3.7)
पूर्व चंपारण	9.33(6.3)	92.3 (6.3)	9 (6)	89 (6)	1.7 (5.8)	14 (3.8)	1.7 (5.8)	14 (3.8)
मुजफ्फरपुर	9.84(6.6)	96.5 (6.6)	9.8 (6.6)	96.5 (6.6)	1.5 (5.1)	11.8 (3.2)	1.5 (5.1)	11.8 (3.2)
सीतामढ़ी	5.4(3.6)	52.5 (3.6)	5.3 (3.5)	51.6 (3.5)	0.7 (2.4)	6.2 (1.7)	0.7 (2.4)	6.2 (1.7)
शिवहर	2.7 (1.8)	27 (1.8)	2.7 (1.8)	27 (1.8)	0.3 (1)	2.6 (0.7)	0.3 (1)	2.6 (0.7)
वैशाली	8.47 (5.7)	86 (5.9)	8.5 (5.6)	85.9 (5.8)	1.5 (5.1)	11.2 (3)	1.5 (5.1)	11.2 (3)
दरभंगा	13.55 (9.1)	140.5 (9.6)	13.6 (9)	140.5 (9.5)	0.6 (2)	4.9 (1.3)	0.6 (2)	4.9 (1.3)
मधुबनी	6.1 (4.1)	61 (4.2)	6.2 (4.1)	62 (4.2)	0.5 (1.7)	4.1 (1.1)	0.5 (1.7)	4.1 (1.1)
समस्तीपुर	10.64 (7.1)	99.3 (6.8)	10.6 (7.1)	99.3 (6.7)	0.7 (2.4)	5.3 (1.4)	0.7 (2.4)	5.3 (1.4)
बेगूसराय	4.1 (2.7)	40.5 (2.8)	4.3 (2.9)	42.5 (2.9)	0.5 (1.7)	4.6 (1.2)	0.5 (1.7)	4.6 (1.2)
मुंगेर	1.3 (0.9)	13.7 (0.9)	1.3 (0.9)	13.7 (0.9)	0.3 (1)	2.3 (0.6)	0.3 (1)	2.3 (0.6)
शेखपुरा	0.9 (0.6)	9.6 (0.7)	0.9 (0.6)	9.7 (0.7)	0.1 (0.3)	1.1 (0.3)	0.1 (0.4)	1.2 (0.3)
लखीसराय	0.61 (0.4)	6 (0.4)	0.6 (0.4)	6 (0.4)	0.1 (0.3)	1.1 (0.3)	0.1 (0.3)	1.1 (0.3)
जमुई	1.15 (0.8)	11 (0.8)	1.2 (0.8)	11.1 (0.8)	0.2 (0.7)	1.7 (0.5)	0.2 (0.7)	1.7 (0.5)
खगड़िया	1.7 (1.1)	16.5 (1.1)	1.7 (1.1)	16.6 (1.1)	0.4 (1.4)	3 (0.8)	0.4 (1.4)	3 (0.8)
भागलपुर	7.6 (5.1)	70.51 (4.8)	7.9 (5.3)	73.3 (5)	0.71 (2.4)	5.8 (1.6)	0.7 (2.4)	5.8 (1.6)
बांका	6.3 (4.2)	50.5 (3.4)	6.5 (4.3)	52.1 (3.5)	0.3 (1)	2.5 (0.7)	0.3 (1)	2.5 (0.7)
सहरसा	2.21 (1.5)	23.2 (1.6)	2.2 (1.5)	23.4 (1.6)	0.7 (2.4)	5.3 (1.4)	0.7 (2.4)	5.4 (1.5)
सुपौल	1.3 (0.9)	13.1 (0.9)	1.3 (0.9)	13.1 (0.9)	0.4 (1.4)	3.3 (0.9)	0.4 (1.4)	3.3 (0.9)
मधेपुरा	2.01 (1.3)	18.3 (1.2)	2 (1.3)	18.4 (1.2)	0.7 (2.4)	5 (1.4)	0.7 (2.4)	5 (1.4)
पूर्णिया	2.58 (1.7)	25.5 (1.7)	2.6 (1.7)	25.5 (1.7)	0.4 (1.4)	3.2 (0.9)	0.4 (1.4)	3.2 (0.9)
किशनगंज	0.8 (0.5)	7.5 (0.5)	0.8 (0.5)	7.6 (0.5)	0.2 (0.7)	1.9 (0.5)	0.2 (0.7)	1.9 (0.5)
अररिया	0.71 (0.5)	5.72 (0.4)	0.7 (0.5)	5.7 (0.4)	0.2 (0.7)	1.2 (0.3)	0.2 (0.7)	1.2 (0.3)
कटिहार	2.9 (1.9)	28.3 (1.9)	2.9 (1.9)	28.4 (1.9)	0.5 (1.7)	3.7 (1)	0.5 (1.7)	3.7 (1)
बिहार	**149.14 (100)**	**1464.93 (100)**	**150 (100)**	**1472.4 (100)**	**29.34 (100)**	**370 (100)**	**29.4 (100)**	**370.4 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका 3.7 : महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिले	लीची				केला			
	2015-16		2016-17		2015-16		2016-17	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना					0.7 (2)	30.3 (2)	0.7 (1.9)	28.1 (1.8)
नालंदा					0.5 (1.4)	24.4 (1.6)	0.6 (1.7)	25 (1.6)
भोजपुर					0.4 (1.1)	15.2 (1)	0.5 (1.4)	19 (1.2)
बक्सर					0.2 (0.6)	10.5 (0.7)	0.2 (0.6)	11 (0.7)
रोहतास					0.3 (0.9)	14.2 (0.9)	0.3 (0.9)	15.2 (1)
कैमूर					0.2 (0.6)	11.1 (0.7)	0.2 (0.6)	11.5 (0.8)
गया					0.3 (0.9)	12.9 (0.8)	0.3 (0.9)	12.9 (0.8)
ज्हानाबाद					0.2 (0.6)	8.1 (0.5)	0.2 (0.6)	8.3 (0.5)
अरवल					0.1 (0.3)	6.1 (0.4)	0.2 (0.4)	9.2 (0.6)
नवादा					0.4 (1.1)	12 (0.8)	0.4 (1.2)	12.3 (0.8)
औरंगाबाद					0.4 (1.1)	16.2 (1.1)	0.4 (1.2)	1.6 (0.1)
सारण	1.1 (3.4)	9.3 (4.7)	1.1 (3.5)	9.4 (4.7)	0.9 (2.6)	38.4 (2.5)	0.9 (2.6)	38.9 (2.5)
सीवान	1.2 (3.7)	7.6 (3.8)	1.2 (3.7)	7.6 (3.8)	0.8 (2.3)	35.1 (2.3)	0.8 (2.3)	35.2 (2.3)
गोपालगंज	1.2 (3.7)	8 (4)	1.2 (3.7)	8 (4)	0.8 (2.3)	32 (2.1)	0.8 (2.3)	32 (2.1)
पश्चिम चंपारण	2.1 (6.5)	11.5 (5.8)	2.1 (6.5)	11.5 (5.8)	1.1 (3.2)	51 (3.3)	1.1 (3.1)	51 (3.3)
पूर्व चंपारण	2 (6.2)	12.3 (6.2)	2 (6.2)	12.3 (6.2)	1.1 (3.2)	48.1 (3.1)	1.2 (3.4)	52.5 (3.4)
मुजफ्फरपुर	7.9 (24.6)	40.5 (20.5)	7.9 (24.5)	40.5 (20.4)	5.3 (15.2)	272.5 (17.7)	5.3 (15.1)	271.5 (17.8)
सीतामढ़ी	2.3 (7.2)	17.4 (8.8)	2.3 (7.2)	17.5 (8.8)	0.7 (2)	30.4 (2)	0.7 (2)	30.8 (2)
शिवहर	1 (3.1)	6.8 (3.4)	1 (3.2)	7 (3.5)	0.3 (0.9)	12 (0.8)	0.3 (0.9)	12.2 (0.8)
वैशाली	3.7 (11.5)	21.7 (11)	3.7 (11.5)	21.7 (10.9)	3.4 (9.8)	142 (9.2)	3.4 (9.7)	142.1 (9.3)
दरभंगा	0.8 (2.5)	4.1 (2.1)	0.8 (2.5)	4.1 (2.1)	1.3 (3.7)	70.9 (4.6)	1.3 (3.8)	72.3 (4.7)
मधुबनी	0.8 (2.5)	5.5 (2.8)	0.8 (2.5)	5.5 (2.8)	1.1 (3.2)	54.2 (3.5)	1 (2.9)	49.3 (3.2)
समस्तीपुर	1.5 (4.7)	10.3 (5.2)	1.5 (4.7)	10.4 (5.2)	2.3 (6.6)	102.5 (6.7)	2.3 (6.6)	102.9 (6.7)
बेगूसराय	0.6 (1.9)	3.3 (1.7)	0.6 (1.9)	3.3 (1.7)	1 (2.9)	45.4 (3)	1 (2.9)	45.9 (3)
मुंगेर	0.3 (0.9)	2.2 (1.1)	0.3 (0.9)	2.2 (1.1)	0.4 (1.1)	21.2 (1.4)	0.3 (0.9)	17 (1.1)
शेखपुरा	0	0.3 (0.2)	0 (0)	0.3 (0.2)	0.1 (0.3)	6.2 (0.4)	0.1 (0.3)	6.5 (0.4)
लखीसराय	0	0.3 (0.2)	0 (0)	0.3 (0.2)	0.2 (0.6)	6.5 (0.4)	0.2 (0.6)	6.6 (0.4)
जमुई	0.1 (0.3)	1.2 (0.6)	0.1 (0.3)	1.2 (0.6)	0.2 (0.6)	9.6 (0.6)	0.2 (0.6)	9.7 (0.6)
खगड़िया	0.3 (0.9)	2.1 (1.1)	0.3 (0.9)	2.1 (1.1)	1.1 (3.2)	45.7 (3)	1.1 (3.2)	46.1 (3)
भागलपुर	0.6 (1.9)	4.3 (2.2)	0.6 (1.9)	4.3 (2.2)	1.3 (3.7)	52.6 (3.4)	1.4 (3.8)	54.6 (3.6)
बांका	0.1 (0.3)	0.3 (0.2)	0.1 (0.3)	0.3 (0.2)	0.4 (1.1)	14.7 (1)	0.4 (1.2)	15.1 (1)
सहरसा	0.6 (1.9)	4.7 (2.4)	0.6 (1.9)	4.8 (2.4)	1.2 (3.4)	51.5 (3.4)	1.2 (3.5)	52 (3.4)
सुपौल	0.1 (0.3)	0.7 (0.4)	0.1 (0.3)	0.7 (0.4)	0.7 (2)	24 (1.6)	0.7 (2)	24 (1.6)
मधेपुरा	0.2 (0.6)	1.4 (0.7)	0.2 (0.6)	1.5 (0.7)	1.4 (4)	68.4 (4.5)	1.4 (4)	69.4 (4.5)
पूर्णिया	1.3 (4)	8.5 (4.3)	1.3 (4)	8.4 (4.2)	1.3 (3.7)	48.5 (3.2)	1.2 (3.4)	44.8 (2.9)
किशनगंज	0.4 (1.2)	2.1 (1.1)	0.4 (1.2)	2.1 (1.1)	0.7 (2)	31.5 (2.1)	0.7 (2)	31.9 (2.1)
अररिया	0.4 (1.2)	1.4 (0.7)	0.4 (1.2)	1.4 (0.7)	0.5 (1.4)	18.7 (1.2)	0.5 (1.4)	18.7 (1.2)
कटिहार	1.5 (4.7)	10.2 (5.2)	1.5 (4.7)	10.2 (5.1)	1.5 (4.3)	40.7 (2.7)	1.5 (4.3)	40.9 (2.7)
बिहार	**32.1 (100)**	**198 (100)**	**32.2 (100)**	**198.6 (100)**	**34.8 (100)**	**1535.3 (100)**	**35.1 (100)**	**1527.8 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.8 : महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिले	आलू				प्याज			
	2015-16		2016-17		2015-16		2016-17	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	12.51 (3.9)	360 (5.7)	12.5 (3.9)	359.8 (5.6)	2.6 (4.8)	63 (5.1)	2.7 (5)	65.4 (5.2)
नालंदा	20.81 (6.5)	600 (9.5)	20 (6.2)	576.6 (9)	6 (11.1)	160 (12.8)	5.5 (10.2)	146.7 (11.7)
भोजपुर	6.3 (2)	172.7 (2.7)	6.4 (2)	175.4 (2.8)	1.2 (2.2)	26(2.1)	1.2 (2.2)	26 (2.1)
बक्सर	3.9 (1.2)	105.1 (1.7)	4 (1.2)	107.8 (1.7)	0.9 (1.7)	22.6(1.8)	1 (1.8)	25.1 (2)
रोहतास	8 (2.5)	206.9 (3.3)	8 (2.5)	207.2 (3.2)	1.2 (2.2)	27.3(2.2)	1.2 (2.2)	27.5 (2.2)
कैमूर	3.22 (1)	84 (1.3)	3.2 (1)	84.2 (1.3)	1 (1.9)	20.7(1.7)	1 (1.9)	20.9 (1.7)
गया	8.1 (2.5)	8.1 (0.1)	8.2 (2.6)	8.2 (0.1)	1.4 (2.6)	1.4(0.1)	1.4 (2.6)	1.4 (0.1)
जहानाबाद	2.81 (0.9)	73.8 (1.2)	2.8 (0.9)	73.9 (1.2)	0.5 (0.9)	13.1(1.1)	0.5 (1)	13.5 (1.1)
अरवल	2.2 (0.7)	59.1 (0.9)	2.5 (0.8)	67.2 (1.1)	0.4 (0.7)	9.9(0.8)	0.4 (0.7)	9.9 (0.8)
नवादा	4.2 (1.3)	100 (1.6)	4.2 (1.3)	100 (1.6)	1 (1.9)	21.8(1.7)	1 (1.8)	21.8 (1.7)
औरंगाबाद	4.5 (1.4)	115.8 (1.8)	4.5 (1.4)	115.8 (1.8)	1.12 (2.1)	25.42 (2)	1.1 (2.1)	25.5 (2)
सारण	10.8 (3.4)	280.5 (4.4)	10.8 (3.4)	280.8 (4.4)	1 (1.9)	18(1.4)	1 (1.9)	18.2 (1.5)
सीवान	7.7 (2.4)	205.9 (3.2)	7.7 (2.4)	205.9 (3.2)	0.9 (1.7)	21(1.7)	0.9 (1.7)	21 (1.7)
गोपालगंज	9.12 (2.9)	242.7 (3.8)	9.1 (2.8)	242.7 (3.8)	0.9 (1.7)	18.6(1.5)	0.9 (1.7)	18.6 (1.5)
पश्चिम चंपारण	9.27 (2.9)	250 (3.9)	9.3 (2.9)	250.8 (3.9)	2.4 (4.4)	62 (5)	2.4 (4.4)	61.9 (5)
पूर्व चंपारण	8.9 (2.8)	240.9 (3.8)	8.9 (2.8)	240.9 (3.8)	2.4 (4.4)	59.3(4.8)	2.5 (4.6)	61.8 (4.9)
मुजफ्फरपुर	85.5 (26.8)	254 (4)	85.5 (26.7)	254 (4)	2.6 (4.8)	67(5.4)	2.7 (5)	69.3 (5.6)
सीतामढ़ी	5.1(1.6)	136.5 (2.2)	5.1 (1.6)	137.1 (2.1)	1.3 (2.4)	32.5(2.6)	1.3 (2.4)	32.6 (2.6)
शिवहर	3.2 (1)	83.6 (1.3)	3.2 (1)	83.9 (1.3)	0.7 (1.3)	17.3(1.4)	0.7 (1.3)	17.3 (1.4)
वैशाली	9.91 (3.1)	290.5 (4.6)	9.9 (3.1)	290.3 (4.6)	1.8 (3.3)	44(3.5)	1.8 (3.3)	44 (3.5)
दरभंगा	5.85 (1.8)	154.9 (2.4)	5.8 (1.8)	154.9 (2.4)	1 (1.9)	25 (2)	1 (1.8)	25 (2)
मधुबनी	7.73 (2.4)	206.9 (3.3)	7.8 (2.4)	208.8 (3.3)	1.1 (2)	25.3 (2)	1 (1.8)	23 (1.8)
समस्तीपुर	9.2 (2.9)	250 (3.9)	9.2 (2.9)	250.2 (3.9)	1.4 (2.6)	30.4(2.4)	1.4 (2.6)	30.5 (2.4)
बेगूसराय	6 (1.9)	168 (2.6)	6.5 (2)	182 (2.9)	2 (3.7)	42.4(3.4)	2 (3.7)	42.4 (3.4)
मुंगेर	5.3 (1.7)	142.1 (2.2)	5.3 (1.7)	142.4 (2.2)	1 (1.9)	24.5 (2)	1.1 (2)	27 (2.2)
शेखपुरा	4.2 (1.3)	120 (1.9)	4.2 (1.3)	120.6 (1.9)	1.3 (2.4)	30 (2.4)	1.3 (2.4)	30.3 (2.4)
लखीसराय	2.4 (0.8)	63.5 (1)	2.4 (0.8)	63.8 (1)	0.4 (0.7)	10.1 (0.8)	0.4 (0.8)	10.3 (0.8)
जमुई	2.6 (0.8)	67.3 (1.1)	2.6 (0.8)	67.5 (1.1)	0.8 (1.5)	22.2 (1.8)	0.8 (1.5)	22.4 (1.8)
खगड़िया	4.1 (1.3)	108.6 (1.7)	4.1 (1.3)	108.9 (1.7)	0.8 (1.5)	17.3 (1.4)	0.8 (1.5)	17.4 (1.4)
भागलपुर	6.31 (2)	168.31 (2.7)	6.3 (2)	168.4 (2.6)	1.6 (3)	40.32 (3.2)	1.6 (3)	40.4 (3.2)
बांका	4.9 (1.5)	125.7 (2)	4.9 (1.5)	125.7 (2)	0.7 (1.3)	15.5 (1.2)	0.7 (1.3)	15.7 (1.3)
सहरसा	5.7 (1.8)	151.6 (2.4)	5.7 (1.8)	151.9 (2.4)	0.6 (1.1)	15 (1.2)	0.6 (1.1)	15.3 (1.2)
सुपौल	4.5 (1.4)	116 (1.8)	4.5 (1.4)	116 (1.8)	0.4 (0.7)	8.5 (0.7)	0.4 (0.7)	8.5 (0.7)
मधेपुरा	5.3 (1.7)	140.1 (2.2)	5.3 (1.7)	140.4 (2.2)	1 (1.9)	22.6 (1.8)	1 (1.8)	22.6 (1.8)
पूर्णिया	5.2 (1.6)	137.3 (2.2)	5.2 (1.6)	136 (2.1)	1.8 (3.3)	42.5 (3.4)	1.8 (3.3)	42.5 (3.4)
किशनगंज	4.5 (1.4)	117.9 (1.9)	4.5 (1.4)	118.1 (1.9)	1.4 (2.6)	31.4 (2.5)	1.4 (2.6)	31.6 (2.5)
अररिया	3.7 (1.2)	89.4 (1.4)	4.6 (1.4)	111.7 (1.8)	1.5 (2.8)	30.3 (2.4)	1.5 (2.8)	32.3 (2.6)
कटिहार	5.6 (1.8)	147.8 (2.3)	5.6 (1.8)	148.1 (2.3)	3.9 (7.2)	83.1 (6.7)	3.9 (7.2)	83.2 (6.7)
बिहार	**319.13 (100)**	**6345.52 (100)**	**320.5 (100)**	**6377.7(100)**	**54.03 (100)**	**1247.34 (100)**	**54.1 (100)**	**1249 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका 3.8 : महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिले	गोभी				बैंगन			
	2015-16		2016-17		2015-16		2016-17	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	3.8 (5.8)	1.3 (0.1)	4 (6.1)	1.4 (0.1)	1.91(3.3)	49 (4.3)	1.9 (3.3)	48.8 (4.3)
नालंदा	3.1 (4.7)	60 (6)	3.1 (4.7)	60 (6)	7.22 (12.5)	148.5 (13)	7.2 (12.5)	148.5 (13)
भोजपुर	1.1 (1.7)	21.5 (2.1)	1.1 (1.7)	21.7 (2.2)	1.2(2.1)	28.9 (2.5)	1.2 (2.1)	28.9 (2.5)
बक्सर	0.7 (1.1)	12.7 (1.3)	0.7 (1.1)	12.7 (1.3)	0.8(1.4)	16.9 (1.5)	0.8 (1.4)	17.2 (1.5)
रोहतास	1.3 (2)	21.9 (2.2)	1.3 (2)	22.1 (2.2)	1(1.7)	18.8 (1.7)	1 (1.7)	19 (1.7)
कैमूर	0.8 (1.2)	13.5 (1.3)	0.8 (1.2)	13.6 (1.4)	0.6 (1)	14.3 (1.3)	0.6 (1.1)	14.5 (1.3)
गया	2 (3)	2 (0.2)	2 (3)	2 (0.2)	1.6(2.8)	1.6 (0.1)	1.6 (2.8)	1.6 (0.1)
जहानाबाद	0.5 (0.8)	9.7 (1)	0.5 (0.8)	10 (1)	0.7(1.2)	13.7 (1.2)	0.7 (1.2)	14.1 (1.2)
अरवल	0.4 (0.6)	8.1 (0.8)	0.4 (0.6)	8.1 (0.8)	0.4(0.7)	9.5 (0.8)	0.4 (0.7)	9.7 (0.9)
नवादा	1.4 (2.1)	22.9 (2.3)	1.5 (2.3)	24.5 (2.4)	1.8(3.1)	26.8 (2.4)	1.8 (3.1)	26.7 (2.3)
औरंगाबाद	1.4 (2.1)	28.2 (2.8)	1.2 (1.8)	24.2 (2.4)	1.1(1.9)	22.51 (2)	1.1 (1.9)	22.5 (2)
सारण	2.9 (4.4)	38 (3.8)	2.9 (4.4)	38.2 (3.8)	1.8(3.1)	38.5 (3.4)	1.8 (3.1)	38.8 (3.4)
सीवान	1.6 (2.4)	28.4 (2.8)	1.6 (2.4)	28.4 (2.8)	1.6(2.8)	35 (3.1)	1.6 (2.8)	35 (3.1)
गोपालगंज	1.9 (2.9)	33.9 (3.4)	1.9 (2.9)	33.9 (3.4)	1.42(2.5)	30.4 (2.7)	1.4 (2.5)	30.4 (2.7)
पश्चिम चंपारण	2.9 (4.4)	53.4 (5.3)	3 (4.5)	55.2 (5.5)	2(3.5)	45 (4)	2 (3.4)	43.9 (3.8)
पूर्व चंपारण	2.91 (4.4)	39.3 (3.9)	2.9 (4.4)	39.2 (3.9)	1.6(2.8)	36.3 (3.2)	1.7 (2.9)	38.6 (3.4)
मुजफ्फरपुर	3.5 (5.3)	68 (6.8)	3.4 (5.2)	66.4 (6.6)	2.9 (5)	36.6 (3.2)	2.9 (5)	36.7 (3.2)
सीतामढ़ी	1.4 (2.1)	24.2 (2.4)	1.4 (2.1)	24.4 (2.4)	1.3(2.3)	26.9 (2.4)	1.3 (2.3)	27.1 (2.4)
शिवहर	0.8 (1.2)	15 (1.5)	0.8 (1.2)	15.2 (1.5)	0.7(1.2)	14.1 (1.2)	0.7 (1.2)	14.1 (1.2)
वैशाली	6 (9.1)	100 (10)	6 (9.1)	99.9 (10)	3.21(5.6)	69 (6.1)	3.2 (5.5)	69 (6)
दरभंगा	1.6 (2.4)	28.5 (2.8)	1.7 (2.5)	29.4 (2.9)	2.5(4.3)	51.7 (4.5)	2.5 (4.3)	51.7 (4.5)
मधुबनी	2.6 (4)	45.8 (4.6)	2.6 (3.9)	45.8 (4.6)	2.11(3.7)	43.2 (3.8)	2.1 (3.6)	43 (3.8)
समस्तीपुर	3 (4.6)	59.5 (5.9)	3 (4.6)	59.7 (6)	2.31 (4)	58.5 (5.1)	2.3 (4)	58.5 (5.1)
बेगूसराय	1.8 (2.7)	34.9 (3.5)	1.8 (2.8)	35.3 (3.5)	2.81 (4.9)	58.94 (5.2)	2.8 (4.9)	58.9 (5.2)
मुंगेर	0.8 (1.2)	13.3 (1.3)	0.8 (1.2)	13.5 (1.3)	0.8 (1.4)	16.7 (1.5)	0.8 (1.4)	16.5 (1.4)
शेखपुरा	0.2 (0.3)	4.4 (0.4)	0.2 (0.3)	4.7 (0.5)	0.3 (0.5)	6.7 (0.6)	0.3 (0.5)	6.7 (0.6)
लखीसराय	0	0	0 (0)	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)
जमुई	0.4 (0.6)	7.5 (0.7)	0.4 (0.6)	7.5 (0.8)	0.61 (1.1)	12.4 (1.1)	0.6 (1.1)	12.5 (1.1)
खगड़िया	1.3 (2)	21.4 (2.1)	1.3 (2)	21.6 (2.2)	1.2 (2.1)	29.6 (2.6)	1.2 (2.1)	29.8 (2.6)
भागलपुर	1.7 (2.6)	29.2 (2.9)	1.7 (2.6)	29.2 (2.9)	1.7 (3)	36 (3.2)	1.7 (2.9)	36 (3.2)
बांका	0.8 (1.2)	12.4 (1.2)	0.8 (1.2)	12.6 (1.3)	0.8 (1.4)	17.4 (1.5)	0.8 (1.4)	17.4 (1.5)
सहरसा	1.8 (2.7)	31.5 (3.1)	1.8 (2.7)	31.7 (3.2)	1.3 (2.3)	28.7 (2.5)	1.3 (2.3)	28.9 (2.5)
सुपौल	0.7 (1.1)	11.7 (1.2)	0.7 (1.1)	11.7 (1.2)	0.6 (1)	13 (1.1)	0.6 (1)	13 (1.1)
मधेपुरा	1.8 (2.7)	30.9 (3.1)	1.8 (2.8)	31.2 (3.1)	1.6 (2.8)	33.9 (3)	1.6 (2.8)	33.9 (3)
पूर्णिया	2.1 (3.2)	35.2 (3.5)	2.1 (3.2)	35.4 (3.5)	1.11 (1.9)	20.9 (1.8)	1.1 (1.9)	20.9 (1.8)
किशनगंज	0.9 (1.4)	15.9 (1.6)	0.9 (1.4)	16.1 (1.6)	0.6 (1)	12.4 (1.1)	0.6 (1.1)	12.6 (1.1)
अररिया	0.8 (1.2)	14.7 (1.5)	0.8 (1.2)	15 (1.5)	0.6 (1)	13.91 (1.2)	0.7 (1.2)	13.9 (1.2)
कटिहार	3 (4.6)	5.1 (0.5)	3 (4.6)	2.1 (0.2)	1.8 (3.1)	1.8 (0.2)	1.8 (3.1)	1.8 (0.2)
बिहार	**65.71 (100)**	**1003.9 (100)**	**66.1 (100)**	**1003.7 (100)**	**57.62 (100)**	**1138.05 (100)**	**57.9 (100)**	**1141.2 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.9 : ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता टन/ हे. में)

जिले	2015-16			2016-17		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	0.49 (0.2)	44.31 (0.2)	90.11 (2)	0.38 (0.1)	35.25 (0.2)	92.14 (2)
नालंदा	0.19 (0.1)	19.01 (0.1)	98.23 (1)	0.06 (0)	6.41 (0)	101.03 (1)
भोजपुर	0.42 (0.2)	34.55 (0.2)	81.32 (4)	0.39 (0.1)	20.33 (0.1)	52.04 (36)
बक्सर	0.34 (0.1)	26.22 (0.1)	78.04 (6)	0.28 (0.1)	14.41 (0.1)	52 (37)
रोहतास	0.28 (0.1)	16.05 (0.1)	57.31 (29)	0.25 (0.1)	15.61 (0.1)	62.42 (16)
कैमूर	0.15 (0.1)	5.77 (0)	39.31 (36)	0.13 (0)	6.82 (0)	54.53 (33)
गया	0.36 (0.1)	24.32 (0.1)	67.99 (12)	0.15 (0.1)	11.14 (0.1)	73.99 (5)
जहानाबाद	0.09 (0)	7.39 (0)	84.3 (3)	0.1 (0)	6.11 (0)	59.75 (20)
अरवल	0.04 (0)	2.67 (0)	66.46 (15)	0.01 (0)	0.58 (0)	65.79 (12)
नवादा	0.38 (0.1)	20.15 (0.1)	52.86 (35)	0.21 (0.1)	12.13 (0.1)	56.81 (26)
औरंगाबाद	0.09 (0)	6.86 (0)	73.35 (8)	0.1 (0)	7.22 (0)	73.98 (6)
सारण	1.03 (0.4)	56.26 (0.3)	54.37 (31)	0.89 (0.3)	48.51 (0.3)	54.79 (32)
सीवान	2.87 (1.1)	156.27 (0.9)	54.36 (32)	1.39 (0.5)	76.42 (0.4)	55.16 (31)
गेपालगंज	25.98 (9.9)	1791.1 (9.9)	68.95 (11)	21.16 (8)	1464.15 (8)	69.19 (8)
पश्चिम चंपारण	122.73 (46.6)	8529.7 (46.9)	69.5 (10)	132.86 (50.3)	9252.17 (50.7)	69.64 (7)
पूर्व चंपारण	43.3 (16.4)	3431.91 (18.9)	79.26 (5)	43.31 (16.4)	3447.08 (18.9)	79.59 (4)
मुजफ्फरपुर	8.11 (3.1)	597.28 (3.3)	73.64 (7)	7.13 (2.7)	466.77 (2.6)	65.43 (13)
सीतामढ़ी	14.64 (5.6)	904.49 (5)	61.79 (21)	12.07 (4.6)	748.72 (4.1)	62.02 (17)
शिवहर	3.65 (1.4)	137.97 (0.8)	37.78 (37)	3.62 (1.4)	213.73 (1.2)	59.04 (22)
वैशाली	1.83 (0.7)	118.65 (0.7)	64.98 (19)	1.23 (0.5)	80.18 (0.4)	65.27 (14)
दरभंगा	2.49 (0.9)	167.2 (0.9)	67.13 (13)	2.12 (0.8)	140.66 (0.8)	66.5 (11)
मधुबनी	5.58 (2.1)	373.89 (2.1)	67.02 (14)	5.14 (1.9)	342.54 (1.9)	66.66 (10)
समस्तीपुर	5.95 (2.3)	375.28 (2.1)	63.05 (20)	6.35 (2.4)	400.84 (2.2)	63.16 (15)
बेगूसराय	6.61 (2.5)	399.23 (2.2)	60.36 (23)	7.47 (2.8)	451.06 (2.5)	60.42 (19)
मुंगेर	0.18 (0.1)	10.86 (0.1)	60 (25)	0.18 (0.1)	10.8 (0.1)	60.86 (18)
शेखपुरा	0.36 (0.1)	23.4 (0.1)	65 (17)	0.32 (0.1)	18.59 (0.1)	58.86 (23)
लखीसराय	0.03 (0)	2.02 (0)	65 (18)	0.02 (0)	1.15 (0)	56.14 (27)
जमुई	0.82 (0.3)	49.38 (0.3)	60 (26)	0.29 (0.1)	17.39 (0.1)	59.27 (21)
खगड़िया	0.36 (0.1)	20.14 (0.1)	56.72 (30)	1.1 (0.4)	62.82 (0.3)	57.31 (25)
भागलपुर	4.52 (1.7)	272.34 (1.5)	60.24 (24)	4.89 (1.9)	272.96 (1.5)	55.82 (29)
बंका	2.59 (1)	154.71 (0.9)	59.8 (27)	3.08 (1.2)	172.21 (0.9)	55.93 (28)
सहरसा	0.84 (0.3)	44.62 (0.2)	53.72 (34)	1.29 (0.5)	71.24 (0.4)	55.22 (30)
सुपौल	0 (0)	0 (0)	0 (38)	0 (0)	0 (0)	0 (38)
मधेपुरा	4.25 (1.6)	229.33 (1.3)	54 (33)	4.68 (1.8)	250.42 (1.4)	53.57 (35)
पूर्णिया	1.07 (0.4)	64.71 (0.4)	60.54 (22)	0.9 (0.3)	52.61 (0.3)	58.46 (24)
किशनगंज	0.33 (0.1)	21.5 (0.1)	65.02 (16)	0.22 (0.1)	20.5 (0.1)	91.51 (3)
अररिया	0.43 (0.2)	24.87 (0.1)	58.25 (28)	0.28 (0.1)	15.17 (0.1)	54.07 (34)
कटिहार	0.16 (0.1)	11.15 (0.1)	70.59 (9)	0.08 (0)	5.5 (0)	68.74 (9)
बिहार	**263.53 (100)**	**18175.59 (100)**	**68.97**	**264.1 (100)**	**18239.9 (100)**	**69.06**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.10 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2015-16)

(हजार टन में)

जिले	यूरिया	डाइ अमोनियम सल्फेट	सिंगल सुपर फॉस्फेट	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	अमोनियम सल्फेट	मिश्रित	योग	नाइट्रोजन	फॉस्फोरस	पोटाश	योग (NPK)	कुल योग
पटना	101.0	17.9	1.5	1.5	0.3	10.6	132.9	51.7	10.9	1.4	64.0	196.9
नालंदा	99.3	22.8	5.5	2.1	0.6	13.6	143.9	52.0	14.9	2.4	69.4	213.3
भोजपुर	79.3	10.1	2.6	0.6	0.2	14.5	107.3	41.1	8.2	0.7	50.0	157.3
बक्सर	57.7	6.2	1.4	0.4	0.0	14.0	79.7	30.4	6.0	0.4	36.7	116.5
रोहतास	110.5	16.0	13.8	1.5	0.0	25.6	167.4	57.8	16.0	3.3	77.0	244.5
कैमूर	51.9	7.7	5.0	0.5	0.0	9.9	74.9	27.0	6.6	0.7	34.3	109.3
गया	69.7	16.1	1.6	1.4	0.2	10.9	99.8	36.9	10.2	1.4	48.4	148.3
जहानाबाद	32.9	3.6	0.2	0.2	0.2	2.4	39.5	16.3	2.2	0.2	18.7	58.1
अरवल	25.9	3.9	0.4	0.3	0.0	1.5	31.9	12.9	2.2	0.2	15.3	47.3
नवादा	37.0	4.7	0.7	0.3	0.0	4.1	46.7	18.6	3.2	0.3	22.1	68.8
औरंगाबाद	62.4	10.2	6.6	0.5	0.0	11.6	91.2	32.7	8.3	0.6	41.6	132.9
सारण	63.0	15.2	0.3	2.6	0.3	12.3	93.8	34.2	9.5	1.6	45.4	139.2
सीवान	52.6	7.2	0.0	1.3	0.1	5.8	67.0	26.6	4.5	0.8	32.0	98.9
गोपालगंज	33.2	2.6	0.0	0.4	0.0	4.5	40.6	16.6	2.1	0.3	19.0	59.7
पश्चिम चंपारण	105.5	22.6	1.5	7.7	0.0	15.3	152.6	55.4	14.0	5.2	74.6	227.2
पूर्व चंपारण	120.5	24.6	2.5	6.1	0.3	18.2	172.2	63.1	16.1	4.7	83.8	256.0
मुजफ्फरपुर	88.0	21.9	0.8	5.6	1.6	9.3	127.1	46.4	12.3	3.7	62.4	189.6
सीतामढ़ी	53.2	14.0	0.2	2.5	0.3	9.2	79.6	28.8	8.5	1.8	39.1	118.7
शिवहर	11.6	1.9	0.0	0.4	0.0	0.8	14.7	5.8	1.0	0.3	7.1	21.8
वैशाली	87.2	22.2	1.3	9.0	3.1	8.9	131.7	46.3	12.4	5.8	64.6	196.3
दरभंगा	61.4	15.6	0.4	3.4	0.9	10.2	91.9	33.0	9.7	2.6	45.3	137.1
मधुबनी	50.6	14.4	0.3	3.0	0.7	7.2	76.2	27.3	8.3	2.0	37.6	113.8
समस्तीपुर	93.3	20.0	1.2	6.9	0.3	12.3	133.9	48.8	12.1	4.5	65.5	199.4
बेगूसराय	78.9	27.9	1.5	10.2	2.6	14.5	135.7	44.3	16.7	7.1	68.0	203.7
मुंगेर	17.9	2.8	0.1	1.3	0.0	0.6	22.6	8.8	1.4	0.8	11.1	33.7
शेखपुरा	27.1	4.3	0.9	0.2	0.0	1.8	34.2	13.5	2.6	0.2	16.3	50.5
लखीसराय	14.2	3.8	0.5	0.4	0.0	1.7	20.5	7.5	2.2	0.3	9.9	30.4
जमुई	46.8	14.8	0.3	0.8	0.2	3.5	66.4	24.8	7.7	0.7	33.2	99.6
खगड़िया	81.0	19.0	1.0	10.8	0.3	8.8	120.8	42.4	10.7	6.5	59.6	180.4
भागलपुर	70.0	19.0	1.7	4.9	1.0	8.3	105.0	37.4	10.8	3.1	51.4	156.4
बांका	39.3	10.5	0.6	3.9	0.6	4.8	59.7	20.9	6.0	2.6	29.6	89.3
सहरसा	43.7	10.3	0.1	5.5	0.0	5.3	64.8	22.8	6.0	3.6	32.5	97.3
सुपौल	37.8	13.6	0.1	6.1	0.0	11.3	68.9	21.9	8.8	4.0	34.7	103.7
मधेपुरा	62.1	14.0	0.3	8.0	0.0	10.7	95.1	33.0	8.9	5.1	47.1	142.1
पूर्णिया	115.5	45.0	10.2	19.0	1.4	18.7	209.7	65.1	26.2	11.6	102.9	312.6
किशनगंज	23.9	5.9	1.7	1.1	0.0	2.5	35.1	12.5	3.6	0.8	16.8	51.9
अररिया	73.1	25.3	3.4	11.7	0.9	13.4	127.7	40.9	15.1	7.3	63.2	191.0
कटिहार	79.4	25.3	3.6	11.9	2.4	13.2	135.8	44.1	15.0	7.3	66.4	202.2
बिहार	**2358.1**	**542.8**	**73.7**	**153.7**	**18.4**	**351.8**	**3498.5**	**1249.8**	**340.9**	**106.2**	**1696.8**	**5195.3**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.11 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2016-17)

(हजार टन में)

जिले	यूरिया	डाइ अमोनियम सल्फेट	सिंगल सुपर फॉस्फेट	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	अमोनियम सल्फेट	मिश्रित	योग	नाइट्रोजन	फॉस्फोरस	पोटाश	योग (NPK)	कुल योग
पटना	71.5	19.7	1.9	6.7	2.4	5.8	107.9	38.0	10.6	4.3	52.8	160.6
नालंदा	88.8	20.7	6.5	1.6	0.6	5.7	123.9	45.5	12.0	1.7	59.2	183.1
भोजपुर	62.9	11.2	1.7	0.5	1.1	10.7	88.2	33.2	7.8	0.6	41.6	129.7
बक्सर	51.2	5.2	0.5	0.4	1.0	9.4	67.6	26.5	4.5	0.4	31.4	99.0
रोहतास	101.4	20.9	8.1	2.0	0.0	24.1	156.6	54.1	17.5	3.7	75.2	231.8
कैमूर	49.0	7.6	3.0	0.2	0.0	7.6	67.3	25.2	5.8	0.5	31.5	98.8
गया	66.8	14.6	3.0	1.0	0.2	8.8	94.4	35.1	9.0	0.7	44.8	139.2
जहानाबाद	22.2	2.5	0.2	0.2	0.0	1.0	26.1	10.9	1.4	0.1	12.4	38.5
अरवल	19.6	2.6	0.2	0.2	0.0	0.7	23.2	9.6	1.4	0.1	11.1	34.3
नवादा	26.1	3.5	0.8	0.2	0.0	1.6	32.1	12.9	2.1	0.1	15.1	47.2
औरंगाबाद	61.9	14.6	5.9	0.7	0.0	10.8	93.9	33.1	10.1	0.8	44.0	137.9
सारण	51.4	7.4	0.1	0.4	0.0	6.8	66.0	26.3	4.8	0.3	31.3	97.4
सीवान	38.9	3.8	0.0	0.1	0.0	2.4	45.2	19.0	2.3	0.1	21.4	66.7
गोपालगंज	21.5	1.1	0.0	0.5	0.0	2.2	25.4	10.5	1.0	0.4	11.9	37.2
पश्चिम चंपारण	90.1	22.9	2.4	12.7	0.1	10.0	138.2	47.3	13.3	8.1	68.7	206.9
पूर्व चंपारण	99.5	25.3	3.2	7.9	0.1	8.7	144.6	51.9	14.1	5.1	71.1	215.7
मुजफ्फरपुर	68.2	20.4	0.3	10.2	2.5	6.9	108.5	36.8	10.9	6.3	54.0	162.5
सीतामढ़ी	42.6	11.7	0.4	3.5	0.8	2.2	61.2	22.3	5.9	2.1	30.4	91.6
शिवहर	7.5	1.5	0.0	0.6	0.1	0.4	10.0	3.8	0.8	0.4	4.9	14.9
वैशाली	73.9	25.6	1.2	14.7	5.0	9.8	130.2	41.4	14.2	9.2	64.8	195.0
दरभंगा	39.7	11.9	0.4	4.9	0.6	3.3	60.8	21.1	6.3	3.2	30.6	91.4
मधुबनी	36.1	15.3	0.1	5.4	0.7	2.9	60.5	20.0	7.7	3.3	31.0	91.5
समस्तीपुर	65.9	18.2	1.7	10.8	0.1	4.3	101.0	34.4	9.7	6.7	50.8	151.8
बेगूसराय	65.9	37.9	2.3	18.7	4.5	11.3	140.6	40.0	20.4	11.8	72.2	212.8
मुंगेर	14.5	2.0	0.4	1.9	0.0	0.6	19.4	7.2	1.1	1.2	9.4	28.9
शेखपुरा	18.6	3.2	1.5	0.1	0.0	0.7	24.1	9.2	1.9	0.1	11.2	35.2
लखीसराय	11.0	2.3	0.3	0.3	0.0	1.1	15.0	5.7	1.3	0.2	7.2	22.1
जमुई	45.2	14.2	0.8	2.4	0.1	1.5	64.1	23.6	7.0	1.5	32.1	96.2
खगड़िया	64.4	21.3	1.0	13.6	0.0	4.1	104.4	34.2	10.9	8.3	53.4	157.8
भागलपुर	67.9	15.8	2.0	12.4	1.5	5.2	104.8	35.4	8.7	7.5	51.5	156.3
बांका	38.6	8.5	1.2	2.9	0.2	1.5	53.0	19.6	4.4	1.8	25.8	78.8
सहरसा	37.1	10.5	0.2	7.6	0.3	4.5	60.2	19.9	5.8	4.7	30.4	90.6
सुपौल	34.9	16.4	0.1	9.6	0.1	9.2	70.3	20.9	9.4	5.8	36.0	106.3
मधेपुरा	46.5	13.7	0.4	12.3	0.6	9.5	83.0	25.8	8.4	7.6	41.7	124.8
पूर्णिया	103.3	39.2	6.6	24.5	2.7	16.0	192.2	58.3	22.3	14.8	95.4	287.5
किशनगंज	19.8	5.3	1.4	1.6	0.0	0.8	28.9	10.2	2.8	1.0	14.0	42.9
अररिया	77.9	25.3	2.9	21.1	0.8	12.5	140.4	43.0	14.7	12.8	70.4	210.9
कटिहार	75.2	28.0	3.7	15.8	1.5	16.4	140.6	43.1	16.9	9.8	69.8	210.4
बिहार	**1977.5**	**531.8**	**66.5**	**229.8**	**27.4**	**240.6**	**3073.5**	**1054.8**	**308.9**	**146.7**	**1510.4**	**4583.9**

Source : Department of Agriculture, GOB

तालिका 3.12 : बिहार में जैव उर्वरकों का जिलावार उपयोग

(भौतिक हे. में/ वित्तीय लाख रु. में)

जिले	लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
पटना	766.00	3.83	148 (19.3)	0.74 (19.3)
नालंदा	577.00	2.89	0 (0)	0 (0)
भोजपुर	528.00	2.64	50 (9.5)	0.25 (9.5)
बक्सर	329.00	1.65	0 (0)	0 (0)
रोहतास	579.00	2.90	0 (0)	0 (0)
कैमूर	391.00	1.96	0 (0)	0 (0)
गया	853.00	4.27	298 (34.9)	1.49 (34.9)
जहानाबाद	216.00	1.08	61 (28.2)	0.32 (29.6)
अरवल	153.00	0.77	0 (0)	0 (0)
नवादा	443.00	2.22	50 (11.3)	0.25 (11.3)
औरंगाबाद	480.00	2.40	48 (10)	0.24 (10)
सारण	764.00	3.82	72 (9.4)	0.36 (9.4)
सीवान	680.00	3.40	0 (0)	0 (0)
गोपालगंज	552.00	2.76	0 (0)	0 (0)
पश्चिम चंपारण	803.00	4.02	0 (0)	0 (0)
पूर्व चंपारण	947.00	4.74	203 (21.4)	1.01 (21.3)
मुजफ्फरपुर	897.00	4.49	214 (23.9)	1.07 (23.9)
सीतामढ़ी	632.00	3.16	240 (38)	1.2 (38)
शिवहर	123.00	0.62	0 (0)	0 (0)
वैशाली	671.00	3.36	72 (10.7)	0.36 (10.7)
दरभंगा	764.00	3.82	0 (0)	0 (0)
मधुबनी	925.00	4.63	0 (0)	0 (0)
समस्तीपुर	883.00	4.42	165 (18.7)	0.83 (18.8)
बेगूसराय	596.00	2.98	0 (0)	0 (0)
मुंगेर	244.00	1.22	25 (10.2)	0.11 (9)
शेखपुरा	190.00	0.95	0 (0)	0 (0)
लखीसराय	136.00	0.68	0 (0)	0 (0)
जमुई	376.00	1.88	0 (0)	0 (0)
खगड़िया	299.00	1.50	0 (0)	0 (0)
भागलपुर	581.00	2.91	142 (24.4)	0.71 (24.4)
बांका	470.00	2.35	0 (0)	0 (0)
सहरसा	357.00	1.79	183 (51.3)	0 (0)
सुपौल	420.00	2.10	0 (0)	0 (0)
मधेपुरा	405.00	2.03	0 (0)	0 (0)
पूर्णिया	593.00	2.97	0 (0)	0 (0)
किशनगंज	304.00	1.52	0 (0)	0 (0)
अररिया	510.00	2.55	0 (0)	0 (0)
कटिहार	563.00	2.82	0 (0)	0 (0)
बिहार	**20000.00**	**100.00**	**1971 (9.9)**	**8.94 (8.9)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.13 : सब्सिडी पर वितरित कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2015-16)

जिले	ट्रैक्टर	कंबाइन हार्वेस्टर	जीरो टिलेज	पंपसेट	पावर टिलर	शारीरिक शक्ति-चालित औजार	थ्रसर
पटना	142	4	3	207	321	217	43
नालंदा	123	6	24	87	447	181	14
भोजपुर	144	5	252	164	1	256	51
बक्सर	73	7	26	97	3	42	0
रोहतास	107	40	133	135	3	1019	36
कैमूर	65	5	127	48	1	89	18
गया	202	18	107	229	329	1877	85
जहानाबाद	68	0	0	44	152	784	7
अरवल	57	1	2	32	17	480	105
नवादा	108	11	3	117	88	864	111
औरंगाबाद	116	8	10	184	37	629	120
सारण	253	3	36	206	10	1833	66
सीवान	207	2	5	249	1	238	69
गोपालगंज	178	5	4	211	0	2850	69
पश्चिम चंपारण	278	0	27	299	0	997	67
पूर्व चंपारण	238	4	8	245	18	1752	148
मुजफ्फरपुर	162	0	7	333	2	1770	26
सीतामढ़ी	72	1	21	216	4	3046	67
शिवहर	33	0	20	70	0	874	0
वैशाली	55	0	10	133	1	1054	6
दरभंगा	87	0	44	173	0	1503	14
मधुबनी	217	0	31	260	10	3685	209
समस्तीपुर	184	1	19	202	1	7212	55
बेगूसराय	132	2	9	142	0	498	39
मुंगेर	32	3	9	84	14	1373	17
शेखपुरा	43	6	12	55	8	258	14
लखीसराय	55	4	5	63	1	316	9
जमुई	113	5	20	63	27	279	60
खगड़िया	89	0	5	99	0	841	26
भागलपुर	86	2	151	230	15	1410	55
बांका	51	3	99	77	76	1398	9
सहरसा	115	0	47	100	0	1554	160
सुपौल	112	0	40	125	0	722	19
मधेपुरा	127	0	11	117	1	970	80
पूर्णिया	161	3	32	238	3	1456	102
किशनगंज	62	8	6	92	1	187	40
अररिया	122	3	170	212	1	1294	176
कटिहार	148	17	2	150	44	782	122
बिहार	**4617**	**177**	**1537**	**5788**	**1637**	**46590**	**2314**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.14 : कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2016-17)

जिले	ट्रैक्टर	कंबाइन हार्वेस्टर	जीरो टिलेज	पंपसेट	पावर टिलर	शारीरिक शक्ति-चालित औजार	थ्रसर
पटना	-	2	7	18	54	29	32
नालंदा	-	8	18	138	282	106	63
भोजपुर	-	6	161	131	6	269	67
बक्सर	-	14	47	125	0	122	2
रोहतास	-	31	158	132	4	131	80
कैमूर	-	12	94	116	0	301	23
गया	-	17	11	241	285	910	113
जहानाबाद	-	4	2	72	197	615	51
अरवल	-	1	0	56	21	65	142
नवादा	-	13	5	117	74	389	36
औरंगाबाद	-	8	5	54	15	34	124
सारण	-	0	53	373	4	435	135
सीवान	-	1	3	101	1	71	25
गोपालगंज	-	5	5	225	0	688	109
पश्चिम चंपारण	-	4	26	237	40	1080	184
पूर्व चंपारण	-	0	31	361	1	490	145
मुजफ्फरपुर	-	0	4	339	0	846	9
सीतामढ़ी	-	0	17	144	0	272	122
शिवहर	-	0	6	35	0	435	8
वैशाली	-	0	27	97	17	562	81
दरभंगा	-	0	10	16	0	4	2
मधुबनी	-	0	25	232	0	786	321
समस्तीपुर	-	0	10	114	0	277	10
बेगूसराय	-	3	6	111	0	239	15
मुंगेर	-	0	2	63	10	187	12
शेखपुरा	-	10	1	5	6	4	2
लखीसराय	-	5	7	80	0	404	20
जमुई	-	4	1	61	38	190	41
खगड़िया	-	2	1	88	0	694	41
भागलपुर	-	0	23	251	7	608	47
बांका	-	3	32	183	105	839	78
सहरसा	-	0	13	124	0	1532	123
सुपौल	-	0	2	115	0	528	18
मधेपुरा	-	0	1	120	1	909	60
पूर्णिया	-	0	6	184	30	699	134
किशनगंज	-	0	9	79	2	211	86
अररिया	-	0	2	13	0	8	22
कटिहार	-	5	2	129	25	614	71
बिहार	**Nil**	**158**	**833**	**5080**	**1225**	**16583**	**2654**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.15 : जिलावार सहकारी ऋण वितरण

जिले	लक्ष्य (लाख रु.)			उपलब्धि (लाख रु.)		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	11433	11433	3990	3013.20 (7.9)	3072.40 (6.7)	3065.15 (8.5)
नालंदा	4303	4303	5586	434.99 (1.1)	770.75 (1.7)	794.05 (2.2)
भोजपुर	5391	5391	6383	520.91 (1.4)	592.86 (1.3)	472.79 (1.3)
बक्सर	3926	3926	3724	402.38 (1.1)	351.83 (0.8)	292.11 (0.8)
रोहतास	2351	2351	3458	1743.26 (4.6)	910.00 (2.0)	2035.91 (5.6)
कैमूर	1647	1647	2926	583.38 (1.5)	1016.97 (2.2)	864.05 (2.4)
गया	3047	3047	1596	268.38 (0.7)	374.15 (0.8)	231.97 (0.6)
जहानाबाद	1018	1018	532	6.55 (0.0)	38.89 (0.1)	4.7 (0)
अरवल	383	383	0	1.00 (0.0)	18.40 (0.04)	–
नवादा	2865	2865	6118	2729.81 (7.2)	2078.00 (4.6)	589 (1.6)
औरंगाबाद	3208	3208	5320	1534.52 (4.0)	1434.97 (3.2)	558.77 (1.5)
सारण	–	–	0	–	–	–
सीवान	3393	3393	4242	789.90 (2.1)	2296.54 (5.0)	1049.73 (2.9)
गोपालगंज	1092	1092	6383	1935.46 (5.1)	1773.31 (3.9)	1618.93 (4.5)
पश्चिम चंपारण	3583	3583	2128	488.72 (1.3)	567.91 (1.2)	556.63 (1.5)
पूर्व चंपारण	2199	2199	4256	2318.87 (6.1)	3046.64 (6.7)	2385.44 (6.6)
मुजफ्फरपुर	2997	2997	4256	205.53 (0.5)	575.96 (1.3)	341.67 (0.9)
सीतामढ़ी	1601	1601	3192	121.19 (0.3)	224.72 (0.5)	196.62 (0.5)
शिवहर	286	286	532	45.82 (0.1)	55.46 (0.1)	66.99 (0.2)
वैशाली	964	964	1862	156.36 (0.4)	64.53 (0.1)	6.52 (0)
दरभंगा	–	–	0	–	–	–
मधुबनी	7907	7907	6118	3951.74 (10.4)	6660.84 (14.6)	4668.6 (12.9)
समस्तीपुर	3398	3398	2660	2951.83 (7.7)	3088.95 (6.8)	1989.01 (5.5)
बेगूसराय	11727	11727	3458	8326.25 (21.9)	10047.52 (22.1)	8054.83 (22.3)
मुंगेर	563	563	0	11.09 (0.0)	17.11 (0.04)	19.96 (0.1)
शेखपुरा	814	814	0	–	–	–
लखीसराय	1532	1532	0	–	–	–
जमुई	977	977	0	–	–	–
खगड़िया	3388	3388	2394	4326.32 (11.4)	3791.35 (8.3)	5100.63 (14.1)
भागलपुर	1265	1265	2660	233.39 (0.6)	289.47 (0.6)	346.03 (1)
बांका	1557	1557	3458	26.23 (0.1)	33.69 (0.1)	24.35 (0.1)
सहरसा	–	–	0	–	1118.29 (2.5)	–
सुपौल	–	–	0	–	–	–
मधेपुरा	–	–	0	–	–	–
पूर्णिया	3464	3464	4522	295.37 (0.8)	327.56 (0.7)	393.6 (1.1)
किशनगंज	3540	3540	2128	390.67 (1.0)	209.11 (0.5)	86.97 (0.2)
अररिया	2180	2180	2926	120.01 (0.3)	584.01 (1.3)	274.62 (0.8)
कटिहार	2001	2001	3192	155.58 (0.4)	87.5 (0.2)	60.38 (0.2)
बिहार	**100000**	**100000**	**100000**	**38088.71 (100.0)**	**45519.69 (100.0)**	**36150.01 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.16 : जिलावार पशु संपदा (2012)

(आंकड़े हजार में)

जिले	गाय	भैंस	सूअर	भेड़	बकरी	पॉल्ट्री पक्षी
पटना	306 (2.5)	293 (3.9)	39 (5.9)	13 (5.7)	179 (1.5)	401 (3.1)
नालंदा	176 (1.4)	317 (4.2)	23 (3.5)	8 (3.5)	157 (1.3)	520 (4.1)
भोजपुर	204 (1.7)	202 (2.7)	131 (20.2)	19 (8.1)	115 (0.9)	161 (1.3)
बक्सर	162 (1.3)	183 (2.4)	8 (1.3)	16 (6.7)	81 (0.7)	80 (0.6)
रोहतास	396 (3.2)	299 (3.9)	11 (1.7)	14 (6.0)	369 (3.0)	187 (1.5)
कैमूर	204 (1.7)	222 (2.9)	8 (1.3)	43(18.5)	111 (0.9)	131 (1.0)
गया	654 (5.3)	314 (4.2)	83 (12.8)	10 (4.2)	428 (3.5)	496 (3.9)
जहानाबाद	80 (0.7)	132 (1.7)	16 (2.5)	2 (0.9)	73 (0.6)	95 (0.7)
अरवल	53 (0.4)	73 (1.0)	4 (0.6)	2 (1.0)	50 (0.4)	134 (1.0)
नवादा	307 (2.5)	130 (1.7)	28 (4.3)	3 (1.1)	224 (1.8)	274 (2.1)
औरंगाबाद	364 (3.0)	200 (2.6)	11 (1.7)	25 (10.9)	209 (1.7)	377 (3.0)
सारण	321 (2.6)	187(2.5)	8 (1.3)	5(2.2)	188 (1.5)	325 (2.5)
सीवान	295 (2.4)	149 (2.0)	10 (1.6)	2(0.9)	235 (1.9)	232 (1.8)
गोपालगंज	188 (1.5)	115 (1.5)	6 (1.0)	0(0.2)	211 (1.7)	146 (1.1)
पश्चिम चंपारण	367 (3.0)	260 (3.4)	17 (2.7)	2(1.0)	593 (4.9)	466 (3.7)
पूर्व चंपारण	360 (2.9)	340 (4.5)	16 (2.5)	2(0.7)	725 (6.0)	684 (5.4)
मुजफ्फरपुर	344 (2.8)	278 (3.7)	5 (0.8)	2(0.8)	564 (4.6)	853 (6.7)
सीतामढ़ी	151 (1.2)	186 (2.5)	6 (1.0)	0(0.1)	366 (3.0)	281 (2.2)
शिवहर	40 (0.3)	47 (0.6)	1 (0.2)	0(0.0)	96 (0.8)	48 (0.4)
वैशाली	213 (1.7)	169 (2.2)	2 (0.3)	2(0.7)	299 (2.5)	756 (5.9)
दरभंगा	260 (2.1)	222 (2.9)	9 (1.3)	1(0.2)	302 (2.5)	480 (3.8)
मधुबनी	526 (4.3)	380 (5.0)	16 (2.4)	1(0.5)	400 (3.3)	259 (2.0)
समस्तीपुर	467 (3.8)	241 (3.2)	3 (0.5)	3(1.1)	387 (3.2)	551 (4.3)
बेगूसराय	363 (3.0)	99 (1.3)	4 (0.6)	0(0.0)	231 (1.9)	256 (2.0)
मुंगेर	167 (1.4)	52 (0.7)	8 (1.2)	0(0.1)	169 (1.4)	141 (1.1)
शेखपुरा	67 (0.5)	46 (0.6)	5 (0.8)	1(0.5)	64 (0.5)	60 (0.5)
लखीसराय	126 (1.0)	58 (0.8)	4 (0.6)	1(0.6)	107 (0.9)	45 (0.4)
जमुई	459 (3.8)	78 (1.0)	33 (5.0)	11(4.6)	351 (2.9)	189 (1.5)
खगड़िया	239 (2.0)	88 (1.2)	4 (0.7)	0(0.0)	228 (1.9)	148 (1.2)
भागलपुर	509 (4.2)	191 (2.5)	9 (1.4)	1(0.2)	582 (4.8)	358 (2.8)
बांका	552 (4.5)	142 (1.9)	21 (3.3)	16(6.9)	377 (3.1)	212 (1.7)
सहरसा	298 (2.4)	163 (2.1)	11 (1.7)	0(0.0)	347 (2.9)	138 (1.1)
सुपौल	475 (3.9)	313 (4.1)	11 (1.7)	16 (7.1)	448 (3.7)	176 (1.4)
मधेपुरा	346 (2.8)	820 (10.8)	7 (1.1)	1(0.3)	403 (3.3)	198 (1.6)
पूर्णिया	499 (4.1)	133 (1.8)	19 (2.9)	0(0.0)	516 (4.2)	559 (4.4)
किशनगंज	411 (3.4)	45 (0.6)	12 (1.8)	1(0.6)	407 (3.4)	736 (5.8)
अररिया	678 (5.5)	300 (4.0)	16 (2.4)	3(1.4)	980 (8.1)	722 (5.7)
कटिहार	605 (4.9)	101 (1.3)	23 (3.5)	6 (2.7)	580 (4.8)	876 (6.9)
बिहार	12232 (100.0)	7567 (100.0)	650 (100.0)	232 (100.0)	12154 (100.0)	12748 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.17 : मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन

जिले	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)
	2014-15		2015-16		2016-17	
पटना	14.0	1.30	15.47	308.88	15.63	225.00
नालंदा	16.6	0.00	17.61	360.00	17.62	360.00
भोजपुर	9.3	0.00	10.05	60.00	10.07	60.05
बक्सर	6.4	0.00	6.91	45.00	6.20	84.00
रोहतास	6.3	0.00	6.75	100.00	6.78	175.00
कैमूर	7.0	0.00	9.95	124.00	9.98	125.00
गया	2.5	0.00	6.50	1.86	6.50	150.00
जहानाबाद	3.2	15.00	1.26	15.00	1.26	15.00
अरवल	1.8	0.00	1.37	20.00	1.37	20.00
नवादा	5.2	0.00	5.40	0.00	5.50	1.00
औरंगाबाद	5.0	0.00	7.02	70.00	8.13	70.00
सारण	9.5	39.00	9.71	48.40	9.71	56.80
सीवान	17.0	0.00	6.21	20.00	6.22	20.00
गोपालगंज	8.5	142.05	9.25	23.20	9.41	16.25
पश्चिम चंपारण	22.2	108.00	23.10	460.00	23.20	461.00
पूर्व चंपारण	36.9	70.00	50.40	216.00	50.00	725.00
मुजफ्फरपुर	20.2	1100.00	21.75	480.00	21.75	520.00
सीतामढ़ी	11.2	70.00	12.24	596.00	12.25	598.00
शिवहर	1.9	5.00	2.05	5.00	2.20	6.00
वैशाली	13.4	55.00	15.09	95.20	15.09	96.00
दरभंगा	38.7	2000.00	44.00	450.00	44.0	1000.0
मधुबनी	42.3	95.00	51.45	150.00	51.8	1600.0
समस्तीपुर	12.0	0.00	13.08	300.00	14.0	320.0
बेगूसराय	23.2	0.00	21.76	25.00	21.8	0.0
मुंगेर	6.2	0.50	9.40	20.00	9.4	20.0
शेखपुरा	3.0	7.10	2.93	10.00	2.9	10.0
लखीसराय	7.3	0.00	7.90	0.00	7.9	0.0
जमुई	2.1	0.00	2.35	0.50	2.4	1.5
खगड़िया	18.8	0.00	18.90	125.00	20.0	120.0
भागलपुर	13.6	33.20	13.60	364.00	13.6	375.0
बांका	8.3	1300.00	9.89	0.00	9.9	0.0
सहरसा	8.2	1.30	6.70	25.00	6.9	10.0
सुपौल	8.8	0.00	10.54	3.10	8.1	2.2
मधेपुरा	2.9	0.00	3.73	46.00	3.8	1.3
पूर्णिया	13.7	15.00	12.05	63.0	12.1	70.0
किशनगंज	6.0	0.00	6.17	112.0	6.2	115.0
अररिया	10.0	0.00	10.85	28.6	10.9	33.5
कटिहार	37.0	0.00	23.50	470.0	23.9	470.0
बिहार	**479.8**	**5057.5**	**506.9**	**5240.7**	**509.1**	**7932.6**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.18 : बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2015-16)

(हजार टन में)

जिले	संकर गाय	स्थानीय गाय	कुल गाएं	भैंस	योग (गाय + भैंस)	बकरी	कुल उत्पादन
पटना	261.46 (10.1)	15.82 (0.7)	277.28 (5.7)	177.1 (5.5)	454.38 (5.6)	3.67 (1.9)	458.05 (5.5)
नालंदा	92.05(3.6)	26.09 (1.1)	118.14 (2.4)	200.63 (6.3)	318.77 (3.9)	3.05 (1.5)	321.82 (3.9)
भोजपुर	128.04 (5)	25.62 (1.1)	153.66 (3.1)	122.17 (3.8)	275.83 (3.4)	2.64 (1.3)	278.47 (3.4)
बक्सर	65.27 (2.5)	50.89 (2.2)	116.16 (2.4)	140.55 (4.4)	256.71 (3.2)	2.98 (1.5)	259.69 (3.1)
रोहतास	26.89 (1)	45.79 (2)	72.68 (1.5)	103.18 (3.2)	175.86 (2.2)	1.21 (0.6)	177.07 (2.1)
कैमूर	58.94 (2.3)	32.69 (1.4)	91.64 (1.9)	81.49 (2.5)	173.13 (2.1)	1.21 (0.6)	174.33 (2.1)
गया	37.37 (1.4)	122.7 (5.3)	160.08 (3.3)	117.06 (3.6)	277.13 (3.4)	6.89 (3.5)	284.02 (3.4)
जहानाबाद	23.23 (0.9)	13.17 (0.6)	36.4 (0.7)	53.5 (1.7)	89.89 (1.1)	1.28 (0.6)	91.18 (1.1)
अरवल	28.47 (1.1)	2.97 (0.1)	31.43 (0.6)	35.5 (1.1)	66.94 (0.8)	1.04 (0.5)	67.97 (0.8)
नवादा	16.87 (0.7)	62.23 (2.7)	79.1 (1.6)	54.59 (1.7)	133.69 (1.7)	3.17 (1.6)	136.86 (1.7)
औरंगाबाद	27.61 (1.1)	88.57 (3.8)	116.18 (2.4)	94.44 (2.9)	210.62 (2.6)	4.6 (2.3)	215.22 (2.6)
सारण	109.58 (4.2)	60.95 (2.6)	170.53 (3.5)	82.85 (2.6)	253.38 (3.1)	2.83 (1.4)	256.21 (3.1)
सीवान	49.89 (1.9)	56.65 (2.5)	106.54 (2.2)	73.5 (2.3)	180.03 (2.2)	3.36 (1.7)	183.39 (2.2)
गोपालगंज	35.42 (1.4)	37.14 (1.6)	72.56 (1.5)	56.14 (1.7)	128.7 (1.6)	3.12 (1.6)	131.82 (1.6)
पश्चिम चंपारण	56.28 (2.2)	92.38 (4)	148.67 (3)	92.04 (2.9)	240.7 (3)	8.55 (4.3)	249.26 (3)
पूर्व चंपारण	36.38 (1.4)	103.96 (4.5)	140.34 (2.9)	129.42 (4)	269.76 (3.3)	10.62 (5.4)	280.38 (3.4)
मुजफ्फरपुर	172.55 (6.7)	19.19 (0.8)	191.74 (3.9)	118.6 (3.7)	310.34 (3.8)	8.48 (4.3)	318.82 (3.8)
सीतामढ़ी	22.42 (0.9)	15.7 (0.7)	38.12 (0.8)	81.13 (2.5)	119.25 (1.5)	6.25 (3.2)	125.5 (1.5)
शिवहर	11.23 (0.4)	7.58 (0.3)	18.81 (0.4)	20.25 (0.6)	39.07 (0.5)	1.71 (0.9)	40.78 (0.5)
वैशाली	148.55 (5.8)	4.65 (0.2)	153.2 (3.1)	70 (2.2)	223.2 (2.8)	4.37 (2.2)	227.56 (2.7)
दरभंगा	47.1 (1.8)	56.2 (2.4)	103.39 (2.1)	114.24 (3.6)	217.62 (2.7)	5 (2.5)	222.62 (2.7)
मधुबनी	8.52 (0.3)	122.71 (5.3)	131.23 (2.7)	136.68 (4.3)	267.91 (3.3)	6.84 (3.5)	274.75 (3.3)
समस्तीपुर	299.87 (11.6)	11.87 (0.5)	311.74 (6.4)	99.52 (3.1)	411.26 (5.1)	5.56 (2.8)	416.82 (5)
बेगूसराय	251.71 (9.8)	6 (0.3)	257.71 (5.3)	48.07 (1.5)	305.78 (3.8)	3.62 (1.8)	309.4 (3.7)
मुंगेर	64.8 (2.5)	33.73 (1.5)	98.53 (2)	31.83 (1)	130.36 (1.6)	3.28 (1.7)	133.65 (1.6)
शेखपुरा	28.21 (1.1)	12.68 (0.6)	40.89 (0.8)	26.17 (0.8)	67.06 (0.8)	1.05 (0.5)	68.11 (0.8)
लखीसराय	55.06 (2.1)	15.86 (0.7)	70.92 (1.5)	29.47 (0.9)	100.39 (1.2)	1.49 (0.8)	101.88 (1.2)
जमुई	12.4 (0.5)	92.02 (4)	104.42 (2.1)	36.5 (1.1)	140.93 (1.7)	5.62 (2.8)	146.54 (1.8)
खगड़िया	156.62 (6.1)	26.46 (1.1)	183.08 (3.8)	52.23 (1.6)	235.3 (2.9)	3.65 (1.8)	238.95 (2.9)
भागलपुर	132.13 (5.1)	88.12 (3.8)	220.26 (4.5)	89.21 (2.8)	309.47 (3.8)	7.64 (3.9)	317.11 (3.8)
बांका	25.94 (1)	124.51 (5.4)	150.45 (3.1)	62.61 (2)	213.06 (2.6)	5.74 (2.9)	218.8 (2.6)
सहरसा	19.31 (0.7)	80.84 (3.5)	100.16 (2.1)	85.88 (2.7)	186.04 (2.3)	5.26 (2.7)	191.3 (2.3)
सुपौल	16.46 (0.6)	91.15 (4)	107.61 (2.2)	80.32 (2.5)	187.93 (2.3)	5.73 (2.9)	193.66 (2.3)
मधेपुरा	2.29 (0.1)	111.78 (4.9)	114.07 (2.3)	200.19 (6.2)	314.26 (3.9)	6.86 (3.5)	321.11 (3.9)
पूर्णिया	20.91 (0.8)	125.87 (5.5)	146.78 (3)	49.84 (1.6)	196.63 (2.4)	6.24 (3.2)	202.87 (2.4)
किशनगंज	12.7 (0.5)	116.52 (5.1)	129.22 (2.6)	24.7 (0.8)	153.92 (1.9)	6.04 (3.1)	159.96 (1.9)
अररिया	7.13 (0.3)	151.61 (6.6)	158.73 (3.3)	89.68 (2.8)	248.41 (3.1)	28.79 (14.6)	277.2 (3.3)
कटिहार	9.44 (0.4)	149.09 (6.5)	158.54 (3.2)	48.33 (1.5)	206.87 (2.6)	8.34 (4.2)	215.21 (2.6)
बिहार	**2579.21 (100)**	**2301.78 (100)**	**4880.99 (100)**	**3209.59 (100)**	**8090.58 (100)**	**197.74 (100)**	**8288.32 (100)**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.19 : बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2016-17)

(हजार टन में)

जिले	संकर गाय	स्थानीय गाय	कुल गाएं	भैंस	योग (गाय + भैंस)	बकरी	कुल उत्पादन
पटना	278.92 (10.1)	16.49 (0.7)	295.41 (5.7)	174.23 (5.2)	469.65 (5.5)	3.78 (1.9)	473.42 (5.4)
नालंदा	99.73 (3.6)	27.03 (1.1)	126.76 (2.5)	208.19 (6.2)	334.95 (3.9)	3.16 (1.6)	338.1 (3.9)
भोजपुर	135.62 (4.9)	25.95 (1.1)	161.57 (3.1)	124.71 (3.7)	286.28 (3.4)	2.67 (1.3)	288.95 (3.3)
बक्सर	69.38 (2.5)	52.64 (2.2)	122.02 (2.4)	148.24 (4.4)	270.26 (3.2)	3.09 (1.5)	273.35 (3.1)
रोहतास	28.81 (1)	47.36 (2)	76.17 (1.5)	108.77 (3.2)	184.94 (2.2)	1.26 (0.6)	186.2 (2.1)
कैमूर	62.33 (2.2)	32.53 (1.4)	94.86 (1.8)	86.17 (2.6)	181.03 (2.1)	1.25 (0.6)	182.29 (2.1)
गया	39.81 (1.4)	129.65 (5.5)	169.46 (3.3)	123.59 (3.7)	293.04 (3.4)	7.11 (3.5)	300.16 (3.4)
जहानाबाद	25.26 (0.9)	13.4 (0.6)	38.67 (0.8)	56.51 (1.7)	95.18 (1.1)	1.33 (0.7)	96.52 (1.1)
अरवल	29.56 (1.1)	2.99 (0.1)	32.55 (0.6)	37.45 (1.1)	70 (0.8)	1.08 (0.5)	71.08 (0.8)
नवादा	18.32 (0.7)	64.93 (2.7)	83.24 (1.6)	57.57 (1.7)	140.82 (1.7)	3.28 (1.6)	144.1 (1.7)
औरंगाबाद	31.82 (1.1)	90.6 (3.8)	122.43 (2.4)	99.57 (3)	221.99 (2.6)	4.75 (2.3)	226.75 (2.6)
छपरा (सारण)	116.54 (4.2)	61.89 (2.6)	178.43 (3.5)	87.37 (2.6)	265.8 (3.1)	2.93 (1.4)	268.73 (3.1)
सीवान	53.38 (1.9)	62.66 (2.6)	116.04 (2.3)	77.59 (2.3)	193.64 (2.3)	3.44 (1.7)	197.07 (2.3)
गोपालगंज	38.39 (1.4)	36.65 (1.5)	75.04 (1.5)	58.43 (1.7)	133.47 (1.6)	3.23 (1.6)	136.7 (1.6)
पश्चिम चंपारण	60.43 (2.2)	92.2 (3.9)	152.63 (3)	97.09 (2.9)	249.72 (2.9)	8.71 (4.3)	258.43 (3)
पूर्व चंपारण	39.14 (1.4)	103.97 (4.4)	143.11(2.8)	136.58 (4.1)	279.69 (3.3)	10.81 (5.3)	290.5 (3.3)
मुजफ्फरपुर	182.48 (6.6)	18.98 (0.8)	201.46 (3.9)	125.15 (3.7)	326.62 (3.8)	8.73 (4.3)	335.35 (3.9)
सीतामढी	23.92 (0.9)	16.52 (0.7)	40.44 (0.8)	85.66 (2.6)	126.1 (1.5)	6.46 (3.2)	132.56 (1.5)
शिवहर	11.99 (0.4)	7.91 (0.3)	19.9 (0.4)	21.3 (0.6)	41.2 (0.5)	1.78 (0.9)	42.97 (0.5)
वैशाली	161.56 (5.8)	4.81 (0.2)	166.36 (3.2)	74.51 (2.2)	240.87 (2.8)	4.52 (2.2)	245.39 (2.8)
दरभंगा	50.88 (1.8)	58.7 (2.5)	109.59 (2.1)	120.6 (3.6)	230.19 (2.7)	5.11 (2.5)	235.29 (2.7)
मधुबनी	9.13 (0.3)	124.89 (5.3)	134.02 (2.6)	144.22 (4.3)	278.24 (3.3)	7.07 (3.5)	285.31 (3.3)
समस्तीपुर	317.68 (11.5)	12.18 (0.5)	329.85 (6.4)	105.06 (3.1)	434.92 (5.1)	5.75 (2.8)	440.67 (5.1)
बेगूसराय	286.27 (10.3)	6.18 (0.3)	292.45 (5.7)	49.89 (1.5)	342.34 (4)	3.74 (1.8)	346.08 (4)
मुंगेर	63.92 (2.3)	35.16 (1.5)	99.08 (1.9)	30.82 (0.9)	129.9 (1.5)	3.4 (1.7)	133.3 (1.5)
शेखपुरा	27.37 (1)	13.08 (0.5)	40.45 (0.8)	26.82 (0.8)	67.26 (0.8)	1.09 (0.5)	68.35 (0.8)
लखीसराय	58.36 (2.1)	16.07 (0.7)	74.43 (1.4)	31.08 (0.9)	105.51 (1.2)	1.54 (0.8)	107.04 (1.2)
जमुई	12.78 (0.5)	95.54 (4)	108.33 (2.1)	38.65 (1.2)	146.97 (1.7)	5.5 (2.7)	152.48 (1.8)
खगड़िया	172.66 (6.2)	27.52 (1.2)	200.18 (3.9)	57.51 (1.7)	257.7 (3)	3.78 (1.9)	261.48 (3)
भागलपुर	141.61 (5.1)	91.66 (3.9)	233.27 (4.5)	90.27 (2.7)	323.55 (3.8)	7.8 (3.8)	331.35 (3.8)
बांका	27.36 (1)	126.34 (5.3)	153.69 (3)	62.85 (1.9)	216.54 (2.5)	5.66 (2.8)	222.2 (2.6)
सहरसा	20.72 (0.7)	84.1 (3.5)	104.82 (2)	85.95 (2.6)	190.77 (2.2)	5.45 (2.7)	196.22 (2.3)
सुपौल	17.66 (0.6)	88.2 (3.7)	105.86 (2.1)	84.93 (2.5)	190.79 (2.2)	5.93 (2.9)	196.71 (2.3)
मधेपुरा	2.46 (0.1)	116.44 (4.9)	118.9 (2.3)	211.19 (6.3)	330.1 (3.9)	7.07 (3.5)	337.17 (3.9)
पूर्णिया	23.73 (0.9)	131.98 (5.5)	155.72 (3)	52.47 (1.6)	208.19 (2.4)	6.43 (3.2)	214.62 (2.5)
किशनगंज	13.55 (0.5)	120.02 (5)	133.57 (2.6)	26.52 (0.8)	160.09 (1.9)	6.06 (3)	166.15 (1.9)
अररिया	7.64 (0.3)	163.75 (6.9)	171.4 (3.3)	98.88 (2.9)	270.28 (3.2)	29.51 (14.5)	299.78 (3.4)
कटिहार	10.18 (0.4)	157.33 (6.6)	167.51 (3.3)	50.66 (1.5)	218.17 (2.6)	8.67 (4.3)	226.84 (2.6)
बिहार	**2771.38 (100)**	**2378.31 (100)**	**5149.69 (100)**	**3357.05 (100)**	**8506.74 (100)**	**202.92 (100)**	**8709.65 (100)**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 4.1 : 2014-15 में चुनिंदा कृषि और गैर-कृषि आधारित उद्योगों के उत्पाद मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)

(करोड़ रु.)

NIC 2008	औद्योगिक समूह	उत्पादों की कीमत			निवल मूल्यवर्धन		
		भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा	भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा
कृषि आधारित							
10+11+12	खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू उत्पाद	974924.35	15763.80	1.62	89460.30	3972.76	4.44
13+14	वस्त्र/ परिधान	483892.79	141.81	0.03	67120.60	28.45	0.04
15	चर्म एवं चर्म उत्पाद	50957.72	76.85	0.15	6465.19	13.77	0.21
16+31	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद/ फर्नीचर	36202.98	180.64	0.50	5972.61	27.63	0.46
17+18+58	कागज एवं कागज उत्पाद/ मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यम का पुनरुत्पादन/ प्रकाशन गतिविधियां	142701.87	699.65	0.49	22957.78	169.85	0.74
	उप-योग	**1688680**	**16862.75**	1.00	**191976.5**	**4212.46**	2.19
गैर-कृषि आधारित							
19	कोक तथा शोधित पेट्रॉलियम उत्पाद	1032782	31143.89	3.02	139380.63	514.82	0.37
20	रसायन/ रासायनिक उत्पाद	557244.10	452.52	0.08	81083.10	38.22	0.05
21	मूल औषधीय उत्पाद	231833.53	153.98	0.07	72115.78	29.77	0.04
22	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	238953.26	141.88	0.06	37467.77	6.68	0.02
23	अधातु खनिज उत्पाद	231178.42	2162.87	0.94	45099.99	548.39	1.22
24+25	मशीन और उपकरण से भिन्न धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद	1025725.8	2143.28	0.21	128648.21	105.12	0.08
27+28+33	बिजली से चलने वाले उपकरण/ मशीन एवं उपकरण/ एनईसी/ मशीनी उपकरणों की मरम्मत एवं स्थापन	514039.69	184.05	0.04	94734.53	24.39	0.03
29+30	मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर/ अन्य परिवहन उपकरण	617379.80	13.10	0.00	91687.28	5.37	0.01
	अन्य (32 अन्य विनिर्माण सामग्रियों सहित)	539201.71	5500.83	1.02	62206.06	338.58	0.54
	उप-योग	**4988338**	**41896.4**	0.84	**752423.40**	**1611.34**	0.21
	कुल योग	**6677018**	**58759.15**	**0.88**	**944399.80**	**5823.8**	**0.62**

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2014-15

तालिका 4.2 : बिहार में उद्योगों की संरचना (2014-15)

NIC 2008	औद्योगिक समूह	कारखानों की संख्या		चालू कारखाने (संख्या)		स्थिर पूंजी (करोड़ रु.)		नियोजित व्यक्ति (संख्या)	
		भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
	कृषि आधारित								
10+11+12	खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू	41922	904 (2.2)	35641	804 (2.3)	198338.97	4437 (2.2)	2212458	37604 (1.7)
13+14	वस्त्र/ परिधान	28600	25 (0.1)	20204	24 (0.1)	149837.53	45 (0)	2526610	3145 (0.1)
15	चर्म एवं चर्म उत्पाद	4341	8 (0.2)	3403	8 (0.2)	8476.34	23 (0.3)	327143	652 (0.2)
16+31	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद/ फर्नीचर	5944	213 (3.6)	5085	213 (4.2)	8982.86	41 (0.5)	142828	2450 (1.7)
17+18+58	कागज एवं कागज उत्पाद/ मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यमों का पुनरुत्पादन/ प्रकाशन गतिविधियां	11634	82 (0.7)	9545	80 (0.8)	68999.58	238 (0.3)	438667	2407 (0.5)
	उप-योग	**92441**	**1232 (1.3)**	**73878**	**1129 (1.5)**	**434635.28**	**4783 (1.1)**	**5647706**	**46258 (0.8)**
	गैर-कृषि आधारित								
19	कोक तथा शोधित पेट्रॉलियम उत्पाद	1622	69 (4.3)	1447	61 (4.2)	235686.1	2711 (1.2)	122731	3227 (2.6)
20	रसायन/ रासायनिक उत्पाद	11715	48 (0.4)	10105	46 (0.5)	175643.7	48 (0)	712994	1512 (0.2)
21	मूल औषधीय उत्पाद	4908	29 (0.6)	4298	28 (0.7)	86934.86	30 (0)	610250	811 (0.1)
22	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	13548	78 (0.6)	11051	78 (0.7)	75856.68	82 (0.1)	597032	833 (0.1)
23	अधातु खनिज उत्पाद	27206	1612 (5.9)	23084	1152 (5)	177270.33	1325 (0.7)	996507	78849 (7.9)
24+25	मशीन और उपकरण से भिन्न धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद	28286	152 (0.5)	23374	152 (0.7)	611897.91	210 (0)	1632109	3194 (0.2)
27+28+33	विद्युतचालित उपकरण/ मशीन एवं उपकरण/ एनईसी/ मशीन उपकरणों की मरम्मत एवं स्थापन	20642	53 (0.3)	17444	53 (0.3)	127697.28	24 (0)	1262149	955 (0.1)
29+30	मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर/ अन्य परिवहन उपकरण	8178	13 (0.2)	6965	13 (0.2)	187433.41	50 (0)	1195318	662 (0.1)
	अन्य (32 अन्य विनिर्माण सामग्रियों सहित)	15562	244 (1.6)	12330	230 (1.9)	318324.59	680 (0.2)	781370	9811 (1.3)
	उप-योग	**131667**	**2298 (1.7)**	**110098**	**1813 (1.6)**	**1996744.9**	**5161 (0.3)**	**7910460**	**99854 (1.3)**
	कुल योग	**224108**	**3530 (1.6)**	**183976**	**2942 (1.6)**	**2431380.1**	**9945 (0.4)**	**13558166**	**146112 (1.1)**

टिप्पणी : तालिका प 4.1 और 4.2 (परिशिष्ट) में योगफल संपूर्ण भारत के योगफल से मेल नहीं खा सकते हैं क्योंकि यहां दिया गया योगफल उन्हीं एनआइसी कोड वाली चीजों से संबंधित हैं जो बिहार में मौजूद हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े भारत में बिहार का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

तालिका 4.3 : बिहार में देशी और विदेशी पर्यटकों का आगमन की सांख्यिकी

(संख्या हजार में)

स्थान	पर्यटक	2012	2013	2014	2015	2016	2017
पटना	देशी	5091	1459	1033	2823	3973	7530
	विदेशी	16	10	8	13	23	14
गया	देशी	5063	12544	4547	3701	2890	3640
	विदेशी	269	248	203	239	289	314
बोधगया	देशी	933	399	1506	1752	1694	1758
	विदेशी	208	140	196	237	242	283
राजगिर	देशी	3700	1381	1105	4381	1568	1514
	विदेशी	373	162	141	167	170	169
नालंदा	देशी	934	502	735	927	1041	962
	विदेशी	190	105	104	139	145	163
रक्सौल	देशी	81	14	44	533	737	882
	विदेशी	3	2	23	2	1	1
मुंगेर	देशी	101	81	84	106	113	121
	विदेशी	0	2	0	0	0	0
वैशाली	देशी	53	90	116	776	918	916
	विदेशी	38	72	41	89	100	91
मुजफ्फरपुर	देशी	362	235	442	842	994	943
	विदेशी	0	0	0	0	0	0
भागलपुर	देशी	1997	758	878	1036	1193	1068
	विदेशी	0	0	0	0	0	0
सोनपुर मेला	देशी	0	2495	4654	4732	3837	3853
	विदेशी	0	0	0	0	0	0
पितृपक्ष मेला, गया	देशी	0	0		145	831	3125
	विदेशी	0	0		0	4	43
श्रावणी मेला, सुल्तानगंज (भागलपुर)	देशी	3112	1624	2564	2864	2873	791
	विदेशी	0	26	32	34	35	3
अन्य	देशी	19	5	4	3411	5698	5314
	विदेशी	0	0	0	4	0	0
योग	देशी	21446	21587	17712	28029	28362	32414
	विदेशी	1097	767	748	924	1010	1083
कुल योग		**22543**	**22354**	**18460**	**28953**	**29372**	**33497**

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.1 : बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क

(लंबाई किमी में)

जिले	2010				2017 (सितंबर 2017 तक)			
श्रेणियां	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	मुख्य जिला पथ	ग्रामीण पथ	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	मुख्य जिला पथ	ग्रामीण पथ
पटना	395	151	422	2043	395	208	562	3768
नालंदा	177	157	179	1165	177	192	448	3207
भोजपुर	85	94	290	894	85	167	282	2638
बक्सर	55	79	108	1018	81	52	127	2282
रोहतास	145	235	408	1545	183	193	404	3356
कैमूर	52	99	211	1272	99	85	269	2683
गया	120	227	255	1836	155	210	627	4931
अरवल	134	46	185	134	134	39	65	520
जहानाबाद	-	-	-	830	-	33	289	1242
नवादा	84	141	102	862	84	186	151	2493
औरंगाबाद	137	89	222	1455	186	124	256	3644
सारण	181	117	185	2023	227	166	365	5089
सीवान	54	125	231	913	131	86	306	3669
गोपालगंज	96	50	311	1063	96	53	353	3281
पश्चिम चंपारण	112	47	317	1862	112	115	302	4286
पूर्व चंपारण	94	100	285	2256	126	128	462	6409
मुजफ्फरपुर	229	70	359	2087	259	76	467	6764
सीतामढ़ी	102	53	200	1228	168	94	214	2773
शिवहर	22	14	33	470	22	12	101	818
वैशाली	128	81	188	1552	128	113	347	4895
दरभंगा	49	106	262	1158	50	224	475	5071
मधुबनी	208	213	312	1486	236	98	380	7858
समस्तीपुर	66	137	393	1524	66	194	429	4801
बेगूसराय	96	42	199	661	102	43	209	2161
मुंगेर	39	35	45	426	85	34	46	819
शेखपुरा	12	52	92	427	46	22	137	1102
लखीसराय	45	59	33	306	51	49	93	840
जमुई	-	220	184	1222	197	63	239	2898
खगड़िया	92	0	130	339	92	21	243	1465
भागलपुर	146	81	213	1087	146	72	280	2778
बांका	-	175	254	1268	86	169	200	3629
सहरसा	60	58	311	477	93	91	279	2636
सुपौल	133	165	480	485	216	134	505	3580
मधेपुरा	109	97	100	505	109	99	103	3220
पूर्णिया	103	129	290	1589	116	141	227	5185
किशनगंज	0	79	425	947	68	49	221	3179
अररिया	85	112	266	1459	154	69	408	4977
कटिहार	90	52	487	1007	158	103	275	4531
योग	**3734**	**3787**	**8965**	**42883**	**4917**	**4006**	**11145**	**129473**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.2 : बिहार में 2016-17 में निबंधित वाहनों के आंकड

(संख्या)

जिला	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	तिपहिया	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
पटना	3872	595	18113	1358	1967	6429	84008	3355	2134	14	121845
नालंदा	538	58	307	164	256	872	15179	1290	578	27	19269
भोजपुर	188	36	213	122	486	953	16083	990	956	-	20027
बक्सर	111	22	143	64	172	342	6587	697	701	-	8839
रोहतास	275	84	527	91	97	1014	10783	1284	1220	-	15375
कैमूर	81	38	108	36	114	201	10128	962	670	4	12342
गया	658	123	754	275	470	2670	20653	1169	880	-	27652
अरवल	410	20	31	19	40	453	4945	606	590	-	7114
जहानाबाद	34	3	121	17	16	170	2674	298	285	122	3740
नवादा	81	17	118	51	164	195	9620	866	694	167	11973
औरंगाबाद	498	42	138	114	374	1460	10148	1051	978	62	14865
सारण	594	40	295	171	561	609	17169	796	149	-	20384
सीवान	511	84	759	240	569	688	14562	1047	18	-	18478
गोपालगंज	203	26	487	44	543	147	18636	752	114	-	20952
पश्चिम चंपारण	87	11	191	10	116	628	1840	1400	91	-	4374
पूर्व चंपारण	470	38	338	204	633	1020	6610	1753	124	-	11190
मुजफ्फरपुर	5545	1006	2933	459		3196	68825	2627	361	-	84952
सीतामढ़ी	46	6	64	31	72	1135	13293	1142	407	-	16196
शिवहर	6	1	9	5	13	44	2169	105	23	1	2376
वैशाली	486	48	973	45	178	897	25604	876	585	42	29734
दरभंगा	710	40	926	406	639	2410	24748	1045	391	3	31318
मधुबनी	154	75	221	121	272	3421	19963	1351	767	-	26345
समस्तीपुर	184	12	119	54	128	1324	20721	1106	972	13	24633
बेगूसराय	517	28	1108	143	161	959	19095	765	621	45	23442
मुंगेर	75	2	37	75	62	308	6780	91	91	93	7614
शेखपुरा	88	5	16	15	33	69	2536	345	331	-	3438
लखीसराय	186	5	43	45	41	89	1474	189	114	-	2186
जमुई	119	5	17	33	59	649	6278	452	454	-	8066
खगड़िया	60	4	56	19	27	347	7662	643	517	-	9335
भागलपुर	630	17	1056	145	173	1476	9815	650	679	135	14776
बांका	118	13	32	11	39	162	5397	739	709	-	7220
सहरसा	98	20	250	33	102	651	10788	738	259	-	12939
सुपौल	92	13	151	44	36	153	15465	1035	295	-	17284
मधेपुरा	22	13	199	8	27	842	9942	907	442	-	12402
पूर्णिया	1744	92	1672	292	2	4356	14113	2243	662	-	25176
किशनगंज	52	14	366	6	31	436	23733	518	65	4	25225
अररिया	61	17	414	20	73	687	12848	1069	722	289	16200
कटिहार	42	3	265	43	4	415	21871	1124	575	-	24342
योग	**19646**	**2676**	**33570**	**5033**	**8750**	**41877**	**592745**	**38076**	**20224**	**1021**	**763618**

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.1 : वर्ष 2011-12 में राज्यवार गरीबी अनुपात

गरीबी रेखा के नीचे आबादी (प्रतिशत)	ग्रामीण गरीबी	शहरी गरीबी	कुल गरीबी
10 से कम	गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम	गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा	गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश
10 से 20	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, नगालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड	गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, नगालैंड, ओडिशा	जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नगालैंड, पश्चिम बंगाल
20 से 30	गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक	अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश	मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश
30 से 40	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मिजोरम	बिहार, मणिपुर	मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़
40 से अधिक	झारखंड, छत्तीसगढ़		

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

तालिका 7.2 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति

जिला	जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों की सं. (लाख)			जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों में अजा परिवारों का प्रतिशत हिस्सा			रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	4.94	4.99	5.53	25.54	0.00	25.33	0.00	0.00	16.94
नालंदा	3.82	4.01	4.27	37.84	10.50	36.41	10.50	12.24	20.67
भोजपुर	3.19	3.26	3.55	35.10	9.84	32.69	9.84	9.60	26.48
बक्सर	2.35	2.63	2.85	32.17	15.27	29.72	15.27	26.37	27.84
राहतास	3.42	3.51	3.65	32.79	15.87	31.18	5.87	13.05	26.11
कैमूर	1.99	2.06	2.18	39.58	15.82	37.24	15.82	17.88	27.74
गया	5.17	5.36	5.85	57.07	15.84	55.06	15.84	8.61	18.84
जहानाबाद	1.32	1.38	1.49	32.18	13.45	30.30	13.45	23.56	49.97
अरवल	0.92	0.97	1.15	33.24	13.99	27.71	13.99	22.47	52.41
नवादा	3.59	3.83	4.21	30.86	12.77	30.37	2.77	18.66	23.52
औरंगाबाद	3.22	3.36	3.57	42.77	13.93	41.42	13.93	15.82	28.98
सारण	4.55	4.68	5.24	24.08	10.59	24.82	10.59	12.87	21.89
सीवान	2.88	2.94	3.07	19.04	9.64	18.74	9.64	12.26	19.10
गोपालगंज	3.36	3.44	3.55	20.23	10.76	19.46	10.76	11.70	20.55
पश्चिम चंपारण	4.37	4.46	4.83	19.04	7.56	18.02	7.56	11.70	27.16
पूर्व चंपारण	5.97	6.12	6.48	19.68	7.85	18.90	7.85	14.14	20.29
मुजफ्फरपुर	5.86	5.94	6.28	23.98	7.82	22.96	7.82	6.65	17.38
सीतामढ़ी	4.22	4.33	4.64	18.23	18.72	21.52	18.72	17.53	28.78
शिवहर	0.77	0.84	0.90	22.46	16.05	19.82	16.05	36.93	60.10
वैशाली	5.09	5.36	5.82	33.73	5.24	32.41	5.24	9.19	16.19
दरभंगा	4.73	4.80	5.10	27.42	9.79	26.06	9.79	11.58	26.70
मधुबनी	4.87	5.03	5.42	22.91	14.39	21.45	14.39	12.59	21.24
समस्तीपुर	4.43	4.65	5.13	30.95	11.06	29.37	11.06	15.52	29.75
बेगूसराय	3.00	3.13	3.35	23.48	12.52	22.36	23.09	11.05	19.66
मुंगेर	1.76	1.83	1.96	17.02	7.36	16.35	16.64	13.11	25.72
शेखपुरा	0.90	0.98	0.95	38.70	12.92	36.23	37.30	18.45	30.94
लखीसराय	1.46	1.55	1.73	23.86	11.42	23.18	23.56	18.03	29.36
जमुई	2.37	2.55	2.78	26.78	17.21	24.67	25.57	26.71	34.11
खगड़िया	1.64	1.77	1.94	26.09	15.86	24.73	25.28	11.56	21.15
भागलपुर	3.71	3.85	4.11	13.70	9.53	13.20	9.53	13.19	24.84
बांका	2.61	2.81	3.01	16.90	13.66	15.83	13.66	21.30	34.49
सहरसा	3.20	3.38	3.82	23.30	13.47	21.08	13.47	26.58	41.09
सुपौल	2.93	3.04	3.28	23.32	11.59	21.28	11.59	17.33	29.91
मधेपुरा	2.93	3.23	3.60	26.79	14.11	24.24	14.11	25.67	44.98
पूर्णिया	4.18	4.41	4.83	17.89	11.54	17.55	11.54	16.75	25.16
किशनगंज	2.35	2.45	2.60	10.63	13.11	9.74	13.11	13.73	32.09
अररिया	4.02	4.18	4.51	18.04	11.94	16.68	11.94	19.92	35.12
कटिहार	4.38	4.58	4.96	16.18	21.49	15.28	21.49	18.66	29.86
बिहार	**126.47**	**131.69**	**142.19**	**33.53**	**26.25**	**25.19**	**17.67**	**11.65**	**26.23**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका 7.2 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (जारी)

जिला	रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत			सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति-दिवस)			कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	0	0	0.79	0	0	24.64	0	0	48.73
नालंदा	9.28	5.17	0.88	17.93	18.44	25.46	43.69	45.81	50.55
भोजपुर	4.97	3.64	0.51	8.66	8.19	17.05	26.34	30.63	34.45
बक्सर	4.46	8.71	0.46	10.08	29.68	18.92	29.38	29.7	34.65
रोहतास	1.76	2.19	0.15	13.41	11.63	18.48	21.02	25.19	30.41
कैमूर	7.31	2.66	0.76	10.61	11.92	14.97	23.76	29.4	33.96
गया	3.59	0.31	0.22	24.47	10.16	28.66	46.22	53.6	55.19
जहानाबाद	5.68	12.01	1.55	5.22	15.35	18.21	41.91	43.4	44.76
अरवल	1.19	2.43	0.71	2.33	6.45	12.49	33.79	40.5	40.28
नवादा	1.28	3.47	0.32	10.68	26.67	25.23	46.62	50.4	53.11
औरंगाबाद	4.76	4.54	1.61	14.14	21.01	31.4	29.38	32.32	35.62
सारण	1.96	5.64	2.12	9.49	25.11	39.3	26.9	21.21	29.17
सीवान	0.91	5.76	1.02	5.25	11.71	15.07	24.51	26.44	30.54
गोपालगंज	2.14	2.2	0.66	8.92	12.31	22.96	33.87	27.76	31.41
पश्चिम चंपारण	6.18	2.15	0.38	11.94	18.09	30.36	30.23	32.19	34.85
पूर्व चंपारण	5.25	3.81	0.34	16.69	34.3	38.3	30.75	32.79	35.82
मुजफ्फरपुर	1.98	2.25	0.3	11.22	12.3	23.2	34.05	36.64	41.15
सीतामढ़ी	0.62	2.16	0.16	12.64	20.53	26.16	38.59	41.76	44.43
शिवहर	1.28	5.52	0.2	3.32	15.32	11.07	46.36	46.13	44.71
वैशाली	2.11	2.98	0.24	6.21	16.09	26.38	35.18	43.85	45.16
दरभंगा	2.29	3.81	0.28	12.55	18.84	30.04	47.35	47.58	49.9
मधुबनी	2.01	2.21		14.11	21.47	26.06	42.55	48.48	50.61
समस्तीपुर	4.51	4.77	0.96	13.27	26.9	36.37	42.43	45.76	48.46
बेगूसराय	3.95	2.62	1.02	10.45	9.36	13.93	57.92	53.78	58.57
मुंगेर	0.99	5.79	0.5	2.23	8.19	12.21	32.17	39.27	44.43
शेखपुरा	1.55	4.29	0.58	2.79	7.01	8.7	41.91	45.23	54.1
लखीसराय	6.17	5.19	0.2	5.17	11.92	14.89	42.13	43.9	49.61
जमुई	3.24	5.1	0.14	13.69	26.05	20.57	40.54	43.75	47.11
खगड़िया	0.59	0.31	0.15	3.21	4.16	7.42	44.59	53.49	57.87
भागलपुर	6.30	4.85	0.43	9.59	17.44	22.06	32.66	39.25	39.18
बांका	2.53	4.02	0.2	6.39	19.26	23.55	33.07	42.25	48.79
सहरसा	0.72	3.7	0.24	10.98	39.04	39.14	46.66	48.05	50.42
सुपौल	1.87	3.46	0.26	6.81	18.98	19.34	36.31	42.85	47.24
मधेपुरा	1.62	5.24	0.47	9.34	34.79	36.74	41.33	48.57	49.96
पूर्णिया	0.57	1.95	0.09	6.56	24.49	24.46	37.23	46.69	49.19
किशनगंज	0.94	2.98	0.99	4.03	11.5	22.08	29.05	39.06	43.06
अररिया	0.78	3.3	0.21	5.9	21.62	22.57	32.1	41.08	43.48
कटिहार	1.53	2.36	0.17	12.32	25.51	24.94	39.47	45.73	48.06
बिहार	**2.98**	**3.9**	**0.52**	**352.60**	**671.78**	**873.37**	**37.32**	**40.84**	**43.89**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका 7.3 : मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति

जिला	उपलब्ध रकम (लाख रु.)	प्रयुक्त रकम (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम (लाख रु.)	प्रयुक्त रकम (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम (लाख रु.)	प्रयुक्त रकम (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत
	2014-15			2015-16			2016-17		
पटना	9202.19	4749.13	51.61	4457.27	2009.1	45.07	6764.57	3075.28	45.46
नालंदा	4179.27	3697.54	88.47	4961.62	4481.63	90.33	6544.12	6050.44	92.46
भोजपुर	3314.39	2669.81	80.55	3122	2717.44	87.04	4381.31	3949.04	90.13
बक्सर	3579.49	3037.28	84.85	8217.59	7703.5	93.74	8805.11	8311.4	94.39
रोहतास	3827.8	2961.3	77.36	3475.44	2807.62	80.78	4946.89	4007.58	81.01
कैमूर	2485.55	2049.17	82.44	3306.56	2882.12	87.16	4181.48	3828.55	91.56
गया	8826.93	6733.37	76.28	3991.61	1988.99	49.83	8078.05	6304.45	78.04
जहानाबाद	2014.53	1751.1	86.92	4027.96	3759.45	93.33	5010.88	4844.11	96.67
अरवल	755.25	613.47	81.23	1237.38	988.65	79.9	3322.04	3282.04	98.8
नवादा	3553.89	3407	95.87	7403.77	7260.47	98.06	6599.45	6407.76	97.1
औरंगाबाद	4737.02	3879.2	81.89	5602.5	5207.79	92.95	8563.49	7771.32	90.75
सारण	3732.36	2776.46	74.39	7484.76	6819.38	91.11	10545.11	9796.72	92.9
सीवान	3367.79	2308.76	68.55	3580.19	2517.24	70.31	4367.2	3709.54	84.94
गोपालगंज	3487.48	2443.22	70.06	3350.8	2309.34	68.92	6720.01	6218.53	92.54
पश्चिम चंपारण	4264.73	3274.29	76.78	4771.12	4078.71	85.49	6937.29	6244.06	90.01
पूर्व चंपारण	7282.04	6155.51	84.53	9562.33	8500.29	88.89	10682.58	9939.05	93.04
मुजफ्फरपुर	6028.22	3504.54	58.14	5042.78	2518.3	49.94	6058.38	4316.55	71.25
सीतामढ़ी	5569.45	4384.22	78.72	5816.75	4622.41	79.47	7165.58	6101.56	85.15
शिवहर	1774.1	1289.89	72.71	9745.48	3107.54	31.89	4193.74	3709.52	88.45
वैशाली	3179.57	2324.94	73.12	3955.96	3295.94	83.32	6101.28	5506.69	90.25
दरभंगा	5090.59	3793.71	74.52	5089.24	3792.42	74.52	8123.02	6949.67	85.56
मधुबनी	3604.73	2824.22	78.35	5203.86	4730.53	90.9	7625.99	7108.55	93.21
समस्तीपुर	4913.36	3675.71	74.81	8306.25	7159.95	86.2	11260.62	10141.16	90.06
बेगूसराय	5540.03	4638.19	83.72	6557.46	6003.66	91.55	6668.73	6153.76	92.28
मुंगेर	1295.68	945.36	72.96	2619.51	2469.06	94.26	3148.09	2790.41	88.64
शेखपुरा	887.17	808.08	91.09	1683.04	1649.57	98.01	2214.96	2160.28	97.53
लखीसराय	1970.27	1784.81	90.59	3436.04	3274.4	95.3	3269.52	3121.13	95.46
जमुई	3162.38	3029.62	95.8	6803.48	6676.5	98.13	6301.91	6137.45	97.39
खगड़िया	1653.59	1394.54	84.33	1019.56	811.82	79.62	1937.98	1822.53	94.04
भागलपुर	4075.77	3446.07	84.55	4892.61	4535.23	92.7	5773.65	5310.45	91.98
बांका	2735.15	2216.97	81.05	4375.11	3903.19	89.21	5893.21	5492.13	93.19
सहरसा	4660.39	4347.44	93.28	6654.82	6377	95.83	12280.92	11942.13	97.24
सुपौल	4666.8	2497.91	53.53	5805.13	3750.25	64.6	7173	5311.01	74.04
मधेपुरा	2701.95	2396.64	88.7	8226.88	7894.32	95.96	7558.83	7224.32	95.57
पूर्णिया	4411.22	3377.9	76.58	6131.96	5116.32	83.44	7598.91	6483.5	85.32
किशनगंज	2213.29	1683.09	76.04	2380.07	1896.88	79.7	3953.35	3644.37	92.18
अररिया	4100.05	2773.44	67.64	6280.66	5023.71	79.99	6570.39	5385.28	81.96
कटिहार	4797.88	4452.59	92.8	7483.49	6762.6	90.37	6438.66	5996.41	93.13
राज्य कोष	41551.74	995.04	2.39	1947.57	1035.79	53.18	4275.1	569.44	13.32
बिहार	**189194.09**	**115091.53**	**60.83**	**198010.61**	**162439.11**	**82.04**	**248035.4**	**219210.6**	**88.39**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.4 : बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण

जिला	दूकानदारों की सं.	दूकानदारों का प्रतिशत							योग
		अजा/ अजजा	पिछड़ी जाति/ अति पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	महिला	महिला/ अन्य स्वयं सहायता समूह	हेल्पर समिति/ पीएसी/ पूर्व-सैनिक समिति	सामान्य	
पटना	2439	17.3	47.1	2.7	9.9	0.1	7.6	15.3	100.0
नालंदा	1196	14.7	41.7	4.0	9.7	1.8	16.1	12.0	100.0
भोजपुर	1239	13.7	36.1	4.1	10.7	0.0	11.0	24.4	100.0
बक्सर	752	19.4	33.5	2.8	5.5	1.5	14.1	23.3	100.0
रोहतास	927	23.2	34.7	6.3	5.8	1.1	12.0	16.9	100.0
कैमूर	615	24.1	39.7	6.8	8.6	0.0	4.4	16.4	100.0
गया	1849	31.2	32.0	5.1	5.8	1.5	10.2	14.2	100.0
जहानाबाद	483	17.6	29.8	4.3	8.7	0.0	15.5	24.0	100.0
अरवल	328	27.4	29.0	4.3	5.2	0.3	20.1	13.7	100.0
नवादा	902	15.4	34.1	4.5	10.8	0.4	13.7	21.0	100.0
औरंगाबाद	1144	17.7	36.6	3.8	3.8	0.2	9.3	28.8	100.0
सारण	2337	11.3	31.8	2.4	16.1	0.0	11.0	27.2	100.0
सीवान	1477	13.3	37.5	7.0	5.9	0.4	6.9	29.0	100.0
गोपालगंज	1171	13.5	29.6	2.6	7.0	0.0	17.1	30.1	100.0
पश्चिम चंपारण	1945	20.4	31.3	12.0	6.3	0.1	13.1	16.9	100.0
पूर्व चंपारण	2169	13.2	38.1	9.0	5.1	0.6	10.0	24.0	100.0
मुजफ्फरपुर	1916	18.4	31.9	4.0	8.9	1.1	11.6	24.1	100.0
सीतामढ़ी	975	17.6	41.5	6.7	6.7	1.1	12.3	14.1	100.0
शिवहर	294	13.6	30.3	4.8	7.1	1.0	14.6	28.6	100.0
वैशाली	1451	15.5	38.7	1.7	6.9	0.9	15.0	21.4	100.0
दरभंगा	1231	11.0	31.8	11.1	9.6	0.6	8.4	27.5	100.0
मधुबनी	1481	19.5	36.1	7.6	5.7	1.3	11.3	18.6	100.0
समस्तीपुर	1462	20.6	35.2	2.5	5.3	0.7	13.9	22.0	100.0
बेगूसराय	1021	27.3	27.3	4.3	11.9	0.0	4.6	24.5	100.0
मुंगेर	576	8.5	47.6	5.7	9.9	0.0	12.5	15.8	100.0
शेखपुरा	289	16.6	36.3	2.4	6.6	0.0	12.5	25.6	100.0
लखीसराय	371	11.3	34.0	2.4	9.7	2.2	11.1	29.4	100.0
जमुई	756	19.7	34.4	3.6	4.4	0.0	13.6	24.3	100.0
खगड़िया	593	14.0	49.7	2.7	13.3	3.4	5.6	11.3	100.0
भागलपुर	1320	15.0	46.1	10.4	7.3	0.0	10.4	10.8	100.0
बांका	792	15.3	46.2	7.8	8.7	3.9	4.7	13.4	100.0
सहरसा	702	17.4	39.9	9.0	4.7	1.4	15.7	12.0	100.0
सुपौल	714	11.8	46.8	8.8	4.2	0.0	15.1	13.3	100.0
मधेपुरा	573	14.1	46.6	4.9	8.2	0.3	16.9	8.9	100.0
पूर्णिया	1154	18.6	36.1	16.2	9.7	2.8	6.2	10.3	100.0
किशनगंज	587	14.7	25.4	0.0	4.1	0.3	8.2	47.4	100.0
अररिया	1230	14.5	31.6	23.4	15.1	0.0	7.2	8.1	100.0
कटिहार	1022	18.5	38.3	10.7	3.6	0.0	13.1	15.9	100.0
बिहार	**41483**	**17.1**	**36.7**	**6.4**	**8.1**	**0.7**	**11.0**	**20.0**	**100.0**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.5 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2016-17)

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	127127	107157	84.3	190725	140665	73.8
नालंदा	55988	54873	98.0	83982	83747	99.7
भोजपुर	51664	45903	88.8	77496	62964	81.2
बक्सर	24131	22426	92.9	36197	35054	96.8
रोहतास	47864	47864	100.0	71796	71403	99.5
कैमूर	25907	25907	100.0	38861	38220	98.3
गया	83783	82192	98.1	125674	121437	96.6
जहानाबाद	18544	18544	100.0	27817	27797	99.9
अरवल	13844	13845	100.0	20766	20764	100.0
नवादा	43913	43913	100.0	65869	65869	100.0
औरंगाबाद	46103	46103	100.0	69155	69155	100.0
सारण	71105	70090	98.6	106658	106424	99.8
सीवान	61069	61069	100.0	91603	91596	100.0
गोपालगंज	45592	45487	99.8	68388	67152	98.2
पश्चिम चंपारण	83988	82845	98.6	125983	120920	96.0
पूर्व चंपारण	112457	106491	94.7	168686	165295	98.0
मुजफ्फरपुर	100947	100918	100.0	151438	146438	96.7
सीतामढ़ी	76876	70497	91.7	115314	107211	93.0
शिवहर	14447	14447	100.0	21671	21671	100.0
वैशाली	78853	75391	95.6	118280	107717	91.1
दरभंगा	94679	79972	84.5	142018	124647	87.8
मधुबनी	72396	64452	89.0	108595	98117	90.4
समस्तीपुर	101435	101434	100.0	152152	152152	100.0
बेगूसराय	68320	66931	98.0	102479	100492	98.1
मुंगेर	28061	27954	99.6	42091	37481	89.0
शेखपुरा	11887	11887	100.0	17831	17831	100.0
लखीसराय	18935	18539	97.9	28403	27537	97.0
जमुई	37372	35320	94.5	56058	55013	98.1
खगड़िया	40918	40876	99.9	61377	61377	100.0
भागलपुर	61668	45502	73.8	92502	70108	75.8
बांका	45276	44039	97.3	67914	66903	98.5
सहरसा	45318	45318	100.0	67977	67778	99.7
सुपौल	50687	48787	96.3	76031	73409	96.6
मधेपुरा	46102	46102	100.0	69154	69154	100.0
पूर्णिया	75292	75292	100.0	112938	112938	100.0
किशनगंज	40076	40076	100.0	60113	60113	100.0
अररिया	72396	64452	89.0	108595	98117	90.4
कटिहार	69251	69251	100.0	103877	103877	100.0
बिहार	**2164273**	**2062146**	**95.3**	**3246462**	**3068541**	**94.5**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.1 : 31.3.2017 को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन

क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(करोड़ रु.)

जिला	कृषि			लघु एवं मध्यम उद्यम			अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			योग (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	2160	2774	128.4	2458	3111	126.6	2931	2337	79.7	7549	8222	108.9
नालंदा	1219	1109	91.0	331	307	92.7	248	163	65.9	1798	1579	87.8
भोजपुर	1980	1447	73.1	360	391	108.7	291	222	76.3	2632	2060	78.3
बक्सर	1512	1202	79.5	281	221	78.6	201	146	72.7	1994	1569	78.7
रोहतास	1695	1597	94.2	456	637	139.7	476	384	80.7	2627	2618	99.7
कैमूर	1760	1329	75.5	276	245	88.8	243	175	72.0	2279	1749	76.7
गया	1435	1265	88.1	613	533	86.9	791	590	74.6	2839	2387	84.1
जहानाबाद	642	440	68.5	144	121	84.0	98	68	69.3	883	628	71.1
अरवल	435	304	69.9	70	52	74.9	53	48	89.8	558	404	72.4
नवादा	793	540	68.1	138	139	100.6	129	95	73.2	1061	774	72.9
औरंगाबाद	1636	1225	74.9	208	265	127.7	309	238	77.0	2153	1728	80.3
सारण	1672	1596	95.5	561	469	83.5	507	311	61.3	2741	2376	86.7
सीवान	1353	1259	93.1	362	336	92.6	365	280	76.6	2080	1874	90.1
गोपालगंज	1951	1505	77.2	122	109	89.2	184	110	59.7	2257	1724	76.4
पश्चिम चंपारण	1973	1945	98.6	686	514	74.9	677	437	64.5	3337	2896	86.8
पूर्वी चंपारण	2183	1830	83.8	642	556	86.7	239	181	75.8	3064	2567	83.8
मुजफ्फरपुर	2675	2365	88.4	936	908	97.0	337	406	120.6	3947	3678	93.2
सीतामढ़ी	857	682	79.6	518	390	75.3	213	171	80.2	1588	1243	78.3
शिवहर	318	203	63.7	55	47	84.2	49	39	78.8	423	288	68.2
वैशाली	1110	988	89.1	178	236	132.5	185	163	88.5	1473	1388	94.2
दरभंगा	1102	750	68.1	246	310	126.3	237	220	92.8	1585	1281	80.8
मधुबनी	1403	1024	73.0	376	332	88.3	304	197	64.7	2083	1553	74.5
समस्तीपुर	1765	1691	95.8	453	405	89.5	651	348	53.5	2869	2445	85.2
बेगूसराय	1567	1430	91.3	988	838	84.8	374	219	58.6	2929	2487	84.9
मुंगेर	580	519	89.6	206	184	89.2	116	110	94.9	902	814	90.2
शेखपुरा	192	255	132.8	95	71	75.1	13	23	177.9	300	349	116.4
लखीसराय	506	387	76.6	109	96	87.9	48	37	77.1	663	520	78.5
जमुई	607	654	107.7	105	140	132.9	127	93	73.4	840	887	105.7
खगड़िया	925	831	89.9	262	266	101.5	108	64	59.1	1294	1161	89.7
भागलपुर	1282	933	72.8	871	627	72.0	201	162	80.7	2354	1723	73.2
बांका	883	583	66.0	280	189	67.5	71	46	65.2	1234	818	66.3
सहरसा	681	574	84.2	182	168	92.3	197	145	73.5	1061	887	83.6
सुपौल	725	582	80.3	189	164	86.4	182	124	68.2	1096	870	79.3
मधेपुरा	889	647	72.8	68	168	245.9	97	109	113.0	1054	924	87.7
पूर्णिया	1676	1145	68.3	273	454	166.1	220	156	70.8	2169	1755	80.9
किशनगंज	1339	1262	94.3	245	200	81.8	109	69	63.0	1693	1532	90.5
अररिया	1468	1355	92.3	282	280	99.3	173	111	64.5	1922	1746	90.8
कटिहार	1052	847	80.6	374	383	102.4	246	172	69.8	1672	1402	83.9
बिहार	**48000**	**41077**	**85.6**	**15000**	**14862**	**99.1**	**12000**	**8968**	**74.7**	**75000**	**64907**	**86.5**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

ख. 31.03.2017 को गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(करोड़ रु.)

जिला	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			कुल योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	4254	7295	171.5	11803	15517	131.5
नालंदा	597	422	70.7	2395	2001	83.6
भोजपुर	602	426	70.8	3233	2486	76.9
बक्सर	468	250	53.5	2462	1820	73.9
रोहतास	641	460	71.7	3268	3078	94.2
कैमूर	373	199	53.4	2651	1948	73.5
गया	988	763	77.3	3827	3151	82.3
जहानाबाद	325	182	55.9	1209	810	67.0
अरवल	173	110	63.9	730	514	70.4
नवादा	311	164	52.6	1372	937	68.3
औरंगाबाद	511	302	59.1	2664	2030	76.2
सारण	729	491	67.4	3470	2868	82.6
सीवान	613	422	68.9	2693	2296	85.3
गोपालगंज	470	362	77.0	2726	2086	76.5
पश्चिम चंपारण	588	452	76.9	3925	3348	85.3
पूर्वी चंपारण	835	561	67.1	3899	3128	80.2
मुजफ्फरपुर	1385	1321	95.4	5332	4999	93.7
सीतामढ़ी	544	383	70.5	2132	1626	76.3
शिवहर	160	87	54.5	583	375	64.4
वैशाली	780	540	69.2	2253	1928	85.6
दरभंगा	777	530	68.2	2362	1811	76.7
मधुबनी	762	490	64.2	2846	2043	71.8
समस्तीपुर	888	568	64.0	3757	3013	80.2
बेगूसराय	748	568	75.9	3677	3055	83.1
मुंगेर	438	680	155.3	1340	1493	111.4
शेखपुरा	184	148	80.4	484	497	102.7
लखीसराय	208	132	63.5	871	652	74.9
जमुई	298	281	94.3	1137	1168	102.7
खगड़िया	372	234	62.7	1667	1394	83.7
भागलपुर	1086	822	75.7	3441	2545	74.0
बांका	429	310	72.1	1663	1128	67.8
सहरसा	395	308	78.1	1455	1195	82.1
सुपौल	436	412	94.4	1533	1282	83.6
मधेपुरा	378	388	102.6	1432	1312	91.7
पूर्णिया	742	755	101.7	2911	2510	86.2
किशनगंज	336	212	63.2	2029	1744	85.9
अररिया	530	419	79.0	2452	2165	88.3
कटिहार	647	556	85.9	2319	1958	84.4
बिहार	**25000**	**23002**	**92.0**	**100000**	**87909**	**87.9**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका 9.2 : जिलावार उपलब्धि - नई और नवीकृत किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (हजार में)

जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	18.05	26.23	60.14	50.52	54.95	54.32	72.92	59.09	62.58	66.55
नालंदा	16.18	22.28	34.95	42.07	46.48	63.10	52.08	54.17	72.24	56.12
भोजपुर	15.92	27.58	50.76	59.02	84.54	86.53	96.03	90.50	83.70	50.31
बक्सर	6.78	10.92	38.45	32.04	40.53	79.49	64.99	51.36	44.43	35.63
रोहतास	19.59	33.14	56.52	57.66	76.55	95.86	78.68	72.13	93.40	113.52
कैमूर	12.09	24.10	31.49	29.36	44.17	63.62	57.32	63.94	68.04	37.91
गया	16.37	52.57	40.10	41.01	60.65	85.44	95.49	86.97	104.28	93.17
जहानाबाद	5.35	12.26	16.10	25.15	26.43	18.91	16.73	14.20	22.68	17.69
अरवल	2.93	4.44	6.69	8.36	12.75	13.46	11.10	13.47	18.68	13.99
नवादा	11.22	25.99	24.84	28.98	23.73	36.43	44.29	42.46	76.64	58.62
औरंगाबाद	8.64	28.08	42.49	42.35	54.79	67.64	31.70	54.10	73.83	75.75
सारण	14.13	24.23	32.71	34.84	39.06	66.26	72.48	61.32	91.86	82.06
सीवान	14.55	27.75	38.54	34.17	36.96	72.17	55.79	71.07	97.31	83.47
गोपालगंज	13.40	29.82	42.89	53.93	60.45	82.85	97.37	98.80	88.55	109.34
पश्चिम चंपारण	32.43	47.45	70.19	75.74	97.81	86.74	104.25	98.93	136.40	129.69
पूर्वी चंपारण	26.21	45.14	74.33	82.86	104.24	129.86	147.01	156.80	160.34	153.66
मुजफ्फरपुर	20.05	36.20	61.03	58.14	71.13	91.76	96.01	144.85	142.78	139.99
सीतामढ़ी	24.40	19.94	34.68	30.37	43.47	62.52	66.49	47.52	55.15	42.90
शिवहर	2.62	6.65	6.32	12.12	7.68	11.31	27.41	9.87	49.79	17.19
वैशाली	17.14	30.63	38.76	45.61	66.71	82.39	88.73	80.25	85.17	77.88
दरभंगा	8.01	20.74	43.99	26.36	41.68	56.13	52.02	39.35	41.38	48.46
मधुबनी	15.60	35.42	38.58	55.26	72.37	101.07	95.60	97.56	129.11	95.02
समस्तीपुर	22.78	38.36	79.08	80.40	95.79	94.51	155.58	154.74	173.89	170.53
बेगूसराय	14.71	20.69	57.13	72.81	89.80	111.45	152.53	134.32	134.01	119.82
मुंगेर	5.61	10.76	16.56	16.70	28.05	19.33	36.37	36.22	44.20	46.09
शेखपुरा	3.53	7.88	6.04	5.22	12.74	13.62	12.60	21.87	13.45	26.97
लखीसराय	4.59	10.05	11.40	15.85	18.07	16.62	35.84	39.83	37.07	38.71
जमुई	7.38	13.46	15.78	22.59	28.02	30.84	50.86	64.32	64.64	68.24
खगड़िया	9.30	12.38	30.31	39.92	57.27	45.85	69.17	78.56	76.26	83.32
भागलपुर	11.48	22.73	44.74	37.94	48.75	45.36	66.86	65.70	72.44	61.73
बांका	4.28	9.46	21.23	22.83	36.20	34.78	36.69	36.02	47.77	34.62
सहरसा	7.25	13.84	21.76	18.90	25.22	32.86	41.01	47.16	45.35	33.45
सुपौल	6.30	57.13	22.83	16.79	27.26	40.51	45.48	46.71	43.30	42.94
मधेपुरा	6.06	11.62	12.31	14.71	24.80	29.93	36.54	25.39	20.35	28.71
पूर्णिया	13.48	27.43	51.21	30.38	55.21	64.57	64.26	61.97	68.56	45.65
किशनगंज	7.39	13.68	14.65	20.79	36.76	44.19	51.11	46.03	54.16	40.50
अररिया	8.56	16.38	20.23	29.47	47.76	54.05	82.37	53.92	60.22	42.71
कटिहार	12.21	19.83	29.76	31.62	48.62	45.51	53.03	49.92	60.84	41.77
बिहार	**466.54**	**897.25**	**1339.54**	**1402.83**	**1847.44**	**2231.79**	**2514.76**	**2471.35**	**2814.83**	**2524.66**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका 10.1 : बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2017 में)

जिले	जिला अस्पताल (1)	रेफरल अस्पताल (2)	अनुमंडल अस्पताल (3)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (4)	स्वास्थ्य उप-केंद्र (5)	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (6)	योग (1 से 6)	जनसंख्या प्रति स्वास्थ्य संस्थान
पटना	0	4	4	23 (1)	234	94	359	16263
नालंदा	1	3	2	20 (2)	368	45	439	6555
भोजपुर	1	3	2	14 (4)	298	27	344	7931
बक्सर	1	0	1	11 (3)	160	28	201	8489
रोहतास	1	2	2	19 (4)	251	32	307	9641
कैमूर	1	2	1	11 (3)	175	19	208	7819
गया	1	2	2	24 (8)	469	36	533	8239
जहानाबाद	1	2	0	7 (1)	107	31	148	7603
अरवल	1	0	0	5 (1)	65	27	98	7151
नवादा	1	2	1	14 (4)	174	36	228	9733
औरंगाबाद	1	3	1	11 (5)	254	61	331	7674
सारण	1	3	2	20 (8)	414	41	480	8233
सीवान	1	3	1	19 (7)	378	44	446	7467
गोपालगंज	1	3	1	14 (5)	185	22	226	11336
पश्चिम चंपारण	1	2	2	18 (6)	532	33	588	6692
पूर्व चंपारण	1	1	3	27 (13)	398	70	500	10199
मुजफ्फरपुर	1	2	0	16 (9)	499	83	600	8002
सीतामढ़ी	1	1	2	17 (5)	208	38	266	12871
शिवहर	1	0	0	5 (1)	91	13	110	5966
वैशाली	1	2	2	16 (1)	334	34	390	8962
दरभंगा	0	2	1	18 (6)	261	46	328	12004
मधुबनी	1	4	4	21 (2)	376	61	465	9650
समस्तीपुर	1	1	4	20 (8)	358	55	439	9707
बेगूसराय	1	2	4	18 (3)	292	22	337	8815
मुंगेर	1	0	2	9 (2)	154	20	185	7393
शेखपुरा	1	1	0	6 (0)	85	17	110	5785
लखीसराय	1	1	0	6 (1)	102	12	122	8204
जमुई	1	3	0	10 (3)	279	22	315	5589
खगड़िया	1	1	0	7 (1)	186	23	218	7646
भागलपुर	1	3	2	16 (1)	362	54	438	6936
बांका	1	3	2	11 (2)	239	31	285	7140
सहरसा	1	0	1	10 (2)	171	32	215	8840
सुपौल	1	2	1	11 (1)	181	23	219	10178
मधेपुरा	1	0	1	13 (1)	272	21	308	6499
पूर्णिया	1	2	3	14 (2)	312	33	364	8969
किशनगंज	1	1	0	7 (0)	156	10	175	9659
अररिया	1	2	1	9 (0)	242	29	284	9900
कटिहार	1	2	2	16 (3)	327	41	388	7915
बिहार	**36**	**70**	**55**	**533 (130)**	9949	1366	11997	8677

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 30 शय्याओं वाले सामुदायिक केंद्र में उत्क्रमण के हैं।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.2 : नियमित एवं संविदाधीन चिकित्सकों का जिलावार नियोजन

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान संख्या		नियोजित चिकित्सकों की संख्या				प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की सं.*
	नियमित	संविदाधीन	नियमित		संविदाधीन		
			2016-17	2017-18*	2016-17	2017-18*	
पटना	422	92	248	248	14	18	4
नालंदा	285	95	119	117	55	58	4
भोजपुर	194	65	129	129	11	11	5
बक्सर	115	54	83	84	2	3	5
रोहतास	248	89	89	85	30	27	3
कैमूर	114	48	70	70	11	15	4
गया	400	106	108	106	22	22	2
जहानाबाद	150	46	83	86	11	11	8
अरवल	81	26	11	28	14	11	4
नवादा	198	45	68	74	2	2	3
औरंगाबाद	193	60	53	58	18	30	2
सारण	165	94	76	121	37	34	3
सीवान	234	108	75	80	31	32	2
गोपालगंज	101	69	70	69	19	26	3
पश्चिम चंपारण	132	83	71	65	24	26	2
पूर्व चंपारण	190	128	106	99	42	36	2
मुजफ्फरपुर	274	64	108	108	17	17	2
सीतामढ़ी	170	68	64	62	16	16	2
शिवहर	103	19	37	32	5	5	5
वैशाली	239	69	104	136	14	4	4
दरभंगा	163	89	80	72	53	10	2
मधुबनी	366	85	101	92	21	17	2
समस्तीपुर	192	95	102	102	16	15	2
बेगूसराय	146	94	60	70	13	13	2
मुंगेर	145	44	72	71	5	5	5
शेखपुरा	190	24	65	65	6	5	10
लखीसराय	122	30	55	52	3	1	5
जमुई	131	48	59	54	16	16	3
खगड़िया	123	44	59	59	11	12	4
भागलपुर	206	64	84	82	9	9	3
बांका	167	58	70	70	8	6	3
सहरसा	167	55	53	53	116	116	3
सुपौल	251	48	83	83	12	11	4
मधेपुरा	190	67	51	51	25	31	3
पूर्णिया	226	64	117	117	13	13	4
किशनगंज	85	28	47	47	5	5	3
अररिया	179	36	61	56	4	4	2
कटिहार	192	78	192	93	192	16	3
बिहार	**7249**	**2479**	**3183**	**3146**	**923**	**709**	**3**

टिप्पणी : * अप्रील से सितंबर 2017 तक के आंकड़े दर्शाता है।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.3 : 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित 'ए' श्रेणी नर्सों की संख्या						प्रति लाख आबादी पर ए-ग्रेड नर्सों की सं. *
	नियमित	संविदाधीन	नियमित			संविदाधीन			
			2015-16	2016-17	2017-18*	2015-16	2016-17	2017-18*	
पटना	161	46	158	158	134	23	23	4	2
नालंदा	129	88	92	88	98	32	32	3	3
भोजपुर	162	54	47	60	60	10	1	1	2
बक्सर	85	74	33	45	42	2	2	1	2
रोहतास	88	20	32	54	54	18	18	11	2
कैमूर	38	44	17	29	28	9	9	9	2
गया	174	25	77	97	95	16	16	16	2
जहानाबाद	85	34	60	76	77	3	3	1	7
अरवल	50	56	6	20	19	3	3	2	3
नवादा	82	175	67	75	75	13	13	0	3
औरंगाबाद	35	128	22	31	30	6	6	2	1
सारण	86	25	24	9	47	5	5	6	1
सीवान	147	110	14	14	35	2	2	0	1
गोपालगंज	84	18	15	29	31	4	4	2	1
पश्चिम चंपारण	108	37	26	39	39	28	5	4	1
पूर्व चंपारण	165	48	25	17	36	37	37	37	1
मुजफ्फरपुर	152	54	53	39	39	1	0	0	1
सीतामढ़ी	116	17	15	33	33	14	14	14	1
शिवहर	59	34	3	11	9	6	5	4	1
वैशाली	258	118	45	69	69	49	49	1	2
दरभंगा	154	30	29	28	28	9	2	2	1
मधुबनी	364	114	26	60	53	7	7	2	1
समस्तीपुर	304	146	97	120	120	6	2	2	3
बेगूसराय	128	102	116	118	122	4	4	1	4
मुंगेर	119	38	103	103	100	0	0	0	7
शेखपुरा	74	34	33	33	44	4	4	1	7
लखीसराय	73	38	38	53	53	12	23	1	5
जमुई	75	85	31	40	38	41	8	8	2
खगड़िया	61	50	59	57	59	6	2	2	4
भागलपुर	108	165	75	75	76	7	7	1	3
बांका	67	64	58	59	59	56	7	7	3
सहरसा	167	64	30	47	49	38	38	4	3
सुपौल	172	107	25	39	40	2	1	1	2
मधेपुरा	58	9	6	31	31	8	8	2	2
पूर्णिया	110	112	62	79	75	9	9	2	2
किशनगंज	60	44	18	23	23	2	1	1	1
अररिया	96	39	14	25	27	7	7	5	1
कटिहार	250	104	49	49	49	6	6	6	2
बिहार	**4704**	**2550**	**1700**	**2032**	**2096**	**505**	**383**	**166**	**2**

टिप्पणी : * अप्रील से सितंबर 2017 तक के आंकड़े दर्शाता है।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.4 : एएनएम का जिलावार नियोजन

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित ए.एन.एम. की संख्या						प्रति लाख आबादी परए.एन.एम. की संख्या*
	नियमित	संविदाधीन	नियमित			संविदाधीन			
			2015-16	2016-17	2017-18*	2015-16	2016-17	2017-18*	
पटना	1155	418	491	939	948	375	247	172	16
नालंदा	835	370	389	750	720	358	210	143	25
भोजपुर	706	350	295	377	377	345	172	172	14
बक्सर	382	162	158	207	202	161	105	86	12
रोहतास	593	308	211	409	409	255	102	91	14
कैमूर	325	287	119	245	257	223	97	99	16
गया	1170	541	479	640	641	487	303	254	15
जहानाबाद	351	151	176	243	173	192	195	71	15
अरवल	125	65	65	87	85	62	60	32	12
नवादा	443	525	208	221	214	118	91	91	10
औरंगाबाद	581	308	280	339	333	292	156	154	13
सारण	789	643	291	358	344	382	360	267	9
सीवान	501	370	224	329	295	265	122	113	9
गोपालगंज	512	186	199	206	205	113	107	107	8
पश्चिम चंपारण	535	895	254	295	295	646	570	570	7
पूर्व चंपारण	1017	503	316	242	228	470	399	374	4
मुजफ्फरपुर	956	583	592	702	702	379	234	234	15
सीतामढ़ी	684	213	216	217	215	100	96	81	6
शिवहर	97	172	18	23	23	111	101	92	4
वैशाली	764	418	329	444	444	296	266	162	13
दरभंगा	585	419	220	301	269	312	248	196	7
मधुबनी	1017	702	283	321	312	299	239	211	7
समस्तीपुर	854	486	494	537	537	437	200	189	13
बेगूसराय	661	360	382	493	529	347	217	172	18
मुंगेर	491	165	141	358	361	159	64	64	26
शेखपुरा	257	123	105	105	155	90	46	43	24
लखीसराय	400	102	125	230	230	100	87	45	23
जमुई	609	212	139	211	257	193	182	118	15
खगड़िया	362	193	159	228	273	173	110	79	16
भागलपुर	567	362	333	618	614	336	247	152	20
बांका	406	265	361	361	353	254	125	123	17
सहरसा	350	212	138	152	140	155	137	116	7
सुपौल	212	246	68	90	86	172	148	148	4
मधेपुरा	399	153	77	101	105	87	72	75	5
पूर्णिया	655	370	198	280	268	392	184	184	8
किशनगंज	338	186	78	82	74	149	126	111	4
अररिया	561	290	129	153	150	216	213	157	5
कटिहार	614	345	234	311	311	210	210	210	10
बिहार	**21859**	**12659**	**8974**	**12205**	**12134**	**9711**	**6848**	**5758**	**12**

टिप्पणी : * अप्रील से सितंबर 2017 तक के आंकड़े दर्शाता है।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.5 : आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन

जिले	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17*	
	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन
पटना	3233	3018	5842	3018	3461	3043	3461	2992
नालंदा	2365	2313	2880	2316	2415	2316	2415	2316
भोजपुर	2264	2199	2731	2188	2331	2079	2331	2079
बक्सर	1493	1474	1708	1474	1551	1474	1551	1494
रोहतास	2490	2430	2962	2454	2538	2465	2538	2465
कैमूर	1462	1462	1628	1462	1570	1483	1570	1509
गया	3514	3442	4395	3448	3878	3448	3878	3448
जहानाबाद	871	870	1126	870	990	870	990	870
अरवल	773	746	773	750	749	749	749	747
नवादा	1959	1928	2221	1956	2004	1957	2004	1957
औरंगाबाद	2160	2142	2542	2142	2299	2213	2299	2243
सारण	3459	3385	3955	3402	3602	3406	3602	3408
सीवान	3008	2834	3334	2822	3136	2822	3136	2822
गोपालगंज	2371	2336	2564	2374	2396	2390	2396	2395
पश्चिम चंपारण	3206	3043	3935	3108	3644	3135	3644	3178
पूर्व चंपारण	4326	3906	5099	4060	4684	4060	4684	4060
मुजफ्फरपुर	3984	3856	4805	3858	4510	3880	4510	3880
सीतामढ़ी	2965	2912	3424	2919	3259	2919	3259	2919
शिवहर	580	572	656	572	646	572	646	572
वैशाली	2969	2888	3498	3019	3265	3121	3265	3129
दरभंगा	3550	3100	3941	3118	3729	3192	3729	3242
मधुबनी	4046	3682	4487	3853	4298	3902	4298	3910
समस्तीपुर	3835	3779	4266	3794	4161	3798	4161	3798
बेगूसराय	2629	2410	2973	2403	2493	2410	2493	2410
मुंगेर	961	956	1369	952	1014	953	1014	953
शेखपुरा	520	476	637	476	526	476	526	478
लखीसराय	802	756	1002	901	900	898	900	898
जमुई	1520	1504	1762	1505	1654	1509	1654	1509
खगड़िया	1412	1399	1668	1468	1571	1499	1571	1501
भागलपुर	2311	2236	3040	2232	2435	2236	2435	2236
बांका	1820	1782	2037	1809	1966	1819	1966	1819
सहरसा	1622	1471	1902	1471	1823	1471	1823	1471
सुपौल	1928	1912	2229	2093	2140	2111	2140	2111
मधेपुरा	1711	1655	2004	1674	2049	1704	2049	1704
पूर्णिया	2723	2634	3268	2709	2983	2817	2983	2833
किशनगंज	1368	1280	1690	1290	1585	1298	1585	1298
अररिया	2376	2365	2812	2365	2637	2237	2637	2284
कटिहार	2549	2549	3074	2720	2795	2770	2795	2770
बिहार	**87135**	**83702**	**104239**	**85045**	**93687**	**85502**	**93687**	**85708**

टिप्पणी : * अप्रील से सितंबर 2017 तक के आंकड़े दर्शाता है। वर्ष 2014-15 के लक्ष्य और चयन में शहरी आशा भी शामिल हैं जबकि अन्य वर्षों में सिर्फ ग्रामीण आशा हैं। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लक्ष्य समान हैं।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.6 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन

(आंकड़े हजार में)

जिले	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017)
पटना	78	83	64	64	32
नालंदा	46	41	41	39	22
भोजपुर	43	39	38	36	20
बक्सर	24	25	21	21	11
रोहतास	33	43	27	26	13
कैमूर	26	23	24	24	13
गया	52	63	49	47	25
जहानाबाद	21	16	16	14	7
अरवल	10	10	9	9	5
नवादा	33	32	30	28	17
औरंगाबाद	36	36	33	31	14
सारण	52	57	48	50	27
सीवान	45	48	39	40	21
गोपालगंज	40	37	38	38	20
पश्चिम चंपारण	73	57	67	68	32
पूर्व चंपारण	67	73	62	62	35
मुजफ्फरपुर	56	69	54	53	26
सीतामढ़ी	49	49	43	45	22
शिवहर	10	9	9	10	5
वैशाली	63	50	60	60	32
दरभंगा	51	57	48	50	25
मधुबनी	54	65	54	59	28
समस्तीपुर	94	61	88	89	47
बेगूसराय	57	43	55	54	28
मुंगेर	23	20	21	21	12
शेखपुरा	13	9	13	12	7
लखीसराय	16	14	16	15	8
जमुई	29	25	27	27	16
खगड़िया	36	24	34	35	18
भागलपुर	50	44	52	51	27
बांका	36	29	35	33	18
सहरसा	41	27	40	40	17
सुपौल	46	32	46	47	23
मधेपुरा	38	29	37	42	23
पूर्णिया	73	47	71	71	35
किशनगंज	27	24	21	23	13
अररिया	51	40	51	54	25
कटिहार	56	44	52	57	32
बिहार	**1648**	**1494**	**1533**	**1545**	**801**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.7 : रोगों की व्याप्ति (2016-17)

जिल	तीव्र विसूचिका (तीव्र जठरांत्र शोथ सहित)	खूनी पेचिश	वायरल हिपेटाइटिस	आंत्र ज्वर	मलेरिया
पटना	9760	6463	2666	2918	146
नालंदा	4425	2481	0	382	485
भोजपुर	5772	3164	0	880	0
बक्सर	898	2677	87	4204	113
रोहतास	10608	1950	242	10516	1166
कैमूर	5981	3699	29	13511	344
गया	3135	2459	18	1669	1810
जहानाबाद	5415	3174	8	3717	17
अरवल	1666	1781	0	1510	0
नवादा	5882	3671	6577	1579	2336
औरंगाबाद	2794	1019	0	961	96
सारण	1973	904	0	395	27
सीवान	11048	5266	0	5930	303
गोपालगंज	6703	548	35	391	22
पश्चिम चंपारण	13942	1229	0	0	0
पूर्व चंपारण	1725	1322	0	925	0
मुजफ्फरपुर	14374	3413	616	6590	939
सीतामढ़ी	12037	5902	0	3843	1
शिवहर	3391	2367	0	2598	3
वैशाली	13639	17576	5860	21389	810
दरभंगा	4155	2177	1021	1898	171
मधुबनी	13431	8040	290	8860	473
समस्तीपुर	16474	11266	1	10846	420
बेगूसराय	14088	3639	29	13511	344
मुंगेर	8099	5605	88	291	3438
शेखपुरा	610	473	0	40	43
लखीसराय	1435	788	0	324	92
जमुई	6394	6081	7	3685	1148
खगड़िया	18427	2744	0	73	11
भागलपुर	236	104	0	0	0
बांका	2564	794	0	813	54
सहरसा	6016	3856	6	1302	0
सुपौल	3388	1935	1	993	2
मधेपुरा	38	0	0	0	0
पूर्णिया	13202	5536	0	3452	13
किशनगंज	3944	911	179	1586	21
अररिया	10995	11935	0	1010	1538
कटिहार	11719	6396	0	2333	1344
बिहार	**270383**	**143345**	**17760**	**134925**	**17730**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

(जारी)

तालिका 10.7 : रोगों की व्याप्ति (2016-17) (जारी)

जिल	अज्ञात मूल का ज्वर (PUO)	तीव्र श्वास संक्रमण/ इनफ्लुएंजा जैसा संक्रमण	न्यूमोनिया	कुत्ता काटना	राज्य का कोई अन्य खास रोग	पूर्वोक्त से भिन्न असामान्य रोग लक्षण (विशेषत: रोग संबंधी)
पटना	10327	10566	1655	15916	3980	10491
नालंदा	8037	7677	903	11813	0	0
भोजपुर	54	17499	9	12219	343	0
बक्सर	4426	29871	1471	1940	0	0
रोहतास	10876	21643	1137	10623	0	0
कैमूर	7230	10424	580	3241	0	0
गया	14442	11814	554	2585	1991	0
जहानाबाद	14209	17928	364	6421	0	0
अरवल	5225	2100	88	3508	0	0
नवादा	16935	4912	1792	4465	2446	4749
औरंगाबाद	530	2513	1120	2523	228	0
सारण	4695	3411	92	2080	0	0
सीवान	35485	41796	608	9632	1395	1052
गोपालगंज	29367	31078	266	3777	0	0
पश्चिम चंपारण	2090	17737	1241	4077	1243	0
पूर्व चंपारण	5104	1541	780	473	405	170
मुजफ्फरपुर	30021	24126	1088	15079	0	935
सीतामढ़ी	7193	18084	1549	9677	131	0
शिवहर	1467	3074	0	2405	0	0
वैशाली	26354	62227	1376	14576	0	0
दरभंगा	4684	16966	47	5191	525	2528
मधुबनी	12538	25486	332	6034	651	0
समस्तीपुर	29299	37795	174	5471	875	0
बेगूसराय	28838	25191	145	9943	0	0
मुंगेर	11207	15887	101	4129	0	0
शेखपुरा	1268	2128	68	1072	0	0
लखीसराय	422	4069	89	1123	1105	663
जमुई	51307	41903	810	2397	0	0
खगड़िया	55581	53838	361	1904	0	0
भागलपुर	26459	14062	0	6913	0	0
बांका	1760	23506	52	2314	0	0
सहरसा	13227	35047	106	1198	0	0
सुपौल	9599	3051	29	2156	590	748
मधेपुरा	0	0	0	0	0	0
पूर्णिया	14626	28011	210	2646	868	0
किशनगंज	2337	3946	0	1420	232	0
अररिया	2610	3714	162	1124	863	303
कटिहार	7283	16676	140	1771	122	1747
बिहार	**507112**	**691297**	**19499**	**193836**	**17993**	**23386**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका 10.8 : स्वास्थ्य समितियों को वितरित जिलावार धनराशि

(लाख रु.)

जिले	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17			
				एनआरएचएम-A	एनआरएचएम-B	एनआरएचएम-C	योग
पटना	4035.69	5293.20	3993.42	3503.99	1690.73	355.31	5550.03
नालंदा	2963.24	3779.53	3237.22	2077.58	1261.11	168.03	3506.71
भोजपुर	2058.36	2648.43	2715.25	1799.05	949.29	102.25	2850.60
बक्सर	1382.92	1860.02	1762.66	1148.81	622.18	83.81	1854.80
रोहतास	1932.67	1923.70	2372.06	1661.56	1418.16	213.85	3293.57
कैमूर	1703.82	1860.06	2079.02	1260.75	851.25	218.84	2330.84
गया	4460.10	4056.57	4118.13	2985.58	1593.49	240.87	4819.95
जहानाबाद	1329.96	1536.25	1173.85	986.55	565.75	71.68	1623.98
अरवल	920.83	829.17	915.73	665.58	470.04	94.19	1229.81
नवादा	1742.69	2048.67	1909.12	1463.34	1166.40	151.87	2781.61
औरंगाबाद	2594.13	2733.26	2288.90	1716.10	1279.95	196.43	3192.48
सारण	2851.63	2650.22	3069.12	2586.52	1606.70	282.99	4476.20
सीवान	2721.04	2537.74	3284.57	1520.97	1297.38	203.50	3021.85
गोपालगंज	2520.83	2409.59	2062.60	1757.86	1265.11	163.91	3186.89
पश्चिम चंपारण	3713.46	3834.59	5111.42	3674.73	1435.82	372.52	5483.08
पूर्व चंपारण	3822.36	5555.89	3414.01	3919.32	1837.08	371.35	6127.74
मुजफ्फरपुर	3444.63	2848.42	3381.03	2448.44	1540.21	211.60	4200.25
सीतामढ़ी	2506.62	2150.80	2620.85	2397.19	1330.27	226.83	3954.29
शिवहर	646.29	779.95	720.14	695.37	287.21	63.07	1045.64
वैशाली	4011.61	3450.86	3925.29	3261.32	1493.29	224.55	4979.16
दरभंगा	3113.09	2920.53	2466.06	2411.57	1248.93	247.49	3908.00
मधुबनी	3530.15	3091.18	3602.80	2687.85	1512.99	302.21	4503.06
समस्तीपुर	4714.65	3872.80	5684.70	3010.52	1925.46	259.59	5195.57
बेगूसराय	3233.34	3552.20	3236.42	2569.78	1306.06	319.29	4195.12
मुंगेर	1945.43	1513.31	1712.30	996.87	713.25	231.27	1941.40
शेखपुरा	814.86	965.65	1141.25	765.23	291.86	79.20	1136.28
लखीसराय	1046.17	1188.39	1362.40	807.61	424.77	88.88	1321.27
जमुई	1621.89	2450.75	2090.60	1634.15	988.31	96.01	2718.46
खगड़िया	1754.41	2322.32	1986.11	1471.52	846.87	163.18	2481.58
भागलपुर	3327.31	3267.48	3729.52	2431.86	1042.66	245.97	3720.49
बांका	2321.64	2594.63	2430.29	1638.79	955.07	108.06	2701.92
सहरसा	2093.93	1962.26	2409.91	1583.38	920.90	221.89	2726.17
सुपौल	1858.28	2154.84	2689.32	2014.91	849.91	198.22	3063.04
मधेपुरा	1951.99	2264.27	1974.33	1658.10	786.09	273.85	2718.04
पूर्णिया	3393.22	4414.50	3922.66	2993.88	1472.51	309.61	4776.00
किशनगंज	965.72	1405.20	1327.24	1312.88	671.77	189.81	2174.46
अररिया	1972.30	2726.41	2797.04	2605.97	1117.15	251.30	3974.42
कटिहार	3131.46	2742.98	4096.26	2746.98	1517.45	266.48	4530.91
बिहार	**94152.69**	**100196.61**	**102813.61**	**76872.47**	**42553.43**	**7869.78**	**127295.69**

टिप्पणी : राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लि. जैसे अपने क्रियान्वयन अभिकरणों के बीच वितरित की गई है लेकिन उक्त तालिका में सिर्फ जिला स्वास्थ्य समिति को किया गया वितरण दर्शाया गया है।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका 10.9 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चापाकलों की जिलावार स्थापना

जिले	लगे चापाकलों की संख्या					छूटे/ पानी की खराब गुणवत्ता वाले वासस्थलों का आच्छादन				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	1481	1553	769	1000	220	852	666	725	373	0
नालंदा	1122	998	976	1079	137	300	459	333	36	2
भोजपुर	830	840	514	669	82	280	221	285	244	0
बक्सर	425	341	643	389	30	121	147	217	13	1
रोहतास	1024	1185	1011	1066	19	97	227	316	253	1
कैमूर	426	452	578	761	58	28	158	234	91	38
गया	1315	2105	1602	1739	148	300	511	449	469	34
जहानाबाद	769	831	185	206	0	84	140	145	87	7
अरवल	132	259	141	196	0	50	81	107	92	13
नवादा	464	726	817	856	19	136	256	309	207	35
औरंगाबाद	468	789	898	994	0	239	202	248	250	37
सारण	1719	953	603	771	34	451	591	407	305	15
सीवान	1452	1643	693	736	441	628	379	346	337	15
गोपालगंज	829	1165	553	497	74	273	350	275	269	11
पश्चिम चंपारण	1616	710	495	871	359	88	295	313	311	3
पूर्व चंपारण	3397	1646	746	968	314	851	694	733	492	20
मुजफ्फरपुर	108	2297	550	1179	782	104	153	395	222	5
सीतामढ़ी	541	979	440	1113	140	230	312	402	21	14
शिवहर	94	149	274	106	35	39	121	145	108	0
वैशाली	1082	1534	844	255	414	343	427	314	0	0
दरभंगा	2134	1160	989	588	339	432	412	398	0	5
मधुबनी	1885	1612	750	762	303	529	508	432	167	0
समस्तीपुर	1046	931	1052	937	237	183	157	398	336	96
बेगूसराय	858	810	564	695	54	375	564	383	58	0
मुंगेर	220	253	588	453	78	24	223	249	301	38
शेखपुरा	523	189	239	230	0	30	146	50	0	0
लखीसराय	450	828	462	485	12	260	409	243	174	122
जमुई	639	444	819	700	51	568	334	246	250	43
खगड़िया	299	416	303	273	32	30	119	28	14	56
भागलपुर	1199	735	1159	1346	84	90	523	522	223	2
बांका	780	472	674	1132	112	323	418	481	281	0
सहरसा	639	713	413	232	69	375	311	418	311	101
सुपौल	736	741	442	458	552	769	700	492	358	163
मधेपुरा	273	788	484	551	13	267	292	263	132	72
पूर्णिया	143	1396	871	575	509	595	320	320	9	57
किशनगंज	216	680	554	437	252	243	410	133	84	90
अररिया	387	567	516	480	170	341	377	281	71	132
कटिहार	205	399	76	906	200	32	174	201	240	61
बिहार	**31926**	**34289**	**24287**	**26691**	**6373**	**10960**	**12787**	**12236**	**7189**	**1289**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.10 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि

जिल	जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
		कुल (बीपीएल और एपीएल)			बीपीएल	एपीएल	(बीपीएल + एपीएल)
पटना	5.6	13516 (8.4)	4323 (2.6)	22660 (5.3)	15189	14691	29880 (3.4)
नालंदा	2.8	702 (0.4)	5716 (3.5)	15348 (3.6)	32435	3332	35767 (4.1)
भोजपुर	2.6	2733 (1.7)	4421 (2.7)	8348 (2)	27355	11309	38664 (4.4)
बक्सर	1.6	1923 (1.2)	1909 (1.2)	7354 (1.7)	21654	15012	36666 (4.2)
रोहतास	2.9	3951 (2.4)	2271 (1.4)	9159 (2.1)	25120	12264	37384 (4.3)
कैमूर	1.6	5981 (3.7)	4814 (2.9)	7103 (1.7)	20614	4182	24796 (2.8)
गया	4.2	6793 (4.2)	4151 (2.5)	21122 (4.9)	13835	16178	30013 (3.4)
जहानाबाद	1.1	1734 (1.1)	4356 (2.6)	7485 (1.8)	6396	4285	10681 (1.2)
अरवल	0.7	454 (0.3)	1113 (0.7)	2800 (0.7)	3023	2462	5485 (0.6)
नवादा	2.1	1329 (0.8)	11559 (7)	7836 (1.8)	13369	6362	19731 (2.3)
औरंगाबाद	2.4	1443 (0.9)	1474 (0.9)	4514 (1.1)	5201	5075	10276 (1.2)
सारण	3.8	1935 (1.2)	3803 (2.3)	14967 (3.5)	4389	6554	10943 (1.3)
सीवान	3.2	10828 (6.7)	2509 (1.5)	10365 (2.4)	7873	9761	17634 (2)
गोपालगंज	2.5	939 (0.6)	1805 (1.1)	14065 (3.3)	8630	10817	19447 (2.2)
पश्चिम चंपारण	3.8	20403(12.6)	7507 (4.5)	12198 (2.9)	19281	7681	26962 (3.1)
पूर्व चंपारण	4.9	9109 (5.6)	4689 (2.8)	11162 (2.6)	31497	7489	38986 (4.5)
मुजफ्फरपुर	4.6	1293 (0.8)	7407 (4.5)	26183 (6.1)	8784	7631	16415 (1.9)
सीतामढ़ी	3.3	10154 (6.3)	5580 (3.4)	14125 (3.3)	42646	7410	50056 (5.7)
शिवहर	0.6	688 (0.4)	3196 (1.9)	13252 (3.1)	12353	1418	13771 (1.6)
वैशाली	3.4	6798 (4.2)	5709 (3.5)	12292 (2.9)	13234	10103	23337 (2.7)
दरभंगा	3.8	4927 (3)	5556 (3.4)	19289 (4.5)	14869	27825	42694 (4.9)
मधुबनी	4.3	1732 (1.1)	8808 (5.3)	9897 (2.3)	9831	3799	13630 (1.6)
समस्तीपुर	4.1	6527 (4)	5582 (3.4)	20551 (4.8)	13034	9766	22800 (2.6)
बेगूसराय	2.8	154 (0.1)	5762 (3.5)	8155 (1.9)	8960	5475	14435 (1.7)
मुंगेर	1.3	2343 (1.4)	2364 (1.4)	10526 (2.5)	21174	8038	29212 (3.3)
शेखपुरा	0.6	500 (0.3)	1445 (0.9)	5356 (1.3)	6052	8324	14376 (1.6)
लखीसराय	1	3529 (2.2)	2083 (1.3)	6520 (1.5)	5089	697	5786 (0.7)
जमुई	1.7	4059 (2.5)	2126 (1.3)	6712 (1.6)	8397	5449	13846 (1.6)
खगड़िया	1.6	1940 (1.2)	1928 (1.2)	6159 (1.4)	6345	19809	26155 (3)
भागलपुर	2.9	5266 (3.3)	5274 (3.2)	11372 (2.7)	18241	6008	24249 (2.8)
बांका	2	3183 (2)	6117 (3.7)	10814 (2.5)	10177	11091	21268 (2.4)
सहरसा	1.8	2219 (1.4)	7517 (4.5)	6990 (1.6)	6740	6507	13247 (1.5)
सुपौल	2.1	1499 (0.9)	2355 (1.4)	7696 (1.8)	7007	2417	9424 (1.1)
मधेपुरा	1.9	2143 (1.3)	1377 (0.8)	10699 (2.5)	7062	7925	14987 (1.7)
पूर्णिया	3.2	10446 (6.5)	11638 (7)	7151 (1.7)	23521	12173	35694 (4.1)
किशनगंज	1.6	1508 (0.9)	1554 (0.9)	12335 (2.9)	8297	808	9105 (1)
अररिया	2.7	21 (0)	1701 (1)	13241 (3.1)	24241	3026	27267 (3.1)
कटिहार	3	6944 (4.3)	3958 (2.4)	11233 (2.6)	20084	17179	37263 (4.3)
बिहार	**100**	**161646 (100)**	**165457 (100)**	**427034 (100)**	**551999**	**320332**	**872332 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में लिखे आंकड़े बिहार का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.11 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी)

जिल	2014-15			2015-16		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	7.26	3.07	10.34	7.31	3.11	10.42
नालंदा	5.59	2.71	8.31	5.65	2.79	8.44
भोजपुर	3.84	1.90	5.74	3.90	1.68	5.58
बक्सर	3.55	1.57	5.12	3.90	1.75	5.65
रोहतास	3.25	1.10	4.36	3.30	1.13	4.43
कैमूर	2.30	1.25	3.55	2.33	1.27	3.60
गया	5.43	2.35	7.78	6.13	2.95	9.08
जहानाबाद	1.56	0.71	2.26	1.55	0.71	2.26
अरवल	1.08	0.49	1.56	1.09	0.53	1.62
नवादा	3.70	1.51	5.21	3.45	1.55	5.00
औरंगाबाद	3.73	1.80	5.53	3.87	1.95	5.82
सारण	5.79	2.84	8.63	5.70	2.87	8.57
सीवान	4.58	2.23	6.81	4.49	2.36	6.85
गोपालगंज	3.37	1.61	4.98	4.08	1.91	5.99
पश्चिम चंपारण	6.52	2.15	8.67	7.08	2.38	9.46
पूर्व चंपारण	11.72	4.56	16.28	8.78	3.51	12.29
मुजफ्फरपुर	9.91	4.20	14.10	9.94	4.90	14.83
सीतामढ़ी	5.17	1.78	6.95	5.30	1.84	7.14
शिवहर	0.92	0.26	1.18	0.92	0.26	1.18
वैशाली	5.16	1.75	6.91	5.16	1.75	6.91
दरभंगा	5.33	2.23	7.57	5.47	2.29	7.76
मधुबनी	6.85	1.89	8.74	6.85	1.89	8.74
समस्तीपुर	6.18	2.63	8.81	6.27	2.66	8.93
बेगूसराय	4.69	2.18	6.87	6.90	3.15	10.05
मुंगेर	1.89	0.76	2.65	1.89	0.76	2.65
शेखपुरा	0.95	0.40	1.36	0.95	0.40	1.36
लखीसराय	1.54	0.65	2.18	1.65	0.74	2.39
जमुई	3.13	1.21	4.34	3.16	1.22	4.38
खगड़िया	2.57	1.15	3.72	2.74	1.17	3.90
भागलपुर	4.12	1.80	5.93	4.12	1.80	5.93
बांका	3.04	1.31	4.35	3.27	1.43	4.70
सहरसा	3.04	1.22	4.25	3.27	1.29	4.56
सुपौल	4.25	1.09	5.34	4.25	1.09	5.34
मधेपुरा	3.90	1.52	5.42	3.57	1.82	5.39
पूर्णिया	4.87	1.80	6.67	4.85	2.37	7.22
किशनगंज	1.94	1.92	3.86	1.94	1.92	3.86
अररिया	3.38	2.04	5.42	2.76	2.74	5.50
कटिहार	5.24	2.27	7.51	5.51	2.37	7.89
बिहार	161.35	67.91	229.26	163.36	72.32	235.68

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.12 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा)

(लाख में)

जिल	2014-15			2015-16		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	1.30	0.65	1.94	1.25	0.67	1.92
नालंदा	1.83	0.88	2.70	1.85	0.85	2.70
भोजपुर	0.79	0.32	1.10	0.73	0.36	1.09
बक्सर	0.44	0.22	0.66	0.46	0.22	0.69
रोहतास	0.47	0.12	0.59	0.47	0.12	0.60
कैमूर	0.64	0.34	0.98	0.64	0.35	0.99
गया	2.19	0.83	3.01	2.38	0.97	3.35
जहानाबाद	0.38	0.16	0.53	0.38	0.16	0.53
अरवल	0.17	0.08	0.24	0.17	0.08	0.25
नवादा	1.15	0.35	1.50	0.97	0.33	1.31
औरंगाबाद	1.17	0.52	1.69	1.24	0.58	1.82
सारण	0.90	0.39	1.29	0.92	0.41	1.33
सीवान	0.68	0.33	1.01	0.63	0.33	0.96
गोपालगंज	0.61	0.26	0.88	0.67	0.28	0.96
पश्चिम चंपारण	1.11	0.33	1.44	1.20	0.37	1.57
पूर्व चंपारण	1.17	0.35	1.52	1.35	0.47	1.81
मुजफ्फरपुर	1.66	0.77	2.42	1.65	0.79	2.44
सीतामढ़ी	0.52	0.18	0.70	0.53	0.18	0.71
शिवहर	0.18	0.05	0.23	0.18	0.05	0.23
वैशाली	1.28	0.36	1.65	1.28	0.36	1.65
दरभंगा	1.13	0.39	1.52	1.14	0.41	1.56
मधुबनी	1.23	0.23	1.46	1.23	0.23	1.46
समस्तीपुर	1.31	0.48	1.79	1.32	0.49	1.80
बेगूसराय	0.81	0.33	1.14	0.91	0.36	1.27
मुंगेर	0.38	0.12	0.51	0.38	0.12	0.51
शेखपुरा	0.17	0.05	0.22	0.17	0.05	0.22
लखीसराय	0.29	0.11	0.40	0.31	0.13	0.44
जमुई	0.59	0.22	0.80	0.59	0.22	0.81
खगड़िया	0.43	0.36	0.79	0.57	0.19	0.76
भागलपुर	0.54	0.26	0.80	0.54	0.26	0.80
बांका	0.43	0.18	0.62	0.45	0.21	0.66
सहरसा	0.65	0.20	0.85	0.74	0.23	0.97
सुपौल	0.71	0.11	0.82	0.71	0.11	0.82
मधेपुरा	0.60	0.27	0.87	0.58	0.37	0.95
पूर्णिया	0.70	0.24	0.95	0.71	0.35	1.06
किशनगंज	0.18	0.07	0.24	0.18	0.07	0.24
अररिया	0.17	0.08	0.24	0.26	0.20	0.46
कटिहार	1.01	0.42	1.43	1.05	0.45	1.49
बिहार	29.97	11.59	41.56	30.81	12.39	43.20

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.13 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा)

(लाख में)

जिल	2014-15			2015-16		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	0.04	0.00	0.05	0.04	0.00	0.05
नालंदा	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02
भोजपुर	0.04	0.02	0.06	0.05	0.02	0.06
बक्सर	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.04
रोहतास	0.03	0.01	0.05	0.04	0.02	0.05
कैमूर	0.12	0.04	0.16	0.12	0.04	0.16
गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जहानाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अरवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नवादा	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
औरंगाबाद	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02
सारण	0.10	0.05	0.15	0.10	0.05	0.15
सीवान	0.20	0.10	0.29	0.18	0.09	0.27
गोपालगंज	0.14	0.07	0.21	0.16	0.08	0.23
पश्चिम चंपारण	0.48	0.19	0.67	0.54	0.21	0.76
पूर्व चंपारण	0.05	0.01	0.06	0.05	0.01	0.06
मुजफ्फरपुर	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
सीतामढ़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शिवहर	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02
वैशाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दरभंगा	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	0.02
मधुबनी	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
समस्तीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बेगूसराय	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
मुंगेर	0.06	0.01	0.07	0.06	0.01	0.07
शेखपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लखीसराय	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
जमुई	0.22	0.07	0.29	0.22	0.07	0.29
खगड़िया	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
भागलपुर	0.13	0.06	0.19	0.13	0.06	0.19
बांका	0.18	0.05	0.23	0.19	0.06	0.25
सहरसा	0.03	0.00	0.03	0.03	0.01	0.04
सुपौल	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03
मधेपुरा	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04	0.08
पूर्णिया	0.32	0.11	0.43	0.33	0.16	0.49
किशनगंज	0.10	0.06	0.15	0.10	0.06	0.15
अररिया	0.12	0.06	0.18	0.19	0.14	0.33
कटिहार	0.51	0.17	0.68	0.54	0.18	0.72
बिहार	**3.11**	**1.15**	**4.26**	**3.31**	**1.36**	**4.67**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.14 : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या (2015)

जिले	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
पटना	2189	1176	3365
नालंदा	1368	803	2171
भोजपुर	1208	840	2048
बक्सर	772	472	1244
रोहतास	1324	556	1880
कैमूर	614	625	1239
गया	1703	1411	3114
जहानाबाद	557	358	915
अरवल	333	193	526
नवादा	996	697	1693
औरंगाबाद	961	960	1921
सारण	1555	1156	2711
सीवान	1300	1130	2430
गोपालगंज	1140	811	1951
पश्चिम चंपारण	1694	1092	2786
पूर्व चंपारण	1962	1427	3389
मुजफ्फरपुर	1790	1569	3359
सीतामढ़ी	1204	867	2071
शिवहर	233	184	417
वैशाली	1085	951	2036
दरभंगा	1512	909	2421
मधुबनी	1962	1005	2967
समस्तीपुर	1740	1041	2781
बेगूसराय	851	767	1618
मुंगेर	639	489	1128
शेखपुरा	293	287	580
लखीसराय	486	291	777
जमुई	856	848	1704
खगड़िया	538	515	1053
भागलपुर	961	841	1802
बांका	1228	887	2115
सहरसा	767	531	1298
सुपौल	1111	707	1818
मधेपुरा	903	744	1647
पूर्णिया	1484	958	2442
किशनगंज	823	487	1310
अररिया	1327	562	1889
कटिहार	1195	719	1914
बिहार	**42664**	**29866**	**72530**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.15 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)

जिल	2014-15			2015-16			2016-17		
	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	5.25	3.93	74.86	5.28	4.16	78.80	5.25	3.56	67.77
नालंदा	3.49	2.15	61.60	3.55	2.32	65.44	3.44	2.08	60.34
भोजपुर	3.21	2.21	68.85	3.34	2.21	66.25	3.21	2.03	63.09
बक्सर	2.45	1.55	63.27	2.39	1.63	68.12	2.20	1.38	62.74
रोहतास	3.73	2.45	65.68	3.67	2.55	69.37	3.54	2.23	62.92
कैमूर	2.32	1.47	63.36	2.31	1.59	68.68	2.11	1.36	64.73
गया	5.92	3.64	61.49	5.94	3.89	65.49	5.71	3.42	59.87
जहानाबाद	1.52	1.00	65.79	1.51	1.00	65.93	1.24	0.83	67.00
अरवल	1.01	0.64	63.37	0.99	0.65	65.11	0.94	0.57	61.12
नवादा	3.24	2.05	63.27	3.34	2.13	63.96	3.25	1.97	60.63
औरंगाबाद	3.72	2.41	64.78	3.65	2.34	64.17	3.44	2.17	63.06
सारण	5.31	3.76	70.81	5.37	3.89	72.41	5.22	3.59	68.78
सीवान	3.96	3.14	79.29	3.93	2.83	72.07	3.57	2.44	68.32
गोपालगंज	3.31	2.24	67.67	3.45	2.46	71.31	3.36	2.24	66.55
पश्चिम चंपारण	7.23	4.91	67.91	6.04	4.63	76.74	5.86	4.33	73.90
पूर्व चंपारण	5.78	4.39	75.95	7.80	5.38	68.98	7.72	5.03	65.18
मुजफ्फरपुर	6.13	4.03	65.74	6.39	4.35	68.02	6.10	3.94	64.52
सीतामढ़ी	4.9	3.62	73.88	5.44	4.02	74.00	5.56	3.48	62.51
शिवहर	0.96	0.67	69.79	0.99	0.76	76.33	1.11	0.73	65.46
वैशाली	4.21	2.45	58.19	4.21	2.47	58.51	4.11	2.29	55.63
दरभंगा	5	3.51	70.20	5.15	3.74	72.77	5.12	3.38	66.01
मधुबनी	6.25	4.36	69.76	6.47	4.78	73.90	6.77	4.51	66.68
समस्तीपुर	5.86	3.97	67.75	5.68	3.92	69.06	5.46	3.49	63.82
बेगूसराय	5.01	2.75	54.89	4.07	3.02	74.11	3.94	2.65	67.19
मुंगेर	1.72	1.03	59.88	1.77	1.14	64.55	1.71	1.04	60.85
शेखपुरा	0.91	0.61	67.03	0.97	0.67	69.12	0.92	0.54	58.03
लखीसराय	1.41	0.97	68.79	1.50	1.10	73.60	1.51	0.98	64.95
जमुई	2.93	1.86	63.48	2.99	2.06	69.11	2.92	1.85	63.38
खगड़िया	2.54	1.72	67.72	2.59	1.88	72.55	2.65	1.60	60.45
भागलपुर	3.97	2.68	67.51	3.99	2.88	72.29	4.02	2.50	62.31
बांका	2.69	1.73	64.31	2.76	1.86	67.55	2.69	1.65	61.28
सहरसा	3.13	1.9	60.70	3.21	2.05	63.84	3.23	1.92	59.42
सुपौल	3.21	2.00	62.31	3.25	2.15	66.08	3.26	2.01	61.74
मधेपुरा	4.73	2.89	61.10	3.40	2.14	63.06	3.29	1.94	59.08
पूर्णिया	4.91	2.69	54.79	5.19	3.19	61.39	5.30	2.91	54.87
किशनगंज	2.97	1.79	60.27	2.97	1.82	61.46	2.81	1.76	62.45
अररिया	4.13	2.4	58.11	4.38	2.72	61.96	4.44	2.54	57.29
कटिहार	4.16	2.78	66.83	4.77	2.89	60.67	4.74	2.79	58.91
बिहार	**143.18**	**94.35**	**65.90**	**144.68**	**99.28**	**68.62**	**141.70**	**89.70**	**63.30**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 10.16 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)

जिल	2014-15			2015-16			2016-17		
	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	2.3	1.47	63.91	2.38	1.79	75.27	2.63	1.57	59.81
नालंदा	1.36	0.96	70.59	1.56	1.06	68.38	1.61	0.98	60.76
भोजपुर	1.44	0.92	63.89	1.62	0.99	61.28	1.71	0.95	55.28
बक्सर	1.18	0.72	61.02	1.24	0.76	61.31	1.19	0.70	58.50
रोहतास	1.83	1.18	64.48	1.96	1.21	61.46	1.99	1.12	56.53
कैमूर	1.08	0.68	62.96	1.18	0.74	62.21	1.21	0.69	57.41
गया	2.29	1.35	58.95	2.46	1.46	59.34	2.56	1.35	52.95
जहानाबाद	0.69	0.46	66.67	0.72	0.46	63.47	0.69	0.38	55.78
अरवल	0.49	0.28	57.14	0.54	0.29	52.60	0.56	0.27	48.13
नवादा	1.16	0.72	62.07	1.35	0.79	58.74	1.48	0.77	52.02
औरंगाबाद	1.64	0.89	54.27	1.72	1.15	66.88	1.85	1.12	60.23
सारण	2.47	1.67	67.61	2.56	1.76	68.57	2.74	1.73	63.15
सीवान	1.89	1.25	66.14	2.00	1.42	71.30	2.03	1.26	61.78
गोपालगंज	1.53	1.05	68.63	1.66	1.12	67.45	1.66	1.03	62.31
पश्चिम चंपारण	2.69	1.71	63.57	2.04	1.42	69.49	2.13	1.42	66.89
पूर्व चंपारण	1.79	1.4	78.21	3.17	2.09	65.98	3.30	2.04	61.70
मुजफ्फरपुर	2.71	1.8	66.42	3.08	1.90	61.57	3.15	1.85	58.76
सीतामढ़ी	1.72	1.3	75.58	1.97	1.46	74.07	2.39	1.40	58.76
शिवहर	0.33	0.25	75.76	0.32	0.27	85.99	0.44	0.30	67.35
वैशाली	2.07	1.12	54.11	2.08	1.16	55.74	2.13	1.09	51.28
दरभंगा	2.08	1.29	62.02	2.03	1.32	65.04	2.27	1.37	60.28
मधुबनी	2.79	1.89	67.74	2.94	2.02	68.79	3.30	1.99	60.22
समस्तीपुर	2.58	1.7	65.89	2.79	1.69	60.56	2.85	1.60	56.00
बेगूसराय	1.8	1.25	69.44	1.93	1.30	67.32	2.04	1.22	59.90
मुंगेर	0.8	0.48	60.00	0.88	0.52	59.11	0.89	0.50	56.16
शेखपुरा	0.37	0.25	67.57	0.42	0.25	61.18	0.44	0.22	49.20
लखीसराय	0.61	0.39	63.93	0.66	0.41	62.85	0.69	0.39	55.81
जमुई	1.06	0.65	61.32	1.08	0.74	68.32	1.19	0.70	59.14
खगड़िया	1.05	0.68	64.76	1.09	0.73	67.01	1.19	0.62	51.96
भागलपुर	1.73	1.17	67.63	1.76	1.29	73.37	1.94	1.13	57.90
बांका	1.12	0.68	60.71	1.22	0.77	63.28	1.30	0.72	55.85
सहरसा	1.09	0.63	57.80	1.23	0.67	54.35	1.27	0.63	49.56
सुपौल	1.38	0.78	56.52	1.42	0.79	55.42	1.43	0.71	49.82
मधेपुरा	3.5	0.85	24.29	1.45	0.90	62.01	1.57	0.81	51.58
पूर्णिया	1.72	0.85	49.42	1.77	0.98	55.23	1.97	0.95	48.28
किशनगंज	0.97	0.54	55.67	0.97	0.57	58.56	1.06	0.56	52.99
अररिया	1.34	0.69	51.49	1.42	0.75	52.60	1.44	0.68	47.18
कटिहार	1.93	1.01	52.33	1.99	1.02	51.55	2.01	0.99	49.56
बिहार	60.58	36.96	61.01	62.67	40	63.87	66.27	37.80	57.04

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 10.17 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या

जिल	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय
	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
पटना	49	39	72	39	84	37	86	37
नालंदा	20	6	23	6	25	6	26	6
भोजपुर	20	6	21	6	21	6	21	6
बक्सर	11	5	11	5	12	5	14	5
रोहतास	29	8	29	8	29	8	32	8
कैमूर	8	2	8	2	13	2	15	2
गया	23	7	25	7	28	7	27	7
जहानाबाद	7	3	7	3	7	3	7	3
अरवल	3	1	3	1	3	1	3	1
नवादा	5	4	5	4	6	4	6	4
औरंगाबाद	9	5	9	5	13	5	13	5
सारण	20	12	6	12	9	12	9	12
सीवान	7	7	6	7	7	7	7	7
गोपालगंज	4	5	1	5	3	5	4	5
पश्चिम चंपारण	7	4	8	4	8	3	8	3
पूर्व चंपारण	2	7	2	7	2	8	3	8
मुजफ्फरपुर	12	19	13	19	13	19	13	19
सीतामढ़ी	3	6	5	6	5	6	5	6
शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0
वैशाली	9	7	12	7	12	7	12	7
दरभंगा	26	22	27	22	28	22	27	22
मधुबनी	19	18	19	18	20	18	19	18
समस्तीपुर	15	15	15	15	18	15	18	15
बेगूसराय	4	6	6	6	7	6	8	6
मुंगेर	2	7	2	7	2	7	2	7
शेखपुरा	2	2	3	2	3	2	3	2
लखीसराय	3	2	3	2	3	2	3	2
जमुई	2	2	3	2	4	2	3	2
खगड़िया	0	5	1	5	1	5	1	5
भागलपुर	13	13	13	13	13	13	13	13
बांका	7	2	9	2	11	2	11	2
सहरसा	6	9	5	9	7	9	6	9
सुपौल	4	3	4	3	5	3	5	3
मधेपुरा	8	5	8	5	10	5	11	5
पूर्णिया	10	6	10	6	12	6	12	6
किशनगंज	4	2	5	2	6	2	6	2
अररिया	7	2	8	2	8	2	8	2
कटिहार	7	4	9	4	10	4	11	4
बिहार	**387**	**278**	**416**	**278**	**468**	**276**	**478**	**276**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.18 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार और धारावार संख्या (2016-17 तक)

जिल	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय	योग	कला, ललित कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और वाणिज्य	अभियंत्रण	चिकित्सा (दंत चिकित्सा सहित)	बी.एड.	अन्य	सभी महाविद्यालय
पटना	86	37	123	58	4	5	9	47	123
नालंदा	26	6	32	22	2	1	3	4	32
भोजपुर	21	6	27	11	0	0	7	9	27
बक्सर	14	5	19	10	1	0	2	6	19
रोहतास	32	8	40	32	0	1	4	3	40
कैमूर	15	2	17	6	0	0	5	6	17
गया	27	7	34	21	2	1	5	5	34
जहानाबाद	7	3	10	9	0	0	0	1	10
अरवल	3	1	4	4	0	0	0	0	4
नवादा	6	4	10	9	0	0	0	1	10
औरंगाबाद	13	5	18	12	1	0	2	3	18
सारण	9	12	21	15	1	0	1	4	21
सीवान	7	7	14	10	1	0	1	2	14
गोपालगंज	4	5	9	5	0	0	1	3	9
पश्चिम चंपारण	8	3	11	7	0	1	1	2	11
पूर्व चंपारण	3	8	11	8	1	0	1	1	11
मुजफ्फरपुर	13	19	32	18	1	1	3	9	32
सीतामढ़ी	5	6	11	9	1	0	0	1	11
शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वैशाली	12	7	19	8	1	0	4	6	19
दरभंगा	27	22	49	19	2	4	6	18	49
मधुबनी	19	18	37	17	0	0	4	16	37
समस्तीपुर	18	15	33	13	1	0	7	12	33
बेगूसराय	8	6	14	6	0	0	2	6	14
मुंगेर	2	7	9	7	0	0	1	1	9
शेखपुरा	3	2	5	5	0	0	0	0	5
लखीसराय	3	2	5	5	0	0	0	0	5
जमुई	3	2	5	5	0	0	0	0	5
खगड़िया	1	5	6	4	0	0	0	2	6
भागलपुर	13	13	26	15	2	1	2	6	26
बांका	11	2	13	6	1	0	2	4	13
सहरसा	6	9	15	7	0	1	2	5	15
सुपौल	5	3	8	6	0	0	1	1	8
मधेपुरा	11	5	16	11	0	0	2	3	16
पूर्णिया	12	6	18	8	2	0	3	5	18
किशनगंज	6	2	8	5	2	1	0	0	8
अररिया	8	2	10	8	1	0	0	1	10
कटिहार	11	4	15	9	1	1	1	3	15
बिहार	**478**	**276**	**754**	**430**	**28**	**18**	**82**	**196**	**754**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.19 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण

जिल	वित्तीय आबंटन (लाख रू.)					भौतिक उपलब्धि (संख्या में.)				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	3966.34	4532.66	4040.18	6288.53	5606.15	164495	148862	182127	353112	148830
नालंदा	2552.94	2389.27	1393.52	3867.64	2454.71	110810	116774	96390	241639	151811
भोजपुर	1103.72	1641.32	1400.76	2329.21	2056.51	84691	99951	115836	138589	79017
बक्सर	1379.05	1627.11	1532.28	3517.47	2530.08	47981	64099	70768	104548	60321
रोहतास	1763.35	2178.79	1595.22	2789.25	2042.85	87908	107420	105921	176389	130283
कैमूर	1731.78	1887.87	1480.98	3458.58	2364.90	83292	101664	137744	134154	68074
गया	4493.19	5322.76	5284.95	7383.64	6077.97	229581	272195	297678	298406	216977
जहानाबाद	776.38	1083.65	902.63	1242.55	1031.15	47005	47356	49412	86580	27660
अरवल	397.4	407.21	385.22	676.90	540.77	24231	31648	32749	44447	25898
नवादा	1476.07	2339.27	1899.83	3088.79	2204.39	97822	147041	171139	182358	117656
औरंगाबाद	1655.26	3710.27	2866.03	4119.38	2431.86	106322	278442	188192	343595	9783
सारण	2175.73	2467.65	2412.18	3134.95	2146.85	83333	149887	150120	169811	131252
सीवान	1560.59	1889.68	1496.44	2846.95	1852.09	62669	82920	98517	131152	87383
गोपालगंज	1324.72	1606.8	1332.89	2318.68	1616.01	70033	140309	83281	139879	75830
पश्चिम चंपारण	3003.3	2258.56	2337.36	4148.48	3115.43	162035	190880	194422	352634	104821
पूर्व चंपारण	1790.09	1391.37	1541.70	3707.72	2151.82	100393	99675	126757	200179	155557
मुजफ्फरपुर	3131.19	2579.1	2328.77	3236.49	2405.99	108638	146146	162902	228635	159637
सीतामढी	1078.32	1313.85	913.81	1762.81	1433.31	61195	101304	88994	118889	96543
शिवहर	318.35	223.7	221.75	483.34	361.25	18489	22308	21159	33184	26708
वैशाली	1885.84	1734.01	1663.48	3128.83	2054.08	106253	127227	127518	214769	135890
दरभंगा	2008.37	1816.37	1692.10	2861.23	2388.83	89372	128519	147633	193989	120931
मधुबनी	1945.41	1714.09	1639.36	3630.77	2491.97	144181	138976	137860	347358	170900
समस्तीपुर	2230.03	1844.19	1299.34	3394.39	1963.26	114556	137162	94595	266856	139029
बेगूसराय	982.53	1232.65	911.11	2395.85	1721.89	64095	89955	77833	165596	100933
मुंगेर	855.38	1023.41	819.35	1123.49	1068.54	38912	44717	47654	58647	32473
शेखपुरा	444.54	508.78	430.53	701.17	723.45	19159	24901	29088	42305	15373
लखीसराय	548.3	589.84	491.24	1008.60	884.49	30968	42094	42650	62989	28143
जमुई	1266.82	896.71	933.19	1825.73	1510.17	89772	76960	71190	165183	75343
खगड़िया	741.57	608.49	584.86	1093.15	940.90	25441	38889	56261	56225	71820
भागलपुर	1727.08	1781.79	2048.21	3923.21	3093.34	75255	86185	123368	205590	82176
बांका	766.02	969.898	1095.69	2661.83	1816.58	47807	63146	59010	89360	57198
सहरसा	810.3	664.61	599.09	1615.90	1203.22	67083	62826	56603	119942	59379
सुपौल	945.92	989.74	882.20	1851.84	1491.34	56402	69038	66261	103911	63314
मधेपुरा	974.35	1009.12	692.12	1255.75	771.80	68924	65158	41371	68625	40097
पूर्णिया	1632.84	1355.04	1490.53	2851.83	2140.30	77247	93659	95158	273269	113998
किशनगंज	383.32	388.93	663.51	769.12	701.66	28644	25069	34716	74782	27124
अररिया	606.88	617.89	478.42	1586.47	1133.88	37237	55376	44241	90281	30836
कटिहार	1116.02	945.46	905.04	1667.43	1357.21	35688	72874	61559	149772	39629
मुख्यालय		103.43	6871.81				142	17149		
बिहार	**57549.29**	**61645.34**	**61557.68**	**99747.95**	**73881.00**	**2967919**	**3791754**	**3805826**	**6227629**	**3278627**

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

(जारी)

तालिका 10.19 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण (जारी)

जिल	आवासीय विद्यालयों का रखरखाव (अजा)						छात्रावासों का रखरखाव (अजा)		
	वित्तीय आबंटन (लाख रू.)			भौतिक उपलब्धि (संख्या में.)			आबंटित रकम (लाख रु.)		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	448.41	455.21	455.11	621	616	616	214.65	142.57	91.34
नालंदा	316.61	348.31	349.20	747	788	796	13.73	16.22	14.70
भोजपुर	388.65	401.45	390.61	714	777	772	25.69	35.46	28.28
बक्सर	173.83	248.63	202.08	324	356	316	11.14	18.73	11.26
रोहतास	339.04	326.11	363.00	738	781	774	29.48	33.88	50.58
कैमूर	314.04	374.61	341.12	538	534	570	66.78	30.50	65.25
गया	1426.56	1334.55	1315.60	2954	3207	3103	15.05	26.91	36.58
जहानाबाद	161.47	170.01	181.69	425	449	449	10.77	10.72	11.25
अरवल	129.22	114.92	144.84	339	366	366	0.00	0.00	0.00
नवादा	363.18	449.97	446.56	957	985	1000	17.66	22.13	23.44
औरंगाबाद	134.23	91.00	145.43	235	292	318	6.12	7.26	11.25
सारण	134.22	183.01	168.51	385	390	287	12.93	18.93	18.12
सीवान	133.71	114.42	129.33	206	228	210	28.39	30.56	46.20
गोपालगंज	182.33	219.11	167.55	359	339	348	15.95	19.53	30.31
पश्चिम चंपारण	264.41	274.36	304.10	592	592	651	18.76	22.02	44.40
पूर्व चंपारण	136.23	124.66	162.06	291	313	324	29.61	34.86	35.75
मुजफ्फरपुर	473.40	474.41	530.49	1057	1062	1046	33.63	37.41	44.99
सीतामढ़ी	174.38	166.72	153.06	390	400	400	27.55	30.45	38.14
शिवहर	50.46	75.61	131.35		76	200	1.31	6.59	4.38
वैशाली	193.19	252.69	195.81	311	375	344	15.05	13.21	6.88
दरभंगा	137.57	100.34	130.27	118	118	259	37.61	41.56	59.49
मधुबनी	426.82	482.94	490.65	891	1020	1032	20.97	13.51	11.28
समस्तीपुर	297.10	288.31	299.93	615	684	684	10.77	17.91	27.82
बेगूसराय	134.82	196.33	153.88	310	337	337	3.29	2.23	4.38
मुंगेर	132.96	119.58	148.54	289	319	319	14.59	14.74	23.50
शेखपुरा	129.22	89.42	118.41	191	237	237	1.31	1.60	4.38
लखीसराय	146.48	119.42	79.54	203	210	217	3.71	6.90	7.81
जमुई	138.43	84.42	147.54	229	254	254	1.31	1.60	4.38
खगड़िया	150.49	160.47	170.32	381	369	357	15.75	15.15	14.70
भागलपुर	228.22	217.69	248.01	351	355	353	58.13	45.54	45.17
बांका	144.86	82.34	132.33	212	226	219	9.91	17.83	7.86
सहरसा	212.18	191.40	202.65	380	378	378	50.56	37.76	16.96
सुपौल	129.22	86.50	129.33	127	138	138	8.31	13.87	23.51
मधेपुरा	136.18	160.36	127.27	179	236	284	16.28	23.43	20.05
पूर्णिया	146.32	176.88	214.73	391	395	395	36.18	40.84	36.89
किशनगंज	194.34	196.58	165.02	347	347	350	7.79	5.22	7.81
अररिया	142.17	183.11	167.55	274	311	311	12.44	18.37	24.94
कटिहार	144.29	132.58	150.55	390	378	354	20.97	25.23	30.37
बिहार	**9109.24**	**9268.43**	**9554.02**	**18061**	**19238**	**19368**	**924.11**	**901.23**	**984.39**

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

© Copyright 2018 Finance Department, Govt. of Bihar

PRINTED AT SARASWATY PRESS LTD. (GOVT. OF WEST BENGAL ENTERPRISE), KOLKATA-700056